



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2021-22

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA



वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

कार्यालय

सर्वे सं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट
नानकरामगूडा, गच्चीबौली
हैदराबाद – 500 032, भारत
फोन: +91-40-20204000



यह रिपोर्ट बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(वार्षिक रिपोर्ट – विवरणी, विवरण और अन्य ब्योरा प्रस्तुत करना)
नियम, 2000 के अनुसार निर्धारित फार्मेट के अनुरूप है।

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/10/ आर&डी/एसडीडी/एआर 2021-22/01/ नवंबर-22


25 नवम्बर, 2022

सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये, बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं।

भवदीय,


देबाशीष पण्डा
अध्यक्ष

LETTER OF TRANSMITTAL

Ref. No. 101/10/R&D/SDD/AR 2021-22/01/Nov-22

25th November, 2022

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith the Annual Report of the Authority for the financial year ended March 31, 2022 in the Form as prescribed in the Appendix of IRDA (Annual Report – Furnishing of return, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,


Debasish Panda
Chairman

विषय-सूची

मिशन विवरण	xi
प्राधिकरण के सदस्य	xiii
आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी	xv

भाग - I 1

नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1	सामान्य आर्थिक परिवेश की समीक्षा	3
I.2	बीमा बाजार का मूल्यांकन	5
I.3	प्राधिकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या और विवरण	23
I.4	बीमा बाजार को विकसित करने के लिए नीतियाँ और उपाय	25
I.5	बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप	26
I.6	समीक्षा	28
I.6.1	पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण	28
I.6.2	बीमाकर्ताओं के शोधन क्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण	30
I.6.3	पुनर्बीमा की निगरानी	30
I.6.4	बीमाकर्ताओं के निवेशों की निगरानी	33
I.6.5	स्वास्थ्य बीमा	36
I.6.6	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में किये जानेवाले व्यवसाय का विनिर्दिष्ट प्रतिशत	42
I.6.7	लेखा और बीमांकिक मानक	43
I.6.8	प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेश, आदेश और विनियम	43
I.6.9	प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ और कार्य	43
I.6.10	बीमा बाजार की कार्यप्रणाली से संबंध रखनेवाली अन्य नीतियाँ और कार्यक्रम	43

भाग - II 49

कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1	बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन	51
II.2	बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध बीमा एजेंट और मध्यवर्ती	52
II.3	बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान	62
II.4	वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय	64
II.5	बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग	64
II.6	सार्वजनिक शिकायतें	67
II.7	सलाहकार समिति की कार्यपद्धति	69
II.8	बीमा लोकपाल की कार्यपद्धति	70
II.9	बीमा संघ और बीमा परिषदें	70
II.10	बीमा बाजार से संबंधित अन्य गतिविधियाँ	72



प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

III.1	आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन	75
III.2	पालिसी के समनुदेशन, पालिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे का निपटान, पालिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण	75
III.3	मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना	78
III.4	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण-संहिता विनिर्दिष्ट करना	78
III.5	बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना	78
III.6	बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना	80
III.7	अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही	83
III.8	बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना	83
III.9	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन प्रशुल्क परामर्शदात्री समिति के द्वारा इतना नियंत्रित और विनियमित नहीं किये जानेवाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन	85
III.10	उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे।	85
III.11	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन	85
III.12	शोधन क्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमन	86
III.13	बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन	87
III.14	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना	87

भाग - IV

संगठनात्मक विषय

IV.1	संगठन	91
IV.2	मानव संसाधन	92
IV.3	राजभाषा का संवर्धन	95
IV.4	सूचना प्रौद्योगिकी	97
IV.5	लेखा	98
IV.6	आभार-प्रदर्शन	98



बाक्स मर्दे

1.1	जीवन बीमा में महिलाओं की सहभागिता	15
1.2	साइबर दायित्व बीमा	24
1.3	बीमा क्षेत्र की विहंगम दृष्टि	48

सारणियाँ

1.1	भारत के राष्ट्रीय आय अनुमान	3
1.2	आर्थिक गतिविधि द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का अनुमान	3
1.3	घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत	5
1.4	2021 में विश्व में क्षेत्र-वार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि	5
1.5	2021 में विश्व में क्षेत्र-वार प्रीमियम की मात्रा	7
1.6	2021 में विश्व में क्षेत्र द्वारा बीमा व्यापन और सघनता	7
1.7	भारत में बीमा व्यापन और सघनता	8
1.8	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम	10
1.9	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित खंड-वार प्रीमियम	11
1.10	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नई वैयक्तिक पालिसियाँ	12
1.11	जीवन बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी	12
1.12	जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय (और प्रतिफल)	13
1.13	जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय	13
1.14	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभांश	13
1.15	जीवन बीमाकर्ताओं के वास्तविक मृत्यु दावे	14
1.16	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किया गया लाभांश	16
1.17	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय	16
1.18	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	17
1.19	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम	18
1.20	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर)	18
1.21	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नई पालिसियाँ	19
1.22	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी	19
1.23	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय	20
1.24	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के उपगत दावे	21
1.25	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का जोखिम-अंकन अनुभव	21
1.26	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय	21
1.27	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ	22
1.28	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभांश	22
1.29	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय	23
1.30	पंजीकृत बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता	23
1.31	जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों संबंधी शिकायतें	28
1.32	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा स्थानन	32
1.33	साधारण बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण	33
1.34	बीमा क्षेत्र के कुल निवेश	34
1.35	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश	34
1.36	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश	35
1.37	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	36



I.38	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पॉलिसी, कवर जीवन और प्रीमियम	36
I.39	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात	37
I.40	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत अदा किये गये दावे	38
I.41	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति	39
I.42	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पॉलिसी, कवर जीवन और प्रीमियम	40
I.43	जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति	40
I.44	वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	41
I.45	सरकार द्वारा प्रायोजित वैयक्तिक दुर्घटना योजनाओं की व्याप्ति	41
I.46	विदेश यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	41
I.47	घरेलू यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	41
I.48	भारत के बाहर स्वास्थ्य, पीए, और यात्रा बीमा व्यवसाय जोखिम-अंकित प्रीमियम	42
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट	52
II.2	जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों का लिंग-वार वितरण	53
II.3	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट	53
II.4	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों का लिंग-वार वितरण	53
II.5	बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध कारपोरेट एजेंट	54
II.6	जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का कार्यनिष्पादन	54
II.7	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट	55
II.8	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस	58
II.9	जीवन बीमा में वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन	60
II.10	साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन	61
II.11	स्वास्थ्य बीमा में वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन	62
II.12	2021-22 के दौरान दायर किये गये विधिक मामलों का विवरण	64
II.13	2021-22 के दौरान निपटाये गये / खारिज किये गये विधिक मामलों का विवरण	64
II.14	आईजीएमएस के अनुसार शिकायतों की स्थिति	68
II.15	डीएआरपीजी पोर्टल में पंजीकृत और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें	69
III.1	कोविड -19 महामारी के कारण मृत्यु दावे	77
III.2	कोविड -19 महामारी के कारण स्वास्थ्य बीमा दावे	77
IV.1	31 मार्च 2022 को प्राधिकरण की संरचना	91
IV.2	2021-22 के दौरान प्राधिकरण की बोर्ड की बैठकों का विवरण	92
IV.3	आईआरडीएआई में स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या	92
IV.4	आईआरडीएआई में श्रेणी-वार स्टाफ संख्या	92
IV.5	आईआरडीएआई में स्टाफ का आयु-वार वितरण	93
IV.6	आईआरडीएआई में क्षेत्र-वार स्टाफ संख्या	93
IV.7	आईआरडीएआई में ग्रेड-वार स्टाफ संख्या	93





I.1	2021-22 में वर्तमान कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) में क्षेत्रों का अंश	4
I.2	भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत	4
I.3	भारत में बीमा व्यापन	8
I.4	भारत में बीमा सघनता	9
I.5	2021 में चयनित देशों में बीमा व्यापन	9
I.6	2021 में चयनित देशों में बीमा सघनता	9
I.7	जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम	10
I.8	जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम	10
I.9	जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम	11
I.10	जीवन बीमा प्रीमियम में खंड-वार हिस्सेदारी	11
I.11	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभांश	14
I.12	जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय	14
I.13	जीवन बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ	16
I.14	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का टियर-वार वितरण	17
I.15	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर)	17
I.16	साधारण बीमा प्रीमियम में विभिन्न खंडों का अंश	18
I.17	साधारण बीमा प्रीमियम में क्षेत्रवार अंश	18
I.18	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय	20
I.19	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के द्वारा उपगत दावा	20
I.20	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का टियर-वार वितरण	23
I.21	अपविक्रय संबंधी शिकायतों की स्थिति	29
I.22	अपविक्रय संबंधी शिकायतों का निपटान	29
I.23	भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और एफआरबी का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम	32
I.24	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश: निधि-वार	35
I.25	स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में क्षेत्रवार अंश	36
I.26	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति	36
I.27	स्वास्थ्य बीमा के अधीन कवर जीवन और प्रीमियम	37
I.28	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का अंश	37
I.29	स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के अधीन उपगत दावे	37
I.30	स्वास्थ्य बीमा के अधीन उपगत दावों के अनुपात की प्रवृत्ति : क्षेत्र-वार	38
I.31	स्वास्थ्य बीमा के अधीन उपगत दावों के अनुपात की प्रवृत्ति: खंड-वार	38
I.32	जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	39
II.1	जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन	60
II.2	जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन	60
II.3	साधारण बीमाकर्ताओं का माध्यम-वार व्यवसाय कार्यनिष्पादन	61
II.4	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का माध्यम-वार कार्यनिष्पादन	62
II.5	जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	68
II.6	साधारण बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	69
IV.1	आईआरडीएआई में स्टाफ का ग्रेड-वार वितरण	93

1	बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना	101
2	बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना	102
3	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम	103
4	जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम	104
5	जीवन बीमाकर्ताओं का खंड-वार कुल प्रीमियम	105
6	जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	106
7	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावों की स्थिति	107
8	जीवन बीमाकर्ताओं की सामूहिक मृत्यु दावों की स्थिति	109
9	बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र वार वितरण	111
10	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)	112
11	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर)	113
12	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	115
13	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात (भारत के अंदर)	116
14	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के दावों की स्थिति	118
15	जीवन बीमाकर्ताओं का शोधनक्षमता अनुपात	120
16	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधनक्षमता अनुपात	121
17	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं का शोधनक्षमता अनुपात	122
18	एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम	123
19	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की समनुदेशित पूँजी	124
20	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)	125
21	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)	128

अनुबंध

131

1	भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियाँ	133
2	(i) भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह में सदस्यों का अंश	135
	(ii) भारतीय नाभिकीय बीमा समूह में सदस्यों का अंश	136
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर टीपी दायित्वों का परिकलन करने के लिए डेटा	137
4	01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश	138
5	31 मार्च 2022 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम	142
6	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची	146
7	2021-22 के दौरान आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित उत्पादों और राईडर्स की संख्या	147
8	बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वसूल किया गया शुल्क	148
9	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अर्थदंड	149
10	(i) भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (आईएएलएम) - 2012-14	152
	(ii) भारतीय वैयक्तिक वार्षिकीग्राही मृत्यु-दर सारणी (2012-15)	153



संक्षिप्ताक्षर

एएफआईआर	:	एशियाई बीमा विनियमनकर्ता मंच
एजीएम	:	सहायक महाप्रबंधक
एआईएफ	:	वैकल्पिक निवेश कोष
एएम	:	सहायक प्रबंधक
एएमएल	:	धन-शोधन निवारण
एएसईएन	:	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ
आशा	:	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एसएसटी	:	सहायक
बीएपी	:	व्यवसाय विश्लेषण-विज्ञान परियोजना
बीसीएस	:	व्यवसाय प्रतिनिधि
बीएलए	:	बेसलाइन असेसमेंट
सीएडी	:	उपभोक्ता कार्य विभाग
सीएजी	:	भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक
सीबीआर	:	सीमापार पुनर्बीमाकर्ता
सीएफटी	:	आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना
सीजीएम	:	मुख्य महाप्रबंधक
सीआईआई	:	अत्यावश्यक सूचना संबंधी बुनियादी संरचना
सीकेवाईसीआर	:	सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री
सीओआर	:	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीआईओ	:	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीएससी	:	सामान्य लोक सेवा केन्द्र
सीपीपीपी	:	सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल
सीएससी	:	सामान्य सेवा केन्द्र
सीडब्ल्यूजी	:	मुख्य कार्य दल
डीएआरपीजी	:	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
डीसीएफ	:	जिला उपभोक्ता मंच
डीएफएस	:	वित्तीय सेवाएँ विभाग
डीजीएम	:	उप महाप्रबंधक
डीपीजी	:	लोक शिकायत निदेशालय
ईआईए	:	इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाते
ईडी	:	कार्यकारी निदेशक
ईएमईए	:	यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका
ईएसओपीएस	:	कर्मचारी स्टॉक विकल्प
ईओआई	:	रुचि की अभिव्यक्ति
एफएए	:	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
एफएटीएफ	:	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
एफडीआई	:	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफएफई	:	अग्निशमन उपस्कर
एफआईओ	:	संघीय बीमा कार्यालय
एफआईयू-आईएनडी	:	वित्तीय आसूचना इकाई - भारत
एफआरबी	:	विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा
एफआरएन	:	फाइलिंग संदर्भ संख्या





एफएसए	:	वित्तीय क्षेत्र का आकलन
एफएसएपी	:	वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम
एफएसबी	:	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसएसए	:	वित्तीय क्षेत्र स्थिरता निर्धारण
एफओएफ	:	फंड ऑफ फंड्स
जीडीपी	:	सकल देशी उत्पाद
जीएम	:	महाप्रबंधक
जीएनडीआई	:	सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
जीओआई	:	भारत सरकार
जीआरसी	:	शिकायत निवारण समिति
जीवीए	:	योजित सकल मूल्य
एचओडी	:	विभाग के प्रमुख
आईट्रेक्स	:	बीमा लेनदेन एक्सचेंज
आईएसी	:	बीमा सलाहकार समिति
आईएआई	:	भारतीय बीमांकक संस्थान
आईएआईएस	:	अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ
आईएएलएम	:	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर
आईबीआई	:	भारतीय बीमा दलाल संघ
आईसीपी	:	मुख्य बीमा सिद्धांत
आईसीआर	:	उपगत दावा अनुपात
आईएफआरएस	:	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईजीसीसी	:	आईआरडीआई शिकायत काल सेंटर
आईजीएमएस	:	समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली
आईजीसी	:	आंतरिक शिकायत निवारण समिति
आईआईबी	:	भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो
आईआईआई	:	भारतीय बीमा संस्थान
आईआईआईएसएलए	:	भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान
आईआईआरएम	:	बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान
आइएमसीसी	:	अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति
आईएमएफ	:	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएफएस	:	बीमा विपणन फर्म
आईएनएफई	:	वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क
आईएनआईपी	:	भारतीय नाभिकीय (न्यूक्लियर) बीमा समूह (पूल)
आईपीपीबी	:	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
आईआरसीटीसी	:	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम
आईआरडीआई	:	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईएसएनपी	:	बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म
आईएसपी	:	बीमा विक्रेता
आईडब्ल्यूडी	:	अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
आईएफएससीए	:	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईएनवीआईटीएस	:	इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स
जेडब्ल्यूजी	:	संयुक्त कार्य समूह
केएमपी	:	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

केवाईसी	:	अपने ग्राहक को जानिए
एलपीएस	:	लेटर पेटेंट अपीलें
एमएसीटी	:	मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
एमएफआई	:	सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ
एमजीनरेगा	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमजीआर	:	प्रबंधक
एमआई	:	सूक्ष्म बीमा
एमआईएसपी	:	मोटर बीमा सेवा प्रदाता
एमएमआईसी	:	मृत्यु और रुग्णता जांच केंद्र
एमएमओयू	:	बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन
एमओएफ	:	वित्त मंत्रालय
एमआरओ	:	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
एमओआरटीएच	:	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एनएआईसी	:	राष्ट्रीय बीमा आयुक्त संघ
एनबीएफसी	:	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीडीआर	:	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
एनसीएफई	:	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र
एनडीआरओ	:	नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
एनजीओएस	:	गैर-सरकारी संगठन
एनआईए	:	राष्ट्रीय बीमा अकादमी
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनआरए	:	राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन
एनएसएफई	:	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति
एनएसओ	:	राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन
एनएलपी	:	प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
एनसीआरबी	:	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एनएचएसआरसी	:	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र
एनएचए	:	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
एनसीआईआईपीसी	:	राष्ट्रीय अत्यावश्यक सूचना बुनियादी संरचना संरक्षण केन्द्र
एनसीएससी	:	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग
ओईसीडी	:	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएलआई	:	राजभाषा कार्यान्वयन
ओएमओपी	:	एक और विकल्प योजना
पीए	:	वैयक्तिक दुर्घटना
पीएसीएस	:	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां
पीएटी	:	कर के बाद लाभ
पीएफसीई	:	निजी अंतिम खपत व्यय
पीएम-जेएवाई	:	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पीएमएफबीवाई	:	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना
पीएमजेडीवाई	:	प्रधान मंत्री जन धन योजना
पीएमजेजेबीवाई	:	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना





पीएमएल	:	धन-शोधन निवारण
पीएमएलए	:	धन-शोधन निवारण अधिनियम
पीएमओ	:	प्रधान मंत्री कार्यालय
पीएमएसबीवाई	:	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमवीवीवाई	:	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
पीओ	:	प्रधान अधिकारी
पीओएस	:	बिक्री केन्द्र विक्रेता
पीओएसपी	:	प्वाइंट ऑफ सेल्स पर्सन
पीआरआईएसएम	:	प्रेडिक्टिव लाइफ रिस्क स्कोरिंग मॉडल
पीएसयू	:	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
पीआरपी	:	समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया
पीआरएएन	:	संपत्ति जोखिम विश्लेषक
आरएसी	:	पुनर्बीमा सलाहकार समिति
आरएपी	:	ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति
आरबीआई	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीएसएफ	:	जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचा
आरबीसी	:	जोखिम आधारित पूंजी
आरईआईटी	:	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट
आरएसएम	:	अपेक्षित शोधनक्षमता मार्जिन
आरटीआई	:	सूचना का अधिकार
आरडब्ल्यूबीसीआईएस	:	पुनःसंरचित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना
आरएफपी	:	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
एसए	:	वरिष्ठ सहायक
एसएएचआई	:	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता
एसएटी	:	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण
एससीडीआरसी	:	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
एसईबीआई (सेबी)	:	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसएचजीएस	:	स्वयं सहायता समूह
एसएलए	:	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक
एसपीवी	:	विशेष प्रयोजन माध्यम
टीएटी	:	प्रतिवर्तन काल
टीओएलआईसी	:	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीपीए	:	अन्य पक्ष प्रबंधक
यूईई	:	संयुक्त अरब अमीरात
यूएफबीपी	:	अनुचित व्यवसाय पद्धतियाँ/ प्रथाएँ
यूआईडीएआई	:	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूएलआईपी (यूलिप)	:	यूनिट-सहबद्ध उत्पाद
यूएसडी	:	अमेरिकी डालर
यूटी	:	संघ राज्य क्षेत्र
वीसीएचवीएस	:	वाहन दावा इतिहास सत्यापन सेवा
वीएलई	:	ग्राम स्तरीय उद्यमी
वीएपीटी	:	असुरक्षितता निर्धारण और व्यापन परीक्षण
डब्ल्यूबी	:	विश्व बैंक



- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना तथा उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना;
- ✓ आम आदमी के हित के लिए बीमा उद्योग (वार्षिकी और अधिवर्षिता संबंधी भुगतानों सहित) की त्वरित और व्यवस्थित संवृद्धि करना, तथा अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की गति बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक निधियाँ उपलब्ध कराना;
- ✓ प्राधिकरण जिनका विनियमन करता है, उनकी सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता, उचित व्यवहार और सक्षमता के उच्च मानकों का निर्धारण, संवर्धन, निगरानी और प्रवर्तन करना;
- ✓ वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा संबंधी धोखाधड़ियों और अन्य अनाचारों की रोकथाम करना तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना;
- ✓ बीमे के साथ संबंध रखनेवाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्यसंचालन को बढ़ावा देना तथा बाजार के खिलाड़ियों में वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानक लागू करने के लिए एक विश्वसनीय प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ जहाँ ऐसे मानक अपर्याप्त हैं अथवा अप्रभावी ढंग से लागू किये गये हैं वहाँ कार्रवाई करना;
- ✓ विवेकपूर्ण विनियमन की अपेक्षाओं के अनुरूप उद्योग के दैनंदिन कार्यचालन में इष्टतम परिमाण में स्व-विनियमन उत्पन्न करना।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण प्राधिकरण के सदस्य

अध्यक्ष

डॉ सुभाष चंद्र खुंटिया
(6 मई 2021 तक)

श्री देबाशीष पण्डा
(14 मार्च 2022 से)

पूर्णकालिक सदस्य

सुश्री टी. एल. अलामेलु
(6 मई 2022 तक)

श्री के. गणेश
(30 जुलाई 2022 तक)

श्री प्रमोद कुमार अरोरा
(4 जनवरी 2021 से)

सुश्री एस एन राजेश्वरी
(4 मार्च 2021 से)

श्री राकेश जोशी
(22 मार्च 2022 से)

श्री थॉमस देवासिया
(19 सितंबर 2022 से)

अंशकालिक सदस्य

सुश्री सुषमा नाथ
(23 अगस्त 2021 तक)

श्री निहार एन जंबुसारिया
(11 फरवरी 2022 तक)

श्री अमित अग्रवाल
(3 जुलाई 2022 तक)

सीए (डॉ.) देबाशीष मित्र
(12 फरवरी 2022 से)

श्री सुचिन्द्र मिश्रा
(4 जुलाई 2022 से)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) में वरिष्ठ अधिकारी (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)

कार्यकारी निदेशक

श्री सुरेश माथुर

आईआईआरएम, हैदराबाद में प्रतिनियुक्ति पर

मुख्य महाप्रबंधक

श्री रणदीप सिंह जगपाल

उपभोक्ता मामले

श्रीमती जे.मीना कुमारी

पर्यवेक्षण, मानव संसाधन,
प्रशासन, आंतरिक लेखा, निगमित सेवाएँ,
संपदा और पदनामित अधिकारी

श्री ए. आर. नित्यानंदम

मध्यवर्ती

श्रीमती यज्ञ प्रिया भरत

गैर- जीवन

डॉ. ममता सूरी

वित्त एवं लेखा, आंतरिक लेखा परीक्षण

श्री वी. जयंत कुमार

जीवन

महाप्रबंधक

श्री एस.एन.जयसिंहन

सूचना प्रौद्योगिकी

श्री टी.एस.नायक

संचार, प्रशासन और सम्पदा

श्री प्रभात कुमार मैती

सेक्टोरियल विकास और
मुख्य सतकर्ता अधिकारी

श्रीमती के.जी.पी.एल.रमादेवी

मध्यवर्ती

श्री जी.आर. सूर्या कुमार

बीमांकिक

श्री के.महिपाल रेड्डी

गैर-जीवन

श्री पंकज कुमार तिवारी

सर्वेक्षक

श्री ए रमना राव

वित्त एवं लेखा विभाग (गैर-जीवन)

श्री एस.पी. चक्रवर्ती

बीमांकिक और राजभाषा कार्यान्वयन

श्री राजकुमार शर्मा

एसआईएलआईसी, लखनऊ में
प्रतिनियुक्ति पर

श्री डी.वी.एस. रमेश

विधि और स्वास्थ्य

श्री पी एस जगन्नाथम

जीवन

श्री टी.वेंकटेश्वर राव

जीवन

श्री संजीव कुमार जैन

पर्यवेक्षण

श्री ए.वेंकटेश्वर राव

प्रवर्तन

श्रीमती जे अनीता

गैर- जीवन

श्री सुदीप्त भट्टाचार्य

वित्त एवं लेखा (जीवन)

श्री एम .एस.जयकुमार

निवेश

श्री एन. एम. बेहेरा

बीमा लोकपाल, भुवनेश्वर में
प्रतिनियुक्ति पर

वार्षिक रिपोर्ट टीम

श्री जी.आर. सूर्या कुमार

मुख्य महाप्रबंधक

श्री अनुराग बाजपेयी

प्रबंधक

श्री एम.एस.जयकुमार

महाप्रबंधक

सु श्री अरुंधति चक्रवर्ती

सहायक प्रबंधक

श्री एम.एन. मुंशी

उप महाप्रबंधक

श्री प्रणव वी.

सहायक प्रबंधक

डा एच. जयंती

विशेष कार्य अधिकारी

श्री रवि रंजन

सहायक प्रबंधक

I

नीतियाँ और कार्यक्रम

भाग - I नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश की समीक्षा

I.1.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 के लिए दर्ज रु. 198.01 लाख करोड़ के मुकाबले वर्ष 2021-22 के लिए वर्तमान कीमतों पर सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) रु. 236.65 लाख करोड़ पर अनुमानित है जो 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शा रहा है। वर्तमान कीमतों पर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) 2020-21 के दौरान दर्ज रु. 200.86 लाख करोड़ की तुलना में 2021-22 के दौरान 238.78 लाख करोड़ पर अनुमानित है जो 18.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020-21 में दर्ज रु. 1,46,087 की तुलना में 2021-22 के दौरान रु. 1,72,913 है जो 18.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय 2020-21 के रु. 88,775 से बढ़कर 2021-22 में रु. 1,02,992 हो गया है जो 16.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करता है।

I.1.2 आधार कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) द्वारा मापी गई समग्र आपूर्ति 2020-21 में 1.6 प्रतिशत संकुचन को दर्ज करने के बाद 2021-22 में 18.2 प्रतिशत बढ़ी। जीवीए की संवृद्धि में तेजी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में सतत समुत्थान द्वारा सुसाध्य हुई, यद्यपि यह एक अनुकूल आधार पर संभव हुई। कृषि क्षेत्र ने तीन वर्षों में निरंतर आघात-सहनीय स्थिति में रहते हुए अर्थव्यवस्था के लिए एक अनुकूल स्थिति प्रदान की।

सारणी I.1: भारत के राष्ट्रीय आय अनुमान

(वर्तमान कीमतों पर)

मद	2020-21*	2021-22#	वृद्धि (%)	
			2020-21	2021-22
मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) (रु लाख करोड़)	180.58	213.49	-1.6	18.2
सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) (रु लाख करोड़)	198.01	236.65	-1.4	19.5
सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) (रु लाख करोड़)	200.86	238.78	-1.6	18.9
प्रति व्यक्ति जीडीपी (रु)	1,46,087	1,72,913	-2.4	18.4
प्रति व्यक्ति जीएनडीआई (रु)	1,48,194	1,74,473	-2.7	17.7
प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) (रु)	88,775	1,02,992	-2.7	16.0

*प्रथम संशोधित अनुमान; * अनंतिम अनुमान
स्रोत: एनएसओ, प्रेस नोट दिनांक 31 मई, 2022


सारणी I.2: आर्थिक गतिविधि द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का अनुमान

(वर्तमान कीमतों पर) (रु लाख करोड़)

उद्योग	2020-21*	2021-22#	वृद्धि (%)	
			2020-21	2021-22
I. कृषि, वानिकी और मत्स्य-ग्रहण	36.09	39.80	7.5	10.3
II. उद्योग				
खनन और उत्खनन	3.25	5.13	-9.4	57.9
विनिर्माण	27.09	33.07	0.2	22.1
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं	5.07	5.87	1.1	15.6
III. सेवाएं				
निर्माण	13.16	17.19	-4.2	30.7
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएँ	28.66	35.29	-17.6	23.1
वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	40.46	45.43	4.3	12.3
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	26.79	31.71	-0.8	18.4
मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए)	180.58	213.49	-1.6	18.2

*पहले संशोधित अनुमान; * अनंतिम अनुमान
स्रोत: एनएसओ, प्रेस नोट दिनांक 31 मई, 2022

चार्ट 1.1: 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) में क्षेत्रों का अंश




1.1.3 सकल देशी बचत की दर सामान्य सरकारी क्षेत्र में ऋणात्मक बचत (डिस-सेविंग) और गैर-वित्तीय निगमों की बचत में गिरावट के कारण, एक वर्ष पूर्व के 29.4 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) का 27.8 प्रतिशत हुई।

निधियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत - घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत - में 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की उछाल आने से वह

जीएनडीआई का 11.5 प्रतिशत हो गई, जो दो दशकों में उच्चतम है जिसके लिए जमाराशियाँ और बीमा निधियों के लिखत कारण हैं। स्वास्थ्य बीमा के बारे में कोविड से प्रेरित संवर्धित जागरूकता के कारण बीमा निधियों ने 2019-20 में दर्ज जीएनडीआई के 1.8 प्रतिशत से 0.8 प्रतिशत सुधार दर्शाते हुए 2020-21 में जीएनडीआई के 2.6 प्रतिशत तक वृद्धि की है।

चार्ट 1.2: भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत

(सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

सारणी 1.3: घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का प्रतिशत)

मद	2019-20	2020-21
सकल वित्तीय बचत	19.2	21.9
i. निवल वित्तीय बचत (अ - ब)	7.9	11.5
ii. भौतिक आस्तियों में बचत	11.1	10.2
iii. मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.2	0.2
अ सकल वित्तीय बचत	11.7	15.5
जिसमें से:		
1. मुद्रा	1.4	1.9
2. जमा राशियाँ	4.2	6.3
3. शेयर और डिबेंचर	0.4	0.5
4. सरकार पर दावे	1.3	1.6
5. बीमा निधियाँ	1.8	2.6
6. भविष्य और पेंशन निधियाँ	2.2	2.5
ब. वित्तीय देयताएँ	3.9	4.0

स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

1.2 बीमा बाजार का मूल्यांकन

1.2.1 वैश्विक बीमा बाजार का मूल्यांकन

1.2.1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो रही है तथा कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिकारक मंदी बढ़ गई है। स्विस आरई सिगमा अनुसंधान (प्रकाशन सं. 4/2022) के अनुसार, यह आर्थिक मंदी और उच्च मुद्रास्फीति के परिवेश का प्रभाव बीमा बाजारों पर पड़ेगा। धीमी हो रही वृद्धि विशिष्ट रूप से बीमा के लिए निम्नतर माँग के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। मुद्रास्फीति का बड़ा प्रभाव गैर-जीवन में बढ़ते हुए दावों की लागतों में दिखाई देगा। निकट भविष्य में संपत्ति और मोटर बीमा के सर्वाधिक प्रभावित होने का अनुमान है।

1.2.1.2 2021 में, कुल वैश्विक बीमा प्रीमियमों में वास्तविक रूप में 3.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। गैर-जीवन क्षेत्र ने 2.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जो उन्नत बाजारों में वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में दर में वृद्धि के द्वारा प्रेरित थी। तथापि, चीन में जो सबसे बड़ा उभरता बाजार है, गैर-जीवन प्रीमियम मात्राएँ 0.7 प्रतिशत संकुचित हुईं क्योंकि मोटर बीमा के प्रशुल्कीकरण को हटाना प्रबल स्पर्धा और दर कटौतियों का कारण बना। इसे अंशतः चीन में चिकित्सा बीमा प्रीमियमों में 10.6 प्रतिशत वृद्धि से पूरा

किया गया। चीन को छोड़कर उभरते बाजारों का कुल योग अपेक्षाकृत सुदृढ़ रहा, जहाँ प्रीमियम 4.1 प्रतिशत बढ़ गये।

1.2.1.3 जीवन में, वैश्विक प्रीमियम वृद्धि ने चीन को छोड़कर दोनों उन्नत और उभरते बाजारों में मजबूती से पहले की स्थिति 4.5 प्रतिशत वापस प्राप्त की। चीन में जीवन प्रीमियमों में 2.6 प्रतिशत संकुचन हुआ जो गंभीर अस्वस्थता व्यवसाय में आगे और गिरावट होने के कारण था। उन्नत बाजारों में सुदृढ़ जीवन प्रीमियम वृद्धि को आस्ति मूल्यों और श्रम बाजार में आई उछाल से समर्थन मिला जिसने बचत-सहबद्ध व्यवसाय के लिए माँग को ऊपर उठाया। विनियामक गतिविधियों और कर कानून में परिवर्तन ने अमेरिका में वार्षिकी उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा दिया। फ्रांस ने 27.3 प्रतिशत की सर्वाधिक सुदृढ़ वृद्धि सूचित की जो मुख्य रूप से यूनिट-सहबद्ध व्यवसाय के कारण थी। उन्नत एशिया-पैसिफिक में, विनियामक समर्थन के अधीन संरक्षण उत्पादों के प्रति बाजार के अंतरणों ने बाजार वृद्धि का समर्थन किया।

सारणी 1.4: 2021 में विश्व में क्षेत्र वार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	5.4	2.9	3.9
उभरते बाजार	1.5	1.5	1.5
एशिया-पैसिफिक	0.6	0.8	0.7
भारत	8.5	5.8	7.8
विश्व	4.5	2.6	3.4

स्रोत: स्विस आरई, सिग्मा 4/2022

1.2.1.4 अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा बीमा बाजार बना हुआ है जिसके बाद चीन और जापान का स्थान है। 2021 में ये तीनों देश मिलकर वैश्विक प्रीमियमों का प्रायः 56 प्रतिशत बने हैं, जो 2020 की स्थिति से थोड़ा-सा कम (57 प्रतिशत) है। शीर्षस्थ 20 देशों का बाजार अंश 2021 में 90 प्रतिशत रहा है तथा स्विस आरई के शीर्षस्थ 20 स्थान प्राप्त देशों (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ताइवान और हांगकांग) ने 23 प्रतिशत बाजार अंश का अंशदान किया। विशेष रूप से यूरोप में आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करनेवाले उक्रेन के संघर्ष के होते हुए यह अनुमान है कि उभरते बाजारों में बीमा उद्योग की वृद्धि इस वर्ष उन्नत बाजारों में इसकी वृद्धि की तुलना में आगे निकल

जाएगी, जहाँ उभरता एशिया अग्रणी है। स्विस आरई के अनुसार, अनुमान है कि आगामी दशक में भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रहे बाजारों में से एक होगा।

I

1.2.1.5 स्विस आरई अनुमान दर्शाते हैं कि वैश्विक प्रीमियम मात्राएँ सुदृढ़ 6.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2022 में कोविड महामारी के दौर की तुलना में बीमा बाजारों की आघात-सहनीयता को प्रतिबिंबित करते हुए 7 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से आगे निकल जाएगी। यह उच्च मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए गैर-जीवन में दर की अधिक वृद्धि और उभरते बाजारों में मजबूत प्रीमियम वृद्धि के अनुमान पर आधारित है। वास्तविक रूप में 2022 में वैश्विक गैर-जीवन प्रीमियमों में 0.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। उभरते बाजारों में गैर-जीवन प्रीमियम वृद्धि द्वारा अगले दो वर्षों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी वृद्धि को पीछे छोड़ने की संभावना है, जो मुख्य रूप से अल्पावधि स्वास्थ्य बीमा के लिए सुदृढ़ माँग से प्रेरित है। व्यवसाय की वैयक्तिक व्यवस्थाओं की तुलना में वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में वृद्धि अधिक मजबूत होगी।

1.2.1.6 वैश्विक जीवन प्रीमियम के संबंध में अनुमान है कि वह 2022 में वास्तविक रूप में संकुचित होगा, परंतु सांकेतिक (नामिनल) तौर पर यह अनुमान है कि वह 2022 में 3.1 ट्रिलियन अमेरिकी डालर तक 4.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा। मुद्रास्फीतिकारक दबाव, आर्थिक अनिश्चितता और वित्तीय बाजारों की स्थिति 2022 में मंद प्रीमियम वृद्धि के लिए प्राथमिक प्रेरक हैं। बचत प्रीमियम, जो जीवन क्षेत्र की तीन तिमाहियों से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, संभवतः अस्थिर वित्तीय बाजार स्थितियों और घटती हुई प्रयोज्य आयों से आक्रांत होंगे। महामारी के बाद जोखिम के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता संरक्षण-प्रकार के उत्पादों के लिए माँग को संचालित करती है, तथा बीमाकर्ता डिजिटल तौर पर तैयार होने के लिए अपने व्यावसायिक माडल परिवर्तित कर रहे हैं। इसके अलावा, उच्चतर ब्याज दरें गारंटीकृत बचत उत्पादों के लिए माँग का समर्थन करेगी। 2023 में यह अनुमान है कि जैसे-जैसे मुद्रास्फीतिकारी दबावों में कमी आएगी और

आर्थिक स्थितियाँ सुधरेंगी, वैश्विक जीवन प्रीमियम वृद्धि वास्तविक रूप में 1.9 प्रतिशत तक समुत्थान करेगी।

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय बीमा

1.2.1.7 स्विस आरई डेटा के अनुसार भारत को वैश्विक बीमा व्यवसाय में दसवाँ (2020 में ग्यारहवाँ) स्थान प्राप्त है, जहाँ बाजार अंश 2021 में 1.85 प्रतिशत रहा (2020 में 1.78 प्रतिशत)। भारत में कुल बीमा प्रीमियम 2021 में 13.46 प्रतिशत (7.8 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) वृद्धि हुई जबकि वर्ष के दौरान वैश्विक कुल बीमा प्रीमियम में 9.04 प्रतिशत की वृद्धि (3.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) हुई।

1.2.1.8 जीवन बीमा व्यवसाय में 2021 में विश्व में भारत का स्थान नौवाँ (2020 में दसवाँ) है। वैश्विक जीवन बीमा बाजार में भारत का अंश 2021 के दौरान 3.23 प्रतिशत (2020 में 3.11 प्रतिशत) था। भारत में जीवन बीमा प्रीमियम 2021 में 14.16 प्रतिशत बढ़ा (8.5 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) जबकि वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम 9.91 प्रतिशत बढ़ा (4.5 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि)।

1.2.1.9 गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में भारत को पिछले वर्ष की ही तरह विश्व में चौदहवाँ स्थान प्राप्त है। वैश्विक गैर-जीवन बीमा बाजार में भारत का अंश 2021 के दौरान 0.78 प्रतिशत था (2020 में 0.76 प्रतिशत)। भारतीय गैर-जीवन बीमा क्षेत्र ने 2021 के दौरान 11.30 प्रतिशत की वृद्धि (5.8 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) दर्ज की जबकि वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में 8.37 प्रतिशत वृद्धि (2.6 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) हुई।

1.2.1.10 वैश्विक तौर पर, 2021 के दौरान कुल प्रीमियम में जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 43.69 प्रतिशत था तथा गैर-जीवन बीमा प्रीमियम का अंश 56.31 प्रतिशत रहा। तथापि, भारत के लिए जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 76.14 प्रतिशत पर अत्यधिक था जबकि गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 23.86 प्रतिशत पर था।

सारणी I.5: 2021 में विश्व में क्षेत्र-वार प्रीमियम की मात्रा

(बिलियन अमेरिकी डालर)

क्षेत्र	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	2,323.20 (41.75)	3,241.12 (58.25)	5,564.32 (100.00)
उभरते बाजार	674.37 (52.02)	621.90 (47.98)	1,296.28 (100.00)
एशिया-पैसिफिक	1,129.25 (61.47)	707.75 (38.53)	1,837.00 (100.00)
भारत	96.68 (76.14)	30.30 (23.86)	126.97 (100.00)
विश्व	2,997.57 (43.69)	3,863.03 (56.31)	6,860.60 (100.00)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े खंड की हिस्सेदारी को कुल प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत: स्विस रे, सिग्मा 4/2021

बीमा व्यापन और सघनता

I.2.1.11 बीमा व्यापन और सघनता दो ऐसे मानदंड हैं जिनका प्रयोग किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन करने के लिए, अन्य के बीच, प्रायः किया जाता है। जबकि बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के तौर पर किया जाता है, बीमा सघनता का परिकलन जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के रूप में किया जाता है।

I.2.1.12 भारत में बीमा व्यापन 2021-22 के दौरान 2020-21 की ही तरह 4.2 प्रतिशत रहा। बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के पहले दशक के दौरान इस क्षेत्र ने बीमा व्यापन में वृद्धि सूचित

की जो 2001-02 में विद्यमान 2.71 प्रतिशत से 2009-10 में 5.2 प्रतिशत तक हुई। तब से बीमा व्यापन का स्तर जीवन बीमा व्यापन में गिरावट के कारण 2014-15 तक घट रहा था। तथापि, बीमा व्यापन 2015-16 से पुनः बढ़ने लगा तथा 2020-21 में व्यापन 4.2 प्रतिशत तक पहुँच गया। जबकि जीवन बीमा क्षेत्र का व्यापन 2001-02 में स्थित 2.15 प्रतिशत से 2021-22 में 3.2 तक बढ़ गया, वहीं गैर-जीवन बीमा का व्यापन इसी अवधि के दौरान 0.56 प्रतिशत से बढ़कर 1.0 प्रतिशत हो गया।

I.2.1.13 भारत में बीमा सघनता 2020-21 में विद्यमान 78 अमेरिकी डालर से बढ़कर 2021-22 में 91 अमेरिकी डालर हो गई। बीमा सघनता के स्तर ने 2001-02 में विद्यमान 11.5 अमेरिकी डालर से वर्ष 2010-11 में 64.4 अमेरिकी डालर तक सुसंगत वृद्धि सूचित की। कुछ उतार-चढ़ाव के बाद बीमा सघनता ने वर्ष 2016-17 से नियमित वृद्धि दर्ज की। जबकि जीवन बीमा सघनता 2001-02 में स्थित 9.1 अमेरिकी डालर से 2021-22 में 69 अमेरिकी डालर तक बढ़ी, गैर-जीवन बीमा सघनता इसी अवधि के दौरान 2.4 अमेरिकी डालर से 22 अमेरिकी डालर तक बढ़ गई।

I.2.1.14 स्विस आरई सिग्मा रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में वैश्विक तौर पर जीवन खंड के लिए बीमा व्यापन और सघनता क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 382 अमेरिकी डालर तथा गैर-जीवन खंड के लिए क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 492 अमेरिकी डालर थीं। समग्र बीमा व्यापन और सघनता 2021 में 7.0 प्रतिशत और 874 अमेरिकी डालर थीं।

सारणी I.6: 2021 में विश्व में क्षेत्र-वार बीमा व्यापन और सघनता

क्षेत्र	व्यापन (%)			सघनता (यूएसडी)		
	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
यूएसए और कनाडा	2.7	8.7	11.4	1823	5960	7782
उन्नत ईएमईए	4.8	3.2	8.0	2226	1468	3694
उभरते ईएमईए	0.6	1.0	1.6	35	58	92
उन्नत एशिया प्रशांत	6.0	3.0	9.0	2325	1187	3512
उभरते एशिया प्रशांत	2.1	1.6	3.7	132	100	232
भारत	3.2	1.0	4.2	69	22	91
विश्व	3.0	3.9	7.0	382	492	874

ई एम ई ए- यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका
स्रोत: स्विस रे, सिग्मा 4/2022

1.2.1.15 स्विस आरई द्वारा उसकी वार्षिक रिपोर्टों से समाकलित भारत में बीमा व्यापन और सघनता के अनुमान सारणी 1.7 में प्रस्तुत किये गये हैं। चयनित देशों में बीमा व्यापन


और सघनता की स्थिति स्विस आरई संस्थान की रिपोर्ट से विवरण 1 और विवरण 2 में उद्धृत की गई है।

सारणी 1.7: भारत में बीमा व्यापन और सघनता

वर्ष	व्यापन (%)			सघनता (यूएसडी)		
	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
2001-02	2.15	0.56	2.71	9.1	2.4	11.5
2002-03	2.59	0.67	3.26	11.7	3.0	14.7
2003-04	2.26	0.62	2.88	12.9	3.5	16.4
2004-05	2.53	0.64	3.17	15.7	4.0	19.7
2005-06	2.53	0.61	3.14	18.3	4.4	22.7
2006-07	4.10	0.60	4.80	33.2	5.2	38.4
2007-08	4.00	0.60	4.70	40.4	6.2	46.6
2008-09	4.00	0.60	4.60	41.2	6.2	47.4
2009-10	4.60	0.60	5.20	47.7	6.7	54.3
2010-11	4.40	0.71	5.10	55.7	8.7	64.4
2011-12	3.40	0.70	4.10	49.0	10.0	59.0
2012-13	3.17	0.78	3.96	42.7	10.5	53.2
2013-14	3.10	0.80	3.90	41.0	11.0	52.0
2014-15	2.60	0.70	3.30	44.0	11.0	55.0
2015-16	2.72	0.72	3.44	43.2	11.5	54.7
2016-17	2.72	0.77	3.49	46.5	13.2	59.7
2017-18	2.76	0.93	3.69	55	18	73
2018-19	2.74	0.97	3.70	54	19	74
2019-20	2.82	0.94	3.76	58	19	78
2020-21	3.2	1.0	4.2	59	19	78
2021-22	3.2	1.0	4.2	69	22	91


टिप्पणी:

1. बीमा व्यापन को प्रीमियम के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में मापा जाता है।
2. बीमा सघनता को कुल जनसंख्या के प्रीमियम के अनुपात के रूप में मापा जाता है।
3. पूर्णांकन के कारण आंकड़े कुल योग में नहीं जुड़ सकते हैं।
स्रोत: स्विस रे, सिग्मा, विभिन्न अंक।




स्रोत: स्विस रे, सिग्मा, विभिन्न अंक

चार्ट 1.4: भारत में बीमा सघनता




स्रोत: स्विस रे, सिग्मा, विभिन्न अंक

चार्ट 1.5: 2021 में चयनित देशों में बीमा व्यापन



आँकड़ें वित्तीय वर्ष से संबंधित है
 नोट: बीमा प्रवेश को सकल घरेलू उत्पाद में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है
 स्रोत: स्विस रे, सिग्मा नंबर 4/2022

चार्ट 1.6 2021 में चयनित देशों में बीमा सघनता



आँकड़ें वित्तीय वर्ष से संबंधित है
 नोट: बीमा घनत्व को जनसंख्या के बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में मापा जाता है।
 स्रोत: स्विस रे, सिग्मा नंबर 4/2022

1.2.2 भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन

जीवन बीमा बाजार का मूल्यांकन

जीवन बीमा प्रीमियम

1.2.2.1 जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज रु. 6.29 लाख करोड़ की तुलना में 2021-22 के दौरान रु. 6.93 लाख करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की और इस प्रकार इसने 10.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम में 17.36 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, एलआईसी ने 6.13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। एलआईसी का बाजार अंश 2.34 प्रतिशत घटकर 61.80 प्रतिशत हुआ, जबकि निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश 38.20 प्रतिशत तक बढ़ गया।

1.2.2.2 2021-22 में, नये व्यवसाय और नवीकरण प्रीमियम जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम का क्रमशः 45.46 प्रतिशत और 54.54 प्रतिशत रहे। नये व्यवसाय प्रीमियम ने 12.98 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जबकि नवीकरण व्यवसाय की वृद्धि 7.92 प्रतिशत थी। एकल प्रीमियम उत्पादों ने एलआईसी के लिए एक प्रमुख भूमिका अदा करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने एलआईसी के कुल प्रीमियम के 37.91 प्रतिशत का अंशदान किया, जबकि निजी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए यह 15.87 प्रतिशत था। एलआईसी ने नये व्यवसाय में 63.18 प्रतिशत पर और नवीकरण व्यवसाय प्रीमियम में 60.65 प्रतिशत पर अपने उच्चतर बाजार अंश को जारी रखा।



बीमा कंपनी वार जीवन बीमा प्रीमियम विवरण 3 में प्रस्तुत है।

सारणी 1.8: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम

(रु करोड़ में)

प्रीमियम	एलआईसी		निजी क्षेत्र		कुल	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
प्रथम वर्ष (एफ वार्ड)	33,930.86	36,649.35	46,869.16	73,943.39	80,800.02	1,10,592.74
	(-41.46)	(8.01)	(5.74)	(57.77)	(-21.01)	(36.87)
एकल	1,50,498.69	1,62,282.83	47,401.21	41,992.25	1,97,899.90	2,04,275.08
	(25.08)	(7.83)	(29.30)	(-11.41)	(26.07)	(3.22)
नया व्यवसाय (एफ वार्ड + एकल)	1,84,429.55	1,98,932.18	94,270.37	1,15,935.64	2,78,699.92	3,14,867.82
	(3.45)	(7.86)	(16.40)	(22.98)	(7.50)	(12.98)
नवीकरण	2,18,857.00	2,29,092.80	1,31,174.11	1,48,653.53	3,50,031.11	3,77,746.32
	(8.82)	(4.68)	(16.56)	(13.33)	(11.60)	(7.92)
कुल	4,03,286.55	4,28,024.97	2,25,444.48	2,64,589.17	6,28,731.04	6,92,614.14
	(6.30)	(6.13)	(16.50)	(17.36)	(9.74)	(10.16)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।



1.2.2.3 भारतीय जीवन बीमा निगम भारत के बाहर जीवन बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करनेवाला एकमात्र बीमाकर्ता है। एलआईसी द्वारा देश के बाहर जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम 2020-21 में दर्ज रु. 400.34 करोड़ के मुकाबले 2021-22 में रु. 419.70 करोड़ पर रहा तथा इस प्रकार इसने 2020-21 में विद्यमान 5.84 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 4.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

खंड-वार जीवन बीमा प्रीमियम

1.2.2.4 पारंपरिक उत्पादों ने पिछले वर्ष के रु. 5.38 लाख करोड़ की तुलना में रु. 5.92 लाख करोड़ के प्रीमियम के साथ 2021-22 में 10.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर, यूनिट सहबद्ध उत्पादों (यूलिप) ने प्रीमियम में 2020-21 के रु.

0.91 लाख करोड़ से 2021-22 में रु. 1.00 लाख करोड़ तक वृद्धि के साथ 10.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कुल प्रीमियम में यूनिट-सहबद्ध उत्पादों का अंश 14.48 प्रतिशत रहा।

1.2.2.5 2021-22 में जीवन बीमा खंड कुल जीवन बीमा प्रीमियम के 77 प्रतिशत बनता है जिसके बाद लगभग 22 प्रतिशत तक पेंशन और वार्षिकी खंड का स्थान है। जीवन, पेंशन और परिवर्ती खंड ने क्रमशः 10.70 प्रतिशत, 13.38 प्रतिशत और 34.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि वार्षिकी और स्वास्थ्य खंड ने 2021-22 के दौरान क्रमशः 11.83 प्रतिशत और 2.68 प्रतिशत की गिरावट का साक्षात्कार किया।

खंड वार जीवन बीमा प्रीमियम का ब्योरा विवरण 4 और विवरण 5 में दिए गए हैं।


सारणी 1.9: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित खंड-वार प्रीमियम

(रु करोड़ में)

खंड	संबद्ध प्रीमियम		असंबद्ध प्रीमियम		कुल प्रीमियम	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
वार्षिकी	-	-	31,594.43	27,855.71	31,594.43	27,855.71
स्वास्थ्य	185.22	163.64	634.43	634.04	819.65	797.68
जीवन	82,150.38	88,625.45	4,00,526.24	4,45,678.26	4,82,676.61	5,34,303.71
पेंशन	8,671.04	11,537.61	1,01,158.54	1,12,987.92	1,09,829.58	1,24,525.52
परिवर्तनीय	-	-	3,810.77	5,131.51	3,810.77	5,131.51
कुल	91,006.64	1,00,326.69	5,37,724.41	5,92,287.45	6,28,731.04	6,92,614.14

चार्ट 1.9: जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम (2021-22)


(रु करोड़)



जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई पालिसियाँ

1.2.2.6 2021-22 के दौरान जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में जारी की गई नई पालिसियों की संख्या में 3.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एलआईसी ने 3.54 प्रतिशत की

चार्ट 1.10: जीवन बीमा प्रीमियम में खंड-वार हिस्सेदारी (2021-22)



वृद्धि दर्ज की और जारी की गई पालिसियों के 74.60 प्रतिशत का अंशदान किया। निजी क्षेत्र ने 3.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और जारी की गई पालिसियों के 25.40 प्रतिशत का अंशदान किया।

सारणी I.10: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नई वैयक्तिक पॉलिसियां

(लाख में)

बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
एलआईसी	209.75 (-4.21)	217.19 (3.54)
निजी क्षेत्र	71.52 (2.89)	73.94 (3.38)
कुल	281.27 (-2.49)	291.13 (3.51)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी

I.2.2.7 जीवन बीमाकर्ताओं की कुल पूँजी 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 25.40 प्रतिशत बढ़कर रु. 35,547 करोड़ हो गई। 2021-22 के दौरान, जीवन बीमा उद्योग में रु.7200 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी लाई गई तथा इसका लगभग 86 प्रतिशत एलआईसी द्वारा लाई गई।

ईक्रेडिटी शेयर पूँजी का बीमा कंपनी वार ब्योरा विवरण 6 में दिया गया है।

सारणी I.11: जीवन बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी

(रु करोड़ में)

बीमाकर्ता	31 मार्च, 2021 को	वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2022 को
एलआईसी	100.00	6,225.00	6,325.00
निजी क्षेत्र	28,246.37	975.38	29,221.75
कुल	28,346.37	7,200.38	35,546.75

नोट: प्रदत्त पूँजी में शेयर प्रीमियम और शेयर आवेदन राशि शामिल नहीं है।

जीवन बीमाकर्ताओं की अन्य प्रकार की पूँजी

I.2.2.8 आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2016 के उपबंधों के अंतर्गत छह निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 2021-22 के दौरान रु. 1,984 करोड़ की राशि की अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई है अर्थात् रु. 350 करोड़ आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा, रु. 125 करोड़ इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा, रु. 496 करोड़ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा, रु. 400 करोड़ पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा, रु. 125 करोड़ स्टार यूनिजन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

द्वारा और रु. 488 करोड़ टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा जुटाये गये हैं।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं की कुल अन्य प्रकार की पूँजी रु. 4,194 करोड़ (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. 2,210 करोड़) थी।

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

I.2.2.9 आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2016 में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के प्रकार और स्वरूप, प्रीमियम भुगतान अवधि और बीमा व्यवसाय की अवधि को हिसाब में लेते हुए प्रबंधन-व्ययों की अनुमति-योग्य सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 24 जीवन बीमाकर्ताओं में से 16 उपरोक्त नियमों के अनुरूप थे। आठ जीवन बीमाकर्ताओं ने समग्र आधार या खंड के आधार पर खर्च की सीमा को पार कर लिया था और वे जांच के अधीन हैं और फोरबेयरेंस प्रदान करने के लिए विचार कर रहे हैं।

2021-22 के दौरान जीवन बीमा उद्योग ने रु. 1.07 लाख करोड़ के प्रबंधन-व्ययों की सूचना दी है जो कुल प्रीमियम का 15.50 प्रतिशत है।

I.2.2.10 कमीशन व्यय अनुपात (प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में कमीशन व्यय) 2020-21 के 5.25 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2021-22 में 5.18 प्रतिशत हो गये हैं। तथापि, 2021-22 के दौरान कुल प्रीमियम 8.77 प्रतिशत बढ़ा है (कुल प्रीमियम वृद्धि 10.16 प्रतिशत)।

सारणी I.12: जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय (और प्रतिफल)

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	खंड	एलआईसी		निजी क्षेत्र		कुल	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	प्रथम वर्ष कमीशन	8,969.83 (26.44)	9,730.97 (26.55)	6,845.72 (14.60)	8,088.84 (10.94)	15,815.56 (19.57)	17,819.80 (16.11)
2	एकल प्रीमियम पर कमीशन	564.67 (0.37)	490.27 (0.30)	580.22 (1.22)	829.73 (1.98)	1,144.89 (0.58)	1,320.01 (0.65)
3	नये व्यवसाय कमीशन पर रिवाइड	1,201.39 (0.65)	1,099.57 (0.55)	378.06 (0.40)	441.61 (0.38)	1,579.45 (0.57)	1,541.18 (0.49)
4	नया व्यवसायिक कमीशन (1+2+3)	10,735.90 (5.82)	11,320.81 (5.69)	7,804.00 (8.28)	9,360.18 (8.07)	18,539.89 (6.65)	20,680.99 (6.57)
5	नवीकरण कमीशन	11,434.74 (5.23)	11,850.65 (5.17)	3,019.45 (2.30)	3,355.68 (2.26)	14,454.19 (4.13)	15,206.33 (4.03)
6	कुल कमीशन (4+5)	22,170.64 (5.50)	23,171.46 (5.41)	10,823.44 (4.80)	12,715.86 (4.81)	32,994.08 (5.25)	35,887.31 (5.18)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों का कमीशन व्यय अनुपात प्रतिशत में है।

I.2.2.11 जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में 2021-22 में रु. 71,435 करोड़ तक 17.93 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा परिचालन व्यय अनुपात (परिचालन व्यय जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में) 2020-21 में विद्यमान 9.77 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 10.31 प्रतिशत हो गया है।

सारणी I.13: जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय

(रु करोड़ में)

बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
एलआईसी	34,989.52 (8.68)	38,890.68 (9.09)
निजी क्षेत्र	26,432.76 (11.72)	32,544.34 (14.44)
कुल	61,422.29 (9.77)	71,435.02 (10.31)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों का परिचालन व्यय अनुपात प्रतिशत में है।

सारणी I.14: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभांश

(रु करोड़ में)


लाभ	एलआईसी		निजी क्षेत्र		कुल	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
मृत्यु दावा	23,878.62	35,720.29	18,079.81	25,101.57	41,958.43	60,821.86
परिपक्वता	1,65,659.20	2,05,526.54	25,845.12	34,129.53	1,91,504.32	2,39,656.07
अभ्यर्पण/ प्रत्याहरण	80,101.00	95,118.04	49,315.89	63,166.90	1,29,416.88	1,58,284.94
वार्षिकी/पेंशन	14,571.36	16,257.21	1,406.32	1,990.77	15,977.68	18,247.97
अन्य	911.63	815.51	19,003.52	24,270.57	19,915.15	25,086.08
कुल	2,85,121.81	3,53,437.58	1,13,650.66	1,48,659.34	3,98,772.47	5,02,096.92

नोट: 1. दावों में भुगतान किए गए लाभों के हिस्से के रूप में टर्मिनल बोनस शामिल है।

2. मृत्यु का दावा पुनर्बीमा का शुद्ध है

चार्ट I.11: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभांश (2021-22)

(रु करोड़)



मृत्यु दावे

I.2.2.13 वैयक्तिक जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में, जीवन बीमा उद्योग का मृत्यु दावा निपटान अनुपात पिछले वर्ष के 98.39 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 98.64 प्रतिशत हो गया है तथा निराकरण/अस्वीकरण अनुपात 1.14 प्रतिशत से घटकर 1.02 प्रतिशत हो गया है।

I.2.2.14 सामूहिक जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में, जीवन बीमा कंपनियों ने पिछले वर्ष में दर्ज 98.62 प्रतिशत के मुकाबले 2021-22 के दौरान दावों के 98.77 प्रतिशत का निपटान किया।

वैयक्तिक और सामूहिक जीवन बीमा व्यवसाय का बीमाकर्ता-वार दावों का ब्योरा विवरण 7 और 8 में दिया गया है।

सारणी I.15: जीवन बीमाकर्ताओं के वास्तविक मृत्यु दावे

(राशि रु करोड़ में)

कुल दावे		अदा किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अस्वामिक दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे	
पॉलिसियों की संख्या	राशि (रु करोड़)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (रु करोड़)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (रु करोड़)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (रु करोड़)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (रु करोड़)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (रु करोड़)
वैयक्तिक जीवन बीमा व्यवसाय											
16,08,924	48,080.54	15,87,110	45,817.57	12,609	1,099.12	3,900	192.45	2,727	482.36	2,578	489.03
(100.00)	(100.00)	(98.64)	(95.29)	(0.78)	(2.29)	(0.24)	(0.40)	(0.17)	(1.00)	(0.16)	(1.02)
सामूहिक जीवन बीमा व्यवसाय											
14,36,081	26,923.79	14,18,442	26,043.24	9,087	549.27	2,062	51.61	134	2.10	6,356	277.57
(100.00)	(100.00)	(98.77)	(96.73)	(0.63)	(2.04)	(0.14)	(0.19)	(0.01)	(0.01)	(0.44)	(1.03)

पॉलिसियों की संख्या - पॉलिसियों की संख्या नोट


1. कोष्ठक में आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

2. वैयक्तिक जीवन बीमा व्यवसाय के लिए, गिनती एनओपी के संदर्भ में है और समूह जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में गिनती जीवन की संख्या की है।

जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय

I.2.2.15 जीवन बीमा उद्योग के पूंजीगत अभिलाभों और अन्य आय सहित निवेश आय (पालिसीधारकों और शेयरधारकों की) में 2021-22 में रु. 4.17 लाख करोड़ तक 10.58 प्रतिशत गिरावट आई। जबकि एलआईसी ने 5.19 प्रतिशत संवृद्धि दर्ज की, वहीं निजी बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2021-22 में निवेश आय में 34.19 प्रतिशत गिरावट अनुभव की।

चार्ट I.12: जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय (रु करोड़)




जीवन बीमा में महिलाओं की सहभागिता

भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या लगभग 49 प्रतिशत है। देश की आर्थिक गतिविधियों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है और हर साल बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में, जीवन बीमाकर्ताओं के लिए अर्थव्यवस्था में महिलाओं के बढ़ते महत्व को पहचानने, उनकी विशेष जरूरतों या आवश्यकताओं, यदि कोई हों, का अभिनिर्धारण करने और पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उपयुक्त उत्पाद समाधान विकसित करने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में जीवन बीमा व्यवसाय में शामिल महिलाओं के जीवन के अंश पर एक संक्षिप्त अध्ययन किया गया है। इस उद्देश्य के लिए केवल व्यक्तिगत नए व्यवसाय के डेटा - वर्ष 2021-22 के लिए पॉलिसियों की संख्या और प्रथम वर्ष के प्रीमियम पर विचार किया गया है।

- वर्ष 2021-22 में महिलाओं को जारी की गई पॉलिसियों की संख्या लगभग 1.01 करोड़ है जो वर्ष 2020-21 में दर्ज 33 प्रतिशत के अंश के मुकाबले 34.7 प्रतिशत है (2.91 करोड़ कुल पालिसियों में से)।
- निजी जीवन बीमाकर्ताओं और एलआईसी में महिलाओं से संबंधित पालिसियों का अनुपात:



- 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, महिलाओं द्वारा खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या कुल बेची गई पॉलिसियों की संख्या की तुलना में अखिल भारतीय औसत से अधिक है।

शीर्षस्थ 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		निम्नतम 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
राज्य	कुल पॉलिसियों में अंश (%)	राज्य	कुल पॉलिसियों में अंश (%)
कर्नाटक	45	जम्मू और कश्मीर	26
केरल	44	लद्दाख	26
सिक्किम	42	हरियाणा	27
गोवा	42	राजस्थान	30
अरुणाचल प्रदेश	41	उत्तर प्रदेश	30

महिलाओं के लिए जीवन बीमा उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध है जो पुरुषों के लिए हैं, परंतु यह उनकी आय अर्जित करने की क्षमता के अधीन है। वास्तव में, अधिकांश जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रीमियम प्रभारित करते समय महिलाओं के जीवन के लिए वरीयता के साथ व्यवहार करने की एक सकारात्मक प्रथा है क्योंकि उनकी प्रत्याशित आय अधिक है। महिला वर्ग का बीमा साक्षरता के स्तरों, वित्तीय स्वतंत्रता और वित्तीय निर्णयन, संभावित नैतिक जोखिम पर भी निर्भर करता है।

जीवन बीमा विपणन में महिलाओं की सहभागिता


- 6,99,429 महिलाएँ जीवन बीमा उद्योग में एजेंटों के रूप में काम कर रही हैं, जो 31 मार्च, 2022 को कुल वैयक्तिक एजेंसी बल का 29 प्रतिशत है। महिला एजेंटों की कुल संख्या में से, निजी जीवन बीमाकर्ताओं का अंश 52 प्रतिशत है और एलआईसी का 48 प्रतिशत है।
- निजी जीवन बीमाकर्ताओं में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 42.5 प्रतिशत पर महिला एजेंटों का उच्चतम प्रतिशत है, इसके बाद 42.4 प्रतिशत पर एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 41.7 प्रतिशत पर एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्थान है।

जीवन पुनर्बीमा

1.2.2.16 2021-22 के दौरान, एलआईसी के द्वारा पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में रु. 605.76 करोड़ का अधर्पण किया गया (2020-21 में रु. 442.21 करोड़)। निजी बीमाकर्ताओं ने एकसाथ मिलकर पुनर्बीमा के प्रति प्रीमियम के रूप में रु. 5,190.21 करोड़ (2020-21 में रु.3908.92 करोड़) का अधर्पण किया। जीवन बीमाकर्ताओं का प्रतिधारण अनुपात 2020-21 के लिए विद्यमान 99.31 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 के लिए 99.16 प्रतिशत रहा।

जीवन बीमाकर्ताओं के लाभ

1.2.2.17 जीवन बीमा उद्योग के लाभ 2020-21 के रु. 8,661 करोड़ के मुकाबले रु.7,751 करोड़ के कर के बाद लाभ (पीएटी) के साथ 2021-22 में 10.50 प्रतिशत घट गये। 2021-22 के दौरान परिचालनरत 24 जीवन बीमाकर्ताओं में से 15 कंपनियों ने लाभों की सूचना दी। एलआईसी ने लाभों में 39.39 प्रतिशत वृद्धि सूचित की जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने सब मिलकर 2021-22 में 35.62 प्रतिशत की हानि की सूचना दी।



जीवन बीमाकर्ताओं के शेयरधारकों को प्रतिलाभ

1.2.2.18 तीन निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने अर्थात् बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्रमशः रु. 137.15 करोड़, रु. 200.07 करोड़ और रु. 44.31 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। एलआईसी ने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

सारणी 1.16: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किया गया लाभांश (रु करोड़)

बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
एलआईसी	0.00	0.00
निजी क्षेत्र	615.35	381.53
कुल	615.35	381.53

नोट: लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है

जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय

1.2.2.19 जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष की तरह ही 11,060 पर स्थित है। लगभग 60 प्रतिशत जीवन बीमा कार्यालय स्तर I केन्द्रों में स्थित हैं जहाँ जनसंख्या एक लाख और उससे अधिक है। लगभग 0.75 प्रतिशत जीवन बीमा कार्यालय स्तर VI केन्द्रों में स्थित हैं जो 5,000 से कम जनसंख्या से युक्त हैं।

जीवन बीमा कार्यालयों का राज्य/ संघराज्य क्षेत्र वार वितरण विवरण 9 में प्रस्तुत किया गया है।

1.2.2.20 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम के पास देश में सभी जिलों के 92 प्रतिशत को समाविष्ट करते हुए देश के 750 जिलों में से 688 जिलों में कार्यालय हैं, जबकि निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के पास देश के सभी जिलों के 79 प्रतिशत को समाविष्ट करते हुए 596 जिलों में कार्यालय हैं। एलआईसी और निजी बीमाकर्ताओं ने मिलकर देश के सभी जिलों के 92 प्रतिशत को समाविष्ट किया है। देश के 36 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में से 24 में जीवन बीमा कार्यालयों के माध्यम से सभी जिलों को समाविष्ट किया गया है।


किसी जीवन बीमा कार्यालय से रहित जिलों की संख्या देश में 59 पर स्थित है, जिनमें से 48 जिले उत्तर-पूर्वी राज्यों के हैं।

सारणी 1.17: जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय (कार्यालयों की संख्या)

स्थान	31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक		
	एलआईसी	निजी क्षेत्र	कुल	एलआईसी	निजी क्षेत्र	कुल
स्तर I	1,844	4,717	6,561	1,848	4,746	6,594
स्तर II	559	735	1,294	561	706	1,267
स्तर III	1,353	476	1,829	1,357	458	1,815
स्तर IV	1,037	107	1,144	1,042	106	1,148
स्तर V	123	29	152	123	30	153
स्तर VI	54	26	80	54	29	83
कुल	4,970	6,090	11,060	4,985	6,075	11,060

नोट: स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 और अधिक
स्तर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999
स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999
स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999
स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999
स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम

चार्ट 1.14: जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का टियर-वार वितरण
31 मार्च की स्थिति के अनुसार



साधारण बीमा बाजार का मूल्यांकन

साधारण बीमा प्रीमियम

1.2.2.21 साधारण बीमा उद्योग ने वर्ष 2021-22 में भारत में रु. 2.21 लाख करोड़ के कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया और इस प्रकार पिछले वर्ष से 11.06 प्रतिशत की

सारणी 1.18: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम


(रु करोड़)

बीमाकर्ता	भारत के अंदर		भारत के अंदर और बाहर	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	71,843.72 (-1.94)	75,032.84 (4.44)	75,211.29 (-1.73)	78,335.45 (4.15)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	98,000.96 (8.00)	1,09,753.37 (11.99)	98,000.96 (8.00)	1,09,753.37 (11.99)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	15,755.19 (8.86)	20,867.18 (32.45)	15,755.19 (8.86)	20,867.18 (32.45)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	13,114.85 (25.66)	15,046.83 (14.73)	13,114.85 (25.66)	15,046.83 (14.73)
कुल	1,98,714.72 (5.19)	2,20,700.21 (11.06)	2,02,082.30 (5.15)	2,24,002.82 (10.85)

टिप्पणी:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।
- बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

चार्ट 1.15: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) (2021-22)
(रु करोड़)



वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2021-22 में परिचालनरत 25 निजी बीमाकर्ताओं में से (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) 24 बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की तुलना में जोखिम-अंकित प्रीमियम में वृद्धि सूचित की। सार्वजनिक क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के मामले में, न्यू इंडिया को छोड़कर बाकी सभी सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ताओं के बाजार अंश पिछले वर्ष की तुलना में घट गये हैं।

भारत के अंदर बीमा कंपनी वार जोखिम-अंकित प्रीमियम का ब्योरा विवरण 10 में दिया गया है।

1.2.2.22 युनाइटेड इंडिया को छोड़कर तीन सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता भारत के बाहर साधारण बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन कर रहे हैं। भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम में 2021-22 में 1.93 प्रतिशत गिरावट आई। 2021-22 में बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम का 8.28 प्रतिशत सीमापार प्रीमियम है।

सारणी 1.19: साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम

(रु करोड़ में)

बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
नेशनल इश्योरेंस	44.92 (-11.34)	51.10 (13.76)
न्यू इंडिया एश्योरेंस	3,024.94 (4.24)	2,942.05 (-2.74)
ओरिएंटल इश्योरेंस	297.71 (-7.93)	309.46 (3.95)
कुल	3,367.57 (2.80)	3,302.61 (-1.93)

टिप्पणी:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।
- बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

खंड-वार साधारण बीमा प्रीमियम

1.2.2.23 स्वास्थ्य व्यवसाय ने 2021-22 में 26.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई जिससे यह लगभग 36 प्रतिशत के बाजार अंश के साथ भारत में सबसे बड़ा साधारण बीमा खंड बन गया है। मोटर खंड का बाजार अंश लगभग 32 प्रतिशत तक घट गया परंतु इसने पिछले वर्ष में सूचित की गई ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में 3.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि सूचित की। 2020-21 में कोविड के कारण घटित व्यवधानों के बाद मरीन खंड ने 2021-22 में 19.48 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। अग्नि (फायर) और अन्य खंडों ने भी 2021-22 में क्रमशः 7.15 प्रतिशत और 1.10 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।


बीमा कंपनी वार खंड वार जोखिम-अंकित प्रीमियम विवरण 11 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.20: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर)


(रु करोड़ में)

खण्ड	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
फायर	8,375.40	8,514.95	11,737.49	13,036.08	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	20,112.89	21,551.03
मरीन	1,724.82	1,834.43	1,763.27	2,333.18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3,488.09	4,167.61
मोटर	23,218.11	21,768.98	44,574.07	48,664.50	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	67,792.19	70,433.48
स्वास्थ्य	28,902.71	35,374.27	19,095.07	24,260.83	15,755.19	20,867.18	लागू नहीं	लागू नहीं	63,752.97	80,502.27
अन्य	9,622.68	7,540.22	20,831.06	21,458.78	लागू नहीं	लागू नहीं	13,114.85	15,046.83	43,568.58	44,045.82
कुल	71,843.72	75,032.84	98,000.96	1,09,753.37	15,755.19	20,867.18	13,114.85	15,046.83	1,98,714.72	2,20,700.21

चार्ट 1.16: साधारण बीमा प्रीमियम में विभिन्न खंडों का अंश (2021-22)



चार्ट 1.17: साधारण बीमा प्रीमियम में क्षेत्रवार अंश (2021-22)



साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई पालिसियाँ

1.2.2.24 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2021-22 में 7.68 प्रतिशत की वृद्धि सूचित करते हुए 26.57 करोड़ पालिसियाँ जारी की हैं।

सारणी 1.21: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नई पालिसियाँ

(लाख में)

बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	684.27 (-6.71)	631.93 (-7.65)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	1,259.72 (-0.33)	1,423.53 (13.00)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	105.41 (14.34)	125.94 (19.47)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	417.93 (28.40)	475.30 (13.73)
कुल	2467.33 (2.16)	2,656.70 (7.68)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी

1.2.2.25 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की कुल प्रदत्त पूँजी रु. 37,855 करोड़ है। 2021-22 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने अपने ईक्विटी पूँजीगत आधार में रु. 5,013 करोड़ का परिवर्धन किया है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा तीन सरकारी क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) साधारण बीमाकर्ताओं में रु.5,000 करोड़ की पूँजी लगाई गई। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ भारती अक्सा के विलय के कारण निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता प्रभावी ढंग से पूँजी को रु.1,151 करोड़ की सीमा तक ले गये।

बीमा कंपनी वार प्रदत्त पूँजी का ब्योरा विवरण 12 में प्रस्तुत है।

सारणी 1.22: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी

(रु करोड़ में)

बीमाकर्ता	31 मार्च, 2021 को	2021-22 के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2022 तक
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	13,724.00	5,000.00	18,724.00
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	11,493.19	(1,151.43)	10,341.76
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	4,235.06	404.27	4,639.33
विशेषीकृत बीमाकर्ता	3,390.00	760.00	4,150.00
कुल	32,842.24	5,012.84	37,855.09

नोट: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की अन्य प्रकार की पूँजी

1.2.2.26 आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2016 के उपबंधों के अधीन साधारण बीमाकर्ताओं ने 2021-22 के दौरान प्रभावी ढंग से रु. 276 करोड़ की राशि की अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कुल अन्य प्रकार की पूँजी रु. 5,151 करोड़ थी।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के व्यय

1.2.2.27 कमीशन व्यय और परिचालन व्यय कुल व्ययों का एक बड़ा भाग बनते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए साधारण बीमा उद्योग के सकल कमीशन व्यय रु. 16,931 थे जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.87 प्रतिशत अधिक थे। साधारण बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय 2021-22 में रु. 41,455 करोड़ पर स्थित हैं जो 8.29 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाते हैं।

1.2.2.28 वर्ष 2021-22 के दौरान, निजी बीमाकर्ता छूट अवधि के अंतर्गत थे क्योंकि उक्त बीमाकर्ताओं के लिए परिचालनों के प्रथम पाँच वर्ष पूरे करना अभी बाकी है। शेष बीमाकर्ताओं में से 18 बीमाकर्ता अनुपालनकर्ता थे, नौ बीमाकर्ता अननुपालनकर्ता थे और आठ साधारण बीमाकर्ताओं को इस शर्त के अधीन कि प्रबंधन-व्ययों का आधिक्य शेयरधारकों की निधि में नामे डाला जाएगा, आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2016 के अनुसार स्थगन (फारबेअरन्स) प्रदान किया गया था। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि. के मामले में उसका व्यवसाय संविभाग रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को अंतरित किया गया है।


सारणी 1.23: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय

(रु करोड़ में)

खंड	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
फायर	985.14	990.04	1,065.28	1,171.05	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2,050.42	2,161.09
मरीन	148.17	179.27	184.74	256.61	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	332.91	435.88
मोटर	2,106.58	1,940.11	3,436.85	4,053.25	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5,543.43	5,993.36
स्वास्थ्य	1,872.36	1,890.39	1,764.31	2,117.16	2,134.87	2,758.69	लागू नहीं	लागू नहीं	5,771.54	6,766.24
अन्य	703.98	746.02	935.79	776.53	लागू नहीं	लागू नहीं	71.43	51.98	1,711.20	1,574.53
कुल	5,816.23	5,745.83	7,386.97	8,374.60	2,134.87	2,758.69	71.43	51.98	15,409.50	16,931.10

चार्ट 1.18 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय

(रु करोड़)



साधारण बीमाकर्ताओं के दावे


1.2.2.29 साधारण बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे 2020-21 में विद्यमान रु. 1.12 लाख करोड़ के मुकाबले 2021-22 में रु. 1.41 लाख करोड़ पर स्थित हैं और इस प्रकार इन्होंने 2021-22 के दौरान लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की है। साधारण बीमा उद्योग का उपगत दावा अनुपात (निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे) पिछले वर्ष के 81.06 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 के दौरान

89.08 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने 103.17 प्रतिशत का सर्वाधिक दावा अनुपात अनुभव किया जबकि निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं का दावा अनुपात वर्ष 2021-22 के दौरान 77.95 प्रतिशत पर सबसे कम था। विभिन्न खंडों के बीच, स्वास्थ्य खंड का दावा अनुपात पिछले वर्ष के 89.51 प्रतिशत के दावा अनुपात की तुलना में 105.68 प्रतिशत पर सबसे अधिक था।

बीमा कंपनी वार दावा अनुपात और दावों की स्थिति क्रमशः विवरण 13 और विवरण 14 में प्रस्तुत है।

चार्ट 1.19: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के द्वारा उपगत दावा

(रु करोड़)



सारणी 1.24: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के उपगत दावे

(प्रतिशत में)

खंड	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
फायर	68.33	66.96	57.60	51.27	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	65.07	60.33
मरीन	69.49	86.02	80.32	85.78	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	75.11	85.88
मोटर	78.60	94.03	73.59	74.53	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	75.61	81.30
स्वास्थ्य	101.02	126.80	78.44	94.66	75.43	79.06	लागू नहीं	लागू नहीं	89.51	105.68
अन्य	86.58	58.54	63.60	64.96	लागू नहीं	लागू नहीं	93.95	92.47	83.47	72.72
कुल	87.48	103.17	73.39	77.95	75.43	79.06	93.95	92.47	81.06	89.08

नोट: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का जोखिम-अंकन अनुभव

1.2.2.30 2021-22 में साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की जोखिम-अंकन हानियाँ रु.31,810 करोड़ थीं जिन्होंने 58.74 प्रतिशत की वृद्धि सूचित कीं। 2021-22 में साधारण बीमा उद्योग के लिए निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन हानि का अनुपात वर्ष 2020-21 में विद्यमान 14.56 प्रतिशत की तुलना में 20.13 प्रतिशत था।

सारणी 1.25: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का जोखिम-अंकन अनुभव

(रु करोड़ में)

बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	-13,497.75 (-21.62)	-20,443.55 (-30.71)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	-4,052.83 (-6.92)	-8,158.25 (-12.06)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-2,373.65 (-26.41)	-3,263.34 (-20.29)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	-114.59 (-1.50)	55.56 (0.72)
कुल	-20,038.83 (-14.56)	-31,809.59 (-20.13)

टिप्पणी:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बीमा करने के लाभ/हानि का शुद्ध अर्जित प्रीमियम से अनुपात (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
- पुनर्समूहन/पुनर्वर्गीकरण, यदि कोई हो, बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्षों के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है।
- हामीदारी लाभ/हानि = अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) - दावा किया गया (शुद्ध) - शुद्ध कमीशन - संचालन बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय - प्रीमियम की कमी आरक्षित

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय

1.2.2.31 2021-22 के दौरान सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय रु. 32,546 करोड़ थी जिसने 9.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

सारणी 1.26: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय

(रु करोड़ में)

बीमा कंपनी	2020-21	2021-22
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	14529.48 (-5.04)	14609.74 (0.55)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	12,745.46 (13.99)	14,654.42 (14.98)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	805.40 (8.73)	1,277.19 (58.58)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	1,663.21 (20.27)	2,005.15 (20.56)
कुल योग	29,743.55 (3.98)	32,546.49 (9.42)

टिप्पणी:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
- पुनर्समूहन/पुनर्वर्गीकरण, यदि कोई हो, बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्षों के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कर के बाद लाभ (पीएटी)

1.2.2.32 वर्ष 2021-22 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उद्योग की निवल हानि रु. 2,857 करोड़ थी जबकि 2020-21 में इस उद्योग का रु. 3,853 करोड़ का निवल लाभ था।

चार सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ताओं में से, वर्ष 2021-22 के

दौरान एक ने पीएटी सूचित किया है तथा तीन ने कर के बाद हानि की सूचना दी है। न्यू इंडिया ने 2020-21 में विद्यमान रु.1,605 करोड़ के पीएटी के मुकाबले वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 164 करोड़ का पीएटी सूचित किया है। नेशनल, ओरियन्टल और युनाइटेड ने क्रमशः रु. 1,675 करोड़, रु. 3,115 करोड़ और रु. 2,136 करोड़ की हानि सूचित की है।

20 निजी साधारण बीमाकर्ताओं में, जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान 13 कंपनियों ने पीएटी सूचित किया है, शेष सात कंपनियों ने हानियाँ उठाई हैं। छह स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं में से केवल एक ने पीएटी सूचित किया है और शेष चार कंपनियों ने वर्ष 2021-22 के दौरान हानियाँ उठाई हैं। दोनों विशेषीकृत बीमाकर्ताओं अर्थात् भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. और ईसीजीसी लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 के दौरान सूचित क्रमशः रु. 490 करोड़ और रु. 460 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 738 करोड़ और रु.875 करोड़ का पीएटी सूचित किया है।

सारणी 1.27: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ

(रु करोड़ में)

बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	-1,467.29	-6,761.16
निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता	5,729.06	4,098.77
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-1,359.73	-1,808.01
विशेषीकृत बीमाकर्ता	950.50	1,613.46
कुल योग	3,852.53	-2,856.93

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के शेयरधारकों को प्रतिलाभ

1.2.2.33 केवल निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश का भुगतान किया (बजाज अलायंज़ जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा रु. 123.45 करोड़, एचडीएफसी एरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा रु. 231.65 करोड़, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा रु. 378.08 करोड़, श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा रु. 458.72 करोड़, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा रु. 4.79 करोड़ और रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा रु. 1.01 करोड़)।

सारणी 1.28: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभांश

(रु करोड़ में)

बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	-	-
निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता	1,001.06	1,197.70
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-	-
विशेषीकृत बीमाकर्ता	-	-
कुल योग	1001.06	1,197.70

टिप्पणी:

- उपरोक्त आंकड़ों में प्रस्तावित अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश भी शामिल हैं।
- बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय

1.2.2.34 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता सारे देश में 10,775 कार्यालयों से परिचालन कर रहे थे, जबकि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार वे 11,248 कार्यालयों से परिचालन कर रहे थे। पिछले वर्ष की तुलना में 473 कार्यालयों की कमी हुई थी। कार्यालयों के स्तर-वार वर्गीकरण के अनुसार, यह देखा गया है कि साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लगभग 70 प्रतिशत के अधिकांश कार्यालय स्तर-I के शहरों में स्थित हैं। केवल साधारण बीमाकर्ताओं के लगभग एक प्रतिशत कार्यालय स्तर-VI के स्थानों में हैं जो 5,000 से कम जनसंख्या से युक्त हैं।

1.2.2.35 जिला-वार विश्लेषण से विदित होता है कि साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालय देश में कुल जिलों के 77 प्रतिशत में (575 जिले) में हैं तथा स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमा (साही) कार्यालय देश के कुल जिलों के 52 प्रतिशत में (387 जिले) हैं। 11 राज्य/संघराज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ साधारण बीमा कार्यालयों की उपस्थिति उनके सभी जिलों में है तथा 16 राज्य/संघराज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उनके 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमा (साही) कार्यालय हैं।

साधारण और स्वास्थ्य बीमा कार्यालयों का राज्य / संघराज्य क्षेत्र वार वितरण जिला-वार व्याप्ति के साथ विवरण 9 में दिया गया है।


सारणी 1.29: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय

स्थान	31 मार्च 2021 तक					31 मार्च 2022 तक				
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एस ए एच आई	विशेषीकृत	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एस ए एच आई	विशेषीकृत	कुल
स्तर I	4,175	2,527	930	86	7,718	3,995	2,363	1,085	73	7,516
स्तर II	843	138	125	-	1,106	779	144	156	-	1,079
स्तर III	1,194	37	81	-	1,312	1,040	39	104	-	1,183
स्तर IV	722	9	14	-	745	632	14	19	-	665
स्तर V	241	11	-	-	252	216	11	-	-	227
स्तर VI	106	9	-	-	115	98	6	1	-	105
Total	7,281	2,731	1,150	86	11,248	6,760	2,577	1,365	73	10,775

नोट:

स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 और अधिक
स्तर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999
स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999

स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999
स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999
स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम



1.3 प्राधिकृत बीमाकर्ताओं / पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या और विवरण

1.3.1 मार्च 2022 के अंत में, भारत में 67 बीमाकर्ता परिचालन कर रहे हैं; जिनमें से 24 जीवन बीमाकर्ता हैं, 26 साधारण बीमाकर्ता हैं, पाँच स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता हैं तथा 12 पुनर्बीमाकर्ता हैं जिनमें लायड्स इंडिया की विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाएँ शामिल हैं।

1.3.2 वर्तमान में परिचालनरत 67 बीमाकर्ताओं में से, आठ सरकारी क्षेत्र में हैं और शेष 59 निजी क्षेत्र में हैं। दो विशेषीकृत बीमाकर्ता, अर्थात् ईसीजीसी और एआईसी, एक जीवन बीमाकर्ता अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), साधारण बीमा में चार और पुनर्बीमा में एक अर्थात् जीआईसी आरई सरकारी क्षेत्र में हैं। निजी क्षेत्र में 23 जीवन बीमाकर्ता हैं, 20 साधारण बीमाकर्ता, पाँच स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता और 11 पुनर्बीमाकर्ता हैं जिनमें विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ और लायड्स इंडिया शामिल हैं।

1.3.3 23 निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं में से, 12 बीमाकर्ताओं ने भारत में जीवन बीमा बाजार में अपने परिचालनों के 20 वर्ष से अधिक अवधि पूरी की है। 20 निजी साधारण बीमाकर्ताओं

में से, छह निजी बीमाकर्ता अर्थात् बजाज अलायंज़, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इफको टोकियो, रिलायंस जनरल, रायल सुंदरम और टाटा एआईजी ने भारत में साधारण बीमा बाजार में अपने परिचालनों के 20 वर्ष से अधिक अवधि पूरी की है।

1.3.4 बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा 2(ए) के उपबंध के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए फैक्टरी म्युचुअल इश्योरेंस कंपनी को 28 अप्रैल 2021 को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और उसकी पंजीकरण संख्या एफआरबी/011 है।

1.3.5 प्राधिकरण ने आदेश संदर्भ सं. 514/एफएण्डए (एनएल)/डीमेर्जर/भारती-ईसीआईसीआई/ 147 दिनांक 03 सितंबर 2021 के द्वारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. को भारती एक्सए जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. से विलगाव (डीमेर्जर) के लिए अनुमोदन व्यवस्थाओं की योजना के द्वारा उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया है।

सारणी 1.30: पंजीकृत बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता

बीमाकर्ता का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन	1	23	24
साधारण	6	20	26
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	-	5	5
पुनः बीमा कंपनियों	1	11	12
कुल	8	59	67

नोट: पंजीकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची अनुबंध 1 में दी गई है

साइबर देयता बीमा

उच्च प्रोफाइल डेटा के उल्लंघनों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ साइबर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। व्यक्तियों, व्यावसायिक संगठनों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन एक्सपोजर मौजूदा महामारी की स्थिति में और अधिक बढ़ रहे हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने साइबर देयता बीमा पॉलिसी के शब्दों/वाक्यरचना का मानकीकरण करने की संभावना की जांच करने के लिए एक कार्य-दल का गठन किया था।

उक्त कार्य-दल ने विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद, और आंतरिक विचार-विमर्श के उपरांत निष्कर्ष निकाला है कि साइबर जोखिम के साथ निपटने में विधायी ढाँचों के विकसित हो रहे स्वरूप, तेजी से बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, वैश्विक तौर पर वृद्धिशील अंतर-संबद्धता और आईटी प्रणालियों की जटिलता तथा उभरते नये जोखिमों को ध्यान में रखते हुए इस समय पालिसी शब्दों/वाक्यरचना का मानकीकरण वांछनीय नहीं है।

प्राधिकरण ने दिनांक 08 सितंबर 2021 के परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/ एनएल/ सीआईआर/ विविध/ 242/09/2021 के माध्यम से साइबर बीमा के लिए उत्पाद संरचना पर एक मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किया।

साइबर बीमा के लिए उत्पाद संरचना पर उक्त मार्गदर्शक दस्तावेज के मुख्य उद्देश्य हैं:

- क) बीमाकर्ताओं को बढ़ी हुई साइबर जोखिम वाली नई तकनीकों का मूल्यांकन करने, मौजूदा उत्पादों में सुरक्षा अंतरालों की पहचान करने और बाजार की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना।
- ख) बीमाकर्ताओं को स्टैंड-अलोन साइबर बीमा उत्पादों को विकसित करने में सुविधा प्रदान करना, जो विशेष रूप से विकसित हो रहे साइबर जोखिमों का समाधान करने के लिए अभिकल्पित किये गये हों।
- ग) साइबर बीमा उत्पादों में शामिल किए जा सकने वाले अधिकतम संभावित कवरेजों पर सिफारिशों का एक सेट उपलब्ध कराना।
- घ) ग्राहकों की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया में बीमाकर्ताओं को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और अतिरिक्त कवर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- त. नए उत्पादों के साथ साइबर बीमा बाजार के विकास में सुधार और पॉलिसीधारकों के लिए लाभों में वृद्धि करना।

साधारण बीमाकर्ता जिन्होंने पहले से ही साइबर खतरों से बचाव के लिए व्यक्तियों के लिए एकमात्र कवरेज के साथ कुछ साइबर बीमा उत्पाद विकसित किए हैं और वर्तमान में मुख्य रूप से वाणिज्यिक व्यवसाय पर केंद्रित उत्पाद प्रस्तुत कर रहे हैं, उक्त दस्तावेज़ में समर्थित कवरेजों के आधार पर उत्पाद संरचना की समीक्षा कर सकते हैं।

साइबर हमलों के गतिशील स्वरूप और नई चुनौतियों के कारण नए साइबर बीमा उत्पादों की मांग को ध्यान में रखते हुए, साधारण बीमाकर्ता उक्त दस्तावेज़ में दिये गये मॉडल पालिसी शब्दों/वाक्यरचना और मार्गदर्शन के संदर्भ में आवश्यकता पर आधारित उत्पादों को अभिकल्पित करने का लगातार प्रयास करेंगे। उपर्युक्त उद्देश्यों को बीमाकर्ताओं द्वारा इस प्रकार कार्यान्वित किया जाना चाहिए जो पॉलिसीधारकों के लिए उचित और उपयोगी हो।

यह ध्यान दिया जाए कि मार्गदर्शक दस्तावेज़ों में दर्शाई गई मॉडल उत्पाद संरचना और सुझाए गए बीमा कवरेज निदर्शी हैं और इसके आवश्यकताओं की एक संपूर्ण सूची होने का उद्देश्य नहीं है।

1.4 बीमा बाजार को विकसित करने के लिए नीतियाँ और उपाय

1.4.1 जामिन बीमा

प्राधिकरण ने जामिन बीमा व्यवसाय की विशिष्ट जोखिम विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जामिन बीमा व्यवसाय को विनियमित करने और उसका विकास करने के लिए आईआरडीएआई (जामिन बीमा संविदाएँ) दिशानिर्देश, 2022 जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश 01 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त हुए हैं।

जामिन बीमा एक प्रमाणित जोखिम प्रबंध व्यवस्था है जो विशेष रूप से निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोगी है। जामिन बीमा निर्माण परियोजनाओं के स्वामियों को सफलता की गारंटियाँ और संवर्धित प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायता उपलब्ध कराता है। जामिन बीमा बैंक गारंटियों का एक विकल्प प्रस्तुत करता है।

भारत में बुनियादी संरचना की नई परियोजनाओं में निरंतर वृद्धि और बैंक गारंटियाँ प्राप्त करने में परियोजना के ठेकेदारों के द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों की पृष्ठभूमि में, आईआरडीएआई (जामिन बीमा संविदाएँ) दिशानिर्देश, 2022 न केवल ठेकेदारों की सहायता करने की अपेक्षा करते हैं, बल्कि बीमाकर्ताओं को भी विवेकपूर्ण जोखिम-अंकन के द्वारा जामिन बाजार में एक विपुल संभावना का लाभ उठाने में समर्थ बनाते हैं।

1.4.2 व्यापारिक ऋण बीमा

विभिन्न क्षेत्रों के विकसित हो रहे ऋण बीमा जोखिम को ध्यान में रखते हुए तथा बदलती बाजार परिस्थितियों के लिए प्रतिक्रिया के रूप में, प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (व्यापारिक ऋण बीमा) दिशानिर्देश, 2021 दिनांक 08 सितंबर 2021 के द्वारा व्यापारिक ऋण दिशानिर्देशों का संशोधन किया है। उक्त दिशानिर्देश 01 नवंबर 2021 से प्रवृत्त हुए हैं।

व्यापारिक ऋण बीमा खरीदारों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान न करने के जोखिम के विरुद्ध व्यवसायों को

संरक्षण देता है। यह सामान्यतः खरीदारों के एक संविभाग को कवर करता है तथा दीर्घकालिक चूक, दिवालियापन (इनसाल्वेन्सी/बैंक्रेप्सी) के परिणामस्वरूप अदत्त रहे बीजक अथवा बीजकों के एक सहमति-प्राप्त प्रतिशत की क्षतिपूर्त करता है। व्यापार को सुसाध्य बनाने के द्वारा यह किसी देश की आर्थिक संवृद्धि में अंशदान करता है तथा भुगतान जोखिमों के कारण व्यापारिक हानियों का समाधान करने के द्वारा आर्थिक स्थिरता में सुधार लाने में सहायता करता है।

एक व्यापारिक ऋण लेनदेन में विभिन्न हितधारकों के जोखिम एक्सपोजर पर विचार करते हुए तथा व्यावहारिक जोखिम-अंकन दृष्टिकोण और बदलती व्यापार प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, आईआरडीएआई ने संशोधित व्यापारिक ऋण बीमा दिशानिर्देश, 2021 जारी किये हैं। संशोधित दिशानिर्देश कवर के विस्तार को बढ़ाते हैं तथा ऋण बीमा उद्योग को कवरेज, खरीदार जोखिम-अंकन और पुनर्बीमा के संबंध में मानदंडों को शिथिल करने के द्वारा सहायता पहुँचाते हैं।

ये संशोधित दिशानिर्देश निम्नलिखित के संबंध में बीमाकर्ताओं को सुविधा प्रदान करते हैं:

- क) भुनाये गये (डिस्काउण्टेड)/खरीदे गये बिलों के लिए खरीदार द्वारा भुगतान न करने के विरुद्ध आपूर्तिकर्ताओं एवं लाइसेंस-प्राप्त बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और फैक्ट्रिंग कंपनियों को व्यापारित ऋण बीमा कवर देना।
- ख) लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए व्यवसायों में सुधार लाने हेतु इन क्षेत्रों की विकसित हो रही बीमा जोखिम आवश्यकताओं पर विचार करते हुए आवश्यकतानुरूप कवरों के साथ व्यापारित ऋण बीमा प्रदान करना।
- ग) टीआरडीएस जैसे आनलाइन व्यापार प्लेटफार्मों में लेनदेनों को कवर करना।
- घ) जोखिम-अंकन में शिथिल किये गये मानदंडों के कारण और पुनर्बीमा सहायता के साथ देशी और विदेशी सहित विभिन्न खरीदारों को व्यापारित ऋण बीमा कवरेज नेट में वृद्धि करना।

1.4.3 स्वत्वाधिकार बीमा

स्वत्वाधिकार बीमा, क्षतिपूर्ति बीमा का एक रूप है जो संपत्ति के संभावित स्वामी को स्थावर संपत्ति के स्वत्वाधिकार में कमियों से वित्तीय हानियों के विरुद्ध संरक्षण देता है।

I

संपत्ति के त्रुटिपूर्ण स्वत्वाधिकार के प्रति प्रवर्तकों/विकासकर्ताओं की विधिक देयताओं के लिए साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा आधारभूत स्वत्वाधिकार बीमा कवर देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परियोजनाओं में खरीदे गये यूनिटों हेतु वैयक्तिक खरीदारों के लिए संरक्षण तथा इन उत्पादों के लिए सुलभ विक्रेयता को सुसाध्य बनाने के लिए, प्राधिकरण ने बीमाकर्ता के पास पहले से उपलब्ध वर्तमान उत्पाद के अतिरिक्त, अतिरिक्त उत्पाद निर्माण और नमूना पालिसी शब्द/वाक्यरचना को अनुमति देने के लिए एक परिपत्र दिनांक 08 सितंबर 2021 जारी किया है।

(क) प्रवर्तक विधिक व्यय (बचाव लागत) पालिसी:

यह कवर बीमाकृत व्यक्ति को केवल परियोजना के स्वत्वाधिकार को चुनौती देनेवाले मुकदमों के विरुद्ध विधिक बचाव लागतों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

(ख) आबंटिती वैयक्तिक क्रेता खुदरा पालिसी:

यह कवर संपत्ति के स्वत्वाधिकार के संबंध में कमी से हानि के विरुद्ध बीमाकृत व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए अभिकल्पित है। इस पालिसी के लिए संपत्ति के वैयक्तिक क्रेता और वित्तपोषकों द्वारा भविष्य में किसी विधिक वाद के विरुद्ध संरक्षण के लिए संपत्ति का कब्जा लेते समय विकल्प दिया जा सकता है।

नये स्वत्वाधिकार बीमा उत्पादों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित के लिए कवर उपलब्ध कराना है:

- क) प्रवर्तक/विकासकर्ता एक न्यूनतम विधिक बचाव लागत हेतु विकल्प देने के लिए वरीयता दे सकते हैं

- ख) अंतिम उपयोगकर्ता अर्थात् आबंटिती/वैयक्तिक क्रेता/वित्तपोषक कब्जा लेते समय/ संपत्ति यूनिट सौंपते समय भविष्य में किसी विधिक मुकदमे के विरुद्ध संरक्षण के लिए।

ये दोनों नये उत्पाद वर्तमान उत्पादों के लिए अनुपूरक होंगे तथा ग्राहकों के लिए विकल्प उपलब्ध कराएँगे जो स्वत्वाधिकार बीमा की विक्रेयता में सुधार ला सकेंगे।

उपर्युक्त के अलावा, बीमाकर्ताओं को निर्दिष्ट पालिसी शब्दावली/वाक्यरचना में विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम कवरेज को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रकार के उत्पाद अभिकल्पित करने और फाइल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

1.4.4 नई पहलें

मार्च 2022 से, 2047 तक सभी के लिए बीमा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई नए कदम उठाए गए। बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए आवश्यक अधिनियम/विनियम संशोधनों का सुझाव देने के लिए कार्य समूहों का गठन किया गया। मासिक ओपन हाउस, बीमाकर्ताओं के सीईओ के साथ बैठक आदि के माध्यम से स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी किए जा रहे हैं।

1.5 बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप

विभिन्न बीमाकर्ताओं द्वारा की गई तथा आईआरडीएआई को सूचित की गई अनुसंधान और विकास संबंधी उल्लेखनीय गतिविधियाँ नीचे दी जा रही हैं:

1.5.1 जीवन बीमाकर्ता

- पालिसी लेनदेनों में डिजिटल प्रवेश तथा उत्पादों के लिए स्वयं-सेवा अथवा डिजिटल पद्धतियों और वीडियो गाइडों द्वारा ग्राहक सेवा संबंधी परस्पर सक्रियताएँ (इंटरएक्शन)।

- पहुँच की सुगमता पर संकेन्द्रण के साथ ग्राहक इंटरफेस अभिकल्प, सहायता के लिए विकल्पों को अधिकतम बनाना, बहु-उद्देश्यीय चैनल और मोबाइल प्रथम का दृष्टिकोण। ग्राहक को बैंक विवरण अपलोड करने अथवा अपने इंटरनेट बैंक खाते के माध्यम से लागिंग करने के द्वारा आय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ बनाते हुए न्यूनतम प्रलेखीकरण के साथ बीमा-व्यवस्था में अबाध प्रवेश।
- इंटरनेट के बिना पहुँच-योग्य समृद्ध प्रयोक्ता इंटरफेस/प्रयोक्ता अनुभव से युक्त परिकलित्रों (कैलकुलेटरो) सहित मोबाइल ऐप।
- भागीदार समन्वयन के लिए प्लग और प्ले प्लेटफार्म: भागीदारों के ग्राहकों के लिए वीडियो सत्यापन और ग्राहक सेवा।
- डिजिटलीकरण द्वारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जैसे केवाईसी के ओसीआर के साथ फाइलिंग- पूर्व बीमा अनुप्रयोग।
- दावे से संबंधित किसी भी प्रश्न के विषय में पालिसीधारक की सहायता करने के लिए चाटबाट/व्हाट्सअप तथा डिजिटल दावा पंजीकरण प्रक्रिया और आईवीआर पर वाइस बाट।
- जीवन बीमा के प्रति उपभोक्ता प्रयोग और प्रवृत्ति को समझने के लिए संकेन्द्रित सामूहिक चर्चाएँ।
- 20-25 वर्ष के आयु-समूह में डिजिटल तौर पर जानकार युवा व्यक्तियों के बीच उनकी बचत की आदत और निवेश के विकल्प को समझने के लिए सर्वेक्षण।
- प्राप्तांकों के माध्यम से निगरानी के द्वारा ग्राहक की निष्ठा और अनुभव का मूल्यांकन।
- दंत संबंधी बीमा उत्पाद की आवश्यकताएँ समझने के लिए ग्राहकों और दंत सेवा प्रदाताओं के बीच अनुसंधान।
- मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र को समझने के लिए अध्ययन।
- एक ऐसे बीमा प्लेटफार्म पर विज्ञान-आधारित व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के साथ उत्पादों का समन्वय, जो ग्राहकों के बीच स्वस्थ सक्रियता को प्रोत्साहित करता है और इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करता है।

1.5.2 साधारण बीमाकर्ता

- केवल मोबाइल कैमरा का उपयोग करते हुए रक्तचाप, एसपी02 (आक्सिजन संतृप्ति), हृदय-गति, श्वसन की गति, हृदय-गति की परिवर्तनीयता और दबाव का स्तर, 2 मिनट का चेहरे का स्कैन करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप। ग्राहकों को उपभोग करने के लिए वे जिस आहार की योजना बना रहे हैं उसके फोटोग्राफों के आधार पर उनके कैलोरी अंतर्ग्रहण को समझने में उन्हें समर्थ बनाना।
- वाइस बाट का प्रारंभ: एक वाइस बाट समाधान जो लंबे कथनों को समझने के लिए उन्नत वाणी पहचान की प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और विशिष्ट उपयोग की स्थितियों, जैसे दावा सूचित करना और दावे की स्थिति जानना, में संदर्भगत प्रतिक्रिया देता है।
- चाटबाट जो तत्काल संदेश भेजनेवाले प्लेटफार्मों, जैसे व्हाट्सअप, तार आदि पर उपलब्ध है, सहज भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) पर आधारित प्रौद्योगिकी पर चलता है जो पालिसीधारकों को अत्यंत संवादात्मक अनुभव उपलब्ध कराता है।
- दावा प्रसंस्करण को सरल बनाने के लिए मूलपाठ का विश्लेषण-विज्ञान: यह अपेक्षित फार्मेट में दस्तावेजों से डेटा का स्वतः वर्गीकरण करता है, डेटा को उद्धृत करता है और डेटा का संवर्धन करता है। पालिसीधारक के लिए केवल अपने दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने की आवश्यकता है और डेटा का उद्धरण अपने आप हो जाएगा।
- मोबाइल अनुप्रयोग जो जोखिम प्रबंध टीम को दूरवर्ती तौर पर और डिजिटल रूप से जोखिम निरीक्षण संचालित करने में समर्थ बनाता है।
- दूरस्थ संवेदनशील प्रौद्योगिकी और भौगोलिक सूचना प्रणाली जो व्यापक तौर पर फ़सल की स्थिति की निगरानी करने, पैदावार की हानि और क्षेत्रफल का आकलन करने के लिए है।

1.6 समीक्षा

1.6.1 पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण

1.6.1.1 पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए आधारभूत ढाँचा आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 में निहित है। आईआरडीएआई शिकायत निवारण के लिए बीमाकर्ताओं की नीति की निगरानी करने के द्वारा पालिसीधारकों की शिकायतों के समाधान को सुसाध्य बनाता है तथा बीमा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने लिए विभिन्न पहलें करता है।

बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने हेतु, आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई शिकायत काल सेंटर (आईजीसीसी) स्थापित किया है। आईआरडीएआई ने शिकायत प्रबंध के लिए एक आनलाइन प्रणाली के रूप में समन्वित शिकायत प्रबंध

प्रणाली (आईजीएमएस) भी स्थापित की है जो न केवल शिकायतें आनलाइन पंजीकृत कराने और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रवेश-मार्ग (गेटवे) है, बल्कि यह बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई हेतु एक उद्योग-व्यापी शिकायत रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है।

अनुचित व्यवसाय पद्धतियाँ

1.6.1.2 आईआरडीएआई के प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रयासों के कारण शिकायतें नियंत्रण में हैं। निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों (यूएफबीपी) की शिकायतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में लगभग 17 प्रतिशत कम हो गई हैं तथा बेची गई नई पालिसियों के संबंध में यूएफबीपी शिकायतों का अनुपात 2021-22 में 0.30 प्रतिशत पर स्थित है।

सारणी 1.31: जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों संबंधी शिकायतें

शिकायतों	2020-21			2021-22		
	एलआईसी	निजी	कुल	एलआईसी	निजी	कुल
जीवन बीमाकर्ताओं पर कुल शिकायतें	1,09,631	41,415	1,51,046	1,14,202	40,624	1,54,826
यूएफबीपी शिकायतों की संख्या कुल शिकायतों में से यूएफबीपी शिकायतों का अंश (%)	3,928	26,746	30,674	3,509	22,207	25,716
बेची गई नई पालिसियों में से यूएफबीपी का अंश (%)	0.02	0.37	0.11	0.02	0.30	0.09

यूएफबीपी - अनुचित व्यावसायिक व्यवहार



छल-कपटपूर्ण कॉलों और अप-विक्रय संबंधी शिकायतें

1.6.1.3 आईआरडीएआई/आईजीएमएस, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के नाम से छल-कपटपूर्ण कॉल बीमा उद्योग के लिए चिंता का विषय है। आईआरडीएआई ने विभिन्न संपर्क-बिन्दुओं पर और मीडिया में भी छल-कपटपूर्ण कॉलों आदि के विरुद्ध जनसाधारण को सतर्क करने के लिए कई सार्वजनिक सूचनाएँ, प्रेस प्रकाशनियाँ, अग्रणी टीवी चैनलों पर और समाचारपत्रों में विज्ञापन एवं बीमा कंपनियों को निदेश जारी किये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपविक्रय और छल-कपटपूर्ण

कॉलों के अंतर्गत सभी शिकायतों पर कार्रवाई सभी मामलों में बीमा कंपनी की निर्धारित नीति के अनुसार की जाए, सभी जीवन बीमाकर्ताओं को अपविक्रय संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में एक कंपनी विशिष्ट नीति बनाने तथा छल-कपटपूर्ण कॉलों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में भी एक कंपनी विशिष्ट नीति तैयार करने के लिए सूचित किया गया है। सभी जीवन बीमाकर्ताओं ने उपर्युक्त नीतियाँ बनाई हैं। आईआरडीएआई ने जनता को किसी भी प्रकार से छल-कपटपूर्ण कॉल करनेवालों के साथ कोई लेनदेन न करने के लिए चेतावनी दी है।

1.6.1.4 निजी जीवन बीमाकर्ताओं की अपविक्रय संबंधी शिकायतों का विश्लेषण दर्शाता है कि

- अपविक्रय की शिकायतों की संख्या 2020-21 में दर्ज 25,482 से 2021-22 में 23,110 तक घटी है। प्रति 10,000 पालिसियों की अपविक्रय शिकायतों की घटना भी उक्त वर्षों में कम हो गई है।
- शिकायतकर्ता के पक्ष में निपटाई जा रही शिकायतें 24 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 27 प्रतिशत हो गई हैं।



1.6.1.5 आईआरडीआई के परमर्श पर बीमाकर्ता भी प्रमुख कारणों की पहचान करने के लिए अपविक्रय का मूल कारण विश्लेषण करने के द्वारा अपविक्रय की समस्या को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं तथा अपविक्रय को रोकने अथवा कम करने के लिए उन्होंने उपयुक्त कदम उठाये हैं। उनमें से कुछ कदम हैं, उत्पाद की उपयुक्तता का पता लगाना, माध्यम की असुरक्षितता के आधार पर विभिन्न माध्यमों को अनुकूल बनाते हुए उनपर नियंत्रण रखना एवं अपविक्रय की शिकायतों को संभालने के संबंध में एक कार्यनीति बनाना।

1.6.1.6 अपविक्रय को कम करने का निश्चित मार्ग है जनता के सदस्यों को बीमा की संकल्पना, बीमा पालिसियों के प्रकारों, कवर किये गये जोखिमों, प्रस्तावित लाभों, अपवर्जनों, और शर्तों आदि से अवगत कराना। वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के लिए वित्तीय शिक्षण के विभिन्न प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त करना अपेक्षित है।

आईआरडीआई द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण बीमा साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता की पहलें हैं

• जागरूकता अभियान

आईआरडीआई मौजूदा और भावी पॉलिसीधारकों को उनकी जोखिम कवरेज आवश्यकताओं की उचित समझ से लैस करने और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त बीमा उत्पादों को चुनने के उद्देश्य से विभिन्न बीमा जागरूकता अभियानों में लगातार लगा हुआ है। यह इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है।

• वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति का कार्यान्वयन

आईआरडीआई द्वारा वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एनसीएफई) की कोर समिति के एक सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी है, जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) 2019-2024 को कार्यान्वित करने के उद्देश्य के साथ स्थापित भारत में सभी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं के प्रतिनिधियों से युक्त संस्था है।

• जिलों का अंगीकरण

बीमा के माध्यम से वित्तीय समावेशन की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आईआरडीआई ने बीमा कंपनियों को बीमा साक्षरता की व्याप्ति हेतु और बीमा आवश्यकताओं के आधार पर परिवारों के कवरेज के लिए जिलों का अंगीकरण करने के लिए सूचित किया है। नीति आयोग

द्वारा अभिनिर्धारित महत्वाकांक्षी जिलों को उक्त अभियानों के लिए लक्ष्य क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। महामारी के कारण उक्त पहल में गति मंद रही है, परंतु उद्योग अब इसे गंभीरतापूर्वक आगे ले जाने के लिए उद्युक्त है। उक्त अभियानों के परिणाम के आधार पर इन अभियानों को देश के अन्य जिलों में लागू करने की संभावना की जाँच की जाएगी।

1.6.2 बीमाकर्ताओं के शोधन-क्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण

1.6.2.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण करे। प्रत्येक बीमाकर्ता देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के ऐसे आधिक्य को बनाये रखेगा जो आईआरडीए द्वारा निर्धारित राशि से कम न हो, जो अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन कहलाता है। आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016, आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 तथा आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 में अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति विस्तार से वर्णित है।

जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन-क्षमता अनुपात

1.6.2.2 मार्च 2022 की समाप्ति पर 24 जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.5 के निर्धारित शोधन-क्षमता अनुपात का अनुपालन किया। जीवन बीमाकर्ताओं के लिए बीमा कंपनी वार शोधन-क्षमता अनुपात विवरण 15 में प्रस्तुत किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का शोधन-क्षमता अनुपात

1.6.2.3 31 मार्च, 2022 तक, 26 निजी क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं में से 25, जिनमें स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता शामिल हैं, ने 1.50 के निर्धारित सॉल्वेंसी अनुपात का अनुपालन किया है। रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस लिमिटेड का व्यावसायिक पोर्टफोलियो आईआरडीएआई के आदेश IRDA/F&A/ORD/SOLP/200/11/2019 दिनांक 06 नवंबर, 2019 द्वारा रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था।

31 मार्च, 2022 तक सॉल्वेंसी अनुपात की गणना के लिए, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां अर्थात् नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड को 31 मार्च, 2022 तक फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट के 75 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा, सभी चार सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ओएमओपी के प्रति अपनी पेंशन देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी गई है।

पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधन-क्षमता अनुपात

1.6.2.4 भारतीय साधारण बीमा निगम ने 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 1.96 का शोधन-क्षमता अनुपात सूचित किया है। सभी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं ने 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 1.50 से अधिक शोधन-क्षमता अनुपात सूचित किया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए बीमा कंपनी वार शोधन-क्षमता अनुपात विवरण 16 में प्रस्तुत किया गया है तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए शोधन-क्षमता अनुपात विवरण 17 में प्रस्तुत किया गया है।

1.6.3 पुनर्बीमा की निगरानी

भारतीय पुनर्बीमाकर्ता

1.6.3.1 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के पास पंजीकृत केवल एक भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अर्थात् भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई) है। जीआईसी आरई भारत में प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं और विदेशी बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को पुनर्बीमा समर्थन देता रहा है। निगम का पुनर्बीमा कार्यक्रम उचित लागत पर अधर्षक के एक्सपोजर के लिए पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करते हुए तथा देशी बाजार के अंदर तकनीकी विशेषज्ञता और पर्याप्त वित्तीय क्षमताएँ विकसित करते हुए, देश के अंदर प्रतिधारण को

इष्टतम बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

जीआईसी आरई नाभिकीय समूह (पूल) और आतंकवाद समूह (पूल) का प्रबंध भी कर रहा है। यह देशी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई प्रत्येक पालिसी पर कुछ सीमाओं के अधीन अनिवार्य अध्वर्षण प्राप्त करता है तथा इन बीमाकर्ताओं के अधिकांश समझौता कार्यक्रमों और विकल्पी कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है। 2021-22 के लिए यह अनिवार्य अध्वर्षण 5 प्रतिशत है।

विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ

1.6.3.2 भारत को एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) बनाने के उद्देश्य से बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और सोसाइटी आफ़ लायड्स को भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए भारत में अपनी शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, भारत में लायड्स सहित 11 विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ (एफआरबी) परिचालन कर रही हैं। लायड्स इंडिया एक सर्विस कंपनी के माध्यम से परिचालन कर रही है। ये एफआरबी विश्व भर में प्रचुर अनुभव और विशेषज्ञता से युक्त प्रमुख पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ हैं।

एफआरबी की समनुदेशित पूँजी का ब्योरा विवरण 18 में दिया गया है।

इन एफआरबी द्वारा बुक किये गये पुनर्बीमा व्यवसाय का विवरण निम्नानुसार है:

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सकल आरआई प्रीमियम आय- भारतीय व्यवसाय (रु. करोड़)	5,996.40	9,444.61	12,585.59	14,323.30	17,962.11

इस प्रकार, इन एफआरबी ने भारत के अंदर प्रीमियम प्रतिधारित करने और भारत में पुनर्बीमा क्षमता विकसित करने में सहायता की है। इन एफआरबी को आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 का पालन करना चाहिए तथा लायड्स और उनकी सर्विस कंपनियों को आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016 और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं अन्य परिपत्रों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

सीमापार पुनर्बीमाकर्ता

1.6.3.3 "सीमापार पुनर्बीमाकर्ता" (सीबीआर) वे पुनर्बीमाकर्ता हैं, जिनकी भारत में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, परंतु

भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करते हैं। प्राधिकरण बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अधीन "सीमापार पुनर्बीमाकर्ता" संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हैं। प्राधिकरण आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के अनुसार सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) के साथ भारतीय बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय के स्थानन (प्लेसमेंट) को विनियमित करता है।

सीबीआर को प्राधिकरण द्वारा एक फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) दी जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य है, जो सीबीआर को भारतीय बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करने में समर्थ बनाती है। वर्ष 2021-22 में 290 सीबीआर ने भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय में सहभागिता की है जबकि वर्ष 2020-21 में 332 सीबीआर ने सहभागिता की थी।

पुनर्बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन

1.6.3.4 पुनर्बीमा व्यवसाय भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, एफआरबी और सीबीआर के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, एफआरबी और सीबीआर के द्वारा वर्ष 2021-22 में प्राप्त रु. 61,337 करोड़ के सकल पुनर्बीमा प्रीमियम में से, भारतीय व्यवसाय लगभग 75 प्रतिशत का था और विदेशी व्यवसाय शेष विदेशी व्यवसाय का रहा। वर्ष 2021-22 में रु. 45,981 करोड़ के कुल भारतीय व्यवसाय में से जीआईसी आरई का अंश लगभग 61 प्रतिशत था और शेष एफआरबी के द्वारा किया गया।


एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम विवरण 19 में प्रस्तुत किया गया है।

पुनर्बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन

1.6.3.5 2021-22 में, भारत के अंदर और बाहर साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा स्थानन किया गया पुनर्बीमा प्रीमियम सकल प्रीमियम का क्रमशः 20.16 प्रतिशत और 7.99 प्रतिशत था। साधारण बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण 2020-21 के 70.82 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 71.85 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 1.23: भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और एफआरबी का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़)



सारणी 1.32: साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा स्थानन

(₹ करोड़ में)

खंड	भारत के अंदर रखा गया पुनर्बीमा प्रीमियम		भारत के बाहर रखा गया पुनर्बीमा प्रीमियम	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
अग्नि (फायर)	9,734.68	10,797.82	4,662.69	5,268.62
	45.28	46.11	21.69	22.50
मरीन कार्गो	493.37	604.87	333.02	467.70
	19.57	18.47	13.21	14.28
मरीन हल	403.36	410.26	454.54	371.70
	37.28	38.42	42.01	34.81
मोटर	8,125.10	8,050.45	252.49	566.62
	12.46	11.33	0.39	0.80
विमानन	431.83	449.17	303.44	365.02
	51.77	45.20	36.38	36.73
इंजीनियरिंग	1,255.56	1,521.33	631.53	808.08
	39.78	40.76	20.01	21.65
अन्य विविध	24,483.92	23,533.36	7,350.57	10,144.01
	22.75	19.37	6.83	8.35
कुल	44,927.82	45,367.26	13,988.26	17,991.75
	22.25	20.16	6.93	7.99

नोट: प्रत्येक खंड में पहली पंक्ति पूर्ण आंकड़े दिखाती है जबकि दूसरी पंक्ति सकल प्रीमियम का प्रतिशत दर्शाती है

सारणी I.33: साधारण बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण

(सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)

खंड	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
अग्नि (फायर)	46.68	43.68	23.73	23.57	33.03	31.39
मरीन कार्गो	72.54	72.40	64.52	64.98	67.22	67.26
मरीन हल	24.06	31.50	3.00	2.33	20.71	26.77
मोटर	94.52	94.64	83.07	84.88	87.15	87.87
इंजीनियरिंग	54.72	51.86	23.47	22.53	40.22	37.59
विमानन	10.82	18.67	15.69	15.79	11.85	18.07
अन्य विविध	80.60	80.15	61.69	65.55	70.42	72.29
कुल	79.20	78.29	64.64	67.43	70.82	71.85

बीमा समूह (पूल)

आतंकवाद पूल

1.6.3.6 9/11 घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा आतंकवाद कवर को वापस लेने के बाद अप्रैल 2002 में भारत में सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की पहल से भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल बनाया गया और इसका प्रबंध जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल अनेक स्थानों पर निवास स्थानों और अचल आस्तियों के कवर सहित, संपत्ति बीमा पालिसियों के अंतर्गत कवर किये गये आतंकवाद जोखिम के बीमा के लिए लागू है। इस पूल की प्रीमियम आय 2020-21 में दर्ज रु. 516.60 करोड़ के मुकाबले 2021-22 के लिए रु. 1,226.80 करोड़ है। उक्त पूल द्वारा 2021-22 के दौरान भुगतान किये गये दावे रु. 2.4 करोड़ हैं। 2021-22 के दौरान उक्त पूल को किन्हीं बड़ी हानियों की सूचना नहीं दी गई है।

नाभिकीय (न्यूक्लियर) पूल

1.6.3.7 नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक देयता अधिनियम, 2010 का अधिनियमन अज्ञात और संभावित रूप से नाभिकीय घटना से उत्पन्न होनेवाले आपाती जोखिम के संरक्षण को अनिवार्य बनाता है। सामान्यतः नाभिकीय संकट परंपरागत बीमा कवरों से अपवर्जित किये जाते हैं क्योंकि इसके लिए बड़ी बीमा क्षमता अपेक्षित है। अतः नाभिकीय संकटों से उत्पन्न होनेवाली देयता का संरक्षण करने के लिए भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) 2015 में बनाया गया जिसका प्रबंध भी जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल देश में नाभिकीय परिचालकों को और नाभिकीय आपूर्तिकर्ताओं को भी कवरेज प्रदान करेगा। उक्त पूल की

प्रीमियम आय 2021-22 के लिए पिछले वर्ष के रु. 103.50 करोड़ के समान ही रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त पूल के द्वारा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है।

वर्ष 2021-22 में भारतीय बाजार जोखिम बीमा पूल और नाभिकीय (न्यूक्लियर) बीमा पूल में सदस्यों का अंश अनुबंध 2 में दिया गया है।

1.6.4 बीमाकर्ताओं के निवेशों की निगरानी

1.6.4.1 बीमाकर्ताओं के लिए आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार निवेश के स्वरूप का पालन करना अधिदेशात्मक किया गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार जीवन, साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों का विवरण निम्नानुसार है:

बीमा क्षेत्र के कुल निवेश

1.6.4.2 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, बीमा उद्योग द्वारा किये गये निवेश 31 मार्च 2021 को यथाविद्यमान रु.49.13 लाख करोड़ की तुलना में रु.54.37 लाख करोड़ के थे और इस प्रकार इन्होंने 10.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2022 को जीवन बीमाकर्ताओं का अंश 91.90 प्रतिशत तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएचआई) सहित साधारण बीमाकर्ताओं का अंश 7.10 प्रतिशत पर स्थित है एवं विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का अंश 1.81 प्रतिशत रहा है। इसी अवधि में पीएसयू का अंश 72.19 प्रतिशत और निजी क्षेत्र का अंश 27.81 प्रतिशत है।

सारणी I.34: बीमा क्षेत्र के कुल निवेश

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(रु करोड़ में)

क्षेत्र	जीवन बीमाकर्ता		साधारण बीमाकर्ता		पुनर्बीमा कर्ता		कुल	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
सार्वजनिक	33,97,832 (10.65)	36,79,475 (8.29)	1,58,703 (16.44)	1,67,993 (5.85)	68,799 (17.09)	77,349 (12.43)	36,25,333 (11.01)	39,24,816 (8.26)
निजी	10,82,142 (32.06)	12,72,712 (17.61)	1,90,067 (21.92)	2,18,214 (14.81)	15,733 (34.33)	20,985 (33.38)	12,87,942 (30.49)	15,11,911 (17.39)
कुल	44,79,973 (15.16)	49,52,187 (10.54)	3,48,770 (19.37)	3,86,206 (10.73)	84,532 (19.96)	98,334 (16.33)	49,13,275 (15.53)	54,36,727 (10.65)

टिप्पणी:

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं
2. साधारण बीमाकर्ताओं में बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता शामिल हैं
3. पुनर्बीमाकर्ताओं में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएं शामिल हैं

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश

I.6.4.3 जीवन बीमाकर्ताओं की कुल निधियाँ 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु.49.52 लाख करोड़ थीं जिनमें से लगभग 88 प्रतिशत पारंपरिक उत्पादों से थीं तथा शेष यूलिप उत्पादों से। कुल निवेशों में से, जीवन निधि ने लगभग 65

प्रतिशत का अंशदान किया और शेष का अंशदान पेंशन और साधारण वार्षिकी और यूनिट सहबद्ध निधि (यूलिप) के द्वारा किया गया।

जीवन बीमा कंपनी वार निवेश विवरण 20 में प्रस्तुत हैं।

सारणी I.35: जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(रु करोड़ में)


क्र.सं.	श्रेणी	2021	2022
अ	पारंपरिक उत्पाद		
1	केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	16,71,268 (42.23)	18,95,074 (43.46)
2	राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	10,43,770 (26.38)	10,79,100 (24.75)
3	आवास और बुनियादी संरचना	4,16,718 (10.53)	3,94,524 (9.05)
4	अनुमोदित निवेश अन्य निवेश	6,80,935 (17.21)	8,36,597 (19.19)
5	अन्य निवेश	1,44,452 (3.65)	1,55,341 (3.56)
अ	कुल (1+2+3+4+5)	39,57,144 (100.00)	43,60,637 (100.00)
ब	यूलिप निधियाँ		
6	अनुमोदित निवेश	4,75,204 (90.89)	5,25,205 (88.78)
7	अन्य निवेश	47,626 (9.11)	66,346 (11.22)
ब	कुल (6+7)	5,22,830 (100.00)	5,91,550 (100.00)
	कुल योग (अ+ब)	44,79,973	49,52,187

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं

चार्ट 1.24: जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश: निधि-वार (31 मार्च 2022 तक)

(रु करोड़)

■ जीवन निधि ■ पेंशन और सामान्य वार्षिकी और समूह निधि ■ यूनिट संबद्ध निधि



साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश

1.6.4.4 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये कुल निवेश रु. 4.85 लाख करोड़ थे जिन्होंने पिछले वर्ष से 11.83 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। उक्त अवधि के दौरान साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं ने अपने निवेश के लगभग 50 प्रतिशत का निवेश प्रमुख रूप से केन्द्र, राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया है तथा लगभग 24 प्रतिशत का निवेश अनुमोदित निवेशों में किया है।

साधारण बीमा और पुनर्बीमा कंपनी-वार निवेश विवरण 21 में प्रस्तुत हैं।

सारणी 1. 36: साधारण स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(रुपये करोड़ में)

श्रेणी	साधारण बीमाकर्ता		पुनर्बीमाकर्ता		कुल	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	91,089 (26.12)	1,03,130 (26.70)	29,445 (34.83)	36,037 (36.65)	1,20,533 (27.82)	1,39,166 (28.72)
राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	69,585 (19.95)	83,491 (21.62)	18,392 (21.76)	21,154 (21.51)	87,977 (20.30)	1,04,645 (21.60)
आवास और राज्य सरकार को आवास और एफएफई के लिए ऋण	28,404 (8.14)	31,122 (8.06)	6,263 (7.41)	7,347 (7.47)	34,667 (8.00)	38,470 (7.94)
बुनियादी संरचनागत निवेश	57,572 (16.51)	58,402 (15.12)	8,359 (9.89)	9,779 (9.94)	65,931 (15.22)	68,181 (14.07)
अनुमोदित निवेश	92,098 (26.41)	96,625 (25.02)	17,968 (21.26)	20,088 (20.43)	1,10,066 (25.40)	1,16,713 (24.09)
अन्य निवेश	10,023 (2.87)	13,437 (3.48)	4,105 (4.86)	3,928 (3.99)	14,128 (3.26)	17,365 (3.58)
कुल	3,48,770 (100.00)	3,86,206 (100.00)	84,532 (100.00)	98,334 (100.00)	4,33,301 (100.00)	4,84,540 (100.00)

एफएफई: अग्निशमन उपकरण

नोट:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं
- साधारण बीमाकर्ताओं में बीमाकर्ता और SAHI शामिल हैं
- पुनर्बीमाकर्ताओं में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएं शामिल हैं

1.6.5 स्वास्थ्य बीमा

क. साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम


1.6.5.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा को छोड़कर) बीमा प्रीमियम के रूप में रु. 73,052 करोड़ का संग्रहण किया और इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

सारणी 1.37: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	27,228.20 (10.54)	32,942.86 (20.99)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	15,875.09 (28.12)	20,107.23 (26.66)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	15,134.56 (10.18)	20,001.43 (32.16)
कुल	58,237.86 (14.74)	73,051.52 (25.44)

नोट:

- कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) को इंगित करते हैं
- आंकड़ों में विदेशों में किए गए स्वास्थ्य बीमा कारोबार का विवरण शामिल नहीं है
- प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर है
- बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य रिटर्न के अनुसार डेटा




सारणी 1.38: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पॉलिसी, कवर जीवन और प्रीमियम

व्यवसाय की श्रेणी	पॉलिसियों की संख्या (लाख)		कवर जीवन की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (रु करोड़)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
सरकारी व्यवसाय	0.001 (-53.50)	0.001 (0.00)	3,429.14 (-5.26)	3,065.08 (-10.62)	4,290.00 (-12.82)	6,075.87 (41.63)
समूह व्यवसाय	9.09 (19.49)	7.00 (-36.30)	1,186.95 (26.92)	1,622.88 (36.73)	28,108.09 (8.61)	36,890.58 (31.25)
वैयक्तिक व्यवसाय	228.30 (32.95)	219.25 (-3.96)	531.39 (22.94)	516.23 (-2.85)	25,839.77 (29.48)	30,085.07 (16.43)
कुल	237.39 (32.38)	226.25 (-5.20)	5,147.47 (3.22)	5,204.19 (1.10)	58,237.86 (14.74)	73,051.52 (25.44)

नोट: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) को इंगित करते हैं

चार्ट 1.26: : स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति




स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर की गई पालिसियाँ और जीवन

1.6.5.2 2021-22 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 2.26 करोड़ स्वास्थ्य बीमा पालिसियों (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा के अंतर्गत जारी की गई पालिसियों को छोड़कर) के अंतर्गत 52.04 करोड़ जीवनो को कवर किया है।

1.6.5.3 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय तीन भागों में वर्गीकृत है – सरकार प्रायोजित, सामूहिक और वैयक्तिक। कवर किये गये जीवनो की संख्या के तौर पर, जीवनो के लगभग 59 प्रतिशत को सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया, लगभग 31 प्रतिशत को सामूहिक व्यवसाय में तथा शेष लगभग 10 प्रतिशत को साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई वैयक्तिक पालिसियों के अंतर्गत कवर किया गया है। प्रीमियम की राशि के तौर पर, सामूहिक व्यवसाय का अंश अधिकतम (50.42 प्रतिशत) था, जिसके बाद वैयक्तिक (41.12 प्रतिशत) और सरकारी व्यवसाय (8.46 प्रतिशत) का अंश था।


चार्ट 1.27: स्वास्थ्य बीमा के अधीन कवर जीवन और प्रीमियम (2021-22)



राज्य-वार स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

1.6.5.4 जबकि 2021-22 में पाँच राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली संघराज्य क्षेत्र ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लगभग 66 प्रतिशत का अंशदान किया है, वहीं बाकी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों ने शेष 34 प्रतिशत का अंशदान किया है।

चार्ट 1.28: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का अंश (2021-22)




स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत दावे

1.6.5.5 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत निवल उपगत दावे 2021-22 में ₹. 63,361 करोड़ पर स्थित थे और इन्होंने पिछले वर्ष से लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। स्वास्थ्य व्यवसाय के उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) में 2020-21 में विद्यमान 94 प्रतिशत से 2021-22 में 109 प्रतिशत तक वृद्धि रही तथा यह वृद्धि स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों में देखी गई।

चार्ट 1.29: स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के अधीन उपगत दावे

(₹ करोड़)



सारणी 1.39: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात


(प्रतिशत)

बीमाकर्ता	सरकारी व्यवसाय		समूह व्यवसाय		वैयक्तिक व्यवसाय		कुल	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	124.67	121.27	104.33	130.33	95.52	117.99	103.61	126.17
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	96.53	111.71	89.79	106.19	78.64	102.52	85.78	105.11
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-1170.91	0.00	79.95	87.73	84.45	79.38	78.09	81.18
कुल	120.09	119.82	97.88	118.64	84.69	95.54	93.80	109.12


नोट:

- यह व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर है
- बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य रिटर्न के अनुसार डेटा

चार्ट 1.30: स्वास्थ्य बीमा के अधीन उपगत दावों के अनुपात की प्रवृत्ति : क्षेत्र-वार



चार्ट 1.31: स्वास्थ्य बीमा के अधीन उपगत दावों के अनुपात की प्रवृत्ति: खंड-वार



1.6.5.6 2021-22 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2.19 करोड़ स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान किया है तथा स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के प्रति रु. 69,498 करोड़ का भुगतान किया है। प्रति दावा अदा की गई औसत राशि रु. 31,804 थी। निपटारे गये दावों की संख्या के तौर पर, 76 प्रतिशत दावों का निपटान टीपीए के माध्यम से किया गया और दावों के शेष 24 प्रतिशत का निपटान आंतरिक

व्यवस्था के माध्यम से किया गया। दावों के निपटान की पद्धति के तौर पर, दावों की कुल संख्या के 59 प्रतिशत का निपटान नकदीरहित पद्धति द्वारा किया गया तथा अन्य 38 प्रतिशत का निपटान प्रतिपूर्ति पद्धति के माध्यम से किया गया। बीमाकर्ताओं ने अपने दावों के दो प्रतिशत का निपटान “दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति पद्धति” के द्वारा किया है।

सारणी 1.40: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत अदा किये गये दावे (2021-22)

दावा निपटान का तरीका	टीपीए		आंतरिक		कुल	
	संख्या (लाख)	राशि (रु करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (रु करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (रु करोड़)
केवल कैशलेस	106.12 (63.69)	24,974.66 (58.25)	23.69 (45.63)	14,554.49 (54.67)	129.81 (59.40)	39,529.15 (56.88)
केवल प्रतिपूर्ति	58.19 (34.93)	17,030.01 (39.72)	25.78 (49.66)	10,703.86 (40.21)	83.97 (38.43)	27,733.88 (39.91)
कैशलेस और प्रतिपूर्ति दोनों	2.05 (1.23)	832.67 (1.94)	0.99 (1.91)	445.35 (1.67)	3.04 (1.39)	1,278.02 (1.84)
लाभ के आधार पर	0.24 (0.15)	40.32 (0.09)	1.45 (2.80)	917.11 (3.45)	1.70 (0.78)	957.43 (1.38)
कुल	166.61 (100.00)	42,877.67 (100.00)	51.91 (100.00)	26,620.81 (100.00)	218.52 (100.00)	69,498.48 (100.00)

नोट: कोष्ठक में आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में

1.6.5.7 2021-22 के दौरान, बीमाकर्ताओं ने अपनी बहियों में पंजीकृत दावों की कुल संख्या के लगभग 86 प्रतिशत को निपटारा है और उनके लगभग 6 प्रतिशत को निराकृत किया

है तथा शेष लगभग 8 प्रतिशत दावे 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार निपटान के लिए लंबित थे।

सारणी 1.41: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (2021-22)


(संख्या लाख में रु राशि करोड़ में)

अवधि की शुरुआत में बकाया दावे		इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए नए दावे		कुल दावे		अवधि के दौरान भुगतान किए गए दावे		पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार अस्वीकृत किए गए दावे		इस अवधि के दौरान अस्वीकृत किए गए दावे		वर्ष के अंत में बकाया दावे	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
14.73	5,661.79	240.22	93,840.46	254.95	99,502.24	218.52	69,498.48	-	14,955.09	16.37	9,070.24	20.06	5,978.44
				(100.00)	(100.00)	(85.71)	(69.85)	-	(15.03)	(6.42)	(9.12)	(7.87)	(6.01)

नोट: कोष्ठक में आंकड़े कुल के प्रतिशत के रूप में

ख. जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय प्रीमियम, पालिसियाँ और कवर किये गये जीवन

1.6.5.8 वर्ष 2021-22 के दौरान, जीवन बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में 2020-21 के रु. 1,176 करोड़ के मुकाबले रु. 1,303 करोड़ का संग्रहण किया और 10.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।



जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विपणन किये गये स्वास्थ्य बीमा उत्पाद

1.6.5.9 2021-22 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से रु.777 करोड़ का कुल प्रीमियम प्राप्त किया। जबकि नवीकरण प्रीमियम ने कुल प्रीमियम के लगभग 83 प्रतिशत का अंशदान किया, वहीं नये व्यवसाय ने शेष 17 प्रतिशत का अंशदान किया। 2021-22 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 4.73 लाख जीवनों को कवर करते हुए 3.38 लाख नई पालिसियाँ जारी की है, जबकि उन्होंने 10.02 लाख जीवनों को कवर करते हुए 9.50 लाख पालिसियों का नवीकरण किया है।

जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा राइडर

1.6.5.10 राइडर जो मूल उत्पादों के साथ संबद्ध किये जाते हैं, एक वर्धित मूल्य के रूप में पालिसीधारकों को प्रस्तावित किये जाते हैं। 2021-22 के दौरान जीवन बीमा पालिसियों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा राइडरों के माध्यम से रु. 527 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया गया। इन राइडरों के कुल प्रीमियम में से नवीकरण 56 प्रतिशत के थे, जबकि शेष 44 प्रतिशत का अंशदान नये व्यवसाय के द्वारा किया गया। 2021-22 के दौरान, 46.95 लाख जीवनों के कवर करनेवाले नये जीवन बीमा उत्पादों के साथ 7.62 लाख स्वास्थ्य बीमा राइडर जारी किये गये। इसी अवधि के दौरान, जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध 24.67 लाख राइडरों का नवीकरण किया गया जिन्होंने 33.79 लाख जीवनों को कवर किया।

सारणी I.42: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पॉलिसी, कवर जीवन और प्रीमियम

व्यवसाय की श्रेणी	पॉलिसियों की संख्या / राईडर्स की संख्या		कवर जीवन की संख्या ('000)		सकल प्रीमियम (रु करोड़)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
जीवन बीमा कंपनियों द्वारा विपणन किए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा उत्पाद						
नया व्यवसाय						
समूह व्यवसाय	92	20	74.79	123.14	15.79	5.56
वैयक्तिक व्यवसाय	4,36,811	3,37,806	481.21	349.93	151.16	124.40
कुल	4,36,903	3,37,826	556.00	473.08	166.96	129.96
नवीकरण व्यवसाय						
समूह व्यवसाय	13	5	17.78	7.84	0.99	0.98
वैयक्तिक व्यवसाय	9,26,427	9,49,791	1,221.09	994.57	665.56	645.72
कुल	9,26,440	9,49,796	1,238.87	1002.41	666.55	646.70
जीवन बीमा उत्पादों से संलग्न स्वास्थ्य राईडर्स						
नया व्यवसाय						
समूह व्यवसाय	1,307	159	3,095.23	4,158.39	95.93	143.01
वैयक्तिक व्यवसाय	5,91,372	7,61,479	591.23	537.09	58.39	88.62
कुल	5,92,679	7,61,638	3,686.46	4,695.48	154.32	231.63
नवीकरण व्यवसाय						
समूह व्यवसाय	591	1327	820.54	928.87	27.12	53.30
वैयक्तिक व्यवसाय	15,63,311	24,66,276	1,544.05	2,450.44	160.88	241.76
कुल	15,63,902	24,67,603	2,364.59	3,379.31	188.01	295.06

जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावे

I.6.5.11 वर्ष 2021-22 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में 41,389 दावों (कुल दावों की

संख्या का 81 प्रतिशत) के निपटान के लिए रु. 382 करोड़ का भुगतान किया है। राईडर दावों के संबंध में, पंजीकृत दावों के 97 प्रतिशत का भुगतान जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा 21,282 दावों के निपटान के प्रति रु. 99 करोड़ की राशि का किया गया।

सारणी I.43: जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (2021-22)

(राशि रु करोड़)

खंड	वर्ष की शुरुआत में ओ / एस दावे		वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए दावे		वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावे		अस्वीकृत/ खारिज दावे		वर्ष के अंत में ओ / एस दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
स्वास्थ्य बीमा उत्पाद	848	30.91	50,383	470.09	41,389	381.83	8,180	69.24	1,662	49.93
स्वास्थ्य बीमा राईडर्स	574	8.54	21,218	138.51	21,282	98.84	409	41.35	101	6.86

वैयक्तिक दुर्घटना बीमा

I.6.5.12 2021-22 के दौरान, बीमा उद्योग ने वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कुल 115.66 करोड़ जीवनों को कवर किया है। इसमें सरकार प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और ई-टिकट यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी यात्रा बीमा के अंतर्गत कवर किये गये 55.95 करोड़ जीवन शामिल हैं।

I.6.5.13 2021-22 के दौरान, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय से प्राप्त सकल प्रीमियम रु.6,914 करोड़ थी। जबकि निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने कुल प्रीमियम के लगभग 54 प्रतिशत का अंशदान किया है, सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम के क्रमशः लगभग 35 प्रतिशत और 11 प्रतिशत का अंशदान किया। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए आईसीआर वर्ष 2021-22 के लिए 60 प्रतिशत था।

सारणी 1.44: वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	कवर जीवन की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (रु करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
सार्वजनिक क्षेत्र	5,200.65	5,933.13	1,573.35	2,413.82	116.53	90.29
निजी क्षेत्र	4,783.92	5,381.25	2,931.79	3,722.47	42.40	44.62
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	177.24	251.40	594.63	777.91	22.23	24.37
कुल	10,161.80	11,565.77	5,099.77	6,914.20	61.66	60.03

नोट:

- डेटा में आईआरसीटीसी, पीएमएसबीवाई और पीएमजेडीवाई व्यवसाय के तहत कवर किए गए जीवन की संख्या शामिल है
- डेटा में विदेशों में किए गए पीए व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईआरसीटीसी योजना के तहत, रेल यात्रियों को केवल यात्री द्वारा की गई एक निर्दिष्ट यात्रा के लिए पी ए कवर की पेशकश की जाती है और एक व्यक्ति रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान कई यात्राएं कर सकता है। किसी भी पी ए पॉलिसी/योजना में शामिल जीवन के संबंध में, एक व्यक्ति को कई बार कवर किया जा सकता है

सारणी 1.45: सरकार द्वारा प्रायोजित वैयक्तिक दुर्घटना योजनाओं की व्याप्ति (2021-22)

योजना	कवर जीवन की संख्या (लाख)	सकल प्रीमियम (रु करोड़)
आईआरसीटीसी	1,694.81	6.56
पीएमजेडीवाई	1,703.19	3.59
पीएमएसबीवाई	2,197.08	262.15
कुल	5,595.08	272.30

यात्रा बीमा

1.6.5.14 2021-22 के दौरान, 7.75 लाख विदेश यात्रा बीमा पालिसियों के अंतर्गत 19.09 लाख जीवन कवर किये गये। 2021-22 के लिए विदेश यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल

प्रीमियम आय रु. 393 करोड़ थी। व्यवसाय की इस व्यवस्था में, निजी साधारण बीमाकर्ता प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनका बाजार अंश सकल प्रीमियम में लगभग 83 प्रतिशत है। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए आईसीआर 2021-22 के लिए 66 प्रतिशत था।

1.6.5.15 2021-22 के दौरान, देशी यात्रा बीमा व्यवसाय से संगृहीत सकल प्रीमियम रु.137 करोड़ था, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 0.59 लाख पालिसियों के अंतर्गत 31.54 करोड़ जीवनों को कवर किया है।

सारणी 1.46: विदेश यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	कवर जीवन की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (रु करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
सार्वजनिक	0.24	0.20	7.79	11.50	63.95	222.32
निजी क्षेत्र	7.27	16.85	176.81	325.22	69.36	65.53
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य क्षेत्र	0.75	2.04	25.83	56.14	45.96	27.38
कुल	8.27	19.09	210.44	392.86	66.35	65.59

नोट: डेटा में विदेशों में किए गए विदेशी यात्रा बीमा व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।

सारणी 1.47: घरेलू यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	कवर जीवन की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (रु करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
सार्वजनिक	0.02	0.00	7.20	0.0007	-	0.00
निजी क्षेत्र	2,037.66	3,067.10	75.49	105.43	-0.74	18.14
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य क्षेत्र	0.05	87.23	0.16	31.70	0.00	105.73
कुल	2,037.73	3,154.32	82.85	137.13	-0.74	34.23

भारत के बाहर जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

1.6.5.16 सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता अर्थात् न्यू इंडिया, नेशनल और ओरियन्टल विदेशों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, उन्होंने स्वास्थ्य, वैयक्तिक

दुर्घटना और यात्रा बीमा से रु. 230 करोड़ का सकल प्रीमियम प्राप्त किया तथा 8.44 लाख जीवनो को कवर किया। भारत के बाहर किये गये इस व्यवसाय के लिए आईसीआर 2021-22 के दौरान 91 प्रतिशत था।

I

सारणी I :48 भारत के बाहर स्वास्थ्य, पीए, और यात्रा बीमा व्यवसाय जोखिम-अंकित प्रीमियम

बीमाकर्ता	कवर जीवन की संख्या ('000)		सकल प्रीमियम (₹ करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
नेशनल	40.00	57.80	2.47	2.88	161.62	195.93
न्यू इंडिया	1,678.22	764.02	160.62	167.66	70.30	80.32
ओरिएंटल	13.31	22.35	3.76	59.77	97.93	117.85
कुल	1,731.53	844.17	166.85	230.31	71.71	90.94

1.6.6 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में किये जानेवाले व्यवसाय का विनिर्दिष्ट प्रतिशत

आईआरडीआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ने वार्षिक आधार पर बीमाकर्ताओं द्वारा पूरे किये जानेवाले ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

जीवन बीमाकर्ता

1.6.6.1 वर्ष 2021-22 के दौरान सभी 23 जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया है। मेसर्स सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के संबंध में इस दायित्व के लिए विचार नहीं किया गया है क्योंकि आईआरडीआई ने दिनांक 23 जून 2017 की आदेश द्वारा उन्हें नये व्यवसाय का जोखिम-अंकन न करने के लिए निदेश दिया गया था।

जीवन बीमाकर्ताओं ने 2021-22 में उनके द्वारा जोखिम-अंकित कुल 291.13 लाख पालिसियों में से ग्रामीण क्षेत्र में 64.97 लाख पालिसियों (अर्थात् निर्धारित 20 प्रतिशत की तुलना में 22.32 प्रतिशत) का जोखिम-अंकन किया। एलआईसी ने नई पालिसियों के 20.73 प्रतिशत का जोखिम-अंकन किया तथा निजी बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी नई वैयक्तिक पालिसियों के 26.98 प्रतिशत का जोखिम-अंकन किया।

जीवन बीमाकर्ताओं ने निर्धारित 5 प्रतिशत की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत 4.03 करोड़ जीवनो अर्थात् 19.38 प्रतिशत को समाविष्ट किया। एलआईसी ने 11.51 प्रतिशत प्राप्त किया तथा निजी क्षेत्र ने 22.05 प्रतिशत प्राप्त किया।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

1.6.6.2 2021-22 के दौरान, सभी 29 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने उक्त विनियमों में निर्धारित रूप में अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया है।

साधारण बीमाकर्ताओं ने 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्र में रु.28,282 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त कुल सकल प्रीमियम के क्रमशः 26.56 प्रतिशत और 73.44 प्रतिशत का जोखिम-अंकन किया।

पाँच स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य (एसएएचआई) बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में रु. 3258 करोड़ प्रीमियम प्राप्त किया जो वर्ष 2021-22 में उनके द्वारा प्राप्त सकल प्रीमियम का 15.61 प्रतिशत है तथा उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत 89.09 लाख जीवनो को अर्थात् पिछले वर्ष में कवर किये गये कुल जीवनो के 15.54 प्रतिशत को कवर किया है।

मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के दायित्व

1.6.6.3 आईआरडीआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ने वार्षिक

आधार पर मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं का न्यूनतम दायित्व निर्धारित किया है।

वर्ष 2021-22 में, 24 साधारण बीमाकर्ताओं में से, दो बीमाकर्ताओं ने मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में न्यूनतम दायित्व का अनुपालन नहीं किया है। यह विषय विनियामक परिप्रेक्ष्य से जाँच के अधीन है।

मोटर तृतीय पक्ष दायित्व की गणना के लिए डेटा आईआरडीएआई द्वारा प्रकाशित किया जाता है और वर्ष 2022-23 के लिए अनुबंध 3 में प्रदान किया गया है।

1.6.7 लेखा और बीमांकिक मानक

1.6.7.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अंतर्गत एवं साथ ही समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यावसायिक मर्दे प्रस्तुत करने के लिए अनुरक्षित की जाती हैं।

नियुक्त बीमांकक प्रणाली

1.6.7.2 नियुक्त बीमांकक प्रणाली को विनियमित करने के लिए प्राधिकरण ने आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000 जारी किये हैं जिनका अधिक्रमण समय-समय पर किये गये संशोधनों के साथ पठित आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 द्वारा किया गया।

1.6.7.3 नियुक्त बीमांकक कंपनी की शोधन-क्षमता को सुनिश्चित करते हुए और समय-समय पर दिये गये प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, तकनीकी प्रावधानों का परिकलन, बीमा संविदा वाक्यरचना, निवेश और पुनर्बीमा के क्षेत्रों में बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग को बीमांकिक परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है।

नियुक्त बीमांकक के लिए बीमाकर्ता के कब्जे में अथवा नियंत्रण में स्थित सूचना अथवा दस्तावेजों तक पहुँच होती है, यदि नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए ऐसी पहुँच आवश्यक हो।

1.6.8 प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेश, आदेश और विनियम

1.6.8.1 प्राधिकरण ने 2021-22 के दौरान कई निदेश, आदेश और परिपत्र जारी किये हैं, जिनकी सूची अनुबंध 4 में प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2022 तक अधिसूचित किये गये सभी विनियमों की सूची अनुबंध 5 में प्रस्तुत है।

1.6.9 प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ और कार्य

1.6.9.1 वर्ष 2021-22 में क्रमशः 09 फरवरी 2022 और 28 मार्च 2022 को आयोजित प्राधिकरण की 117वीं और 118वीं बैठक के दौरान प्राधिकरण ने निम्नलिखित विनियमों के अधीन अपनी कुछ शक्तियाँ प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्यों/अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यायोजित किये हैं:

- आईआरडीए (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015
- आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021
- आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015
- आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015

1.6.10 बीमा बाजार की कार्यप्रणाली से संबंध रखनेवाली अन्य नीतियाँ और कार्यक्रम

क. धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने का (एएमएल/सीएफटी) कार्यक्रम एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

1.6.10.1 धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा सशक्त किये जाने पर

उक्त एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश (दिशानिर्देश) बीमा क्षेत्र को सर्वप्रथम मार्च 2006 में जारी किये गये थे। तब से बीमा क्षेत्र भारत में प्रभावी एएमएल/सीएफटी व्यवस्था की दिशा में कार्य कर रहा है। उक्त दिशानिर्देश पीएमएलए के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग दायित्वों और अभिलेख रखने की अपेक्षाओं के महत्व पर बल देते हैं।

बीमाकर्ताओं ने लेखा-परीक्षा समिति के माध्यम से अपने बोर्ड के व्यापक पर्यवेक्षण के अंतर्गत विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के प्रति प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। बीमाकर्ता की आंतरिक लेखा-परीक्षा/ निरीक्षण विभागों के माध्यम से उक्त प्रणालियों की प्रभावात्मकता की नियमित समीक्षा विद्यमान है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी भी आईआरडीएआई द्वारा दोनों प्रत्यक्ष (आनसाइट) और परोक्ष (आफ़साइट) प्रक्रियाओं के द्वारा की जाती है।

1.6.10.2 साधारण बीमाकर्ताओं के लिए प्रयोज्य रूप में एएमएल/सीएफटी रूपरेखा की विभिन्न शर्तों/ अपेक्षाओं पर एक समेकित परिपत्र फरवरी 2013 में जारी किया गया। इस परिपत्र के माध्यम से बीमाकर्ताओं को प्रत्येक उत्पाद के प्रोफाइल के अपने जोखिम निर्धारण के आधार पर उक्त एएमएल/सीएफटी अपेक्षाएँ लागू करने के लिए सूचित किया गया है।

1.6.10.3 2013 में केन्द्र सरकार द्वारा पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के संशोधन के अनुसरण में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए 2010 में जारी किये गये एएमएल/सीएफटी संबंधी आईआरडीएआई मास्टर परिपत्र में उक्त संशोधनों के अनुरूप परिशोधन किया गया। परिशोधित मास्टर परिपत्र 28 सितंबर 2015 को जारी किया गया।

1.6.10.4 आईआरडीएआई भारत में एएमएल/सीएफटी व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विभिन्न एजेंसियों/ विभागों के साथ सक्रिय समन्वय में है तथा यह राजस्व विभाग द्वारा गठित एएमएल/सीएफटी संबंधी राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण (एनआरए) के लिए कार्य-दल का भाग है। आईआरडीएआई एफएटीएफ की सिफारिशों के कार्यान्वयन

के लिए आर्थिक कार्य विभाग (एफएटीएफ कक्ष) द्वारा गठित कोर कार्य-दल का भी भाग है।

इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई धन-शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी यूरेशियाई समूह (ईएजी), एक एफएटीएफ पद्धति का क्षेत्रीय निकाय, के साथ भी सक्रिय रूप से संबद्ध है।

राजस्व विभाग ने एक अंतर-मंत्रालयीन समन्वय समिति (आईएमसीसी) का और तदुपरांत संयुक्त कार्य-दल का गठन किया है जिसका आईआरडीएआई एक सदस्य है। उपर्युक्त समितियों/कार्य-दल का मुख्य उद्देश्य धन-शोधन निवारण अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी विधियों, विनियमों और दिशानिर्देशों के विषय में सरकार, विधि प्रवर्तन एजेंसियों, एफआईयू-आईएनडी और विनियमनकर्ताओं के बीच सहयोग करना/परामर्श करना/ विकास करना/तत्संबंधी अपेक्षाओं का कार्यान्वयन करना है। आईआरडीएआई संबंधित मंत्रालय को प्रयोज्य एफएटीएफ सिफारिशों के संदर्भ में बीमा क्षेत्र की तैयारी की सूचना दे रहा है।

केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री का परिचालन

1.6.10.5 ग्राहक द्वारा कोई वित्तीय उत्पाद/सेवा प्राप्त करने के प्रत्येक समय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवाईसी कार्रवाई करने की बहुलता से बचने के लिए ग्राहकों की केवाईसी संबंधी सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु माननीय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2012-13 में घोषणा की कि एक केन्द्रीय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निक्षेपागार (डिपोजिटरी) विकसित किया जाएगा जिससे केवाईसी डेटा की बहुलता से बचा जा सके।

पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के 2015 संशोधन के अनुसार, प्रत्येक रिपोर्टिंग संस्था ग्राहक आधारित संबंध स्थापित करने के 10 दिन के अंदर ग्राहक के केवाईसी अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के पास फाइल करेगी।

आईआरडीएआई ने परिपत्र दिनांक 12 जुलाई 2016 के अनुसार बीमाकर्ताओं को वैयक्तिक पालिसीधारकों के केवाईसी अभिलेख केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री को अपलोड करने के लिए सूचित किया। तदुपरांत, वर्तमान पीएमएल नियमों का अनुपालन करने के लिए, आईआरडीएआई ने परिपत्र दिनांक 22 जनवरी 2021 के द्वारा बीमाकर्ताओं को सूचित किया कि:

- i. विधिक संस्थाओं (एलई) के केवाईसी अभिलेख सीकेवाईसीआर को 01 अप्रैल 2021 को या उसके बाद अपलोड करें।
- ii. एक बार सीकेवाईसीआर द्वारा उत्पन्न/आबंटित किये जाने पर एक गोपनीय तरीके से संबंधित पालिसीधारक को केवाईसी अभिनिर्धारक(आईडेन्टीफायर) की सूचना दें।
- iii. वर्तमान केवाईसी अभिलेखों को आवधिक तौर पर अद्यतन करें।

ई-केवाईसी के लिए दिशानिर्देश

1.6.10.6 आईआरडीएआई ने 29 जनवरी 2019 को एक परिपत्र बीमाकर्ताओं को यह सूचित करते हुए जारी किया है कि वे केवाईसी के भाग के रूप में प्रस्तावक/पालिसीधारक से आधार और फार्म/60 की अनिवार्य रूप से माँग न करें। तथापि, बीमाकर्ता कुछ शर्तों के अधीन केवाईसी के प्रयोजन के लिए प्रस्तावक/पालिसीधारक की पहचान और/या पते को प्रमाणित करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार कर सकते हैं।

इस संबंध में, राजस्व विभाग/ वित्त मंत्रालय ने 13 फरवरी 2019 को "धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2019" अधिसूचित किये हैं। उसके बाद, विधि और न्याय मंत्रालय ने 24 जुलाई 2019 को "आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2019" अधिसूचित किया है जिसके द्वारा केवल बैंकिंग कंपनियों और टेलीकाम उद्योगों के द्वारा आधार का आनलाइन प्रमाणीकरण तथा आधार (वित्तीय

और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधायों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन बीमाकर्ताओं के लिए आफ़लाइन सत्यापन की अनुमति दी गई है। इस अधिनियम ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि बीमाकर्ताओं को आईआरडीएआई और यूआईडीएआई की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के अधीन आनलाइन अधिप्रमाणन करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

तदनुसार, पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11क के अंतर्गत यूआईडीएआई की आधार अधिप्रमाणन सेवा करने के लिए 23 अप्रैल 2020 को 29 बीमाकर्ताओं तथा 19 अगस्त 2020 को 24 बीमाकर्ताओं को अधिसूचित किया गया।

1.6.10.7 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों का उन्नयन करने के द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आईआरडीएआई ने "वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया" पर परिपत्र दिनांक 18 सितंबर 2020 जारी किया।

ख. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

1.6.10.8 वर्ष 2021-22 के दौरान प्राधिकरण ने आईआरडीएआई, हैदराबाद के अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अनुसार अपने दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में स्थित अधिकारियों को केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार सौंपे गये कार्यों का निर्वहण करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारी को भी पदनामित किया गया।

1.6.10.9 वर्ष के दौरान, कर्तव्यों और दायित्वों के प्रभावी निर्वहण के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा अपील प्राधिकारी के लिए दो प्रशिक्षण/परस्पर विचार-विमर्श (इंटरएक्टिव) सत्र आयोजित किये गये।

1.6.10.10 इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के अनुसरण में जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) की एक समिति आरटीआई आवेदकों के द्वारा प्रायः माँगी जानेवाली सूचना की श्रेणियों की पहचान करने और उनकी आवधिक तौर पर समीक्षा करने के लिए एवं सार्वजनिक पहुँच (पब्लिक डोमेन) में ऐसी सूचना प्रकट करने के लिए गठित की गई।

ग. सरकार प्रायोजित सामाजिक रूप से उन्मुख बीमा योजनाएँ

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

1.6.10.11 प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) भारत सरकार द्वारा अभिकल्पित एक वर्ष की सामूहिक सावधि जीवन बीमा योजना है। यह 18 से 50 वर्ष के आयु-समूह के लोगों के लिए उपलब्ध है जो बैंक खाता रखते हैं तथा योजना में सम्मिलित होने/ आटो-डेबिट करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। रु.2 लाख का जीवन कवर एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जो 01 जून से 31 मई तक व्याप्त होगा तथा यह उसके बाद स्वतः नवीकरण-योग्य होगा। पालिसी वर्ष 2021-22 के लिए प्रीमियम रु. ३३० प्रति वर्ष था। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और १३ अन्य जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जा रही है।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

1.6.10.12 यह योजना 18 से 70 वर्ष तक के आयु समूह के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो बैंक खाता रखते हैं और एक वार्षिक नवीकरण आधार पर 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए 31 मई को या उससे पहले योजना में सम्मिलित होने/ आटो डेबिट करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। इस योजना के अंतर्गत जोखिम कवरेज दुर्घटनावश मृत्यु और पूर्ण निर्योग्यता (डिजेबिलिटी) के लिए रु.2 लाख और आंशिक निर्योग्यता के लिए रु. 1 लाख है। पालिसी वर्ष 2021-22 के लिए प्रीमियम रु. 12 प्रति वर्ष था। उक्त योजना साधारण बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित की जाती है जिनकी तालमेल व्यवस्था इस प्रयोजन के लिए बैंकों के साथ है।

प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनःसंरचित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

1.6.10.13 प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनःसंरचित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) बुआई-पूर्व स्तर से फ़सल-कटाई के बाद के स्तर तक सभी अनिवारणीय प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध किसानों की फ़सलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने हेतु वहन करने योग्य फ़सल बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के द्वारा कृषि में उत्पादन को समर्थन देने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थीं। आरडब्ल्यूबीसीआईएस मानी गई फ़सल हानियों के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति करने हेतु फ़सल उपजों के लिए "परोक्षी" (प्राक्सी) के रूप में मौसम के पैरामीटरों का उपयोग करती है। इन योजनाओं का प्रबंध कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

फ़सल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसी आईएस को फरवरी 2020 में नवीनीकृत (रीवैम्प) किया गया है। पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसी आईएस की नवीनीकृत योजना खरीफ़ 2020 मौसम से प्रभावी है।

प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)

1.6.10.14 अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वयोवृद्धों को उनकी ब्याज आय में भावी गिरावट से संरक्षण देने एवं वृद्धावस्था के दौरान उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए भी भारत सरकार ने प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) कहलानेवाली आश्वासित पेंशन की एक सरलीकृत योजना 2017 में प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत शर्तों के अनुसार, एक वर्ष के दौरान बेची जानेवाली पालिसियों के लिए पेंशन की गारंटीकृत दरें प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत पेंशन की आशोधित दर के साथ पीएमवीवीवाई मई 2020 में प्रारंभ की तथा इस योजना के विक्रय की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 31 मार्च 2023 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना ने 31 मार्च 2022 तक खरीदी गई पालिसियों के लिए 10 वर्ष की पालिसी अवधि हेतु मासिक तौर पर देय 7.40 प्रतिशत प्रति वर्ष का आश्वासित पेंशन उपलब्ध कराया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

I.6.10.15 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। यह प्रत्येक घर-परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुँच, बीमा और पेंशन के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सर्वव्यापी (यूनिवर्सल) पहुँच की परिकल्पना करता है। बाद में, सरकार ने दुर्घटना बीमा कवर में आशोधन के साथ व्यापक पीएमजेडीवाई कार्यक्रम का विस्तार किया जिसमें 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गये नये पीएमजेडीवाई खातों में दुर्घटना बीमा कवर नये रुपये कार्डधारकों के लिए रु. 1 लाख से बढ़ाकर रु. 2 लाख कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)

I.6.10.16 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक अग्रणी (फ्लैगशिप) योजना है जो 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना निर्धन और अरक्षित घर-परिवारों को द्वितीय और तृतीय देखभाल की अस्पताल में भर्ती के लिए रु. 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर देती है। इस योजना का निधीयन पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता है तथा कार्यान्वयन का व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है।

बीमा क्षेत्र का विहंगम दृश्य

राशि ₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	2019-20			2020-21			2021-22		
		जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
1	बीमा कंपनियों की संख्या	24	33	57	24	32	56	24	31	55
2	कार्यालयों की संख्या	11,310	11,394	22,704	11,060	11,248	22,308	11,060	10,775	21,835
3	बीमा व्यापन (%)	2.82	0.94	3.76	3.2	1.0	4.2	3.2	1.0	4.2
4	बीमा सघनता (\$)	58	19	78	59	19	78	69	22	91
5	जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या (लाख में)	288.47	2415.09	2,703.56	281.27	2467.33	2,748.60	291.13	2,656.70	2,947.83
6	कुल प्रीमियम	5,72,910.19	1,92,192.59	7,65,102.78	6,28,731.04	2,02,082.30	8,30,813.34	6,92,614.14	2,24,002.82	9,16,616.96
	i. भारत के अंदर	5,72,531.93	1,88,916.62	7,61,448.55	6,28,330.70	1,98,714.72	8,27,045.42	6,92,194.44	2,20,700.21	9,12,894.65
	ii. भारत के बाहर	378.26	3,275.97	3,654.23	400.34	3,367.58	3,767.92	419.70	3,302.61	3,722.31
7	प्रीमियम में वृद्धि (%)	12.75	11.43	12.41	9.74	5.15	8.59	10.16	10.85	10.33
8	पीएसयू का प्रीमियम	3,79,389.60	7653905	4,55,928.65	4,03,286.55	75,211.29	4,78,497.84	4,28,024.97	78,335.45	5,06,360.42
9	पीएसयू का बाजार अंश (%)	66.22	39.82	59.59	64.14	37.22	57.59	61.80	34.97	55.24
10	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां	38,90,274.09	3,62,655.67	42,52,929.76	44,79,973.46	4,33,301.36	49,13,274.82	49,52,187.17	4,84,540.21	54,36,727.39
11	प्रदत्त पूंजी	28,087.96	21,360.73	49,448.69	28,346.37	32,842.24	61,188.61	35,546.75	37,855.09	73,401.83
12	अन्य प्रकार की पूंजी	230.00	4,875.00	5,105.00	2,210.00	4,875.00	7,085.00	4,194.00	5,151.00	9,345.00
13	कमीशन व्यय	31,192.52	13,893.13	45,085.65	32,994.08	15,409.50	48,403.58	35,887.31	16,931.10	52,818.41
14	परिचालन व्यय	60,121.00	35,844.93	95,965.93	61,422.29	38,281.44	99,703.73	71,435.02	41,455.29	1,12,890.31
15	दावे	3,51,466.70	1,08,390.26	4,59,856.49	3,98,772.47	1,11,549.83	5,10,322.30	5,02,096.92	1,40,565.96	6,42,662.88
16	निवेशों से आय	2,33,743.74	28,605.52	2,62,349.26	4,66,030.35	29,743.55	4,95,773.90	4,16,711.62	32,546.49	4,49,258.11
17	कर अदायगी के बाद लाभ	7,728.30	-1,494.38	6,233.92	8,660.63	3,852.53	12,513.16	7,751.49	-2,856.93	4,894.56
18	प्रदत्त लाभ/श	3,890.03	1,306.21	4,949.04	615.35	1,001.06	1,616.41	381.53	1,010.05	1,391.58

टिप्पणी:

1. गैर-जीवन में स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्तियों का डेटा शामिल है।
2. जीवन बीमाकर्तियों के लिए दावा भुगतान किए गए लाभ को इंगित करता है और गैर-जीवन बीमाकर्तियों के लिए दावे निवल उपात दावों को दर्शाते हैं।
3. एएसएम में एक-आरबी सहित पुनर्बीमाकर्तियों का एएसएम शामिल है।
4. पीएसयूसएस एलआईसी और 4 सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्तियों को निर्दिष्ट करता है।

II

कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

भाग II: कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के प्रयोजन के लिए विनियामक शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। वर्ष 2021-22 में आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन पांच विनियम बनाए गए। वे हैं:-

- आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021
- आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021
- आईआरडीएआई (समामेलन पर शेरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण का तरीका) विनियम, 2021
- आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तैयार करना और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) (पहला संशोधन) विनियम, 2021
- आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों) (संशोधन) विनियम, 2021

उपर्युक्त विनियमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

II.1.1 आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021

मौजूदा सैंडबॉक्स प्रस्तावों के प्रयोग को पूरा करने में सक्षम बनाने और प्रयोग के लिए नए सैंडबॉक्स प्रस्तावों को अनुमति देने के लिए, आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2019 की वैधता को आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 के द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल 2021 के अनुसार आगे दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

II.1.2 आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021

प्राधिकरण ने 09 अप्रैल, 2021 को आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 यह सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचित किये हैं कि, बीमा के विज्ञापन प्रासंगिक,

निष्पक्ष और सरल भाषा में हों, जिससे ग्राहक प्रामाणिक निर्णय लेने हेतु समर्थ हो सकें। विनियमों का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी बीमाकर्ता, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती विज्ञापन जारी करते समय निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी प्रथाओं को अपनाएँ और उन प्रथाओं से बचें जो जनता के विश्वास को क्षति पहुँचाती हैं।

II.1.3 आईआरडीएआई (समामेलन पर शेरधारकों अथवा सदस्यों को मुआवजे के निर्धारण का तरीका) विनियम, 2021

उक्त विनियम, शेरधारकों अथवा हस्तांतरणकर्ता बीमाकर्ता के सदस्यों को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते हैं। यह शेरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण, परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना के लिए कार्यपद्धति की भी व्यवस्था करता है। दो या दो से अधिक बीमाकर्ताओं के सामेलन के मामले में, अंतरणकर्ता बीमाकर्ता के शेरधारकों के हितों/अधिकारों की रक्षा के लिए, प्राधिकरण ने उक्त विनियमों को अधिसूचित किया है।

II.1.4 आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तैयार करना और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021

संशोधित विनियम उस पद्धति की व्यवस्था करते हैं, जिसमें साधारण बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा प्रीमियम और अनर्जित आरक्षित प्रीमियम को स्वीकार किया जाना चाहिए। उक्त विनियम वित्तीय विवरणों में, प्रीमियम, अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम और अनाबंटित प्रीमियम के आधार और प्रकटीकरण की भी व्यवस्था करते हैं।

उक्त संशोधन, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व के आधार और प्रकटीकरण के संबंध में भी स्पष्टता लाते हैं।

उक्त विनियम 05 मई, 2021 को अधिसूचित किए गए और 01 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त हुए।

II.1.5 आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों) (संशोधन) विनियम, 2021

भारत सरकार ने 2021 के केंद्रीय बजट में वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया था। भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 में भी बीमा में एफडीआई सीमा में वृद्धि को देखते हुए संशोधन किया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के अनुरूप, निम्नलिखित चार विनियमों को संशोधित करने की आवश्यकता थी:

- आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000;
- आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण) विनियम, 2015;
- आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी का निर्गम) विनियम, 2015; तथा
- आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य बीमा व्यवसाय करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी का निर्गम) विनियम, 2015।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 07 जुलाई, 2021 को आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियाँ) (संशोधन) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया था, जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त चार विनियमों में संशोधन किया गया था।

कुछ अतिरिक्त आवश्यक शर्तों को उक्त विनियमों में प्रारंभ किया गया है, जिनमें निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के

लिए निवासी भारतीय नागरिकता की आवश्यकता को प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा, संशोधित विनियम यह व्यवस्था करते हैं कि सभी बीमाकर्ता उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और प्राधिकरण को इसकी पुष्टि प्रस्तुत करेंगे।

II.2 बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध बीमा एजेंट और मध्यवर्ती

II.2.1 बीमा एजेंट

बीमा कंपनियां बीमा व्यवसाय की अपेक्षा या प्राप्ति के लिए बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के अनुसार वैयक्तिक एजेंटों की नियुक्ति करती हैं। बीमा एजेंट बीमा पॉलिसियों को जारी रखने, उनके नवीकरण या पुनःप्रवर्तन से संबंधित सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। बीमा एजेंट एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता और एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता और प्रत्येक विशेषीकृत बीमाकर्ताओं में से एक के लिए सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट

II.2.1.1 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 0.51 प्रतिशत की सीमांत गिरावट देखी गई (सारणी II.1)। जबकि निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, एलआईसी ने 2.02 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

जीवन बीमा उद्योग के कुल 24.43 लाख वैयक्तिक एजेंटों में से 71 प्रतिशत पुरुष और 29 प्रतिशत महिलाएं हैं।

तालिका II.1: जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट

बीमाकर्ता	31 मार्च, 2021 को स्थिति	वर्ष 2021-22 के दौरान नियुक्ति	वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्ति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
एलआईसी	13,53,808	3,61,615	3,88,991	13,26,432
निजी क्षेत्र	11,01,269	3,22,078	3,07,170	11,16,177
कुल	24,55,077	6,83,693	6,96,161	24,42,609

तालिका II.2: जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों का लिंग-वार वितरण (2021-22)

बीमाकर्ता	पुरुष	महिला	कुल
एलआईसी	9,90,922 (74.71)	3,35,510 (25.29)	13,26,432 (100.00)
निजी क्षेत्र	7,52,258 (67.40)	3,63,919 (32.60)	11,16,177 (100.00)
कुल	17,43,180 (71.37)	6,99,429 (28.63)	24,42,609 (100.00)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट

II.2.1.2 साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ संबद्ध एजेंटों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 5.56 प्रतिशत और 24.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के साथ कोई एजेंट संबद्ध नहीं हैं।

साधारण बीमाकर्ताओं के कुल 6.88 लाख एजेंटों में से, 77 प्रतिशत पुरुष और 23 प्रतिशत महिलाएँ हैं। स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कुल 9.64 वैयक्तिक एजेंटों में से 72 प्रतिशत पुरुष हैं और 28 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

तालिका II.3: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट

बीमाकर्ता	31 मार्च, 2021 को स्थिति	वर्ष 2021-22 के दौरान नियुक्ति	वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्ति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता	2,89,350	14,072	3,536	2,99,886
निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता	3,62,224*	41,555	15,889	3,87,890
साधारण बीमाकर्ता	6,51,574	55,627	19,425	6,87,776
स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	7,71,906	2,08,558	16,871	9,63,593

*-बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संशोधित आंकड़ों के अनुसार

तालिका II.4: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों का लिंग-वार वितरण (2021-22)

बीमा कर्ता	पुरुष	महिला	कुल
सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता	2,41,427 (80.51)	58,459 (19.49)	2,99,886 (100.00)
निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता	2,90,213 (74.82)	97,677 (25.18)	3,87,890 (100.00)
कुल साधारण बीमाकर्ता	5,31,640 (77.30)	1,56,136 (22.70)	6,87,776 (100.00)
स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	6,94,511 (72.08)	2,69,082 (27.92)	9,63,593 (100.00)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

II.2.2 कॉर्पोरेट एजेंट

कॉर्पोरेट एजेंट वे संस्थाएँ हैं जिनके पास आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र हो, जो जीवन, साधारण या स्वास्थ्य की किसी भी विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) अथवा सर्विसिंग के लिए है। कॉर्पोरेट एजेंट तीन जीवन बीमाकर्ताओं, तीन गैर-

जीवन बीमाकर्ताओं और तीन स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, 602 सक्रिय कॉर्पोरेट एजेंट हैं, जिन्हें प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है। 602 कॉर्पोरेट एजेंटों में से, 253 बैंक और 349 एनबीएफसी / सहकारी समितियाँ / सीमित देयता भागीदारी फर्म और अन्य पात्र फर्म हैं।

तालिका II.5: बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध कारपोरेट एजेंट (31 मार्च, 2022 तक)

श्रेणी	बैंक	एनबीएफसीएस एवं अन्य	कुल
लाईफ	15	23	38
साधारण	12	34	46
स्वास्थ्य	0	0	0
मिश्रित	226	292	518
कुल	253	349	602

II.2.3 बीमा दलाल

II.2.3.1 पंजीकृत दलालों की कुल संख्या 708 में से, वैध दलाल 562 थे और शेष 146 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार प्रचलन में नहीं थे। उक्त 562 वैध दलालों में 494 प्रत्यक्ष दलाल, 63 सम्मिश्र दलाल शामिल हैं और पांच पुनर्बीमा दलाल हैं। बीमा दलालों के राज्यवार पंजीकृत कार्यालय सारणी II.6 में दिए गए हैं।

II.2.3.2 दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान, कुल 76 नए पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सीओआर) जारी किए गए थे, जिनमें से 74 प्रत्यक्ष बीमा दलाल हैं, एक सम्मिश्र बीमा दलाल है और एक पुनर्बीमा दलाल है। इस अवधि के दौरान, 166 बीमा दलाल पंजीकरणों का नवीकरण किया गया।

II.2.4 सूक्ष्म बीमा एजेंट

II.2.4.1 प्राधिकरण ने सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 की समीक्षा की और आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 को

अधिसूचित किया, जिसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एनबीएफसी-एमएफआई, जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी), प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसी) और अन्य सहकारी समितियों जैसी कई अधिक संस्थाओं को सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अनुमति दी गई जिससे सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के बेहतर व्यापन में सुविधा हो। उक्त विनियमों में अतिरिक्त पॉलिसी-धारक सुरक्षा उपाय भी शामिल किये गये।

जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा

II.2.4.2 भारत में अट्टारह जीवन बीमाकर्ता सूक्ष्म बीमा उत्पादों का प्रस्ताव कर रहे हैं। 38 सूक्ष्म बीमा उत्पाद हैं जिनमें से 14 वैयक्तिक उत्पाद हैं और शेष 24 सामूहिक उत्पाद हैं (अनुलग्नक 6)।

तालिका II.6: जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का कार्यनिष्पादन (2021-22)

बीमाकर्ता	वैयक्तिक नया व्यवसाय		सामूहिक नया व्यवसाय		
	पॉलिसियाँ (रू.लाख में)	प्रीमियम (रू. करोड़ में)	योजनाएँ	प्रीमियम (रू.करोड़ में)	लाइव्स कवर्ड (रू.लाख में)
एलआईसी	7.32	257.92	1,574	67.36	54.97
निजी क्षेत्र	1.45	39.22	218	5,981.52	1,265.76
कुल	8.77	297.14	1,792	6,048.88	1,320.73

नोट: नए व्यापार प्रीमियम में प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।

II.2.4.3 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 99,961 थी, जिनमें से 80 प्रतिशत एजेंट निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित थे। कुल सूक्ष्म

बीमा एजेंटों में से, एनजीओ, एसएचजी, एमएफआई और व्यवसाय प्रतिनिधि छह प्रतिशत हैं और शेष 94 प्रतिशत अन्य सूक्ष्म बीमा एजेंट हैं जिनमें मुख्य रूप से सीएससी शामिल हैं।

तालिका II.7: जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट

एजेंट	एलआईसी	निजी क्षेत्र	कुल
गैर सरकारी संगठन	5,094 (25.75)	82 (0.10)	5,176(5.18)
एस एच जीएस	274 (1.39)	15 (0.02)	289(0.29)
एम एफ आई एस	228 (1.15)	38 (0.05)	266(0.27)
व्यवसायिक संवाददाता (बीसीएस)	103 (0.52)	50 (0.06)	153(0.15)
अन्य एमआई एजेन्ट्स	14,081 (71.19)	79,996 (99.77)	94,077(94.11)
कुल	19,780 (100.00)	80,181 (100.00)	99,961(100.00)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं

साधारण और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा

II.2.4.4 साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद स्वास्थ्य बीमा, सामान के लिए कवर, जैसे, झोपड़ी, पशुधन या उपकरण या साधन, व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर वैयक्तिक दुर्घटना को कवर करते हैं। पंजीकृत साधारण बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले सूक्ष्म बीमा उत्पाद के प्रकार मवेशी सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, किसान कृषि पंपसेट सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, जनता वैयक्तिक दुर्घटना सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, रेशमकीट सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, भेड़ और बकरी सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, संपूर्ण गृह सुरक्षा पालिसी आदि हैं। ये उत्पाद आबादी के निम्न आय वर्ग पर लक्षित हैं। प्राधिकरण ने गैर-ऋणी किसानों को कवर करने वाली प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को आईआरडीआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 के अन्तर्गत सूक्ष्म बीमा एजेंटों द्वारा अपेक्षा (सलिसिटेशन) और विपणन करने की अनुमति दी है।

इसके अलावा, साधारण बीमा व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में वर्गीकृत रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जारी की गई साधारण बीमा पॉलिसियाँ भी प्रति एमएसएम उद्यम प्रति वर्ष ₹10,000 प्रीमियम तक साधारण सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के रूप में अर्हता-प्राप्त होंगी।

II.2.4.5 वर्ष 2021-22 में सूक्ष्म बीमा एजेंटों द्वारा जारी साधारण बीमा पॉलिसियों का विवरण इस प्रकार है:

जारी की गई पॉलिसियों की संख्या		
निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल
1,11,995	28,701	1,40,696

टिप्पणी: स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी सूक्ष्म बीमा पॉलिसियाँ शामिल नहीं हैं

II.2.5 बीमा विपणन फर्म

II.2.5.1 बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) आईआरडीआई द्वारा विनियमित एक वितरण चैनल है जो बीमा उत्पादों की अपेक्षा और प्रापण करने, सेबी, आरबीआई, डाकघर, एनपीएस आदि द्वारा विनियमित अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरण उनका विपणन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को नियोजित करने के द्वारा करता है। आईएमएफ आईआरडीआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत हैं। पंजीकरण जिला-वार है, और आईएमएफ को एक राज्य के भीतर अधिकतम तीन जिलों को चुनने की अनुमति है। आईएमएफ खुली संरचना (ओपन आर्किटेक्चर) की अवधारणा का पालन करते हैं, जिसमें उन्हें दो बीमा कंपनियों के साथ व्यापार की विभिन्न व्यवस्थाओं, अर्थात् जीवन बीमा, साधारण बीमा और खुदरा क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा में व्यवहार करने की अनुमति है। इसके अलावा, आईएमएफ को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसी) और ईसीजीसी लिमिटेड के साथ तालमेल की व्यवस्था (टार्ड-अप) करने की भी अनुमति है। आईएमएफ को सभी प्रकार के जीवन बीमा उत्पादों का प्रापण (प्रोक्यूर) करने की अनुमति है, जबकि साधारण बीमा के संबंध में केवल बीमा उत्पादों की खुदरा व्यवस्थाओं की ही अनुमति है।

II.2.5.2 वर्ष 2021-22 में आईएमएफ के लिए तीन परस्पर सक्रियता वाले (इंटरैक्टिव) सत्र आयोजित किए गए, जिनमें से जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए एक-एक सत्र आयोजित किया गया। आईएमएफ को विभिन्न प्रकार के खुदरा उत्पादों जो उनके द्वारा अपेक्षित किये जा सकते हैं (मानक उत्पादों सहित) तथा लागू की जानेवाली बिक्री रणनीतियों से अवगत कराया गया। आईएमएफ कैरियर की खोज करने वालों के लिए एक कैरियर मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। उन्हें ऑनलाइन प्रीमियम वसूल करने की अनुमति है। वे समावेशी वृद्धि को बल प्रदान करते हैं।

II.2.5.3 वर्ष 2021-22 के दौरान आईएमएफ चैनल का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों (एनओसी) की संख्या	352
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए कुल एनओसी	2451
प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र	106
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कुल पंजीकरण	524
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बीमा की अपेक्षा करने के लिए अर्हता-प्राप्त प्रधान अधिकारी (पीओ) और बीमा विक्रेता (आईएसपी)	871 & 1293

वर्ष के दौरान जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आईएमएफ पंजीकरण की अधिकतम संख्या देखी: महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश

वर्ष 2021-22 के दौरान आईएमएफ चैनल द्वारा उत्पन्न पालिसियाँ और प्रीमियम:

बीमाकर्ता	पालिसियोंकी संख्या	प्रीमियम(रु. करोड़ में)
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता (23)	64,592	81.69
जीवन बीमाकर्ता (8)	27,767	207.27
कुल (31)	92,359	288.96

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आईएमएफ के साथ व्यवसाय का स्थानन करने वाले बीमाकर्ताओं की संख्या हैं।

II.2.5.4 नीति आयोग ने जनवरी 2018 में देश के कुछ सबसे अल्पविकसित जिलों को त्वरित और प्रभावी रूप से बदलने के उद्देश्य से 'आकांक्षी जिलों का परिवर्तन' कार्यक्रम शुरू किया। जिलों के परिवर्तन को मापने के लिए वित्तीय समावेशन 49 प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों में से एक है। इस दृष्टि के साथ संरेखण में, आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019 को 24 जुलाई, 2019

को अधिसूचित किया गया था। उक्त संशोधन ने संभावित आवेदकों को निवल मालियत (नेट वर्थ) की आवश्यकता को कम करके आकांक्षी जिलों को उनके परिचालन के क्षेत्र के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसके परिणामस्वरूप, आकांक्षी जिलों में आईएमएफ की उपस्थिति में एक क्रमिक वृद्धि देखी गई है और 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 22 आईएमएफ की आकांक्षी जिलों में उपस्थिति है।

II.2.6 सामान्य लोक सेवा केंद्र-एसपीवी

II.2.6.1 सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं और ये मेसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। प्राधिकरण ने 05 अक्टूबर, 2015 को आईआरडीएआई (साधारण सेवा केंद्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम 2015 अधिसूचित किये हैं, जिनका अधिक्रमण 30 जुलाई 2019 को अधिसूचित आईआरडीएआई (सामान्य लोक सेवा केंद्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2019 द्वारा किया गया है।

II.2.6.2 वर्ष 2021-22 के दौरान सीपीएससी-एसपीवी चैनल का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और परीक्षा उत्तीर्ण की तथा जिन्हें वर्ष 2021-22 में प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं	10,168
आरएपी की संख्या प्रारम्भ से	90,139
ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई)-इन्स की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, परीक्षा उत्तीर्ण की और जिन्हें वर्ष 2021-22 में प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।	1,96,138
कुल प्राप्त नया व्यवसाय प्रीमियम	₹314 करोड़
कुल संगृहीत नवीकरण प्रीमियम (जीवन)	₹1460 करोड़

II.2.7 वेब संग्राहक

II.2.7.1 आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 13 अप्रैल, 2017 को बीमा वेब संग्राहकों के पर्यवेक्षण और निगरानी के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। बीमा वेब संग्राहकों को ऑनलाइन और दूरस्थ विपणन पद्धति के माध्यम से जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई है।

II.2.7.2 वर्ष 2021-22 के दौरान वेब संग्राहक माध्यम का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2022 को प्रमाणित बीमा वेब संग्राहकों की संख्या	25
सक्रिय बीमा वेब	15
आगंतुकों की कुल संख्या	5,79,250
जारी की गई पॉलिसियों की कुल संख्या	83,596
कुल प्राप्त किया गया प्रीमियम	₹75 करोड़

II.2.8 बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएसपी)

II.2.8.1 देश में बीमा व्यवसाय की वृद्धि को सुसाध्य बनाने और बीमा व्यापन और बीमा सघनता को बढ़ाने के लिए, प्राधिकरण ने अपने विकासात्मक एजेंडे के हिस्से के रूप में "बिक्री केंद्र विक्रेताओं" के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।

बिक्री केन्द्र विक्रेता या पीओएसपी का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम योग्यताएँ हैं, जिसने पीओएसपी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा केवल प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट उत्पादों की ही अपेक्षा और विपणन करता है।

प्राधिकरण ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) द्वारा डाक विभाग के पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों की पीओएसपी के रूप में नियुक्ति के लिए विनियामक ढांचे के संबंध में 04 दिसंबर, 2019 को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

II.2.8.2 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार पीओएसपी की संख्या 14,48,150 है। 31 मार्च, 2022 को यथाविद्यमान विस्तृत पीओएसपी आंकड़े इस प्रकार हैं:

प्रायोजक एजेंसी	प्रायोजक एजेंसियों की सं.की	पीओएसपी संख्या
बीमाकर्ता	45	5,99,392
बीम दलाल	179	6,59,505
कॉरपोरेट एजेंट	50	1,89,253
कुल	274	14,48,150

II.2.9 मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी)

II.2.9.1 प्राधिकरण ने मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देश संदर्भ संख्या आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/एमआईएसपी/202/08/2017 दिनांक 31 अगस्त, 2017 उद्योग के हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य मोटर बीमा पॉलिसियों के वितरण और सर्विसिंग में मोटर वाहन व्यापारी की भूमिका को पहचानना था ताकि बीमा से जुड़ी उनकी गतिविधियों पर विनियामक पर्यवेक्षण किया जा सके। ये दिशानिर्देश 01 नवंबर, 2017 को लागू होने थे। इस बीच, प्राधिकरण को स्पष्टीकरणों, समय विस्तार आदि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए। प्राधिकरण ने अपने 01 नवंबर, 2017 के परिपत्र द्वारा, उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया।

II.2.9.2 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत एमआईएसपी की संख्या 22,870 है। 31 मार्च, 2022 को यथाविद्यमान विस्तृत एमआईएसपी आंकड़े इस प्रकार हैं:

प्रायोजक एजेंसी	प्रायोजक एजेंसियों की सं.	एमआईएसपी की संख्या
बीमा कर्ता	20	8,357
बीमा दलाल	22	14,109
कॉरपोरेट एजेंट	6	404
कुल	48	22,870

II.2.10 बीमा भंडार

II.2.10.1 बीमा रिपोजिटरी प्रणाली बीमा पॉलिसियों को अभौतिक बनाने के लिए प्राधिकरण की एक पहल है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्राधिकरण ने अप्रैल, 2011 में बीमा रिपोजिटरी और बीमा पॉलिसियों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। इसके पश्चात प्राधिकरण ने मई, 2015 में "बीमा रिपोजिटरी और बीमा पॉलिसियों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करने पर संशोधित दिशानिर्देश" जारी किए।

वर्तमान में, अप्रैल 2011 से कुल 98.14 लाख ईआईए बनाए गए हैं और कुल 111.66 लाख पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में परिवर्तित किया गया है।

98.14 लाख ईआईए

111.66 लाख पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड

II.2.10.2 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चार बीमा रिपोजिटरी हैं जो निम्नलिखित हैं:

- एनएसडीएल नेशनल इश्योरेंस रिपोजिटरी
- सीडीएसएल इश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड
- सीएएमएस रिपोजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड
- कार्वी इश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड

II.2.11 बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफॉर्म (आईएसएनपी)

II.2.11.1 ई-कॉमर्स के माध्यम से बीमा व्यापन को बढ़ाने के प्रयास में, प्राधिकरण ने 09 मार्च 2017 को बीमा ई-कॉमर्स के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में, एक नया प्लेटफॉर्म अर्थात् इश्योरेंस स्व-नेटवर्क प्लेटफॉर्म (आईएसएनपी) प्रारंभ किया गया है। यह प्राधिकरण की अनुमति से किसी भी आवेदक द्वारा स्थापित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।

II.2.11.2 प्राधिकरण ने ऑनलाइन आवेदन फाइल करने के लिए 11 अप्रैल 2017 को आईएसएनपी ऑनलाइन पोर्टल (isnp.irda.gov.in) प्रारंभ किया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से प्राप्त आईएसएनपी आवेदन की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	संख्या
बीमा कर्ता	53
दलाल	189
वेव-संग्राहक	19
कॉरपोरेट एजेंट	66
कुल	327

II.2.12 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

II.2.12.1 साधारण बीमा पॉलिसियों से संबंधित दावों के मूल्यांकन और निपटान की प्रक्रिया में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (एसएलए) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में एक सर्वेक्षक या हानि निर्धारक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके पास आईआरडीएआई द्वारा जारी वैध एसएलए

लाइसेंस न हो। ऐसी किसी हानि के संबंध में कोई भी दावा जो भारत में घटित हुई हो और किसी बीमाकर्ता के संबंध में उत्पन्न हो गई हो अथवा उसको सूचित की गई हो, जिसके लिए बीमा की किसी पालिसी पर मूल्य में प्राधिकरण द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट राशि के समान अथवा उससे अधिक राशि का भारत में भुगतान अथवा निपटान किया जाना अपेक्षित हो तब तक बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा और उसका निपटान नहीं किया जाएगा जब तक सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस धारण करनेवाले किसी व्यक्ति से घटित हानि के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती।

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) की सदस्यता एक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए सांविधिक अपेक्षाएँ हैं। समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में उन आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था है, जो आईआईआईएसएलए से सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

तालिका II.8: सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस

एसएलए के प्रकार	2020-21	2021-22
नए लाइसेंस		
वैयक्तिक	436	514
कॉरपोरेट	9	13
कुल	445	527
नवीनीकरण		
वैयक्तिक	2,563	2,824
कॉरपोरेट	45	47
कुल	2,608	2,871
प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन	1,293	1,384

II.2.13 अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)

II.2.13.1 31 मार्च 2022 तक आईआरडीएआई के पास 21 टीपीए पंजीकृत थे, जबकि 31 मार्च, 2021 को 23 टीपीए थे। वर्ष 2021-22 के दौरान, प्राधिकरण को टीपीए के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कोई नया आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

- i. मेसर्स ग्रैंड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 29 को आदेश संदर्भ: आईआरडीएआई/एचएलटी/एमआईएससी/ओआरडी/171/06/2021 दिनांक 25 जून 2021 के द्वारा निरस्त किया गया है।
- ii. मेसर्स अलंकित इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 21 के नवीकरण के लिए आवेदन को आदेश संदर्भ: आईआरडीएआई / एचएलटी / एमआईएससी / ओआरडी / 175/06/2021 दिनांक 02 जुलाई 2021 के द्वारा अस्वीकृत किया गया है।
- iii. मेसर्स विज़न डिजिटल इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 37 के प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन को भी आदेश संदर्भ: आईआरडीएआई / एचएलटी / ओआरडी / एमआईएससी / 259/10/2021 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 द्वारा अस्वीकृत किया गया है। प्राधिकरण के आदेश दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को डब्ल्यूपी(सी) 10379/2021 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित (स्टे) किया गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

II.2.13.2 टीपीए ने अपने नेटवर्क का विस्तार किया 2021-22 में अपने नेटवर्क में 26,632 नए अस्पतालों को जोड़कर अस्पतालों को। वापस लेने/हटाने के बाद 7828 अस्पतालों में अस्पतालों की संख्या मैच 31, 2022 तक नेटवर्क 1,83,352 रहा।

II.2.14 बीमा एजेंटों और बीमा उद्योग के साथ संबद्धमध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

जीवन बीमा व्यवसाय में बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

वैयक्तिक नया व्यवसाय

II.2.14.1 वैयक्तिक एजेंट वैयक्तिक नये व्यवसाय के लिए प्रमुख वितरण माध्यम के रूप में लगातार बने हुए हैं। उनके द्वारा प्राप्त नया व्यवसाय प्रीमियम पिछले वर्ष के 58.14

प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए 55.01 प्रतिशत है।

कॉर्पोरेट एजेंट दूसरे प्रमुख वितरण चैनल के रूप में नेतृत्व करना जारी रखते हैं, और अलग-अलग नए व्यवसाय की खरीद में उनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान कॉर्पोरेट एजेंटों ने पिछले वर्ष के 30.75 प्रतिशत की तुलना में नए व्यवसाय में 33.90 प्रतिशत का योगदान दिया। व्यक्तिगत एजेंटों में देखे गए रुझानों के विपरीत, कॉर्पोरेट एजेंट निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा नए व्यवसाय प्रीमियम खरीद में वितरण के प्रमुख चैनल बने हुए हैं और 2021-22 में 58.23 प्रतिशत पर हैं, जबकि उनके लिए 2.72 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एलआईसी।

माइक्रो इंश्योरेंस (एमआई) एजेंट, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), वेब एग्रीगेटर्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म (आईएमएफ) और प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) चैनलों ने मिलकर 2021-22 में व्यक्तिगत नए बिजनेस प्रीमियम में एक प्रतिशत से भी कम का योगदान दिया।

सामूहिक नया व्यवसाय

II.2.14.2 2021-22 (90.86 प्रतिशत) के दौरान सामूहिक नए व्यवसाय प्रीमियम के 88.86 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, 2020-21 के दौरान सामूहिक नया व्यवसाय के प्रापण के लिए प्रत्यक्ष बिक्री वितरण का प्रमुख माध्यम बनी रही (2020-21 के दौरान 90.86 प्रतिशत)।

कॉर्पोरेट एजेंट, विशेष रूप से बैंक, निजी बीमाकर्ताओं के लिए सामूहिक व्यवसाय प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रमुख माध्यम बने हुए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, इस चैनल ने निजी बीमाकर्ताओं के मामले में कुल सामूहिक नए व्यवसाय प्रीमियम के 21.47 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि एलआईसी के लिए यह 1.06 प्रतिशत था।

तालिका II.9: जीवन बीमा में वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन (2021-22)

(प्रीमियम के प्रतिशत में आंकड़े)

क्रम सं.	बिचौलिया के प्रकार	वैयक्तिक नया व्यवसाय			सामूहिक नया व्यवसाय		
		जीवन बीमा निगम [#]	निजी क्षेत्र	कुल	जीवन बीमा निगम [#]	निजी क्षेत्र	कुल
1	वैयक्तिक एजेंट	96.26	22.87	55.01	3.00	0.71	2.45
2	कारपोरेट एजेंट						
	i. बैंक	2.63	54.79	31.94	1.06	21.47	5.92
	ii. अन्य*	0.09	3.44	1.96	0.01	5.94	1.42
3	दलाल	0.05	3.41	1.94	0.16	4.42	1.18
4	सीधी बिक्री	0.19	12.59	7.16	95.76	66.76	88.86
5	ऑन-लाइन सीधी बिक्री	0.16	2.29	1.36	-	-	-
6	सूक्ष्म बीमा एजेंट	0.47	0.04	0.23	-	0.70	0.17
7	सीएससीएस	-	0.01	0.01	-	-	-
8	वेव एग्रीगेटर्स	-	0.33	0.19	-	-	-
9	आईएमएफ	0.14	0.18	0.17	-	-	-
10	पॉइन्ट ऑफ सेल्स	0.01	0.05	0.03	-	-	-
	कुल	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	रेफरर्ल्स	-	0.02	0.01	-	-	-


इसके विदेशी नए व्यापार प्रीमियम को शामिल नहीं करता है।

* बैंकों के अलावा कोई भी संस्था लेकिन कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंस प्राप्त है।


टिप्पणी:

1. नए व्यापार प्रीमियम में प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
2. रेफरल व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त लीड को संबंधित चैनलों में शामिल किया गया है

चार्ट II.1: जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन (2021-22)



चार्ट II.2: जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन



साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

II.2.14.3 साधारण बीमाकर्ताओं के लिए व्यवसाय के वितरण के विभिन्न माध्यमों के बीच, दलाल माध्यम ने 35.11 प्रतिशत के साथ प्रीमियम में बड़े हिस्से का अंशदान किया, जिसके बाद प्रत्यक्ष विक्रय माध्यम और वैयक्तिक एजेंटों का स्थान है जिनका अंश वर्ष 2021-22 में क्रमशः 25.42 प्रतिशत और

22.01 प्रतिशत था। कारपोरेट एजेंटों का अंशदान प्रीमियम का 8.43 प्रतिशत था। सभी अन्य माध्यमों ने मिलकर प्रीमियम के शेष 9.04 प्रतिशत का अंशदान किया। सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, वैयक्तिक एजेंट (36.76 प्रतिशत) जिनके बाद दलाल (30.77 प्रतिशत) और प्रत्यक्ष विक्रय (30.17 प्रतिशत) वितरण के प्रमुख माध्यम हैं जबकि निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, दलाल (41.26 प्रतिशत) और प्रत्यक्ष विक्रय (25.38 प्रतिशत) वितरण के प्रमुख माध्यम हैं।


तालिका II.10: साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन (2021-22)

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

क्रम सं.	वितरण माध्यम	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता (एसएचआई को छोड़कर)	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल
1	वैयक्तिक एजेंट्स	36.76	14.72	0.00	22.01
2	कारपोरेट एजेंट्स	1.57	14.19	0.00	8.43
	i. बैंक	1.13	9.12	0.00	5.46
	ii. अन्य	0.44	5.07	0.00	2.96
3	दलाल	30.77	41.26	10.05	35.11
4	सीधी बिक्री	30.17	25.38	0.08	25.42
	i. ऑ-लाइन	0.41	1.81	0.07	1.16
	ii. ऑनलाइन के अलावा	29.76	23.57	0.01	24.25
5	सूक्ष्म बीमा एजेंट	0.00	0.00	0.14	0.01
6	अन्य	0.74	4.45	89.72	9.03
	कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

चार्ट II.3: साधारण बीमाकर्ताओं का माध्यम-वार व्यवसाय कार्यनिष्पादन

प्रीमियम का प्रतिशत



स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)


II.2.14.4 स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के वितरण के लिए विभिन्न माध्यमों के बीच, वैयक्तिक एजेंटों ने 32 प्रतिशत पर कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बड़े अंश का योगदान किया। वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में इस माध्यम का अंश 73 प्रतिशत पर अधिक था। स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए प्रत्यक्ष विक्रय दूसरा प्रमुख माध्यम है। कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लगभग 30 प्रतिशत को बीमाकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया गया है तथा सरकारी व्यवसाय का शत प्रतिशत बीमाकर्ताओं के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया गया है। एक अन्य प्रमुख वितरण माध्यम दलाल हैं, जिन्होंने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 27 प्रतिशत का अंशदान किया। दलालों का अंशदान सामूहिक स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के मामले में 47 प्रतिशत पर है।

तालिका II.11: स्वास्थ्य बीमा में वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

क्रम सं	वितरण माध्यम	सरकारी व्यवसाय	समूह व्यवसाय	वैयक्तिक व्यवसाय	कुल
1	वैयक्तिक एजेंट	-	4.01	71.14	31.32
2	कारपोरेट एजेंट				
	i. बैंक	-	10.01	6.85	7.88
	ii. अन्य	-	4.23	0.99	2.55
3	दलाल	-	45.69	6.77	25.86
4	सीधी बिक्री				
	i. ऑनलाइन	-	0.54	4.40	2.09
	ii. ऑनलाइन के अलावा	100.00	35.23	8.17	29.52
5	सूक्ष्म बीमा एजेंट	-	0.14	0.00	0.07
6	सामान्य सेवा केंद्र	-	0.00	0.02	0.01
7	वेब संग्राहक	-	0.05	0.90	0.39
8	बीमा विपणन फर्म	-	0.01	0.11	0.05
9	बिक्री केन्द्र	-	0.00	0.66	0.27
	कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

चार्ट II.4: स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का माध्यम-वार कार्यनिष्पादन (2021-22)



II.3 बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान

भारतीय बीमा क्षेत्र ने बीमा शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की मांग में वृद्धि देखी है। इस स्थिति के होते हुए, प्राधिकरण भारत और विदेशों में बीमा शिक्षा से जुड़े व्यावसायिक संस्थानों के संपर्क में रहता है।

II.3.1 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम)

II.3.1.1 पिछले एक वर्ष के दौरान, संस्थान ने अपने पाठ्यक्रमों और कार्यकलापों की उद्योग द्वारा एक अधिक व्यापक स्वीकृति अनुभव की है। पहली बार संस्थान ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित स्थान-निर्धारण (रैंकिंग) में भाग लिया

है तथा हैदराबाद में प्रबंध शिक्षण के लिए सर्वोत्तम संस्थान का स्थान प्राप्त किया है, सरकारी संस्थानों की श्रेणी में आईआईएमों के साथ अखिल भारतीय रैंकिंग में 19वाँ स्थान प्राप्त किया है। छात्रों का नामांकन महामारी के बाद बढ़ गया है और वरिष्ठ खंड में कुल 105 छात्रों तक संख्या बढ़ गई है। संस्थान ने 100 प्रतिशत स्थान (प्लेसमेंट) प्राप्त किये हैं तथा औसत वेतनों में प्रभावोत्पादक 50 प्रतिशत वृद्धि हासिल की है।

II.3.1.2 पिछले एक वर्ष के दौरान, आईआईआरएम ने बीमा, पुनर्बीमा और जोखिम प्रबंध में एक व्यापक दायरे में विषयों को शामिल करते हुए कामकाजी व्यवसायियों के लिए 35 कार्यशालाओं का आयोजन किया है। बीमा प्रक्रिया में डिजिटलीकरण संबंधी कार्यक्रम में सहभागियों के रूप में कुछ यूएन में कार्यरत व्यवसायी थे। संस्थान बीमा क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों के लिए कौशल और ज्ञान के कोटि-उन्नयन हेतु इन पहलों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है। बीमा क्षेत्र में कार्यरत कार्यकारियों के लिए कई प्रमाणपत्र कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जहाँ प्रमाणीकरण उनके कैरियर में प्रगति की संभावनाओं को बढ़ाएगा।

पिछले एक वर्ष के दौरान, संस्थान ने कई पुराने छात्रों तक पहुँचकर संस्थान और हमारे भूतपूर्व छात्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए वार्षिक भूतपूर्व छात्र सम्मेलन संचालित किया है। बीमा उद्योग के हित में वृद्धि करने के लिए अपने भूतपूर्व छात्रों के साथ संबद्ध रहने में यह भी सहायक होगा।

II.3.1.3 लोकसंपर्क की गतिविधियों के भाग के रूप में आईआईआरएम ने कुछ विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ अनुकूल सहमति ज्ञापन (एमओयू) किये हैं। उनमें सर्वप्रथम स्विस्-आरई पुनर्बीमा के क्षेत्र में है। डीएमएफ सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा सरकार स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में, ऐक्सेस हेल्थ इंटरनेशनल स्वास्थ्य बीमा और सशक्तीकरण के क्षेत्र में, गोशोर – एक स्टार्टअप इंश्योरटेक के क्षेत्र में। ये एमओयू संस्थान में अनुसंधान, प्रशिक्षण और उद्भवन, तथा परियोजना कार्यान्वयन क्षमताओं को सुदृढ़ करने में सहायता करेंगे। कई कंपनियों संस्थान के साथ तालमेल-व्यवस्थाएँ (टाई-अप) रखने के लिए उत्सुक हैं तथा संस्थान में अपने सीएसआर कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए भी इच्छुक हैं। आईआईआरएम का उद्देश्य अनुकूल तरीके से वृद्धि करना, ज्ञान के उपयोग और निरंतर अनुसंधान के माध्यम से अपने फोकस, समुदाय की भावना और उच्चतम गुणवत्ता से युक्त प्रतिबद्धता को बनाये रखना है।

II.3.2 भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई)

II.3.2.1 आईआईआई की प्रमुख परीक्षाएँ (लाइसेंसिएट, एसोसिएटशिप और फेलोशिप) देश के 172 केंद्रों और विदेशों में 12 स्थानों पर आयोजित की गई। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, संस्थान के 62,202 असोसियेट सदस्यों और 37,671 फेलो सदस्यों सहित 3,68,180 सदस्य थे।

II.3.2.2 आईआईआई पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करता है और प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य किये गये रूप में बीमा मध्यवर्तियों के लिए भर्ती-पूर्व/ लाइसेंसिकरण-पूर्व परीक्षाएँ आयोजित करता है। आईआईआई दलालों, बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ), कॉर्पोरेट एजेंटों और सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केंद्र है। यह कॉर्पोरेट एजेंटों के प्रधान अधिकारियों / विनिर्दिष्ट अधिकारियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत है। वर्ष के दौरान, 10,79,110 उम्मीदवारों ने एजेंट परीक्षा दी और 1,21,128 उम्मीदवारों ने अन्य मध्यवर्तियों की परीक्षा दी। संस्थान को डाक जीवन बीमा निदेशालय द्वारा उनकी बिक्री बल की परीक्षा और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

संस्थान के पास मुंबई और कोलकाता में अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, भारत के 3,010 प्रतिभागियों और विदेशों से 696 प्रतिभागियों ने

जोखिम प्रबंध, बीमा और अन्य समकालीन विषयों के प्रशिक्षण में भाग लिया।

II.3.2.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ संयुक्त रूप से वर्ष के दौरान, आपदा जोखिम प्रबंध में बीमा की भूमिका पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को जानकारी देने के लिए पांच वेबिनार आयोजित किए गए। संस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ क्षमता विकास की पहल जारी रखता है।

II.3.3 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)

II.3.3.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) एक संस्थान है जिसे प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन 04 अक्टूबर, 2005 को निगमित किया गया है।

संस्थान की स्थापना शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय में गुणवत्ता को बढ़ावा देने, अपने सदस्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करने और अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए अपने सदस्यों के बीच तकनीकी जानकारी का प्रसार करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य हानि नियंत्रण और अल्पीकरण तकनीकों और उपायों में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना तथा बीमा उद्योग और आम जनता के साथ इसे साझा करना एवं उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार के लिए नई तकनीकों के प्रयोग के संबंध में अपने सदस्यों को अद्यतन जानकारी देना है। इसके अलावा, यह सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय से जुड़े सदस्यों और अन्य लोगों के उपयोग और लाभ के लिए मार्गदर्शक नोट्स, अनुदेश मैनुअल, पत्रिकाएँ निकालने के लिए भी उत्तरदायी है।

II.3.4 अन्य व्यावसायिक संस्थान

II.3.4.1 भारत में बीमांककों के व्यवसाय के विनियमन के लिए एक सांविधिक और व्यावसायिक निकाय, भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) की परिषद में भी प्राधिकरण का वैधानिक प्रतिनिधित्व है। इसके उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, बीमांकक के व्यवसाय के सदस्यों द्वारा व्यवहार का विनियमन शामिल है।

बीमा शिक्षा के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय एकीकृत प्रबंधन विद्यालय राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), पुणे है जो

संस्थागत और व्यक्तिगत आधार पर अनुसंधान और परामर्श की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उन्हें विकसित करता है और उनका पोषण करता है।

II.4 वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय

II.4.1 2021-22 के दौरान उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट), सिविल न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), और लोक अदालत के समक्ष दायर मामलों के तौर पर वादों एवं निपटाए गए/खारिज किए गए मामलों के संदर्भ में मुकदमेबाजी का विवरण नीचे सारणीयों में दिए गए हैं।

सारणी II.12: 2021-22 के दौरान दायर किये गये विधिक मामलों का विवरण

क्रम सं.	दाखिल किए गए मामलों का विवरण	जीवन	गैर-जीवन	स्वास्थ्य	दलाल	एचआर	सीएडी	कुल
1	उच्चतम न्यायालय	1	2	1	-	-	-	4
2	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल की गई रिट याचिकाएँ	-	12	18	15	1	46	92
3	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	-	-	5	6	-	-	11
4	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल की गई न्यायादेश अपीलें	-	-	-	-	2	1	3
5	उच्च न्यायालयों में दाखिल की गयीं अवहेलना याचिकाएँ	-	-	-	1	1	-	2
6	उपभोक्ता मामले (डीसीएफ+एससीडीआरसी+एनसीडीआरसी)	-	-	-	-	-	54	54
7	नागरिक और लोक अदालत मामले	1	1	-	2	-	12	16
8	एमएसीटी मामले	-	-	-	-	-	1	1
9	पीआईएलएस	-	1	1	-	-	1	3
	कुल	2	16	25	24	4	115	186

सारणी II.13: 2021-22 के दौरान निपटाये गये / खारिज किये गये विधिक मामलों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	जीवन		गैर जीवन		स्वास्थ्य		दलाल		एचआर		सीएडी		कुल	
		क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	उच्चतम न्यायालय	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
2	विभिन्न उच्च न्यायालयों में निस्तारित की गई रिट याचिकाएँ	-	3	1	6	-	4	2	11	2	1	1	14	6	39
3	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	-	-	1	-	2	1	4	4	-	-	-	-	7	5
4	उच्च न्यायालयों में निस्तारित की गई अवहेलना याचिकाएँ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
5	नागरिक और लोक अदालत मामले	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	7	1
	कुल	-	3	2	9	2	5	6	19	2	1	8	14	20	51

क: आईआरडीएआई को दिए गए निर्देशानुसार निस्तारित किए गए मामले; ख: आईआरडीएआई को बिना निर्देश दिए गए निस्तारित किए गए मामले

II.5 बीमा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आईआरडीएआई घरेलू तौर पर विनियामक उपायों को प्रारंभ करने और लागू करते समय अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व को पहचानता है। इस संदर्भ में, और अपने विनियामक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में, आईआरडीएआई

स्वयं को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, मंचों और विदेशी विनियामककर्ताओं के साथ संबद्ध करता है। आईआरडीएआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चल रही गतिविधियों में सक्रिय रूप से संबद्ध होना और योगदान करना जारी रखा।

II.5.1 अंतरराष्ट्रीय बीमा परिवेक्षक संघ (आईएआईएस) के साथ संबद्धता

II.5.1.1 आईआरडीएआई सिद्धांतों, मानकों और मार्गदर्शन के कार्यान्वयन में विकास और सहायता के लिए जिम्मेदार वैश्विक मानक-सेटिंग निकाय आईएआईएस का सदस्य है। आईएआईएस 200 से अधिक न्यायालयों के बीमा पर्यवेक्षकों और नियामकों का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है। आईएआईएस का नीतिगत कार्य कार्यकारी समिति के नेतृत्व वाली एक समिति प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और पाँच नीति समितियों द्वारा समर्थित होता है। आईआरडीएआई के पास समिति और कार्यकारी समूह स्तरों पर प्रतिनिधित्व है, जिनके पास वित्तीय समावेशन, कॉर्पोरेट प्रशासन, बाजार आचरण, मैक्रो विवेकपूर्ण नीति और निगरानी और बीमा पूंजी मानक विकास के क्षेत्रों में जनादेश है। विचार-विमर्श और ज्ञान साझा करने से वैश्विक बीमा मानकों के निर्माण और अपनाने में मदद मिलती है।

II.5.1.2 बीमा पर्यवेक्षक आईएआईएस द्वारा विकसित मुख्य बीमा सिद्धांतों (आईसीपी) का उपयोग अपने नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की गुणवत्ता का आकलन करने और भविष्य की कार्य प्राथमिकताओं को सूचित करने में मदद करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करते हैं। आईएआईएस की सहकर्मि समीक्षा प्रक्रिया (पीआरपी) सदस्य न्यायालयों को आईसीपी के पालन में अंतराल की पहचान करने में मदद करती है। आईआरडीएआई वर्ष के दौरान किए गए सहकर्मि समीक्षा प्रक्रिया अभ्यास में एक भागीदार है और मूल्यांकन के परिणाम उत्साहजनक हैं। आईआरडीएआई ने कोविड -19 महामारी के जवाब में किए गए नीतिगत उपायों पर विवरण प्रदान करके बीमा पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए आईएआईएस की पहल में योगदान दिया।

II.5.1.3 आईआरडीएआई आईएआईएस मानकों के कार्यान्वयन में अंतराल और चुनौतियों को दूर करने और अच्छी पर्यवेक्षी प्रथाओं को अपनाने के लिए आईएआईएस और उसके भागीदारों द्वारा प्रायोजित क्षमता-निर्माण का उपयोग करता है।

II.5.2 द्विपक्षीय वचनबद्धताएँ

II.5.2.1 मई 2013 से प्रभावी, आईआरडीएआई आईएआईएस के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू) का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो सहयोग और सूचना साझा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, आईआरडीएआई (घरेलू या विदेशी इकाई के संबंध में गोपनीय जानकारी साझा करना) विनियम, 2012 मौजूद हैं जो उस विधि की व्यवस्था करते हैं जिसमें गोपनीय जानकारी को अन्य विनियामक निकायों के साथ कैसे साझा किया जा सकता है।

II.5.2.2 आईआरडीएआई ने अब तक दो द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बीमा प्राधिकरण, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ और दूसरा संघीय बीमा कार्यालय (एफआईओ), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ। उक्त एमओयू सूचना के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सहायता सहित सहयोग और समन्वय के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, मॉरीशस के देशों के बीमा पर्यवेक्षकों और संबंधित एजेंसियों ने भी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रति अपनी इच्छा दिखाई है जो विचाराधीन हैं।

II.5.3 बीमा विनियमनकर्ताओं के लिए एशियाई मंच (एएफआईआर)

II.5.3.1 एशियन फोरम ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटर (एएफआईआर), एशिया और ओशिनिया क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षकों का एक मंच, वर्ष 2005 में क्षेत्रीय बीमा विनियमन सहयोग पर बीजिंग घोषणा के आधार पर स्थापित किया गया था। एएफआईआर का मिशन क्षमता निर्माण को मजबूत करना, बीमा विनियामक क्षमता को सुगम बनाना तथा एशिया और ओशिनिया क्षेत्रों में विनियामक सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत सहित एएफआईआर के 21 सदस्य हैं जिसका प्रतिनिधित्व आईआरडीएआई करता है।

एएफआईआर के सदस्य प्रतिवर्ष भाग लेने वाले प्रत्येक अधिकार-क्षेत्र के साथ बारी-बारी से मेजबान आयोजक बनने के लिए बैठक करते रहे हैं। अब तक एएफआईआर की 16

बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। कोविड-19 के कारण, पिछली दो बैठकें वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थीं। 16 वीं बैठक 02 सितंबर, 2021 को वर्चुअल रूप में आयोजित की गई थी और इसमें भारत सहित 18 सदस्यों ने भाग लिया था और विभिन्न विषयों को चर्चा के लिए लिया गया था जिनमें हाल ही की पहलों पर अद्यतन स्थिति, आपाती जोखिमों के लिए सुरक्षा अंतर को कम करने में सरकारी-निजी भागीदारियों की भूमिका और धारणीय विकास लक्ष्य एवं बीमा की भूमिका शामिल है। एफआईआर सदस्यों ने एफआईआर अभिशासन संरचना में सुधार के प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया।

II.5.4 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

II.5.4.1 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को दूर करने और वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। एफएसबी के मुख्य अधिदेशों (मैंडेट्स) में से एक वित्तीय विनियमन पर जी20 नीतिगत घोषणाओं को लागू करना है। एफएसबी में, भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (एसईबीआई) द्वारा किया जाता है। आईआरडीएआई वित्त मंत्रालय को एफएसबी की बैठकों में बीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा पर अपने विचार और टिप्पणियां प्रदान करते हुए एफएसबी के काम में योगदान देता है। आईआरडीएआई बीमा से संबंधित एफएसबी सर्वेक्षणों/प्रश्नावली/समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया भी देता है।

II.5.5 वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम (एफएसएपी)

II.5.5.1 वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम (एफएसएपी) जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (WB) का एक संयुक्त कार्यक्रम है, किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन मूल्यांकन है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों में, एफएसएपी आकलन आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अकेले आईएमएफ द्वारा आयोजित किए जाते हैं। एफएसएपी में दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् (1) वित्तीय

स्थिरता मूल्यांकन (आईएमएफ की जिम्मेदारी) और (2) वित्तीय विकास मूल्यांकन (विश्व बैंक का उत्तरदायित्व)। प्रणालीगत रूप से 29 महत्वपूर्ण अधिकार-क्षेत्रों के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के लिए एफएसएपी अनिवार्य (मैंडेटरी) हैं। भारत इन 29 देशों में से एक है।

II.5.5.2 भारत के लिए पहला एफएसएपी वर्ष 2011-12 में आयोजित किया गया था और 29 अगस्त, 2013 को आईएमएफ द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। दूसरा एफएसएपी मिशन दिसंबर 2016 में संयुक्त रूप से आईएमएफ-डब्ल्यूबी टीम द्वारा शुरू किया गया था, जिसके बाद दो और मिशन दौरे मार्च और जून-जुलाई, 2017 में किए गए थे। इसके बाद, आईएमएफ और डब्ल्यूबी ने 21 दिसंबर, 2017 को भारत के लिए क्रमशः वित्तीय प्रणाली स्थिरता निर्धारण (एफएसएसए) रिपोर्ट और वित्तीय क्षेत्र निर्धारण (एफएसए) रिपोर्ट जारी की। भारत 2017 एफएसएपी के भाग के रूप में, आईएमएफ ने "बीमा क्षेत्र विनियमन और पर्यवेक्षण" पर एक तकनीकी नोट भी प्रकाशित किया है। उक्त तकनीकी नोट में भारतीय बीमा क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण के हालिया विकास का मूल्यांकन प्रस्तुत है और इसमें भारतीय बीमा बाजार के लिए सिफारिशों की गई हैं। रिपोर्ट में यह देखा गया है कि बीमा विनियमन पर वर्ष 2011 की अधिकांश एफएसएपी सिफारिशों का समाधान किया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2011 में केवल आंशिक रूप से देखे गए (पीओ) के रूप में निर्धारित किए गए चार आईसीपी, संबंधित सिफारिशों को विधायी परिवर्तनों, गैर-जीवन आरक्षण आवश्यकताओं को मजबूत करने और बीमा धोखाधड़ी पर आवश्यकताओं के एक सेट की शुरूआत के माध्यम से संबोधित किया गया है।

II.5.6 वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफई)

II.5.6.1 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) सरकारों को वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में वित्तीय शिक्षा पर विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए एक अनूठा नीति मंच प्रदान करता है। वित्तीय साक्षरता के महत्व को पहचानने के बाद, ओईसीडी सरकारों द्वारा वर्ष 2008 में वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी

इंटरनेशनल नेटवर्क (आईएनएफई) शुरू किया गया था। भारत आईएनएफई की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेता है, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के चार वित्तीय विनियमनकर्ताओं अर्थात् आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। अप्रैल, 2012 में आईआरडीएआई, ओईसीडी आईएनएफई का सदस्य बना। ओईसीडी आईएनएफई बैठकों के दौरान, प्रतिभागी वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में दुनिया भर में की गई पहलों को साझा करते हैं।

II.5.7 अन्य संबद्धताएँ

II.5.7.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, आईआरडीएआई ने बीमा क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और संवादों के माध्यम से भारत सरकार के साथ प्रभावी और उपयोगी संबद्धता की दिशा में योगदान देना जारी रखा। बीमा क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करने के लिए आईआरडीएआई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भी सहभागिता करता है।

II.6 सार्वजनिक शिकायतें

शिकायत निवारण नीति

II.6.1 आईआरडीएआई बीमाकर्ताओं की शिकायत निवारण नीति की निगरानी करके पॉलिसीधारक की शिकायतों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है और बीमा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कई पहलें करता है। शिकायत निवारण प्रक्रिया पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण विनियम, 2017 में निर्धारित है, जिसके अनुसार आईआरडीएआई ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए एक शिकायत निवारण नीति लागू करना, प्रधान कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय/मुख्य कार्यालय में एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करना और प्रत्येक अन्य कार्यालय में भी एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करना अनिवार्य (मैंडेटरी) कर दिया है। उक्त विनियम बीमाकर्ताओं के लिए, शिकायतों और उनके समाधान से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का गठन करने के

लिए भी निर्धारित करते हैं।

समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली

II.6.2 बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए, आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर (आईजीसीसी) की स्थापना की है जो एक निःशुल्क (टोल फ्री) टेलीफोन नंबर और ईमेल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करता है तथा शिकायतें पंजीकृत करता है और साथ ही, उनके समाधान की स्थिति प्रस्तुत करता है। आईआरडीएआई ने शिकायत प्रबंध के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली के रूप में समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली भी स्थापित की है जो न केवल ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करने और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रवेश द्वार (गेट वे) है, बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई के लिए एक उद्योग-व्यापी शिकायत भंडार (रिपोजिटरी) के रूप में भी कार्य करती है। आईजीसीसी का आईजीएमएस के साथ एक इंटरफ़ेस है और आईजीएमएस के माध्यम से, आईआरडीएआई का सभी बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रणालियों के साथ एक इंटरफ़ेस है।

आईजीएमएस में शिकायतों की स्थिति

II.6.3 वर्ष 2021-22 के दौरान आईजीएमएस में 2,20,341 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 70 प्रतिशत जीवन बीमा व्यवसाय से और 30 प्रतिशत साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित थीं। वर्ष 2021-22 में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए 2.5 प्रतिशत और साधारण बीमाकर्ताओं के लिए 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

II.6.4 उद्योग के लिए प्राप्त शिकायतों की समाधान दर 99.18 प्रतिशत है। जीवन बीमाकर्ताओं ने 99.92 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया (निजी क्षेत्र द्वारा 99.72 प्रतिशत और एलआईसी द्वारा लगभग 100 प्रतिशत) और साधारण बीमाकर्ताओं ने 97.44 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया (सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा 97.78 प्रतिशत और निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा 97.22 प्रतिशत)।

तालिका II.14: आईजीएमएस के अनुसार शिकायतों की स्थिति


(शिकायतों की संख्या)

बीमाकर्ता	2020-21			2021-22		
	वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के दौरान लंबित
जीवन बीमा कर्ता						
एलआईसी	1,09,631	1,12,454	29	1,14,202	1,14,226	5
निजी	41,415	41,286	153	40,624	40,664	113
कुल	1,51,046	1,53,740	182	1,54,826	1,54,890	118
साधारण बीमा कर्ता						
सार्वजनिक क्षेत्र	21,192	21,456	378	23,822	23,663	537
निजी क्षेत्र	26,825	26,421	433	41,693	40,692	1,164
कुल	48,017	47,877	811	65,515	64,625	1,701
महायोग	1,99,063	2,01,617	993	2,20,341	2,19,515	1,819


II.6.5 आईजीएमएस में प्राप्त कुल जीवन बीमा शिकायतों में से, प्राप्त 65 प्रतिशत से अधिक शिकायतें तीन प्रकार के मुद्दों से संबंधित हैं, अर्थात् उत्तरजीविता दावे, पॉलिसी सर्विसिंग और अनुचित व्यवसाय पद्धतियाँ। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में मृत्यु दावा संबंधी शिकायतों में तीन प्रतिशत और उत्तरजीविता दावों से संबंधित शिकायतों में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई।

साधारण बीमा शिकायतों में से, 2021-22 के दौरान प्राप्त अधिकांश शिकायतें दावों (68 प्रतिशत) से संबंधित हैं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। हालांकि, पॉलिसी से संबंधित और अन्य श्रेणी के लिए रिपोर्ट की गई शिकायतों में क्रमशः चार प्रतिशत और तीन प्रतिशत की कमी देखी गई।

चार्ट II.5 : जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण



चार्ट II.6 : साधारण बीमा शिकायतों का वर्गीकरण



डीएआरपीजी पोर्टल में शिकायतों की स्थिति

II.6.6 वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) पोर्टल में पंजीकृत

शिकायतों में से 11,892 शिकायतें आईआरडीएआई को भेजी गई हैं। वर्ष के दौरान कुल 11,783 शिकायतों का निपटारा किया गया। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 483 शिकायतें लंबित थीं।

सारणी II.15: डीएआरपीजी पोर्टल में पंजीकृत और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें

शिकायत के स्रोत	वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में शिकायतें	वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त की गई शिकायतें	वर्ष 2021-22 की कुल शिकायतें	वर्ष 2021-22 के दौरान निस्तारित की गई शिकायतें	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर शेष शिकायतें
डीपीजी	18	228	246	228	18
डीएआरपीजी	14	192	206	190	16
स्थानीय/इंटरनेट	203	8,935	9,138	8,802	336
राष्ट्रपति सचिवालय	1	52	53	51	2
पेंशन	1	11	12	12	0
प्रधानमंत्री कार्यालय	137	2,474	2,611	2,500	111
कुल	374	11,892	12,266	11,783	483

डीपीजी- लोक शिकायत निदेशालय; डीएआरपीजी - प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग; पीएमओ- प्रधानमंत्री कार्यालय
स्रोत: सीपीजीआरएमएस पोर्टल

31 मार्च, 2022 को शिकायतों की लंबित स्थिति इस प्रकार है:

लंबित	शिकायतों की संख्या
< 15 दिन	312
15 - 30 दिन	136
31 - 60 दिन	35
> 60 दिन	-
कुल	483

II.7 सलाहकार समिति की कार्य-पद्धति:

बीमा सलाहकार समिति

II.7.1 बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) में 25 सदस्य होते हैं जो वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता मंचों, सर्वेक्षकों, एजेंटों, मध्यवर्तियों, सुरक्षा और हानि निवारण में लगे हुए संगठनों, बीमा क्षेत्र के अनुसंधान निकायों और कर्मचारी संघों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य बीमा सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और

पदेन सदस्य होते हैं। बीमा सलाहकार समिति का उद्देश्य विनियम बनाने से संबंधित विषयों पर प्राधिकरण को सलाह देना है। बीमा सलाहकार समिति ऐसे अन्य विषयों पर प्राधिकरण को सलाह दे सकती है जो निर्धारित किए जाएंगे।

वर्ष 2021-22 के दौरान बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) की एक बार 44वीं बैठक 10 दिसंबर, 2021 को हुई।

पुनर्बीमा सलाहकार समिति

11.7.2 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी (1) के अधीन डीएफएस, भारत सरकार के दिनांक 06 दिसंबर 2018 के अनुमोदन के आधार पर, आईआरडीएआई ने आदेश संख्या आईआरडीएआई / आरईआईएन / एनओटी / आरआईएन /101/5/2022 दिनांक 19 मई, 2022 के द्वारा पुनर्बीमा सलाहकार समिति (आरएसी) का पुनर्गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था।

पिछली पुनर्बीमा सलाहकार समिति का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। आरएसी ने 30 सितंबर 2021 की अपनी बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य सत्रों की सिफारिश की थी।

11.8. बीमा लोकपाल की कार्यपद्धति

11.8.1 एक निश्चित सीमा तक बीमा की वैयक्तिक व्यवस्थाओं के संबंध में दावों से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए एक त्वरित और सस्ता मंच उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने 11 नवंबर, 1998 से बीमा क्षेत्र में लोकपाल की एक प्रणाली लागू की। वर्तमान में देश में 17 बीमा लोकपाल हैं जिन्हें उनके अधिकार क्षेत्रों के रूप में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आबंटित किया गया है।

11.8.2 बीमा लोकपाल के अधिनियम के अननुपालन की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई ने परिपत्र संदर्भ: सीएडी/बीमा लोकपाल/10-11 दिनांक 23 नवंबर 2010 और संदर्भ: आईआरडीएआई/परिपत्र/विविध/194/11/ 2015 दिनांक 03 नवंबर, 2015 जारी किये हैं। आईआरडीएआई द्वारा जारी दिनांक 03 नवंबर 2015 के परिपत्र में, बीमाकर्ताओं को निम्नानुसार सूचित किया गया है:

- न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकायों के आदेशों का अनुपालन बीमाकर्ता द्वारा आदेश या अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया जाना चाहिए तथा उन मामलों में जहां आदेश/अधिनियम में समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं है, उक्त आदेश/अधिनियम का अनुपालन बीमाकर्ता द्वारा आदेश/अधिनियम की प्राप्ति से 60 दिन के अंदर किया जाना चाहिए।
- ऐसे मामलों में जहाँ बीमाकर्ता न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकाय के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है, वहाँ आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील लागू नियमों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर की जानी चाहिए।
- शिकायतकर्ता को मामले में तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए।

11.9 बीमा संघ और बीमा परिषदें

11.9.1 जीवन बीमा परिषद (एलआई परिषद) उन बीमा कर्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय है जो भारत में जीवन बीमा का व्यवसाय करता है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64ग के अधीन गठित, जीवन बीमा परिषद कई उप-समितियों के माध्यम से कार्य करती है और इसमें भारत के सभी 24 जीवन बीमाकर्ता शामिल हैं।

11.9.2 वर्ष 2021-22 में जीवन बीमा परिषद की गतिविधियां जीवन बीमा परिषद ने वर्ष 2021-22 में दो साधारण सभा (जीबी) की दो बैठकें और कार्यकारी समिति (ईसी) की एक बैठक आयोजित की। उक्त बैठकों में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई और आवश्यक उद्योग-व्यापी कार्य योजनाएँ प्रारंभ की गईं:

- क. आईआरडीएआई ने जीवन बीमा परिषद से उद्योग के लिए उत्तम बीमा प्रथाओं की संहिता को अपनाने पर विचार करने की अपेक्षा की थी। परिषद आईआरडीएआई को सिफारिश करने के लिए इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

ख. आईआरडीएआई ने मृत्यु के दावों की शीघ्र प्रक्रिया को सक्षम करने और अपेक्षित अत्यधिक/अप्रासंगिक जानकारी से बचने के लिए पूरे उद्योग में दावा फार्मों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सिफारिशें मांगी थीं। इस मामले पर सदस्यों के बीच विचार-विमर्श किया गया और मृत्यु के दावे के लिए मानक टेम्प्लेटों का अंतिम सेट, आईआरडीएआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, 2022-23 के पहले सप्ताह के दौरान अंगीकरण के लिए इसे सभी बीमाकर्ताओं के साथ साझा किया गया है।

ग. बीमा जागरूकता अभियान "सबसे पहले जीवन बीमा" को फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। दूसरे चरण का अभियान 15 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। यह अभियान 31 मार्च, 2022 तक 360-डिग्री मीडिया - टीवी, रेडियो, प्रिंट, आउटडोर, डिजिटल और पीआर पर चला।

साधारण बीमा परिषद

II.9.3 साधारण बीमा परिषद (जीआई काउंसिल) साधारण बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसमें स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, विशेषीकृत बीमाकर्ता, पुनर्बीमाकर्ता, भारत में परिचालनरत विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाएं (एफआरबी) और लॉयड्स इंडिया शामिल हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64ग के अनुसार (जनवरी 2015 में यथासंशोधित) सभी साधारण बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं, जिन्हें भारत में व्यवसाय करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, के लिए साधारण बीमा परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, कुल 42 कंपनियाँ (24 साधारण बीमाकर्ता जिनमें हैं 4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं 20 निजी, 5 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, एक पीएसयू पुनर्बीमाकर्ता, 10 एफआरबी तथा दो विशेषीकृत बीमाकर्ता शामिल हैं) हैं जो साधारण बीमा परिषद के सदस्य हैं। अप्रैल 2015 में बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम के पारित होने के बाद, साधारण बीमा परिषद गैर-जीवन बीमा उद्योग के बाजार आचरण और प्रथाओं के लिए एक स्व-

नियामक संगठन है।

II.9.4 वर्ष 2021-22 में साधारण बीमा परिषद की गतिविधियाँ

क. भारत में कार्यरत सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, एसएचआई कंपनियों, पुनर्बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधि निकाय के रूप में, साधारण बीमा परिषद ने विनियमनकर्ता और / या भारत सरकार द्वारा अपनाई गई परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में बनाये गये विभिन्न नये विनियमों, वर्तमान विनियमों में किये गये संशोधनों के संबंध में आईआरडीएआई और/ या भारत सरकार को उद्योग के विचार प्रस्तुत किये।

ख. साधारण बीमा परिषद ने मोटर वाहन अधिनियम (2019 में व्यापक रूप से संशोधित) के विकास और अधिसूचना में, जहां कहीं भी मांग की गई, विचार-विमर्श में भाग लिया और उद्योग के विचारों में योगदान किया। परिषद लागू सीएमवी नियमों को विकसित करने के उद्देश्य से चर्चाओं में भाग ले रही है।

ग. परिषद ने आईआरडीएआई द्वारा गठित किये गये विभिन्न समूहों, समितियों और उप-समितियों, विभिन्न उद्योग निकायों जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, आदि में परस्पर सक्रियता (इंटरएक्शन) दर्शाई, जिसका उद्देश्य पॉलिसीधारकों/बीमा लाभार्थियों के अनुभव को समग्र रूप से बढ़ाना है।

घ. इसने कुछ लोकप्रिय बीमा उत्पादों में शब्दों और अपवर्जनों के मानकीकरण की आईआरडीएआई की ग्राहक केंद्रित पहलों में अंशदान किया है।

ङ. वर्ष 2021-22 लगातार कोविड-19 महामारी से प्रभावित रहा। साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को बड़ी संख्या में कोविड चिकित्सा संबंधी दावे प्राप्त हुए, जिन्हें उद्योग ने काफी कुशलता से संभाला और लगभग रु. 25,000 करोड़ के दावों का निपटान किया।

च. साधारण बीमा परिषद ने विभिन्न अस्पतालों के साथ

II

बातचीत करने की सुविधा प्रदान की और उन्हें बीमित रोगियों से उचित दर वसूलने के लिए राजी करने का प्रयास किया। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक समझौता नहीं हो सका, तथापि अपेक्षाकृत छोटे केंद्रों में कई अस्पताल तथा बड़े शहरों और नगरों में औसत मानक अस्पताल, कुल मिलाकर, परिषद द्वारा अनुशंसित दरों के करीब प्रभारित करते पाए गए।

II.10. बीमा बाजार से संबंधित अन्य गतिविधियां

II.10.1 जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा खंडों के लिए बाजार में किसी भी नए उत्पाद को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकरण समय-समय पर विनियामक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन उपलब्ध कराता है/करता है।

2021-22 के दौरान प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की बीमा कंपनी-वार कुल संख्या अनुबंध 7 में दी गई है।

III

प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

भाग - III प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

III

आईआरडीए अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम) की धारा 14 बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों को निर्धारित करती है। उक्त धारा की उप-धारा (2) प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है। वार्षिक रिपोर्ट के भाग III में प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों का निर्वहण और अपने को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2021-22 में संपन्न की गई प्राधिकरण की गतिविधियों को शामिल किया गया है।

III.1 आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन

III.1.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, किसी भी नई बीमा कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान नहीं किया गया है।

III.1.2 बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा 2(ए) के उपबंध के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए फ़ैक्टरी म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी को 28 अप्रैल 2021 को पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है और इसकी पंजीकरण संख्या एफआरबी/011 है।

III.1.3 प्राधिकरण ने आदेश संदर्भ सं. 514/ एफएंडए (एनएल)/डीमर्जर/भारती-आईसीआईसीआई /147 दिनांक 03 सितंबर, 2021 के अनुसार भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सामान्य बीमा व्यवसाय को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से व्यवस्थाओं की योजना के द्वारा, उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन विलगाव (डीमर्जर) करने का अनुमोदन किया है।

III.2 पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे का निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण।

शिकायत निवारण

III.2.1 प्राधिकरण ने विक्रयस्थल एवं दावे के स्थान पर

बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' (डूज़ एण्ड डोंटज़) की विभिन्न हिदायतें देते हुए आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 अधिसूचित किये हैं। इसके पीछे उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना और बीमाकर्ताओं के द्वारा पॉलिसीधारक केन्द्रित अभिशासन को सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं के लिए पॉलिसीधारकों के संरक्षण हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्रचलित रखने के लिए निदेश दिया है जिसमें पॉलिसीधारकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा मानदंड और समय-सीमाएँ (टर्नअराउंड टाइम), शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रक्रिया, उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम तथा अपविक्रय (मिस-सेलिंग) को रोकने के लिए उपाय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियम पॉलिसीधारकों की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए बीमाकर्ताओं को उचित कार्यविधियाँ और एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने का भी अधिदेश देते हैं।

प्राधिकरण ने अपने कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश - 2016 के तहत सभी बीमाकर्ताओं के लिए यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) कर दिया है कि वे एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति गठित करें। समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ लागू करनी चाहिए कि पॉलिसीधारकों के पास शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच हो और बीमा क्षेत्र में भरोसा और विश्वास बढ़ाने के लिए पॉलिसीधारक की शिकायतों को गंभीरता, तत्परता और सहानुभूति के साथ संभालना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों का निर्गम

III.2.2 कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, पॉलिसी धारकों के हित में व्यवसाय करने के डिजिटल साधनों पर बल दिया गया है। आईआरडीएआई (ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम) विनियम, 2016 के विनियम 4 (iii) के परंतुक के अंतर्गत, पालिसी दस्तावेज और प्रस्ताव फॉर्म की प्रति भौतिक रूप में जारी करने की आवश्यकता से 31 मार्च 2022 तक छूट दी गई है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पॉलिसीधारक की सहमति के अधीन है और यदि पॉलिसीधारक जोर देता है, तो बिना किसी शुल्क के हार्ड प्रति जारी करनी होगी। इसके अलावा, ऐसे सभी मामलों के लिए 30 दिनों की निःशुल्क अवलोकन (फ्री लुक)

अवधि की अनुमति दी गई है। पॉलिसी को रद्द करने के स्पष्ट इरादे से पॉलिसीधारक द्वारा मेल के जरिये ई-पॉलिसी दस्तावेजों की वापसी निःशुल्क अवलोकन निरसन के लिए मान्य होगी।

III

प्रस्ताव प्रपत्रों पर भौतिक हस्ताक्षर समाप्त करना

III.2.3 कोविड-19 के प्रकोप ने जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रचार के पारंपरिक तरीके को प्रभावित किया है। विशेष रूप से, भौतिक प्रस्ताव फार्म भरना, उन पर तरल हस्ताक्षर प्राप्त करना और बाद में ऐसे भौतिक कागज-पत्रों आदि की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। इसे दूर करने के लिए, भौतिक हस्ताक्षर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से जीवन बीमा के प्रस्ताव को अधिप्रमाणित करने के लिए, सभी प्रकार के उत्पादों के अंतर्गत व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) के लिए 30 सितंबर 2022 तक अनुमति दी गई है। प्रक्रिया के प्रवाह में पूरा किया गया प्रस्ताव फार्म उसके पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर ईमेल द्वारा अथवा लिंक के साथ संदेश भेजना शामिल है। संभावित ग्राहक प्रस्ताव पर सहमति पुष्टीकरण लिंक पर क्लिक करके दे सकता है अथवा ओटीपी विधि के माध्यम से इसे विधिमान्य कर सकता है।

उक्त सुविधा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए, निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:

- i. प्रस्तावक की सहमति प्राप्त होने तक बीमाकर्ता प्रस्ताव जमाराशि के लिए किसी धनराशि के भुगतान को स्वीकार नहीं करेगा।
- ii. सभी मामलों में, अनुमोदित बिक्री सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।
- iii. ईमेल आईडी/मोबाइल नंबरों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें। निर्गम-पूर्व सत्यापन के लिए कॉल करें।
- iv. बिक्री/अपेक्षा (सलिसिटेशन) की प्रक्रिया में संबद्ध सभी व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद के संबंध में प्रस्तावक को स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के बाद ही ग्राहक की सहमति प्राप्त की गई है।

मानक वैयक्तिक सावधि जीवन बीमा और पेंशन उत्पाद

III.2.4 सावधि और पेंशन उत्पादों की बढ़ती मांग के अनुरूप, जीवन बीमाकर्ता बहुविध विशेषताओं, विकल्पों, राइडरों आदि से युक्त नवोन्मेष संरक्षण और पेंशन उत्पाद प्रस्तावित कर रहे हैं। औसत ग्राहक की आवश्यकताएँ स्थूल रूप से पूरी करनेवाले सरल उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए, एक मानक वैयक्तिक सावधि जीवन बीमा उत्पाद (सरल जीवन बीमा) और एक मानक वैयक्तिक तात्कालिक वार्षिकी उत्पाद (सरल पेंशन) अभिकल्पित किये गये। सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए अनिवार्य (मैंडेटरी) किया गया कि वे समान नाम वाले उत्पादों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराएँ। मानक उत्पादों को समझना आसान है, जो बड़ी संख्या में ग्राहकों की मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और बीमाकर्ताओं में उनके समरूप निबंधनों और शर्तों के साथ खरीद की सुगमता में वृद्धि करते हैं।

कोविड-19 संबंधी मृत्यु दावे का निपटान

III.2.5 कोविड-19 महामारी ने कई लोगों की जान ले ली है। प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को जीवन बीमा दावों का शीघ्रतापूर्वक निपटान करने के लिए सूचित किया है। कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु दावों की स्थिति सारणी III.1 में दी गई है।

सारणी III.1: कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु दावे

(31 मार्च, 2022 तक संचयी)

(राशि रु. करोड़ में)

रिपोर्ट किये गए दावे		निपटाये गए दावे		निराकृत किये गये दावे		लंबित दावे	
दावों की सं.	दावे की राशि	दावों की सं.	दावे की राशि	दावों की सं.	दावे की राशि	दावों की सं.	दावे की राशि
2,26,906	17,757	2,25,219	17,269	1,550	448	137	40

कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य बीमा दावों की स्थिति नीचे दी गई है

सारणी III.2: कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य बीमा दावे

(31 मार्च, 2022 तक संचयी)

(राशि रु. करोड़ में)

कुल दावे		निपटाये गए दावे		निराकृत किये गये दावे		अस्वीकार किये गये दावे		लंबित दावे	
दावों की सं.	दावे की राशि	दावों की सं.	दावे की राशि	दावों की सं.*	दावे की राशि	दावों की सं.	दावे की राशि	दावों की सं.	दावे की राशि
29,96,801	34,598	26,54,001	24,362		7,223	3,11,952	2,782	30,848	230

*संख्या निपटान किए गए दावों के शीर्ष के अंतर्गत शामिल है।

बाढ़ और चक्रवात के दौरान दावा निपटान

III.2.7 वर्ष 2021 में देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदा की घटनाएं देखी गई हैं। मई-जून 2021 में चक्रवात तौकताए और चक्रवात यास ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमन और दीव में तबाही मचाई। अगस्त 2021 में महाराष्ट्र राज्य में बाढ़ आई।

प्राधिकरण पॉलिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपदाओं के दौरान उद्योग को दिशा-निर्देश जारी करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन जारी किया गया था कि चक्रवात तौकताए, चक्रवात यास और महाराष्ट्र की बाढ़ से उत्पन्न होने वाले जीवन और संपत्ति के नुकसान से संबंधित दावों पर तुरंत ध्यान दिया जाए। बीमाकर्ताओं को उपर्युक्त आपदा में पीड़ितों के दावों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने का अनुदेश दिया गया था और प्राधिकरण द्वारा इसकी निगरानी की गई थी।

प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित प्रकार से दावों के त्वरित पंजीकरण और निपटान के लिए कदम उठाने के लिए सूचित किया:

- क. प्रभावित राज्यों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी का नामांकन। नोडल अधिकारी का कर्तव्य सभी पात्र दावों की प्राप्ति, प्रसंस्करण और निपटान का समन्वय करना है।
- ख. दावों की फाइलिंग को संभव बनाने के लिए बीमाकर्ता की वेबसाइट, मीडिया और राज्य सरकार के चैनलों के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए स्थापित कार्यालयों/विशेष शिविरों का विवरण और अन्य प्रासंगिक विवरण प्रकाशित/प्रचारित करना।
- ग. दावों का सर्वेक्षण तुरंत किया जाना चाहिए और दावा भुगतान/लेखागत भुगतानों का संवितर शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए।
- घ. प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षकों को नियुक्त करना।
- ङ. प्रभावित राज्यों में बीमाकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा किए गए उपायों पर विधिवत प्रकाश डालते हुए व्यापक जागरूकता अभियान प्रारंभ करना।
- च. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया कि वे पॉलिसीधारकों को दावे की सूचना देते समय और

सभी संबंधित दस्तावेज दाखिल करते समय पत्राचार के लिए जहां भी संभव हो इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

III

III.3 मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना।

III.3.1 बीमा व्यवसाय में सभी मध्यवर्तियों के लिए लाइसेंसिकरण और आचरण संहिता को स्पष्ट रूप से आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाए गए विनियमों में बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसिकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियम, 2015, आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018, आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 और आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

III.3.2 वितरण के विभिन्न माध्यमों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा आवश्यकताओं के सामंजस्य पर परिपत्र संख्या आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/टीएंडई/136/07/20 16 जारी करके विनियामक पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा एक विनियामक ढांचा निर्धारित किया गया है।

III.4 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण संहिता विनिर्दिष्ट करना

III.4.1 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के अध्याय IV में विनिर्दिष्ट हैं, जिसका संशोधन 2020 में किया गया है।

III.4.2 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के व्यावसायिक कार्य के संचालन के लिए व्यावसायिक और नैतिक आवश्यकताओं के संबंध में आचरण संहिता उक्त विनियमों के अध्याय VI में विनिर्दिष्ट है और विनियम 16 उस कूट के संबंध में विस्तार से बताता है।

III.4.3 इसके अलावा, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए, प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 अधिसूचित किया है जो आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करता है। साधारण बीमा पॉलिसी के संबंध में दावों के निपटान से संबंधित व्यवहार करते समय, उक्त विनियम के विनियम 15 के अंतर्गत सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों द्वारा आचरण संहिता के पालन पर और बल दिया गया है।

III.4.4 प्राधिकरण सर्वेक्षकों से सर्वेक्षण कार्यों के लिए पैनल में शामिल होने, बीमा कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान न करने, आंतरिक सर्वेक्षकों और व्यपगत लाइसेंसों के धारकों को आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यता को अस्वीकार करने, आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यता के स्तर से इनकार करने आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है। ऐसी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों और आईआईआईएसएलए को उनके स्तर पर समाधान के लिए अग्रेषित की जाती हैं। पॉलिसीधारक भी सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्राप्त न होने, सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलंब, कदाचार, आईआरडीए सर्वेक्षक विनियमों के उल्लंघन आदि पर सर्वेक्षकों/सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध शिकायत करते हैं। ऐसी शिकायतें मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए सर्वेक्षकों के साथ उठाई जाती हैं। उपर्युक्त के अलावा, प्राधिकरण को सर्वेक्षकों और कॉर्पोरेट सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध विभिन्न आरटीआई और संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, प्राधिकरण को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 90 शिकायतें प्राप्त हुईं, 87 का समाधान किया गया और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 3 शिकायतें लंबित हैं।

III.5 बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना

III.5.1 बीमा विनियामक सैंडबॉक्स

बीमा व्यापन को बढ़ावा देने के लिए, बीमा क्षेत्र में नवोन्मेषणों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन्हें जो प्रौद्योगिकी से प्रेरित हैं। मौजूदा विनियामक ढांचा नए विचारों या नई प्रौद्योगिकी को आजमाने के लिए विनियमित

संस्थाओं के लिए कुछ बाधाएँ पैदा कर सकता है। नवोन्मेषणों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, आईआरडीएआई ने एक विनियामक सैंडबॉक्स दृष्टिकोण अपनाया है।

इसके अलावा, आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2019 के विनियम 13(3) के अनुसार, प्राधिकरण ने विनियामक सैंडबॉक्स के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें "बीमा में नवोन्मेषण" कार्यक्रम को लागू करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

मौजूदा सैंडबॉक्स प्रस्तावों के प्रयोग को पूरा करने में सक्षम बनाने और प्रयोग के लिए नए सैंडबॉक्स प्रस्तावों की अनुमति देने के लिए, आईआरडीएआई की वैधता (नियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2019, आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2021 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार इनकी वैधता को दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

III.5.2 निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों और व्यवसाय की अग्रि व्यवस्था में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना

आईआरडीएआई ने जनवरी 2021 में निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों (भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा) के लिए अग्रि और संबद्ध जोखिमों हेतु मानक उत्पादों के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

व्यवसाय की अग्रि व्यवस्था में नए कवरों की मांग में वृद्धि के साथ ही, और इस खंड में बीमा नवोन्मेषणों को सुविधा प्रदान करने के लिए, साधारण बीमाकर्ताओं को अब निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों हेतु मानक उत्पादों के लिए अग्रि और संबद्ध जोखिमों को कवर करनेवाले वैकल्पिक उत्पाद अभिकल्पित और फाइल करने की अनुमति दी गई है।

इस संबंध में जारी परिपत्र यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे वैकल्पिक उत्पाद मानक उत्पाद के रूपांतर हो सकते हैं और मूल उत्पाद के भाग के रूप में पहले से अनुमोदित ऐड-ऑन इनमें शामिल हो सकते हैं या किसी मौजूदा प्रावधान को हटा सकते हैं। तथापि, मानक उत्पाद में प्रयुक्त शब्दों की

परिभाषाएँ और शब्द/वाक्यरचना उन शब्दों के लिए संदर्भ बिंदु होंगे जब ये वैकल्पिक उत्पादों में भी प्रयुक्त किए जाते हैं।

III.5.3 कर्मचारी स्टॉक विकल्पों (ईएसओपी) के प्रयोग पर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4)(बी) के उपबंध की प्रयोज्यता

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4)(बी) का अनुपालन सुनिश्चित करने लिए निम्नलिखित के साथ पढ़ें

- (i) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2016 का पैरा 7; तथा
- (ii) ईएसओपी के प्रयोग पर आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के विनियम 2 का खंड (ग),

प्राधिकरण ने 21 मई, 2021 का परिपत्र जारी किया जिसमें रिपोर्टिंग की प्रयोज्यता और अनुमोदन की आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट किया गया था।

उक्त परिपत्र के अनुसार, अनुदान के समय सभी ईएसओपी प्राधिकरण को अधिमानतः आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2016 के साथ फाइल किये गये आवेदन के एक भाग के रूप में सूचित किया जाएगा।

इसके अलावा जहां बीमाकर्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को ईएसओपी जारी करने के लिए विशिष्ट ट्रस्ट का गठन किया गया हो, वहाँ ऐसे ट्रस्ट को शेयरों का निर्गम और एक या अधिक कर्मचारियों द्वारा विकल्प का प्रयोग भी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए के दायरे में आएगा।

उक्त परिपत्र में यह भी व्यवस्था है कि जहां केएमपी द्वारा ईएसओपी का प्रयोग बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, वहाँ ऐसे प्रयोग से पहले प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन मांगा जाएगा।

III.5.4 एक समूह के लिए पंजीकरण का एक से अधिक प्रमाणपत्र धारण करना - आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उप-धारा (9) के खंड (डी) में व्यवस्था है कि पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी एक "विदेशी कंपनी" भारत में एक शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा के व्यवसाय का लेन-देन कर सकती है।

तदनुसार, 16 फरवरी, 2022 के परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के विनियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित 'आवेदक' एक समूह के अंदर आता है, वहाँ उस समूह की कोई अन्य संस्था भारत में विदेशी पुनर्बीमा शाखा के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी।

III.6 बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना

निम्नलिखित व्यावसायिक संगठन बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध हैं:

III.6.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)

III.6.1.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) एक ऐसा संस्थान है जो प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित है एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन 04 अक्टूबर 2005 को निगमित है। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(च) के अंतर्गत आईआईआईएसएलए को प्रवर्तित और विनियमित करने के लिए प्राधिकरण को अधिदेश (मैडेट) दिया गया है जो बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के संबंध में कार्रवाई करता है।

III.6.2 भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई)

III.6.2.1 भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक कंपनी के रूप में जुलाई 2001 को निगमित है। प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत दलालों से अपेक्षित है कि वे आवश्यक रूप से भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) के सदस्य हों।

III.6.3 भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी)

III.6.3.1 आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा (14) (2) (च) बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ जुड़े हुए व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करने के लिए प्राधिकरण को शक्ति देती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने एक क्षेत्र-स्तरीय डेटा रिपोर्टिंग और विश्लेषण-विज्ञान, एनलिटिक्स की आवश्यकता पूरी करने के लिए भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) की स्थापना की जो सही, सामयिक, विश्वसनीय बीमा डेटा और विश्लेषण की व्यवस्था के माध्यम से हितधारकों को सशक्त बनाता है।

III.6.3.2 यह ब्यूरो बीमा व्यवसाय की बहुविध व्यवस्थाओं, जैसे जीवन, मोटर, स्वास्थ्य, अग्नि, इंजीनियरिंग और मरीन के लिए उद्योग-स्तरीय डेटाबेस का अनुरक्षण करता है तथा इनके संबंध में उद्योग के उपयोग के लिए विभिन्न रिपोर्टें और अन्य उत्पादन उत्पन्न करता है। इसके अलावा, यह ब्यूरो भारत में सभी लाइसेंस-प्राप्त बीमा विक्रेताओं का डेटाबेस रखता है।

III.6.3.3 आईआईबी की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों और सेवाओं का विवरण नीचे दिया जाता है:

क. बीमाकर्ताओं को धोखाधड़ी न्यूनीकरण सहायता: ब्यूरो धोखाधड़ियों के निवारण और न्यूनीकरण में बीमाकर्ताओं को खोज इंजनों और जोखिम हिसाब माडलों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित सेवाएँ धोखाधड़ी के निवारण और न्यूनीकरण में बीमाकर्ताओं को सहायता पहुँचाते हैं:

i. जीवन बीमा जोखिम-अंकन तथा दावा खोज उपकरण (क्रेस्ट):

क्रेस्ट जिसका परिचालन तत्काल आधार पर उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए किया जाता है, अपने डेटाबेस के बल पर बीमाकर्ताओं को जोखिम-अंकन और दावा प्रसंस्करण के समय अतीत में लिये गये किन्हीं प्रतिकूल निर्णयों और लोडिंग सहित, ग्राहक का संपूर्ण बीमा वृत्त उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान पहचानी गई संभावित धोखाधड़ियाँ

प्रश्नों की संख्या	मामलों की संख्या	बीमित राशि
1.34 करोड़	78,000	₹42,766 करोड़

ii. **वाहन दावा वृत्त सत्यापन सेवा (वीसीएचवीएस):** यह सेवा बीमाकर्ताओं को तत्काल पूर्ववर्ती पाँच-वर्ष की अवधि के लिए किसी वाहन का दावा वृत्त उपलब्ध कराती है, जिससे उन वाहनों पर अदावी (नो-क्लेम) बोनस से बचने में उन्हें मदद मिलती है जिनके संबंध में निकट अतीत में कोई दावा किया गया हो। 2021-22

2020-21	2021-22
2.1 करोड़ हिट	3.35 करोड़ हिट

iii. **दीर्घकालिक अन्य पक्ष पालिसी खोज सेवा:** एक वेब सेवा बनाई गई है जो बीमाकर्ताओं को चेसिस संख्या के आधार पर दीर्घकालिक पालिसियों का पालिसी विवरण पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। लंबी अवधि की समूहित (बंडल्ड) पॉलिसियों के मामले में, स्टैंड-अलोन निजी क्षति पॉलिसी के नवीकरण/रोलओवर के समय, बीमाकर्ता यह अधिप्रमाणित कर सकते हैं कि अनिवार्य टीपी कवर पहले से मौजूद है या नहीं।

iv. **मोटर धोखाधड़ी संबंधी पहलें:** राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त देश भर के सभी राज्यों से चोरी और बरामद वाहनों को एपीआई के माध्यम से उद्योग के साथ दैनिक आधार पर साझा करना। व्यवसाय की मोटर व्यवस्था में, ब्यूरो ने धोखाधड़ी के ट्रिगर बनाए हैं जो संभावित दावा धोखाधड़ी पर बीमाकर्ताओं को सचेत करते हैं।

v. **प्रान (संपत्ति जोखिम विश्लेषक):** यह सेवा वर्ष

2021-22 के दौरान अग्नि बीमा खंड के लिए प्रारंभ की गई थी, जिसके द्वारा बीमाकर्ता किसी निर्दिष्ट जोखिम स्थान / जिले की पांच साल की प्रवृत्ति को, उपगत दावा अनुपात के संदर्भ में समझ सकता है।

vi. स्वास्थ्य बीमा (एचआई) सुवाह्यता पोर्टल 2.0:

उक्त ब्यूरो उन पालिसीधारकों के हित के लिए स्वास्थ्य बीमा (एचआई) सुवाह्यता पोर्टल भी परिचालित करता है जो एक बीमाकर्ता से किसी अन्य बीमाकर्ता के पास अंतरण करना चाहते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अतिरिक्त कार्यात्मकताओं के साथ इस पोर्टल का नवीनीकरण किया गया। यह पोर्टल अंतरण ग्रहण करनेवाले बीमाकर्ता को अंतरण के लिए अनुरोध पर निर्णय लेने से पहले पालिसीधारक की पालिसी और दावा वृत्त की जाँच करने में समर्थ बनाता है।

ख. भंडार (रिपोजिटरी) और अनुप्रयोग

उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, आईआईबी कई अन्य रिपोजिटरियों और अनुप्रयोगों के लिए स्थान देता है जो कुछ मुख्य कार्यों में उद्योग की सहायता करते हैं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

i. लाइसेंसप्राप्त बीमा विक्रेताओं की रिपोजिटरी

(एनवाय): इस डेटाबेस में सभी बीमा विक्रेताओं, जैसे वैयक्तिक एजेंट, कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्ति, दलाल अर्हताप्राप्त व्यक्ति, बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएसपीएस) आदि का डेटा निहित है। एनवाय प्रधान व्यक्तियों की सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि कार्यग्रहण करने से पहले आवेदक व्यवसाय की उसी व्यवस्था में किसी अन्य संस्था के पास पहले से ही भर्ती नहीं हुए हैं। यह डेटाबेस आईआरडीएआई को आवधिक अपडेट/रिपोर्टें प्रस्तुत करने के अलावा, दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों, प्राधिकृत सत्यापकों, एमआईएसपी नामोद्दिष्ट व्यक्ति/विक्रेता, पीओएसपीयों का ओटीपी आधारित स्व-निष्क्रियकरण वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किया गया जिससे विक्रेताओं के

निष्क्रियकरण की प्रक्रिया को आसान किया जा सके।

- ii. **बीमा लेनदेन विनिमय (आईट्रेक्स):** ब्यूरो आईट्रेक्स का परिचालन करता है जो बीमाकर्ताओं और बीमा रिपोजिटरियों (आईआरएस) के बीच सूचना के प्रवाह का समर्थन करनेवाला एक विनिमय केन्द्र (हब) है। आईट्रेक्स इलेक्ट्रानिक पालिसियों के लिए एक केवाईसी रिपोजिटरी के रूप में तथा आईआरएस द्वारा जारी किये गये इलेक्ट्रानिक बीमा खातों (ईआईएस) और बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई इलेक्ट्रानिक पालिसियों के डेटाबेस के रूप में भी कार्य करता है। बढ़ी हुई मात्राओं और कार्यों को संभालने के लिए वर्ष के दौरान आईट्रेक्स की बुनियादी संरचना को नवीनीकृत (रीवैम्प) किया गया।

ग. बेंचमार्क रिपोर्टें

- i. **मृत्यु-दर और अस्वस्थता-दर अन्वेषण केन्द्र (एमएमआईसी) :** ब्यूरो उक्त केन्द्र का परिचालन करता है जो भारत में बीमाकृत जीवनो की विभिन्न श्रेणियों के बीच मृत्यु-दर और अस्वस्थता-दर के स्तरों पर अध्ययन निष्पादित करता है। इन रिपोर्टों के द्वारा उत्पन्न की गई दरें प्राधिकरण द्वारा उद्योग के लिए बेंचमार्क/रिफ़रल दरों के रूप में अधिदेशित (मैंडेटेड) की जाती हैं तथा वे कीमत-निर्धारण और मूल्यांकन में मुख्य निविष्टियाँ हैं। वर्ष 2021-22 में आईआईबी द्वारा उत्पन्न की गई उक्त रिपोर्टों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (आईएएलएम) रिपोर्ट 2015-17
 - सामूहिक वार्षिकीग्राही मृत्यु-दर रिपोर्ट 2012-16

उक्त केन्द्र ने 2013-19 अवधि के लिए अस्वस्थता-दर/गंभीर अस्वस्थता अध्ययन भी प्रारंभ किया है, जिसका भारतीय बीमा क्षेत्र में पहली बार प्रयास किया जा रहा है।

- ii. **मोटर अन्य पक्ष (टीपी) कीमत-निर्धारण:** आईआईबी मोटर अन्य पक्ष संविभाग के अंतर्गत प्रशुल्क (टैरिफ़) निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को डेटा निविष्टियाँ प्रस्तुत करता है।
- iii. **हानि लागत अनुसूची:** अग्नि बीमा संविभाग में हानि लागतें आईआईबी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं तथा प्रीमियम दरें निर्धारित करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा इनपर विचार किया जाता है।

घ. अन्य रिपोर्टें / गतिविधियाँ

उक्त ब्यूरो बड़ी संख्या में रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है जो एक नियमित आधार पर वार्षिक, विषयपरक और आवश्यकता नुरूप तैयार की गई श्रेणियों में आती हैं। वर्ष 2021-22 में जारी की गई रिपोर्टों में शामिल हैं:

- जीवन बीमा दावा रिपोर्ट 2019-20
- मोटर अन्य पक्ष दावा विकास विश्लेषण रिपोर्ट
- मोटर वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2019-20
- अग्नि, मरीन और इंजीनियरिंग खंडों संबंधी वार्षिक रिपोर्टें
- प्रतिपूर्ति दावों संबंधी अध्ययन (स्वास्थ्य)
- बीमारियों के वितरण संबंधी रिपोर्ट

ड. उन्नत विश्लेषण विज्ञान: ब्यूरो ने हाल के वर्षों में बीमा के क्षेत्र में सांख्यिकीय प्रतिरूपण (माडलिंग) और उन्नत विश्लेषण विज्ञान (एनलिटिक्स) में अपनी आंतरिक विशेषज्ञता विकसित की है। इसने भविष्यसूचक जीवन जोखिम समंकन आदर्श (प्रिडिक्टिव लाइफ रिस्क स्कोरिंग माडल) (प्रिज़्म) का निर्माण किया है जो किसी बीमा प्रस्ताव/ पालिसी की जोखिम प्रवणता उसके प्रारंभिक वर्षों में निर्दिष्ट करता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान जीवन बीमा द्वारा प्रिज़्म का उपयोग

प्रश्नों की सं.	प्रिज़्म द्वारा अभिनिर्धारित संभावित रूप से जोखिमपूर्ण मामले
2.42 करोड़	3.22 लाख

निजी कारों में दावे की प्रवृत्ति का अनुमान करने में बीमाकर्ताओं के हित के लिए एक जोखिम समंकन माडल का भी अभिनियोजन किया गया है। जबकि समग्र निजी कार संविभाग में औसत दावा व्यय-भार लगभग 20 प्रतिशत था, उक्त माडल द्वारा महत्वपूर्ण गणना के साथ समनुदेशित वाहनों के लिए यह 54 था।

च. सहयोग / डेटा साझेदारी व्यवस्थाएँ

आईआईबी बीमाकर्ताओं के साथ/बीच, आईआरडीआई और सरकार के अनेक विभागों/मंत्रालयों तथा एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) तथा राज्य परिवहन प्राधिकारियों के साथ अधिक महत्व की परियोजनाओं के लिए सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक विश्वसनीय मंच उपलब्ध कराता है। उक्त ब्यूरो को सार्वजनिक जागरूकता पहले भी सौंपी गई है जैसे अबीमाकृत वाहनों के लिए एसएमएस अभियान, जिसका प्रबंध वह राज्य सड़क परिवहन प्राधिकारियों के साथ समन्वय से कर रहा है।

आईआईबी स्वास्थ्य बीमा दावों में मुख्य प्रवृत्तियों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (एनएचएसआरसी) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को भी निविष्टियाँ उपलब्ध कराता है।

III.6.4 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम)

III.6.4.1 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम) आईआरडीआई और पूर्व की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक व्यावसायिक निकाय है जो बीमा शिक्षण के संवर्धन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षण और अनुसंधान संगठन के रूप में कार्यरत है तथा यह संस्थान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित है। आईआईआरएम के समग्र कार्यचालन का पर्यवेक्षण आईआरडीआई के अध्यक्ष की अध्यक्षता में निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही

III.7.1 प्राधिकरण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए लाइसेंसिकरण और लाइसेंस के नवीकरण हेतु विभिन्न विनियामक शुल्क और प्रभारों की उगाही करता है। शुल्क और अन्य प्रभारों के रूप में वर्ष 2021-22 में बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से कुल रु. 206.29 करोड़ की राशि वसूल की गई।

III.7.2 वर्ष 2021-22 के दौरान, बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वसूल किये गये शुल्क के साथ

बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए शुल्क-संरचना अनुबंध 7 में प्रस्तुत है।

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना

III.8.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 और आईआरडीआई अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ज) बीमा कंपनियों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की जाँच-पड़ताल सहित उनसे सूचना माँगने तथा उनका आनसाइट निरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक उपबंध निर्धारित करती हैं। पर्यवेक्षी निरीक्षण कम से कम एक दो-मुखी दृष्टिकोण – अर्थात् परोक्ष (ऑफ़-साइट) जाँच और स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण, को संबद्ध करता है।

परोक्ष (ऑफ़-साइट) जाँच

III.8.2 परोक्ष (ऑफ़-साइट) निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य उन संस्थाओं की पहचान करने के लिए ((वित्तीय स्वास्थ्य और विनियमित संस्थाओं के बाजार आचरण की निगरानी करना है)) जो वित्तीय गिरावट दिखाती हैं और जो पर्यवेक्षी चिंताओं का कारण होंगी, विनियमित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और बाजार व्यवहार की निगरानी करना है। यह समय पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रेरक (ट्रिगर) के रूप में कार्य करता है। परोक्ष जाँच का संचालन आईआरडीआई द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अंतर्गत आवधिक विवरणों विवरणियों, रिपोर्टों, नीतियों और अधिदेशात्मक (मैंडेटेड) किये गये अनुपालन प्रमाणपत्रों का विश्लेषण करने के द्वारा किया जाता है।

स्थान पर (आन-साइट) निरीक्षण

III.8.3 प्राधिकरण, पर्यवेक्षण विभाग के माध्यम से, संबंधित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों/परिपत्रों, निदेशों, मानकों आदि के प्रावधानों के पालन/अनुपालन के संबंध में विनियमित संस्थाओं का अपना ऑन-साइट पर्यवेक्षण करता है।

विनियमित संस्थाओं के स्थान पर उनकी वित्तीय स्थिति, बाजार

व्यवहार, कारपोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंध और संबंधित विषयों के संबंध में विभिन्न विनियामक उपबंधों और अन्य प्रयोज्य विधियों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए नमूना आधार पर संबंधित अभिलेखों, लेखा-बहियों और व्यावसायिक कार्यकलापों की जाँच के द्वारा उनकी कार्य-पद्धति के आकलन के लिए सामान्य, विषयपरक और संकेन्द्रित निरीक्षण किये जाते हैं।

III.8.4 कोविड-19 महामारी के कारण, पर्यवेक्षण विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए दूरस्थ फार्मेट (ऑनलाइन) में विनियमित संस्थाओं का निरीक्षण किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 88 दूरस्थ निरीक्षण किए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

निरीक्षण का प्रकार	निरीक्षण की गई संस्थाओं की संख्या
सामान्य निरीक्षण	72
विषयपरक निरीक्षण	15
संकेंद्रित निरीक्षण	1
कुल	88

क) सामान्य निरीक्षण

संस्था का प्रकार	निरीक्षण की गई संस्थाओं की संख्या
जीवन बीमाकर्ता	5
साधारण बीमाकर्ता	6
स्वास्थ्य बीमाकर्ता	5
पुनर्बीमाकर्ता	1
विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा	3
बीमा दलाल	15
कॉर्पोरेट एजेंट	4
अन्य पक्ष प्रबंधक	9
कॉर्पोरेट सर्वे	11
बीमा विपणन फर्म	13
कुल	72

ख) विषयपरक निरीक्षण

संस्था का प्रकार	निरीक्षण की गई संस्थाओं की संख्या
जीवन बीमाकर्ता	7
साधारण बीमाकर्ता	8
कुल	15

ग) संकेन्द्रित निरीक्षण

संस्था का प्रकार	निरीक्षण की गई संस्थाओं की संख्या
जीवन बीमाकर्ता	1
कुल	1

III.8.5 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, निरीक्षित संस्थाओं से प्राप्त प्रत्युत्तरों सहित, अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण समर्थक प्रमाणों और प्रत्येक निरीक्षण टिप्पणी के लिए यथाप्रस्तावित कार्रवाई की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन और अनुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। कार्रवाइयों की प्रस्तावित प्रक्रिया संबंधित नोडल विभाग के विभाग-प्रमुख (एचओडी) को 15 दिन के समय के अंदर उनकी टिप्पणियाँ/निविष्टियाँ देने के लिए प्रस्तुत की जाती है। विभाग-प्रमुखों से प्राप्त टिप्पणियों का ध्यान रखते हुए और साथ ही, इसी प्रकार के अन्य विषयों पर परोक्ष (आफ़साइट)/प्रत्यक्ष (आनसाइट) रूप से की गई कार्रवाइयों पर विचार करते हुए प्रवर्तन विभाग कार्रवाई की एक प्रक्रिया की सिफारिश करता है, जो अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्रवाई की प्रक्रिया के आधार पर निरीक्षित संस्था पर या तो आरोप लगाया जाता है या उसे परामर्श दिया जाता है और/या टिप्पणी समाप्त की जाती है। जिस संस्था पर किसी विनियामक उल्लंघन/अननुपालन के लिए आरोप लगाया जाता है उसे वैयक्तिक सुनवाई के द्वारा स्वयं अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया जाता है और तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम कार्रवाई, जैसे अर्थदंड, चेतावनी, सतर्कता, निदेश, परामर्श आदि, की जाती है।

इसके अलावा, कुछ मामलों में जहां उल्लंघन बिलकुल गंभीर हैं कि जिनके लिए पंजीकरण/लाइसेंस आदि को निरस्त करने की आवश्यकता होती है, वहाँ प्राधिकरण उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद पंजीकरण/लाइसेंस को निरस्त कर देता है।

उपर्युक्त के अलावा, प्राधिकरण बीमा अधिनियम की कुछ विनिर्दिष्ट धाराओं के उल्लंघन के मामले में न्यायनिर्णयन प्रक्रिया का भी प्रयोग करता है।

आईआरडीएआई द्वारा पारित सभी आदेशों के संबंध में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है।

III.8.6 वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रवर्तन और अनुपालन विभाग द्वारा समाप्त की गई ऑन-साइट और दूरस्थ निरीक्षण रिपोर्टें 106 हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

संस्था का प्रकार	समाप्त निरीक्षण रिपोर्ट
जीवन बीमाकर्ता	2
गैर-जीवन बीमाकर्ता	6
वेब संग्राहक	4
दलाल	45
कॉर्पोरेट एजेंट	14
सर्वेक्षक	16
विदेशी पुनर्बीमा शाखा	1
अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)	8
बीमा विपणन फर्म	9
बीमा भंडार (रिपोजिटरी)	1
कुल	106

106 समाप्त की गई रिपोर्टों की टिप्पणियों पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है

परामर्शी	261
निदेश	100
सतर्कता	139
चेतावनी	6
अर्थदंड	18 दृष्टांतों पर रू. 3.68 करोड़

III.8.7 दूरस्थ निरीक्षण और संकेन्द्रित निरीक्षणों के आधार पर प्रवर्तन और अनुपालन विभाग के अलावा अन्य विभागों के द्वारा भी विनियामक कार्रवाइयाँ की गई हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंडों का विवरण अनुबंध 9 में दिया गया है।

III.9 बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन प्रशुल्क परामर्शदात्री समिति के द्वारा इतना नियंत्रित और विनियमित नहीं किये जानेवाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन

III.9.1 जहां तक कीमत-निर्धारण का संबंध है, मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय को छोड़कर प्रशुल्क (टैरिफ) से युक्त साधारण बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों को 01 जनवरी, 2008 से प्रशुल्क-रहित (डी-टैरिफ) कर दिया गया था। चूंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अंतर्गत मोटर अन्य पक्ष कवर एक सांविधिक बीमा है, अतः मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरों को इसके पूर्व प्रत्येक वर्ष आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित किया गया है।

वर्तमान में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अंतर्गत, केंद्र सरकार एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (1) के अंतर्गत एक मोटर वाहन (अन्य पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता) नियम, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से परामर्श करने के उपरांत निर्धारित करेगी।।

अतः, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 394 (ई) दिनांक 25 मई, 2022 के द्वारा मोटर यान (परपक्षकार प्रीमियम मूल और देयता) नियम, 2022 प्रकाशित किये हैं जो 01 जून, 2022 से लागू होंगे।

III.10 उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे।

III.10.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत भी निर्धारित रूप और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित मदें प्रस्तुत करने के लिए रखी जाती हैं।

III.10.2 मध्यवर्तियों के मामले में अपेक्षित है कि लेखा-बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव संबंधित विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में और तरीके से किया जाएगा।

III.10.3 जहाँ कहीं भी प्राधिकरण ने वह रूप और तरीका निर्धारित नहीं किया है जिसमें लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए, वहाँ कंपनी अधिनियम/ नियमों और अन्य प्रयोज्य अधिनियमों/ नियमों के उपबंध लागू होंगे।

III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन

III.11.1 मास्टर परिपत्र और समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों के साथ पठित आईआरडीएआई (निवेश)

विनियम, 2016 बीमाकर्ताओं के निवेशों का विनियमन करते हैं।

III.11.2 बीमाकर्ताओं द्वारा सूचीबद्ध बुनियादी संरचना निवेश न्यासों और भूसंपदा निवेश न्यासों की कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश

बीमाकर्ताओं को सूचीबद्ध बुनियादी संरचना निवेश न्यासों (इन्वआईटीएस) और भूसंपदा निवेश न्यासों (आरआईटीएस) के यूनितों में निवेश करने की अनुमति है। न्यासों को कर्ज प्रतिभूतियाँ जारी करने के लिए अनुमति देनेवाले वित्त अधिनियम, 2021 के परिणामस्वरूप, इन्वआईटीएस/ आरआईटीएस द्वारा जारी की गई "कर्ज प्रतिभूतियों" में निवेश करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- क. इन्वआईटी / आरआईटी के कर्ज लिखत रेटिंग से युक्त होंगे तथा अनुमोदित निवेशों के भाग के रूप में "एए" से अन्यून रेटिंग से युक्त होंगे।
- ख. इन्वआईटी / आरआईटी के रेटिंग प्राप्त और/या "एए" से नीचे के ग्रेड से युक्त कर्ज लिखत अन्य निवेशों का भाग बनेंगे।
- ग. कोई भी बीमाकर्ता एक एकल इन्वआईटी / आरआईटी निर्गम में बकाया कर्ज लिखतों (वर्तमान निर्गम सहित) के 10% से अधिक निवेश नहीं करेगा।
- घ. इन्वआईटी और आरआईटी के यूनितों और कर्ज लिखतों में संचयी निवेश किसी भी समय पर बीमाकर्ता के कुल निधि आकार के 3% से अधिक नहीं होंगे।
- ङ. किसी इन्वआईटी / आरआईटी के कर्ज लिखतों में कोई भी निवेश नहीं किया जाएगा जहाँ प्रायोजक बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह में हो।
- च. समूह का अर्थ आईआरडीआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 2(छ) के अंतर्गत परिभाषित रूप में होगा।
- छ. इन्वआईटी के कर्ज लिखतों में निवेश "बुनियादी संरचना निवेशों" का भाग बनेंगे।
- ज. आरआईटी के कर्ज लिखतों में निवेश एनआईसी उद्योग वर्गीकरण के अंतर्गत उद्योग समूह "स्थावर संपदा गतिविधियों" का भाग बनेंगे।

झ. इन्वआईटी/आरआईटी के कर्ज लिखतों में निवेश का मूल्यांकन फ़िन्डा के अनुसार अथवा सेबी के पास पंजीकृत किसी अन्य रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों के अनुसार किया जाएगा।

III.11.3 बीमाकर्ताओं द्वारा वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) की निधियों की निधि (एफओएफ) में निवेश

बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) की निधियों की निधि (एफओएफ) में निवेश करने की अनुमति है:

- क. ऐसी एआईएफ में निवेश करने की अनुमति नहीं है जो दैनंदिन परिचालनगत आवश्यकताएँ पूरी करने को छोड़कर कोई उन्नयन अथवा उधार ग्रहण करते हैं तथा सेबी (वैकल्पिक निवेश निधियाँ) विनियम, 2012 के अंतर्गत अनुमत रूप में निवेश किया जा सकता है।
- ख. बीमाकर्ता केवल उसी निधियों की निधि (एफओएफ) में निवेश करेगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ई की अपेक्षा का अनुपालन करती है।
- ग. बीमाकर्ता विदेशी कंपनियों/निधियों में निवेश करनेवाली एआईएफ में निवेश करने से प्रतिबंधित करते हुए एफओएफ द्वारा निष्पादित निधि प्रस्ताव दस्तावेजों में एक खंड (क्लाज़) शामिल करने के द्वारा धारा 27ई का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- घ. कोई भी बीमाकर्ता एक ऐसी एआईएफ में निवेश नहीं करेगा, जिसका फिर एक एफओएफ में एक्सपोज़र हो, जिसमें बीमाकर्ता ने एक्सपोज़र लिया हो।

III.12 शोधन-क्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमन:

III.12.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित शोधन-क्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन का अनुरक्षण करे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीआई द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के आधिक्य

का अनुरक्षण करेगा, जो अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन के रूप में जाना जाता है। आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016, आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 एवं आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 में अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति का विस्तार से वर्णन किया गया है।

III.12.2 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, न्यूनतम अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन पचास करोड़ रुपये (पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक सौ करोड़ रुपये) है तथा इसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से गणना कर प्राप्त किया जाएगा। बीमा अधिनियम, 1938 (समय-समय पर यथासंशोधित) में शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर के रूप में कहलानेवाले शोधन-क्षमता मार्जिन का स्तर विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर, प्राधिकरण बीमाकर्ता को छह महीने से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर कमी को सुधारने के लिए कार्रवाई की योजना निर्दिष्ट करते हुए एक वित्तीय योजना प्रस्तुत करने के लिए निदेश देगा।

III.12.3 साधारण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के मामले में, अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता अथवा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा/ समनुदेशित पूँजीगत अपेक्षा के पचास प्रतिशत का अधिकतम; अथवा निम्नानुसार व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग से संगणित आरएसएम-1 और आरएसएम-2 का उच्चतर होगा:

- आरएसएम-1 से अभिप्रेत है, निवल प्रीमियमों पर आधारित अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के बीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक ए और निवल प्रीमियमों द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों का उच्चतर है। आरएसएम1 के परिकलन के प्रयोजन के लिए 'पिछले 12 महीनों के प्रीमियम' को हिसाब में लिया जाएगा।
- आरएसएम-2 से अभिप्रेत है, निवल उपगत दावों पर आधारित अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, तथा यह

उस राशि के तीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक बी और निवल उपगत दावों के द्वारा गुणा किये गये सकल उपगत दावों का उच्चतर है। आरएसएम2 के परिकलन के प्रयोजन के लिए 'पिछले 12 महीनों के दावों' और '3 से विभाजित पिछले 36 महीनों के दावों' के अधिकतम के रूप में दावों को हिसाब में लिया जाएगा।

III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन

III.13.1 आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 59(2) के अनुसार, किसी बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाला कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उस शिकायत की जाँच कर सकता है एवं यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

III.14 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.14.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015, 24 अगस्त 2015 को अधिसूचित किये गये हैं तथा ये आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हैं। इन विनियमों में उल्लिखित दायित्व वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हो गये हैं।

विनियामक प्रावधानों के अनुसार, बीमाकर्ताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को पूरा करना चाहिए।

III.14.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रामाणिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एसएचए) तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यकर्ताओं को ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की श्रेणी से संबंधित रूप में माना गया है।

IV

संगठनात्मक विषय

भाग - IV संगठनात्मक विषय

IV.1 संगठन

IV.1.1 श्री देवाशीष पण्डा आईएस (यूपी: 87) (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को भारत सरकार द्वारा 14 मार्च, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा, पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक) और श्रीमती एस एन राजेस्वरी, पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) भी इस अवधि के दौरान प्राधिकरण में बने रहे।

श्रीमती टी.एल. अलमेलु, पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन), श्री के. गणेश, पूर्णकालिक सदस्य (जीवन) पद पर बने रहे और क्रमशः 06 मई, 2022 और 30 जुलाई, 2022 तक कार्यालय में रहे।

श्री राकेश जोशी को 22 मार्च, 2022 से पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं निवेश) के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री थॉमस एम. देवासिया को 19 सितंबर, 2022 से पूर्ण सदस्य (गैर-जीवन) के रूप में नियुक्त किया गया।

IV.1.2 श्री देवाशीष पण्डा सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और सुश्री सुषमा नाथ, पूर्व वित्त सचिव, प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में क्रमशः 24 जून, 2021 और 23 अगस्त, 2021 तक कार्यालय में रहें।

श्री अमित अग्रवाल, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 25 जून, 2021 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री सुचिन्द्र मिश्रा, अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 04 जुलाई, 2022 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री नीहार एन. जंबुसारिया, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, 12 फरवरी, 2021 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य बने और 11 फरवरी, 2022 तक बने रहे। तदुपरांत, सीए (डॉ.) देवाशीष मित्र, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, 12 फरवरी, 2022 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य बने।

सारणी IV.1: 31 मार्च 2022 को प्राधिकरण की संरचना

नाम	स्थिति	प्रावधान
श्री देवाशीष पण्डा	अध्यक्ष	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(क) के अधीन नियुक्त
श्रीमती टी.एल. अलमेलु	पूर्णकालिक सदस्य (गैर जीवन)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्री के. गणेश	पूर्णकालिक सदस्य (जीवन)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा	पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्रीमती एस. एन. राजेस्वरी	पूर्णकालिक सदस्य (वितरण)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्री राकेश जोशी	पूर्ण कालिक सदस्य (वित्त एवं निवेश)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्री अमित अग्रवाल	अंशकालिक सदस्य	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ग) के अधीन नियुक्त
सीए (डॉ.) देवाशीष मित्रा	अंशकालिक सदस्य	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ग) के अधीन नियुक्त

प्राधिकरण की बैठकें

IV.1.3 वर्ष 2021-22 के दौरान प्राधिकरण की बैठकें छह अवसरों पर आयोजित की गईं।

प्राधिकरण बैठक	तिथि
प्राधिकरण की 113वीं बैठक	28 जून, 2021
प्राधिकरण की 114वीं बैठक	02 सितंबर, 2021
प्राधिकरण की 115वीं बैठक	01 अक्टूबर, 2021
प्राधिकरण की 116वीं बैठक	22 दिसंबर, 2021
प्राधिकरण की 117वीं बैठक	09 फरवरी, 2022
प्राधिकरण की 118वीं बैठक	28 मार्च, 2022

प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थित बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है।

सारणी IV.2: 2021-22 के दौरान प्राधिकरण की बोर्ड की बैठकों का विवरण

नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	आयोजित बैठकों की संख्या
श्री देवाशीष पण्डा	1*	1
श्रीमती टी.एल. अलमेलु	6	6
श्री के. गणेश	6	6
श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा	6	6
श्रीमती एस.एन. राजेस्वरी	6	6
श्री राकेश जोशी	1*	1
श्रीमती सुषमा नाथ	1**	1
श्री अमित अग्रवाल	6	6
श्री निहार एन. जम्बूसारिया	5**	2
सीए (डॉ.) देवाशीष मित्रा	1*	1

* कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोजित बैठकों की संख्या।

** कार्यभार छोड़ने के पूर्व वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या।

सारणी IV.4: आईआरडीएआई में श्रेणी-वार स्टाफ संख्या

श्रेणी वर्ग	31 मार्च, 2021 को स्थिति				31 मार्च, 2022 को स्थिति			
	अजा	अजजा	अन्य	कुल	अजा	अजजा	अन्य	कुल
I	21 (10.61)	7 (3.54)	170 (85.86)	198 (100.00)	21 (10.88)	7 (3.63)	165 (85.49)	193 (100.00)
II & IV	1 (6.67)	1 (6.67)	13 (86.67)	15 (100.00)	1 (6.67)	1 (6.67)	13 (86.67)	15 (100.00)
कुल	22 (10.33)	8 (3.76)	183 (85.92)	213 (100.00)	22 (10.58)	8 (3.85)	178 (85.58)	208 (100.00)

IV.2 मानव संसाधन

IV.2.1 मानव संसाधन विभाग की भूमिका मानव संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करना तथा ऐसे परिवेश का निर्माण करने के लिए अभिकल्पित नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका विकास करना, उन्हें संसाधित करना और उन्हें लागू करना है जो कर्मचारियों के कल्याण को विकसित और प्रोत्साहित करे तथा उसे बनाये रखे। मुख्य उद्देश्य कार्य-संतोष का मापन करने, कर्मचारियों का विनियोजन करने तथा कार्यस्थल संबंधी संघर्ष का समाधान करने के द्वारा नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को मजबूत करना है।

इस विभाग की परिदृष्टि उन कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं का विकास करना, कार्यान्वयन करना और उनका समर्थन करना है जो प्राधिकरण और इसके कर्मचारियों का मूल्य-संवर्धन करते हैं जिससे बेहतर कर्मचारी कल्याण, सशक्तीकरण, संवृद्धि और प्रतिधारण के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।

स्टाफ संख्या

IV.2.2 स्टाफ-संख्या और अतिरिक्त श्रमशक्ति की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या की स्थिति निम्नानुसार है:

सारणी IV.3: आईआरडीएआई में स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या

वर्ग	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2022 को	
	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
I	258	198	319	193
III & IV	22	15	17	15
कुल	280	213	336	208

श्रेणी-वार स्टाफ संख्या

IV.2.3 स्टाफ सदस्यों का श्रेणी-वार वितरण नीचे दिया गया है।

कर्मचारियों की लिंग और आयु रूपरेखा

IV.2.4 208 कर्मचारियों में से 50 महिलाएं हैं जो कुल कर्मचारियों का 24 प्रतिशत हैं। आईआरडीएआई एक युवा और गतिशील संगठन है जिसके कर्मचारियों की औसत आयु लगभग 43 वर्ष है। वर्ष 2021-22 में स्टाफ सदस्यों का आयु-वार वितरण नीचे दिया गया है।


सारणी IV.5: आईआरडीएआई में स्टाफ का आयु-वार वितरण

आयु (वर्ष)	स्टाफ संख्या	कुल में से प्रतिशत
≤ 30	38	18.27
31 - 40	54	25.96
41 - 50	85	40.87
51 - 60	31	14.90
कुल	208	100.00

सारणी IV.7: आईआरडीएआई में ग्रेड-वार स्टाफ संख्या

ग्रेड	2020-21	2021-22
कार्यकारी निदेशक (ईडी)	1	1
मुख्या महाप्रबंधक (सीजीएम)	7	6
महाप्रबंधक (जीएम)	19	19
उप महाप्रबंधक (डीजीएम)	24	23
सहायक महाप्रबंधक (एजीएम)	47	45
प्रबंधक (एमजीआर)	27	27
सहायक प्रबंधक (एम)	73	72
सहायक (एसएसटी)	14	14
वरिष्ठ सहायक (एसए)	1	1
कुल	213	208

चार्ट IV.1: आईआरडीएआई में स्टाफ का ग्रेड-वार वितरण (2021-22)



क्षेत्र-वार स्टाफ संख्या

IV.2.5 स्टाफ सदस्यों का क्षेत्र-वार वितरण सारणी नीचे दिया गया है।

सारणी IV.6: आईआरडीएआई में क्षेत्र-वार स्टाफ संख्या

क्षेत्र	अधिकारियों की संख्या	कुल का प्रतिशत
प्रधान कार्यालय	186	89.43
नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (एनडीआरओ)	16	7.69
मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ)	6	2.88
कुल	208	100.00

ग्रेड-वार स्टाफ संख्या

IV.2.6 स्टाफ सदस्यों का ग्रेड-वार वितरण नीचे दिया गया है।

प्रशिक्षण और विकास

IV.2.7 प्रशिक्षण और विकास, कर्मचारियों के वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान के आधार को बढ़ाने और व्यापक करने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है। स्टाफ सदस्यों के ज्ञान, कौशल और कार्यक्षमताओं में वृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान अनेक प्रशिक्षण पहलें की गई थीं।

आंतरिक प्रशिक्षण

IV.2.8 प्रतिभा-संपन्न व्यक्तियों के समूह का निर्माण करने के लिए, आईआरडीएआई द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखा गया जिसमें अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) द्वारा विकसित किये गये मुख्य पाठ्यक्रम (कोर करिक्युलम) माड्यूलों पर स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण देना संबद्ध है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभवी बीमांककों, लेखा-परीक्षकों, बीमा/पुनर्बीमा विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, विधिज्ञों, और आईटी विशेषज्ञों सहित पर्याप्त रूप में भली-भाँति अर्हता-प्राप्त स्टाफ को विकसित करना रहा है। पर्यवेक्षण की माँगों को पूरा करने के लिए स्टाफ के पास अवश्य उपयुक्त स्तरों का कौशल और अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षकों को बीमा उद्योग प्रथाओं और परिष्कार के स्तरों को बनाए रखना चाहिए ताकि विनियमित संस्थाओं का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण किया जा सके।

घरेलू प्रशिक्षण

IV.2.9 26 और 27 अगस्त, 2021 के दौरान "आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत अनुपालन के संबंध में पारदर्शिता लेखापरीक्षा" पर दो दिवसीय वेबिनार में आरटीआई से संबंधित मामलों को देखने वाले अट्टार्नेस (28) अधिकारियों ने भाग लिया। चार अधिकारियों ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली द्वारा 22 से 23 जुलाई, 2021 के दौरान "अनुशासनात्मक कार्यवाही पर उच्चस्तरीय कोर्स" पर आयोजित दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिया।

विदेशी प्रशिक्षण

IV.2.10 चार अधिकारियों ने पांच दिवसीय नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन कमिश्नर्स (एनआईसी) अंतरराष्ट्रीय फ़ेलोज़ आभासी (वर्चुअल) कार्यक्रम में भाग लिया।

अन्य गतिविधियां

आजादी का अमृत महोत्सव

IV.2.11 भारत सरकार की पहल के अनुसार, 75वां स्वतंत्रता दिवस "आजादी का अमृत महोत्सव" के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य न केवल हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्षों को अंगीकार करना था, बल्कि उनके संघर्ष यात्रा की सराहना करना और उसका जश्न मनाना भी था। स्वतंत्रता के बाद से बीमा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और आईआरडीएआई की उपलब्धियों को याद करने के लिए सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा एक सप्ताह तक चलने वाली गतिविधियाँ जैसे देशभक्ति गीत गाना और कविता पाठ, बीमा के इतिहास पर चर्चा, मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट और आईआरडीएआई की उपलब्धियाँ, 'आजादी की यात्रा' और 'बीमा में शामिल' करने की कहानी के विषयों पर छोटे नाटक/सेल्फ शॉट फिल्में और/या विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर विज्ञापन प्रदर्शनी में संगठन और बीमा क्षेत्र में स्वतंत्रता से लेकर आज तक वैश्विक आउटरीच और विजन 2047 तक नवाचार और परिवर्तन की कहानी का प्रदर्शन किया गया।

कोविड-19 टीकाकरण

IV.2.12 आईआरडीएआई स्टाफ सदस्यों एवं उनके परिवार सहित आउटसोर्स स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

IV.2.13 सभी कर्मचारियों द्वारा महिला अधिकारियों के पेशेवर और अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए दिनांक 08 मार्च, 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) 2022 बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया।

संविधान दिवस

IV.2.14 आजादी का अमृत महोत्सव की सरकार की पहल के भाग के रूप में, संविधान दिवस का आयोजन बड़े पैमाने पर "जनभागीदारी" के साथ किया गया था। जब 26 नवंबर, 2021

को संसद के सेंट्रल हॉल से संविधान दिवस-लाइव समारोह का नेतृत्व करते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ आईआरडीएआई के कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा।

इस अवसर पर, "संवैधानिक लोकतंत्र पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी" का भी आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

राष्ट्रीय बालिका दिवस

IV.2.15 आईआरडीएआई ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' पहल के तहत 24 जनवरी, 2022 को "राष्ट्रीय बालिका दिवस" मनाया था। कर्मचारियों ने अपनी पुत्री / पुत्रियों के साथ तस्वीरें लीं और छोटे संदेशों के साथ स्वयं सहित उनका वीडियो बनाया और चित्रों को आईआरडीएआई के आभासी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया।

महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति

IV.2.16 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में शिकायतों का निवारण करने एवं उक्त अधिनियम में निर्धारित विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्यालय आदेश संदर्भ संख्या आईआरडीए/एचआर/ ओआरडी/पीईआर/222/08/2020 दिनांक 27 अगस्त, 2020 के द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया। वर्ष 2021-22 में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

प्राधिकरण ने एक कार्यक्रम अर्थात् व्यवहार-प्रशिक्षण/ प्रबंध विकास कार्यक्रम का संचालन किया है, जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों के लिए 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण' पर एक सत्र शामिल किया गया।

शिकायत निवारण समिति

IV.2.17 शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का गठन 4 फरवरी, 2011 को आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्त) विनियम, 2000 के विनियम 72 के अनुसार किया गया था, ताकि इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई हो तो, उसकी जांच की जा सके। आईआरडीएआई स्टाफ(अधिकारी और अन्य

कर्मचारी) विनियम, 2016 का विनियम 78 कर्मचारियों के शिकायत निवारण और कल्याण के लिए प्रावधान और प्रक्रिया निर्धारित करता है। पिछली बार 21 जनवरी, 2020 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, एक शिकायत प्राप्त हुई और उस पर कार्रवाई की गई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की सिफारिश के अनुसरण में 05 नवंबर, 2021 को अनुसूचित जाति समुदाय के कर्मचारियों के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति (आईजीसी) का गठन किया गया है।

IV.3 राजभाषा का संवर्धन

IV.3.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भा.बी.वि.वि.प्रा.) ने कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपने संगठित प्रयास को करना जारी रखा है। राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न उपबंधों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग राजभाषा कार्यान्वयन विभाग कार्यरत है। वित्तीय वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, हिन्दी के प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये वार्षिक कार्यक्रम तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों सहित भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये गये। वर्ष 2021-22 के लिए हिन्दी के प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम अनुपालन के लिए कार्यालय आदेश के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

IV.3.2 संसद के पटल पर रखे जानेवाले सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में तैयार किये गये। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हिन्दी में प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों/अपीलों/ आरटीआई आवेदनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। उपर्युक्त नियमों के नियम 11 का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया गया।

प्रगति प्रतिवेदन

IV.3.3 राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में भा.बी.वि.वि.प्रा. के सभी विभागों से तिमाही प्रगति प्रतिवेदन से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण किया गया। उक्त प्रतिवेदन को निर्धारित समयावधि में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। तिमाही प्रगति प्रतिवेदन के अलावा, छमाही प्रगति प्रतिवेदन,

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन और मूल्यांकन प्रतिवेदन भी तैयार की गईं और उपर्युक्त विभागों के अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भी प्रस्तुत की गईं।

उपलब्धियाँ और पुरस्कार

IV.3.4 भा.बी.वि.वि.प्रा. द्वारा हिंदी टंकण को बढ़ाने के विशेष उद्देश्य से बनाए गए ऑनलाइन टंकण एप्लिकेशन द्वारा हिंदी पखवाड़ा में एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हेतु ऑनलाइन हिंदी टंकण प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों को अपने दैनंदिन पत्र-व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, प्राधिकरण की बैठकों की कार्यसूची और उनके कार्यवृत्त हिंदी में तैयार करने में तथा द्विभाषिक रूप में रजिस्टर रखने में सहायता की गई एवं कार्यालयीन टिप्पण (नोटिंग्स) और दस्तावेजों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। आंतरिक विभागों द्वारा जब भी अपेक्षा की गई, तब हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की भी व्यवस्था की गई।

IV.3.5 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए हिंदी पत्राचार और हिंदी टिप्पण 55 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 73.05 प्रतिशत और 86.34 प्रतिशत पर रहे। पिछले वर्ष की अपेक्षा जहाँ औसत हिंदी पत्राचार में 0.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई वहीं हिंदी नोटिंग में 2.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार शतप्रतिशत द्विभाषी किया गया। हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 24 मानक प्रपत्र बनाए गए।

IV.3.6 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद को 14 सितम्बर, 2021 को भारत सरकार द्वारा राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिए जाने वाले राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसाइटी आदि की श्रेणी में वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "ग" क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भा.बी.वि.वि. प्रा. को राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। टीओएलआईसी के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छब्बीस कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते हैं।

IV.3.7 आईआरडीएआई ने टीओएलआईसी के सदस्य कार्यालयों के लिए दो राजभाषा तकनीकी संगोष्ठियों और एक

हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। भा.बी.वि.वि. प्रा. के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद की 72 वीं एवं 73वीं छमाही बैठकों में सहभागिता की। इसके साथ ही टीओएलआईसी के सभी संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / प्रतियोगिताओं में भा.बी.वि.वि.प्रा. द्वारा सक्रियता से सहभागिता की गई। भा.बी.वि.वि.प्रा. के राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को आर्मी पब्लिक स्कूल, गोलकोण्डा, हैदराबाद में "हिंदी एक रोजगार की भाषा" विषय पर और दिनांक 17 फरवरी, 2022 को दी न्यू इण्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में "राजभाषा नियमों से परिचय" विषय पर अतिथि व्याख्यान दिया गया।

IV.3.8 भा.बी.वि.वि. प्रा. के 8 अधिकारियों ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा 21 अक्टूबर, 2021 एवं 4 फरवरी, 2022 को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सहभागिता की। इसके अतिरिक्त भा.बी.वि.वि.प्रा. द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 04 दिसम्बर, 2021 को हैदराबाद में आयोजित दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के 'एक दिवसीय क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन व पुरस्कार वितरण समारोह' में सहभागिता की गई।

हिंदी प्रशिक्षण

IV.3.9 कर्मचारियों की हिंदी भाषा ज्ञान और प्रशिक्षण के अनुसार उनके हिंदी ज्ञान के रोस्टर को अद्यतन किया गया। विशेष रूप से इसका उपयोग कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्राज्ञ और पारंगत के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नामित करने के लिए किया गया। 2021-22 के दौरान 35 कर्मचारियों को प्राज्ञ और पारंगत हिंदी ज्ञान प्रशिक्षण दिया गया। हिंदी प्रशिक्षण के लिए कार्यालय में लागू प्रावधानों के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को मानदेय प्रदान किया गया। भा.बी.वि.वि.प्रा. में पारंगत प्रशिक्षण के लिए मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रही डेस्क प्रशिक्षण के द्वारा 10 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

हिंदी कार्यशालाएँ और बैठकें

IV.3.10 अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सभी विभाग-

प्रमुखों को सदस्यों के रूप में लेते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है तथा प्रत्येक तिमाही में समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ नई दिल्ली कार्यालय और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में भी गठित की गई हैं। कर्मचारियों को हिन्दी से संबंधित नियमों से परिचित कराने एवं अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का अधिक व्यापक प्रयोग करने के लिए यूनिकोड की सहायता से हिन्दी टंकण और सुगमतापूर्वक प्रयोग की जानेवाली अन्य पद्धतियों का उनसे अभ्यास कराने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित रूप से संचालन किया गया। 2021-22 के दौरान हैदराबाद स्थित प्रधान कार्यालय के 102 कर्मचारियों को इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में भी किया गया तथा इनमें क्रमशः 14 और 07 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी कार्यशालाओं के दौरान हिन्दी संबंधी नियमों, हिन्दी के प्रयोग के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम और सामान्य हिन्दी टिप्पण (नोटिंग्स) की सामग्री वितरित की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण

IV.3.11 प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग ने फरवरी - मार्च 2022 में प्रधान कार्यालय के सभी विभागों के अलावा मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय और नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया।

हिन्दी पखवाड़ा

IV.3.12 भा.बी.वि.वि. प्रा. के प्रधान कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 से 29 सितंबर 2021 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़ा के दौरान कुल नौ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और 43 अधिकारियों ने प्रतिभागिता की। पखवाड़ा में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाले विभाग और सर्वाधिक प्रतिभागिता करने वाले विभाग को भी पुरस्कृत किया गया। पखवाड़े के समापन समारोह में 116 अधिकारियों व कर्मचारियों और 2 विभागों को पुरस्कृत किया गया।

अन्य सूचना

IV.3.13 हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष प्रमुख लेखकों के द्वारा लिखी गई 116 हिंदी पुस्तकें पुस्तकालय में सम्मिलित की गईं और निरंतर हर वर्ष हिंदी पुस्तकों के बजट में वृद्धि की जा रही है। राजभाषा कार्यान्वयन विभाग हिन्दी और अन्य

क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता जागरूकता सामग्री प्रकाशित करने के लिए भा.बी.वि.वि. प्रा. के संचार विभाग के साथ नियमित रूप से परस्पर सक्रियता सहित संपर्क में रहा। भा.बी.वि.वि.प्रा. में कुल विज्ञापन व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक की राशि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापन पर व्यय की गई।

IV.4 सूचना प्रौद्योगिकी

IV.4.1 आईटी प्रणालियों में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास के भाग के रूप में आईआरडीआई ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कई कदम उठाये हैं।

व्यावसायिक विश्लेषण-पद्धति परियोजना (बीएपी)

IV.4.2 व्यवसाय विश्लेषण-पद्धति परियोजना परोक्ष (आफ़सा इट) पर्यवेक्षण के लिए प्रयुक्त अनुप्रयोग है। बीएपी 2.0 के लिए नए सेवा प्रदाता - विप्रो लिमिटेड का चयन, सार्वजनिक अभिव्यक्ति की अभिरूचि के बाद केन्द्रीय सार्वजनिक प्राप्ति पोर्टल (सीपीपीपी) पर प्रकाशित सीमित निविदा - प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के माध्यम से कुल सात वर्षों की अवधि के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान बीएपी में सर्वेयर मॉड्यूल में बड़े संशोधन हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियामक अनुप्रयोग विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

बीएपी मॉड्यूल

सर्वेक्षक

कार्यान्वित्त किए गए परिवर्तन

बीएपी में सर्वेक्षक 2015

विनियम संशोधन का कार्यान्वयन।

बीएपी की अन्य प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- पेगव बहुविध भुगतान इंटरफेस के समन्वयन के बाद सर्वेक्षक धनवापसियों को सरल और कारगर बनाना।
- बीएपी 2.0 के लिए निविदा गतिविधियों को पूरा करना।
- बीएपी 2.0 के लिए एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अलग समझौते पर हस्ताक्षर करना।

आंतरिक अनुप्रयोग

IV.4.3 वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

- आईआरडीएआई के इंटरनेट और आईआरडीएआई वेबसाइट का विकास सफलतापूर्वक विकास हुआ। आईआरडीएआई का पुनर्निर्मित वेबसाइट समानांतर रूप से लाइव है।
- सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं, बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ), आइएसएनपी अनुप्रयोगों का अनुरक्षण और उनके लिए समर्थन
- आंतरिक अनुप्रयोगों का अंतरण

बीमाकर्ताओं के लिए सूचना एवं साइबर सुरक्षा

IV.4.4 आईआरडीएआई के आईटी विभाग ने बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित पहल/कदम उठाए हैं:

- आईआरडीएआई के सूचना और सुरक्षा दिशानिर्देश दिनांकित 07 अप्रैल, 2017 की समीक्षा करने और इसे संशोधन के साथ या संशोधन के बिना, आईआरडीएआई द्वारा विनियमित बीमाकर्ताओं व अन्य संस्थाओं पर इन दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता के लिए एक समिति का गठन किया गया था।
- वार्षिक एश्योरेंस लेखा-परीक्षा के समय पर प्रस्तुति हेतु बीमाकर्ताओं के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई से बीमाकर्ताओं की आईटी सुरक्षा को मजबूती प्रदान किया।
- उभरती चुनौतियों और साइबर सुरक्षा खतरों के बेहतर प्रबंधन के लिए बीमाकर्ताओं को समय-समय पर परामर्शक जारी की गई।
- आईआरडीएआई ने एनसीआईआईपीसी (नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर) के साथ समन्वय में एलआईसी (जीवन बीमा निगम) के प्रणाली को संकटमय सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के रूप में पहचान की है।

आंतरिक सूचना और साइबर सुरक्षा का सुदृढीकरण

साइबर सुरक्षा

IV.4.5 आईआरडीएआई के लोकाभिमुख और आंतरिक अनुप्रयोगों के साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए आईआरडीएआई संपूर्ण आईसीटी बुनियादी संरचना के लिए वीएपीटी (असुरक्षितता का आकलन और व्यापन परीक्षा) का संचालन किया गया था।

IV.4.6 आईआरडीएआई आईटी सुरक्षा और क्रियाविधियों को मजबूत करने के लिए आईआरडीएआई सूचना सुरक्षा नीतियों और क्रियाविधियों, साइबर संकट प्रबंध योजना तैयार की गई है।

IV.5 लेखा

IV.5.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) को लेखा-परीक्षा और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये हैं।

आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 17 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखा-परीक्षित लेखे लोकसभा के समक्ष 20 दिसम्बर, 2021 को तथा राज्यसभा के समक्ष 14 दिसम्बर, 2021 को प्रस्तुत किये गये।

IV.6 आभार-प्रदर्शन

IV.6.1 आईआरडीएआई प्राधिकरण के सदस्यों, बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों, पुनर्बीमा सलाहकार समिति, वित्तीय सेवाएँ विभाग (वित्त मंत्रालय), परामर्शदात्री समिति के सदस्यों, सभी बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को अपने समुचित कार्यसंचालन में उनके अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए; तथा आईआरडीएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुसंबद्ध टीम को उनके कर्तव्यों के कुशल निर्वहण के लिए अपनी सराहना और हार्दिक कृतज्ञता को अभिलेखबद्ध करना चाहता है। प्राधिकरण जनसाधारण के सदस्यों, प्रेस, सभी व्यावसायिक निकायों और अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) सहित अपनी परिषदों के माध्यम से बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी समय-समय पर दिये गये उनके मूल्यवान सहयोग के लिए अपने विशेष आभार अभिलिखित करता है।

विवरण

बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना

(प्रतिशत में)

क्रम. सं.	देश*	2020			2021		
		जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
	अमेरिका						
1	यूएसए	3.0	9.0	12.0	2.6	9.1	11.7
2	कनाडा	3.5	5.2	8.7	3.3	4.8	8.1
3	ब्राजील	2.3	1.8	4.1	2.1	1.7	3.9
4	मेक्सिको	1.2	1.4	2.6	1.2	1.3	2.5
5	अर्जेंटीना	0.3	1.9	2.2	0.3	1.9	2.2
	यूरोप-मध्य पूर्व-अफ्रीका						
6	दक्षिण अफ्रीका	11.2	2.5	13.7	10.0	2.2	12.2
7	यूके	8.8	2.3	11.1	8.9	2.2	11.1
8	फ्रांस	5.1	3.5	8.6	6.1	3.4	9.5
9	इटली	6.3	2.3	8.6	6.9	2.2	9.1
10	नीदरलैंड्स	1.5	8.1	9.6	1.4	7.7	9.1
11	स्वीडन	5.8	1.8	7.6	5.8	1.9	7.6
12	स्विट्ज़रलैंड	4.3	4.1	8.4	3.1	4.0	7.1
13	जर्मनी	2.8	4.0	6.8	2.6	3.9	6.5
14	स्पेन	1.9	3.2	5.2	2.0	3.2	5.1
15	रूस	0.4	1.0	1.4	0.4	0.9	1.3
16	सऊदी अरब	0.0	1.5	1.5	0.1	1.3	1.3
17	टर्की	0.3	1.2	1.5	0.2	1.1	1.3
18	पाकिस्तान	0.5	0.3	0.8	0.5	0.2	0.7
	एशिया पैसिफिक						
19	ताइवान	14.0	3.4	17.4	11.6	3.2	14.8
20	दक्षिणकोरिया#	6.4	5.2	11.6	5.8	5.2	10.9
21	सिंगापुर	7.6	1.9	9.5	7.5	1.8	9.3
22	जापान#	5.8	2.4	8.1	6.1	2.2	8.4
23	थाईलैंड	3.4	1.9	5.3	3.4	1.9	5.4
24	मलेशिया#	4.0	1.5	5.4	3.9	1.4	5.3
25	न्यूजीलैंड	0.8	4.1	4.9	0.8	4.0	4.8
26	ऑस्ट्रेलिया	1.1	3.6	4.7	1.0	3.5	4.4
27	भारत#	3.2	1.0	4.2	3.2	1.0	4.2
28	चीन	2.4	2.1	4.5	2.1	1.9	3.9
29	इंडोनेशिया	1.4	0.5	1.9	1.1	0.5	1.6
30	श्री लंका	0.5	0.6	1.2	0.6	0.6	1.3
	विश्व	3.3	4.1	7.4	3.0	3.9	7.0

*डेटा कैलेंडर वर्ष 2020 और 2021 से संबंधित है

डेटा वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 से संबंधित है

टिप्पणी: बीमा व्यापन का मापन जीडीपी (अमेरिकी डालर में) की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डालर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा खंड 3/2021 और 4/2022

विवरण 2

बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना

(अमेरिकी डालर में)

क्रम. सं.	देश*	2020			2021		
		जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
	अमेरिका						
1	यूएसए	1,918	5,754	7,673	1,837	6,356	8,193
2	कनाडा	1,532	2,243	3,775	1,697	2,520	4,217
3	ब्राजील	151	120	271	160	130	290
4	मेक्सिको	99	116	214	115	131	247
5	अर्जेंटीना	24	156	180	31	207	238
	यूरोप-मध्य पूर्व-अफ्रीका						
6	स्विट्ज़रलैंड	3,667	3,557	7,224	2,866	3,744	6,610
7	नीदरलैंड्स	799	4,223	5,022	805	4,497	5,301
8	यूके	3,574	949	4,523	4,234	1,039	5,273
9	स्वीडन	2,993	945	3,938	3,478	1,119	4,597
10	फ्रांस	1,959	1,359	3,317	2,654	1,486	4,140
11	जर्मनी	1,281	1,827	3,108	1,321	1,992	3,313
12	इटली	1,972	721	2,692	2,467	785	3,253
13	स्पेन	525	871	1,396	591	960	1,551
14	दक्षिण अफ्रीका	560	124	684	698	154	852
15	सऊदी अरब	8	273	281	13	299	312
16	रूस	41	105	146	49	111	160
17	टर्की	24	104	128	22	102	124
18	पाकिस्तान	6	3	10	7	4	11
	एशिया पैसिफिक						
19	सिंगापुर	4,528	1,110	5,638	5,414	1,327	6,742
20	ताइवान	3,861	938	4,800	3,772	1,032	4,804
21	दक्षिण कोरिया#	2,050	1,691	3,741	1,971	1,764	3,735
22	जापान#	2,329	951	3,280	2,347	855	3,202
23	ऑस्ट्रेलिया	568	1,880	2,448	623	2,195	2,817
24	न्यूजीलैंड	349	1,678	2,027	403	1,936	2,339
25	मलेशिया#	415	153	568	444	157	600
26	चीन	241	214	455	253	229	482
27	थाईलैंड	244	139	383	246	141	387
28	भारत#	59	19	78	69	22	91
29	इंडोनेशिया	54	21	75	48	22	70
30	श्री लंका	21	24	45	24	25	49
	विश्व	360	449	809	382	492	874

* डेटा कैलेंडर वर्ष 2020 और 2021 से संबंधित है

डेटा वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 से संबंधित है

टिप्पणी: बीमा सघनता का मापन कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डालर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा खंड 3/2021 और 4/2022

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम

(₹ करोड़)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9,775.22	12,140.23
2	एइगान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	526.07	416.46
3	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,958.64	2,207.30
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,165.25	1,268.15
5	बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	12,024.84	16,127.05
6	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,280.82	2,601.56
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5,116.03	5,889.92
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,248.24	1,464.20
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,324.75	3,767.96
10	फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,322.19	1,433.54
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	38,583.49	45,962.83
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	35,732.82	37,457.99
13	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4,055.50	5,186.56
14	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	11,100.22	13,015.11
15	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	19,017.90	22,414.17
16	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	6,032.82	7,348.26
17	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	993.60	1,098.78
18	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4,736.45	5,036.57
19	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	73.20	61.44
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	50,254.17	58,759.64
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,018.53	2,349.60
22	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. '	2,998.62	4,136.80
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	11,105.09	14,445.03
	निजी कुल	225,444.48	264,589.17
		(16.50)	(17.36)
24	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	403,286.55	428,024.97
		(6.30)	(6.13)
	कुल योग	628,731.04	692,614.14
		(9.74)	(10.16)

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम 2021 - 22

(₹ करोड़)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	संबद्ध प्रीमियम				असंबद्ध प्रीमियम				कुल प्रीमियम						
		प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष + एकल)	कुल (नया व्यवसाय + नवीकरण)	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष + एकल)	कुल (नया व्यवसाय + नवीकरण)	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष + एकल)	कुल (नया व्यवसाय + नवीकरण)			
														कुल (नया व्यवसाय + नवीकरण)	नवीकरण	कुल (नया व्यवसाय + नवीकरण)
1	अदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	762.10	1,310.70	2,072.80	1,787.94	3,860.74	1,630.86	1,961.29	3,592.15	4,687.34	8,279.49	2,392.96	3,271.99	5,664.95	6,475.28	12,140.23
2	एशियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.19	0.09	0.28	93.40	93.67	16.07	0.32	16.39	306.40	322.79	16.25	0.42	16.67	399.79	416.46
3	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	149.04	239.83	388.86	343.23	732.09	218.44	209.13	427.57	1,047.64	1,475.21	367.47	448.96	816.43	1,390.87	2,207.30
4	अबीजा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	110.00	2.62	112.61	214.09	326.70	17.10	162.96	180.06	761.38	941.44	127.09	165.58	292.67	975.47	1,268.15
5	बजाज अलायज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,426.48	464.53	1,891.00	3,195.00	5,086.00	5,016.37	2,229.07	7,245.44	3,795.61	11,041.05	6,442.85	2,693.60	9,136.44	6,990.61	16,127.05
6	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	73.51	55.40	128.91	143.88	272.80	173.01	633.31	806.32	1,522.44	2,328.76	246.52	688.71	935.23	1,666.32	2,601.56
7	केनरा एयएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	513.96	56.48	570.44	1,307.53	1,877.98	1,403.13	822.16	2,225.29	1,786.65	4,011.95	1,917.09	878.65	2,795.73	3,094.19	5,889.92
8	एडेलवैस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	68.93	7.33	76.26	259.38	335.64	49.27	354.93	404.19	724.37	1,128.57	118.19	362.26	480.45	983.75	1,464.20
9	एक्साइट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	87.55	77.72	165.26	128.27	293.53	65.46	771.37	836.83	2,637.61	3,474.43	153.01	849.08	1,002.09	2,765.87	3,767.96
10	एचएर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	30.06	2.04	32.10	80.87	112.97	24.99	399.87	424.87	895.70	1,320.57	55.06	401.91	456.97	976.57	1,433.54
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,098.88	1,378.88	3,477.76	8,550.35	12,028.11	14,721.57	5,955.49	20,677.05	13,257.66	33,934.72	16,820.45	7,334.37	24,154.82	21,808.01	45,962.83
12	आईसीआईआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,524.53	1,810.13	5,334.66	14,897.15	20,231.81	7,726.61	2,440.98	10,167.59	7,058.60	17,226.18	11,251.14	4,251.11	15,502.24	21,955.75	37,457.99
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	376.06	74.74	450.80	900.89	1,351.69	1,355.21	960.20	2,315.41	1,519.46	3,834.87	1,731.27	1,034.94	2,766.21	2,420.35	5,186.56
14	कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,474.45	930.38	2,404.83	1,359.06	3,763.88	2,023.36	1,714.58	3,737.94	5,513.29	9,251.23	3,497.81	2,644.96	6,142.77	6,872.35	13,015.11
15	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,169.09	40.71	2,209.80	4,383.86	6,593.66	2,546.71	3,148.41	5,695.12	10,125.39	15,820.51	4,715.80	3,189.12	7,904.92	14,509.25	22,414.17
16	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	429.73	53.78	483.50	896.87	1,380.38	537.47	1,447.12	1,984.59	3,983.29	5,967.89	967.20	1,500.89	2,468.10	4,880.17	7,348.26
17	प्रोमोटीव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	8.16	6.15	14.31	25.17	39.47	184.21	106.35	290.56	768.74	1,059.30	192.37	112.50	304.87	793.91	1,098.78
18	रिलायंस निपोजन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	514.68	13.76	528.44	761.63	1,290.07	55.86	698.02	753.88	2,992.62	3,746.50	570.54	711.78	1,282.32	3,754.26	5,036.57
19	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	-	-	1.52	1.52	-	0.00	0.00	59.92	59.92	-	0.00	0.00	61.44	61.44
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9,109.89	2,245.41	11,355.30	22,034.83	33,390.13	10,270.40	3,831.66	14,102.05	11,267.46	25,369.51	19,380.28	6,077.07	25,457.35	33,302.29	58,759.64
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9.48	11.59	21.07	21.58	42.65	336.59	711.94	1,048.52	1,258.43	2,306.95	346.07	723.52	1,069.59	1,280.01	2,349.60
22	स्वयं चूंनिमन दार्ई-ईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	242.52	49.15	291.67	259.89	551.56	336.01	1,298.63	1,634.64	1,950.60	3,585.25	578.53	1,347.78	1,926.31	2,210.49	4,136.80
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,386.58	54.18	1,440.76	1,989.42	3,430.18	668.86	3,248.88	3,917.74	7,097.10	11,014.84	2,055.44	3,303.07	5,358.50	9,086.52	14,445.03
24	निजी कुल	24,565.83	8,885.60	33,451.43	63,635.81	97,087.23	49,377.56	33,106.66	82,484.22	85,017.72	167,501.94	73,943.39	41,992.25	115,935.64	148,653.53	264,589.17
	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	305.84	2,174.34	2,480.18	759.28	3,239.46	36,343.51	160,108.49	196,452.00	228,333.51	424,785.51	36,649.35	162,282.83	198,932.18	229,092.80	428,024.97
	कुल योग	24,871.67	11,059.94	35,931.60	64,395.09	100,326.69	85,721.07	193,215.14	278,936.22	313,351.23	592,287.45	110,592.74	204,275.08	314,867.82	377,746.32	692,614.14

जीवन बीमाकर्ताओं का खंड-वार कुल प्रीमियम 2021 - 22

(₹ करोड़)

संबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	कुल योग	प्रतिशत
वार्षिकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य	-0.01	163.65	-	163.64	-	-	-	-	163.64	0.16
जीवन	20,840.95	57,868.06	9,915.41	88,624.42	-	1.03	-	1.03	88,625.45	88.34
पेंशन	4,030.73	6,362.30	1,144.52	11,537.55	-	0.06	-	0.06	11,537.61	11.50
परिवर्ती	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	24,871.67	64,394.00	11,059.94	100,325.61	-	1.09	-	1.09	100,326.69	100.00

असंबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	कुल योग	प्रतिशत
वार्षिकी	573.50	33.60	27,245.71	27,852.81	-	2.91	-	2.91	27,855.71	4.70
स्वास्थ्य	120.24	504.07	9.74	634.04	-	-	-	-	634.04	0.11
जीवन	24,700.31	49,842.53	63,894.61	138,437.45	38,619.80	258,102.19	10,518.83	307,240.81	445,678.26	75.25
पेंशन	5,018.26	2,558.22	103,595.41	111,171.89	35.81	1,680.16	100.06	1,816.03	112,987.92	19.08
परिवर्ती	32.22	91.43	4,112.36	4,236.01	44.64	536.14	314.72	895.50	5,131.51	0.87
कुल	30,444.54	53,029.84	198,857.83	282,332.21	38,700.24	260,321.39	10,933.61	309,955.24	592,287.45	100.00

संबद्ध और असंबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	कुल योग	प्रतिशत
वार्षिकी	573.50	33.60	27,245.71	27,852.81	-	2.91	-	2.91	27,855.71	4.02
स्वास्थ्य	120.23	667.71	9.74	797.68	-	-	-	-	797.68	0.12
जीवन	45,541.26	107,710.59	73,810.03	227,061.87	38,619.80	258,103.22	10,518.83	307,241.84	534,303.71	77.14
पेंशन	9,048.99	8,920.52	104,739.93	122,709.44	35.81	1,680.22	100.06	1,816.08	124,525.52	17.98
परिवर्ती	32.22	91.43	4,112.36	4,236.01	44.64	536.14	314.72	895.50	5,131.51	0.74
कुल	55,316.21	117,423.85	209,917.76	382,657.82	38,700.24	260,322.48	10,933.61	309,956.33	692,614.14	100.00

विवरण 6

जीवन बीमाकर्ताओं की इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

क्रम.सं	बीमाकर्ता	31 मार्च 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2022 को	भारतीय प्रवर्तक	विदेशी निवेशक	विदेशी निवेश %
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,901.21	-	1,901.21	969.62	931.59	49.00
2	एडगान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,468.25	9.48	1,477.73	753.64	724.09	49.00
3	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	800.00	-	800.00	408.00	392.00	49.00
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,004.90	-	2,004.90	1,022.50	982.40	49.00
5	बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.71	-	150.71	111.52	39.18	26.00
6	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,086.20	340.00	3,426.20	1,747.36	1,678.84	49.00
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	950.00	-	950.00	703.00	247.00	26.00
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	312.62	352.93	665.55	437.43	228.12	34.28
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,850.00	-	1,850.00	1,850.00	-	-
10	पयूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,965.82	180.00	2,145.82	676.04	1,469.78	68.50
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,020.94	91.68	2,112.62	1,470.37	642.25	30.40
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,435.97	1.33	1,437.31	853.31	583.99	40.63
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	663.46	-	663.46	490.96	172.50	26.00
14	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	510.29	-	510.29	510.29	-	-
15	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,918.81	-	1,918.81	1,819.68	99.14	5.17
16	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,012.88	-	2,012.88	1,028.27	984.61	48.92
17	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	374.06	-	374.06	190.77	183.29	49.00
18	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,196.32	-	1,196.32	610.13	586.20	49.00
19	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	232.00	-	232.00	232.00	-	-
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,000.04	-	1,000.04	725.66	274.37	27.44
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	179.38	-	179.38	103.34	76.04	42.39
22	स्टार यूनिनन दार्ई-ईवी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	258.96	-	258.96	140.00	118.96	45.94
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,953.50	-	1,953.50	996.28	957.22	49.00
	निजी कुल	28,246.33	975.42	29,221.75	17,850.16	11,371.59	38.91
24	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	100.00	6,225.00	6,325.00	6,325.00	-	-
	कुल योग	28,346.33	7,200.42	35,546.75	24,175.16	11,371.59	31.99

“जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावों की स्थिति” (वित्तीय वर्ष 2021-22)”

(लाम राशि रू करोड़ में)

क्रम. सं.	जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी दावे		अधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि-वार (पॉलिसियों)				औसत लंबित अवधि (दिन)	
		पॉलिसियों की सं.	लाम राशि	पॉलिसियों की सं.	लाम राशि	पॉलिसियों की सं.	लाम राशि	पॉलिसियों की सं.	लाम राशि	पॉलिसियों की सं.	लाम राशि	पॉलिसियों की सं.	लाम राशि	पॉलिसियों की सं.	लाम राशि	पॉलिसियों की सं.	लाम राशि	<3 महीने	3-6 महीने	6-1 वर्ष	> 1 वर्ष		
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ़	11	3.64	9997	876.69	10008	880.32	9815	846.43	186	32.98	-	-	-	-	7	0.91	7	-	-	-	-	46
2	एशगान	0	0.00	720	276.48	720	276.48	713	273.04	6	3.42	-	-	-	-	1	0.02	1	-	-	-	-	46
3	एजियस फेडरल	50	6.70	2644	128.03	2694	134.73	2614	122.63	57	8.67	-	-	-	-	23	3.43	23	1	-	-	-	49
4	अबीवा	0	0.00	1672	270.95	1672	270.95	1645	266.70	27	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	बजाज अलायज़	5	3.70	21045	822.27	21050	825.97	20844	771.88	195	44.73	-	-	-	-	11	9.37	11	-	-	-	-	46
6	भारती अक्सा	0	0.00	3203	243.59	3203	243.59	3174	234.72	27	2.04	-	-	-	-	2	6.82	2	1	-	-	1	159
7	केनरा एयएसबीसी	25	5.87	2788	282.23	2813	288.10	2769	277.79	41	7.81	-	-	-	-	3	2.50	3	-	-	-	50.00%	46
8	एलेक्ट्रिस टैकियो	2	3.00	993	156.86	995	159.86	976	152.06	19	7.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	एक्सहाइड	63	8.78	7216	309.83	7279	318.62	7213	306.81	7	0.32	-	-	-	-	59	11.49	59	54	2	3	-	60
10	लाइफ़ एयूवर	8	2.71	1656	83.98	1664	86.69	1600	77.67	64	9.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	एचडीएफसी जनरली	178	167.24	26944	2751.01	27122	2918.24	26758	2608.22	136	107.36	188	171.83	17	5.66	23	25.18	23	19	4	-	-	61
12	आईआईसीआई वृद्धिभारत	16	7.82	22265	3110.22	22281	3118.04	21795	2977.50	398	112.25	0.69%	5.89%	8	0.77	80	27.52	80	19	22	36	-	191
13	इंडियाफर्स्ट	15	3.95	4922	245.58	4937	249.53	4785	227.31	143	18.18	-	-	-	-	9	4.04	9	-	3	-	-	411
						100%	100%	96.92%	91.10%	2.90%	7.29%	-	-	-	-	0.18%	1.62%	0.36%	23.75%	27.50%	45.00%	3.75%	66.67%

“जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावों की स्थिति” (वित्तीय वर्ष 2021-22)”

(लाभ राशि रू करोड़ में)

क्रम. सं.	जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे				लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि-वार (पातिसिखों)				औसत लंबित अवधि (दिन)
		पातिसिखों की सं.	लाभ राशि	पातिसिखों की सं.	लाभ राशि	पातिसिखों की सं.	लाभ राशि	पातिसिखों की सं.	लाभ राशि	पातिसिखों की सं.	लाभ राशि	पातिसिखों की सं.	लाभ राशि	पातिसिखों की सं.	लाभ राशि	पातिसिखों की सं.	लाभ राशि	पातिसिखों की सं.	लाभ राशि	<3 महीने	3-6 महीने	6-1 वर्ष	> 1 वर्ष	
14	कोटक	16	7.28	7117	606.31	7133	613.59	7049	586.15	60	19.13	-	-	24	8.32	13	8.32	2	1	1	8	230		
						100%	100%	98.82%	95.53%	0.84%	3.12%	-	-	0.34%	1.36%	54.17%	8.33%	4.17%	33.33%					
15	महिन्द्रा	1	0.50	31034	2076.81	31035	2077.31	30830	2008.94	205	68.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						100%	100%	99.34%	96.71%	0.66%	3.29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	पीएनबी	0	0.00	8586	717.43	8586	717.43	8357	669.69	224	43.21	-	-	3	2.03	1	2.50	1	1	1	1	159		
						100%	100%	97.33%	93.35%	2.61%	6.02%	-	-	0.03%	0.28%	50.00%	0.35%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	46		
17	प्रामोखा	1	0.21	1060	52.83	1061	53.04	1043	51.34	16	1.50	-	-	2	0.20	2	0.20	2	2	2	2	46		
						100%	100%	98.30%	96.80%	1.51%	2.83%	-	-	0.19%	0.37%	100.00%	0.37%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	106		
18	रिलायंस	4	1.48	13726	359.28	13730	360.76	13548	344.14	174	14.48	-	-	5	1.60	1	0.54	2	2	2	2	106		
						100%	100%	98.67%	95.39%	1.27%	4.01%	-	-	0.04%	0.44%	33.33%	0.15%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	121		
19	सहारा	2	0.02	1164	12.82	1166	12.85	1132	12.47	16	0.31	15	0.00	3	0.06	2	0.06	2	1	1	1	121		
						100%	100%	97.08%	97.09%	1.37%	2.44%	1.29%	0.00%	0.26%	0.47%	66.67%	0.47%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	86		
20	एसबीआई	912	101.54	54874	2808.60	55786	2910.14	54140	2751.53	1541	127.58	-	-	69	10.64	20	20.40	16	16	16	16	86		
						100%	99%	97.05%	94.55%	2.76%	4.38%	-	-	0.12%	0.37%	55.56%	0.03%	44.44%	44.44%	44.44%	44.44%	46		
21	लाइफ	11	0.98	5854	202.18	5865	203.16	5620	167.39	163	23.58	78	12.13	4	0.07	4	0.07	4	4	4	4	46		
						100%	100%	95.82%	82.39%	2.78%	11.61%	1.33%	5.97%	0.07%	0.03%	100.00%	0.03%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	204		
22	स्तर	8	1.02	2943	170.30	2951	171.32	2875	156.60	74	14.32	-	-	2	0.40	-	0.40	1	1	1	1	204		
						100%	100%	97.42%	91.41%	2.51%	8.36%	-	-	0.07%	0.23%	50.00%	0.23%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	46		
23	यूनियन	2	4.40	8067	1599.53	8069	1603.93	7950	1518.17	117	80.63	-	-	2	5.13	2	5.13	2	2	2	2	46		
						100%	100%	98.53%	94.65%	1.45%	5.03%	-	-	0.02%	0.32%	100.00%	0.32%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	46		
24	एआईए	1330	330.84	240490	18163.81	241820	18494.66	237245	17409.19	3896	751.93	281	183.95	102	20.70	182	128.88	53	44	44	17	124		
						100%	100%	98.11%	94.13%	1.61%	4.07%	0.12%	0.99%	0.04%	0.11%	61.49%	0.70%	17.91%	14.86%	5.74%	5.74%	88		
	कुल	1725	292.42	1365379	29293.46	1367104	29585.88	1349865	28408.38	8713	347.19	3619	8.50	2625	461.66	1211	360.15	1071	1071	1071	1071	88		
	जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	3055	623.26	1605869	47457.27	1608924	48080.54	1587110	45817.57	12609	1099.12	3900	192.45	2727	482.36	1393	489.03	1124	44	44	17	92		
	कुल					100%	100%	98.64%	95.29%	0.78%	2.29%	0.24%	0.40%	0.17%	1.00%	54.03%	1.02%	43.60%	1.71%	0.66%	0.66%			

"जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2021-22)

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		असंशुद्ध दावे		अदावी दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे				संशुद्ध दावों का वित्तीय विवरण - अवधि-वार (पातिसिमा)				औसत संवित अवधि (दिन)	
		पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	पातिसिमा की सं.	लाभ राशि	3 - <6 महीने	6 - <1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ़	7	1.69	13518	675.26	13525	676.95	13470	666.77	52	7.78	-	-	3	2.39	1	33.33%	2	-	-	1	197			
2	एड्वान	-	-	361	76.06	361	76.06	361	76.03	-	-	-	-	0.02%	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	एजियस	15	4.81	481	100.83	496	105.63	446	89.03	45	15.18	-	-	5	1.42	5	100.00%	-	-	-	5	46			
4	फेडरल	-	-	1347	68.64	1347	68.63	1345	68.48	1	0.15	-	-	0.07%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	बजाज अलामंज़	85	6.87	193169	1578.25	193254	1585.12	192902	1553.47	181	22.86	-	-	171	8.80	169	98.83%	2	-	-	2	47			
6	भारती अक्सा	5	1.19	1802	145.06	1807	146.26	1779	143.27	28	2.98	-	-	0.09%	1.44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	केनरा एचएसबीसी	1	0.02	10551	374.03	10552	374.05	10466	361.18	86	12.87	-	-	1.55%	2.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	एडेलवेइस टैकियो	-	-	2314	82.88	2314	82.88	2300	81.62	12	1.14	-	-	0.82%	3.44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	एक्साइड लाइफ़	-	-	14363	324.18	14363	324.18	14363	324.18	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	फ़ूल्सर जनरली	3	0.38	1644	226.25	1647	226.63	1575	216.41	69	9.50	-	-	0.06%	0.32%	2	0.13	-	-	-	-	-	-	-	
11	एचडीएफसी	723	69.13	358401	3248.87	359124	3318.00	358116	3165.27	812	144.04	-	-	4.19%	8.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	आईसीआईआई प्रूडेंशियल	3634	120.73	239870	2414.50	243504	2535.23	238008	2297.01	244	51.85	-	-	0.05%	0.26%	42	4.96	-	-	-	2942	989	829	133	
13	इंडियाफर्स्ट	-	-	27041	909.45	27041	909.45	26818	891.75	216	16.38	-	-	0.10%	0.20%	0.02%	0.05%	-	-	-	57.80%	19.43%	6.48%	46	
				100%	100%	100%	100%	99.18%	98.05%	0.80%	1.80%	-	-	0.80%	1.80%	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	

"जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2021-22)

(लाभ राशि रू करोड़ में)

क्र.सं.	जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में संश्लेषित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निपट्टन दावे		अस्वीकृत दावे		अवधि के अंत में संश्लेषित दावे		संश्लेषित दावों का विस्तारित विवरण - अवधि-वार (मासिक/त्रैमासिक)				औसत संश्लेषित अवधि (दिन)
		पंक्तियों की सं.	राशि	पंक्तियों की सं.	राशि	पंक्तियों की सं.	राशि	पंक्तियों की सं.	राशि	पंक्तियों की सं.	राशि	पंक्तियों की सं.	राशि	पंक्तियों की सं.	राशि	<3 महीने	3 - <6 महीने	6 - <1 वर्ष	> 1 वर्ष	
14	कोटक	427	28.18	128673	1723.46	129100	1751.64	128557	1695.32	219	23.67	-	-	324	32.65	200	67	43	14	116
	महिलेन्द्रा	-	-	21110	785.24	100%	100%	99.58%	96.78%	0.17%	1.35%	-	-	0.25%	1.86%	61.73%	20.68%	13.27%	4.32%	-
15	मैक्स	3	1.23	26811	1118.84	21110	785.24	20985	751.27	121	25.83	-	-	4	8.15	4	-	-	-	46
	लाइफ़	-	-	-	-	100%	100%	99.41%	95.67%	0.57%	3.29%	-	-	0.02%	1.04%	100.00%	-	-	-	-
16	पीएनबी	34	7.99	17870	342.32	17904	350.31	17622	320.01	225	25.38	27	2.14	30	2.78	30	-	-	-	46
	मेटलाइफ़	-	-	-	-	100%	100%	99.53%	98.02%	0.46%	1.81%	-	-	0.01%	0.16%	66.67%	-	-	-	-
17	प्रामोरिका	2	0.05	589	28.05	100%	100%	98.42%	91.35%	1.26%	7.25%	-	-	0.17%	0.79%	100.00%	-	-	-	46
	लाइफ़	-	-	-	-	100%	100%	99.49%	99.78%	-	-	-	-	0.34%	0.18%	100.00%	-	-	-	-
18	रिलायंस	42	8.76	70438	2931.84	70480	2940.60	68596	2846.64	388	62.27	1483	29.66	10	0.54	-	1	2	-	227
	निप्योन	-	-	-	-	100%	100%	97.33%	96.80%	0.55%	2.12%	2.10%	1.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	66.67%	-	-
19	सहारा	51	0.82	48341	386.23	48392	387.05	48180	381.61	202	5.30	10	0.14	-	-	-	-	-	-	-
	एसबीआई	-	-	-	-	100%	100%	99.56%	98.59%	0.42%	1.37%	0.02%	0.04%	-	-	-	-	-	-	-
20	एलआईसी	-	-	21835	546.16	21835	546.16	21448	532.25	85	7.90	302	6.00	-	-	-	-	-	-	-
	लाइफ़	-	-	-	-	100%	100%	98.23%	97.45%	0.39%	1.45%	1.38%	1.10%	-	-	-	-	-	-	-
21	श्रीराम	-	-	1748	268.81	1748	268.81	1738	266.61	10	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	स्तर यूनिपन	-	-	-	-	100%	100%	99.43%	99.18%	0.57%	0.82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	टाटा एआईए	5032	251.85	1202277	18355.20	1207309	18607.06	1196350	17854.10	3120	457.61	2062	51.61	134	2.10	5643	241.64	879	344	128
	कुल	6200	99.66	222572	8217.07	100%	100%	99.09%	95.95%	0.26%	2.46%	0.17%	0.28%	0.01%	0.47%	59.56%	18.77%	15.58%	6.10%	70
23	एलआईसी	11232	351.51	1424849	26572.28	1436081	26923.79	1418442	26043.24	9087	549.27	2062	51.61	134	2.10	6356	277.57	879	344	122
	कुल	-	-	-	-	100%	100%	98.77%	96.73%	0.63%	2.04%	0.14%	0.19%	0.01%	0.44%	61.08%	19.68%	13.83%	5.41%	-

**बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार वितरण
(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)**

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या			जिलों की कुल संख्या	कार्यालयों से युक्त जिलों की संख्या		
		जीवन बीमाकर्ता	साधारण बीमाकर्ता	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		जीवन बीमाकर्ता	साधारण बीमाकर्ता	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता
1	आंध्र प्रदेश	516	485	65	13	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	15	12	-	25	7	3	0
3	असम	281	221	20	34	32	27	10
4	बिहार	469	253	20	38	38	31	6
5	छत्तीसगढ़	198	196	16	33	29	16	6
6	गोवा	52	52	6	2	2	2	2
7	गुजरात	614	603	67	33	32	31	18
8	हरियाणा	324	295	62	22	22	22	20
9	हिमाचल प्रदेश	116	121	6	12	11	11	5
10	झारखंड	288	166	22	24	24	15	9
11	कर्नाटक	599	625	101	31	31	29	28
12	केरल	573	535	76	14	14	14	13
13	मध्य प्रदेश	618	370	54	52	54	38	20
14	महाराष्ट्र	1,107	1,156	188	36	36	36	31
15	मणिपुर	25	12	2	16	6	2	2
16	मेघालय	23	24	2	12	7	3	1
17	मिजोरम	12	10	-	11	6	4	0
18	नगालैंड	18	12	-	15	7	3	0
19	ओडिशा	401	294	40	30	30	26	22
20	पंजाब	353	387	59	23	23	22	17
21	राजस्थान	510	483	66	33	33	32	25
22	सिक्किम	11	10	1	6	2	2	1
23	तमिलनाडु	919	930	141	38	38	38	35
24	तेलंगाना	365	319	72	33	33	22	21
25	त्रिपुरा	37	46	2	8	8	4	1
26	उत्तर प्रदेश	1,322	721	96	75	75	66	36
27	उत्तराखंड	150	128	17	13	13	9	6
28	पश्चिम बंगाल	740	431	96	23	23	23	22
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	8	1	3	2	0	1
30	चंडीगढ़	34	57	7	1	1	1	1
31	दादरा व नगर हवेली एवम दमन और दीव	3	8	-	3	2	2	0
32	दिल्ली	242	300	46	11	11	11	9
33	जम्मू और कश्मीर	98	103	9	20	20	11	4
34	लद्दाख	2	3	-	2	1	2	0
35	लक्षद्वीप	1	1	-	1	1	1	0
36	पुदुचेरी	21	33	5	4	4	3	2
	कुल	11,060	9,410	1,365	750	691	575	387

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)

(रु करोड़ में)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	2020-21	2021-22
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		
1	एको जनरल इश्योरेंस लि.	422.39	988.21
2	बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	12,569.53	13,688.59
3	भारती अक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.*	3,159.90	NA
4	चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	4,388.21	4,824.12
5	एडेलवेइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	218.57	348.88
6	प्युचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	3,835.23	4,137.98
7	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लि.	2,417.62	4,673.94
8	एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	12,295.10	13,497.55
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	14,003.09	17,976.87
10	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	8,410.88	8,452.91
11	कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	543.99	742.47
12	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.	1,445.71	1,506.46
13	मैग्मा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1,283.59	1,757.17
14	नवी जनरल इश्योरेंस लि.	104.40	106.57
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	272.22	375.83
16	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	8,310.28	9,408.96
17	रॉयल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2,822.28	2,866.59
18	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	8,264.86	9,166.22
19	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2,138.88	1,752.95
20	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	8,042.06	10,024.97
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	3,052.16	3,456.12
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	98,000.96 (8.00)	109,753.37 (11.99)
	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता		
22	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.	14,185.75	13,076.83
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	31,573.42	35,515.93
24	दी ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लि.	12,747.42	14,020.43
25	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	16,704.70	15,722.25
	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	75,211.29 (-1.73)	78,335.45 (4.15)
	विशेषीकृत बीमाकर्ता		
26	एग्नीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	12,052.57	13,940.21
27	ईसीजीसी लि.	1,062.28	1,106.62
	विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	13,114.85 (25.66)	15,046.83 (14.73)
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	1,300.64	1,726.67
29	केयर हेल्थ इश्योरेंस लि.	2,559.75	3,880.91
30	एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि. **	लागू नहीं	लागू नहीं
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	755.49	986.18
32	निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	1,750.78	2,809.97
33	रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस लि. ***	(0.01)	(0.02)
34	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इश्योरेंस कंपनी लि.	9,388.54	11,463.47
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	15,755.19 (8.86)	20,867.18 (32.45)
	कुल योग	202,082.30 (5.15)	224,002.82 (10.85)

*01 अप्रैल 2021 से पूर्ववर्ती भारती अक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया।

**01 मार्च, 2020 से पूर्व में एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय हो गया।

***रिलायंस जनरल इश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण टिप्पणी:

1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय तदनुसारी वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन में नहीं था।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वागीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर)

(रु. करोड़ में)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता												
1	एको जनरल इश्योरेंस लि.	0.01	0.02	-	-	268.10	510.75	122.98	407.12	31.29	70.32	422.39	988.21
2	बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1,656.56	1,916.44	166.35	211.75	4,726.33	4,844.52	2,301.74	3,381.26	3,718.55	3,334.62	12,569.53	13,688.59
3	भारती अक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.*	324.22	-	75.12	-	1,368.48	-	456.78	-	935.31	-	3,159.90	-
4	चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	444.71	495.11	78.55	94.52	3,124.88	3,427.13	662.55	691.17	77.52	116.21	4,388.21	4,824.12
5	एडेलवेइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	10.89	17.20	5.63	2.91	111.44	197.48	88.92	126.40	1.69	4.90	218.57	348.88
6	फ्यूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	443.96	456.49	63.71	84.44	1,351.38	1,617.00	528.50	669.58	1,447.69	1,310.47	3,835.23	4,137.98
7	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लि.	162.17	260.36	0.98	13.97	1,957.31	3,008.77	214.04	675.94	83.12	714.91	2,417.62	4,673.94
8	एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1,175.12	1,330.35	148.89	173.44	3,406.46	3,549.00	4,281.60	4,940.65	3,283.03	3,504.10	12,295.10	13,497.55
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2,157.79	2,749.52	478.73	625.04	7,019.92	8,280.09	3,021.35	4,006.91	1,325.30	2,315.31	14,003.09	17,976.87
10	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	814.96	924.72	156.01	252.19	3,721.13	3,702.65	1,664.24	1,859.56	2,054.54	1,713.79	8,410.88	8,452.91
11	कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	35.47	50.95	0.09	4.90	286.31	388.03	207.71	275.53	14.41	23.06	543.99	742.47
12	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.	97.90	92.13	30.24	39.12	952.72	994.97	248.29	274.63	116.57	105.60	1,445.71	1,506.46
13	मैमा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	144.50	229.78	21.43	23.91	968.54	1,316.02	80.62	112.88	68.50	74.57	1,283.59	1,757.17
14	नवी जनरल इश्योरेंस लि.	30.68	18.59	-	-	41.82	43.00	25.82	42.46	6.08	2.52	104.40	106.57
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	11.79	15.08	0.25	0.01	173.88	277.36	22.76	5.06	63.54	78.31	272.22	375.83
16	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	874.33	938.13	84.60	108.20	3,573.60	3,844.50	955.05	1,120.93	2,822.70	3,397.19	8,310.28	9,408.96
17	रॉयल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	272.59	290.46	35.27	45.97	1,978.61	2,025.96	395.53	425.72	140.27	78.48	2,822.28	2,866.59
18	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1,411.44	1,350.94	33.59	62.24	2,143.91	2,517.07	2,122.38	2,735.09	2,553.54	2,500.88	8,264.86	9,166.22
19	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	39.63	55.55	1.21	1.64	2,049.24	1,631.15	17.26	31.71	31.54	32.90	2,138.88	1,752.95
20	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1,433.90	1,633.08	346.30	543.30	4,339.28	5,131.61	1,300.66	1,930.04	621.92	786.94	8,042.06	10,024.97
21	यूनिसर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	194.88	211.19	36.32	45.62	1,010.73	1,357.46	376.30	548.15	1,433.94	1,293.70	3,052.16	3,456.12
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	11,737.49	13,036.08	1,763.27	2,333.18	44,574.07	48,664.50	19,095.07	24,260.83	20,831.06	21,458.78	98,000.96	109,753.37

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	(रु. करोड़ में)											
		फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
22	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	1,175.29	1,104.10	192.79	224.37	4,865.76	4,645.95	5,769.52	6,075.14	2,137.47	976.18	14,140.83	13,025.74
23	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.	3,771.31	3,959.27	850.94	848.96	8,801.53	8,240.52	11,404.43	15,830.28	3,720.27	3,694.85	28,548.48	32,573.88
24	डी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	1,650.51	1,608.11	340.39	386.31	3,746.98	3,405.74	4,983.54	6,642.20	1,728.29	1,668.61	12,449.71	13,710.97
25	टी ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लि.	1,778.29	1,843.48	340.70	374.79	5,803.84	5,476.76	6,745.22	6,826.65	2,036.65	1,200.57	16,704.70	15,722.25
26	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	8,375.40	8,514.95	1,724.82	1,834.43	23,218.11	21,768.98	28,902.71	35,374.27	9,622.68	7,540.22	71,843.72	75,032.84
27	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	विशेषीकृत बीमाकर्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	ईसीजीसी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	अदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,300.64	1,726.67	लागू नहीं	लागू नहीं	1,300.64	1,726.67
34	केयर हेल्थ इश्योरेंस लि.**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2,559.75	3,880.91	लागू नहीं	लागू नहीं	2,559.75	3,880.91
35	एचडीएफसी एगो हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
36	मणिपाल सिगना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	755.49	986.18	लागू नहीं	लागू नहीं	755.49	986.18
38	रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस लि.***	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,750.78	2,809.97	लागू नहीं	लागू नहीं	1,750.78	2,809.97
39	स्टर हेल्थ एण्ड अलायड इश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.01	-0.02	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.01	-0.02
40	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	15,755.19	20,867.18	लागू नहीं	लागू नहीं	15,755.19	20,867.18
41	कुल योग	20,112.89	21,551.03	3,488.09	4,167.61	67,792.19	70,433.48	63,752.97	80,502.27	43,568.58	44,045.82	198,714.72	220,700.21

* 01 अप्रैल 2021 से पूर्ववर्ती भारतीय अक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया।

** 01 मार्च, 2020 से पूर्व में एचडीएफसी एगो हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय हो गया।

*** रिलायंस जनरल इश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण

नोट:

1. लागू नहीं इंगित करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान या संबंधित खंड में परिचालन में नहीं था।
2. बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण / पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं की इकिटी शेयर पूंजी

(रू करोड़ में)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	'31 मार्च 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	'31 मार्च 2022 को	प्रवर्तक			गैर-प्रवर्तक (विदेशी सहित)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (%)#
					भारतीय	विदेशी	कुल		
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता									
1	एको जनरल इश्योरेंस लि.	596.00	550.00	1,146.00	1,146.00	-	1,146.00	-	-
2	बजाज अलायंज़ जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	110.23	-	110.23	81.57	28.66	110.23	-	26.00
3	भारती अक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. *	2,055.98	-2,055.98	-	-	-	-	-	-
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	298.81	-	298.81	179.28	119.52	298.81	-	40.00
5	एडेलवेइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	393.00	120.00	513.00	513.00	-	513.00	-	-
6	पयूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	904.80	-	904.80	674.02	230.78	904.80	-	25.51
7	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लि.	824.69	34.32	859.01	856.48	2.53	859.01	-	0.29
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	711.56	1.22	712.78	356.25	349.20	705.46	7.32	48.99
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	454.59	36.30	490.89	235.84	-	235.84	255.05	-
10	इप्रको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	274.22	6.04	280.25	142.93	137.32	280.25	-	49.00
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	330.00	125.00	455.00	455.00	-	455.00	-	-
12	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.	1,086.23	-	1,086.23	557.41	528.81	1,086.23	-	48.68
13	मैगमा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	154.71	-	154.71	103.83	32.00	135.83	18.88	20.68
14	नवी जनरल इश्योरेंस लि.	495.79	-	495.79	495.79	-	495.79	-	-
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	264.73	31.31	296.04	150.98	145.06	296.04	-	49.00
16	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	251.55	0.26	251.81	251.81	-	251.81	-	-
17	रायल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	449.00	-	449.00	269.40	179.60	449.00	-	40.00
18	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	215.50	0.12	215.62	190.53	25.09	215.62	-	11.64
19	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	259.16	-	259.16	198.60	59.40	258.00	1.16	22.92
20	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	994.46	-	994.46	735.90	258.56	994.46	-	26.00
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	368.18	-	368.18	240.74	127.44	368.18	-	34.61
	निजी क्षेत्र कुल	11,493.19	-1,151.43	10,341.76	7,835.35	2,223.99	10,059.35	282.41	21.50
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता									
22	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.	5,675.00	3,700.00	9,375.00	9,375.00	-	9,375.00	-	-
23	टी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	824.00	-	824.00	584.00	-	584.00	240.00	-
24	टी ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लि.	3,420.00	1,200.00	4,620.00	4,620.00	-	4,620.00	-	-
25	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	3,805.00	100.00	3,905.00	3,905.00	-	3,905.00	-	-
	सार्वजनिक क्षेत्र कुल	13,724.00	5,000.00	18,724.00	18,484.00	-	18,484.00	240.00	-
	कुल (निजी + सार्वजनिक)	25,217.19	3,848.57	29,065.76	26,319.35	2,223.99	28,543.35	522.41	7.65
विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल									
26	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	-	-
27	ईसीजीसी लि.	3,190.00	760.00	3,950.00	3,950.00	-	3,950.00	-	-
	विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	3,390.00	760.00	4,150.00	4,150.00	-	4,150.00	-	-
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता									
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	360.39	74.72	435.12	221.91	213.21	435.12	-	49.00
29	केयर हेल्थ इश्योरेंस लि.	841.04	67.53	908.57	795.84	-	795.84	112.73	-
30	एचडीएफसी एरगो हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.**	941.90	175.72	1,117.62	569.99	547.63	1,117.62	-	49.00
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	1,349.73	58.87	1,408.60	772.27	629.31	1,401.57	7.03	44.68
32	निवा ब्रूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	193.90	-	193.90	193.90	-	193.90	-	-
33	रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस लि.***	548.09	27.43	575.52	338.99	-	338.99	236.53	-
34	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इश्योरेंस कंपनी लि.	4,235.06	404.27	4,639.33	2,892.89	1,390.15	4,283.03	356.30	29.96
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	4,235.06	404.27	4,639.33	2,892.89	1,390.15	4,283.03	356.30	29.96
	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	32,842.24	5,012.84	37,855.09	33,362.24	3,614.14	36,976.38	878.71	9.55
पुनर्बीमाकर्ता									
35	जीआईसी री कुल योग	877.20	-	877.20	877.20	-	877.20	-	-
	कुल योग	33,719.44	5,012.84	38,732.29	34,239.44	3,614.14	37,853.58	878.71	9.33

अप्रत्यक्ष एफडीआई पर विचार नहीं किया जाता है

*01 अप्रैल 2021 से पूर्ववर्ती भारती अक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया।

**01 मार्च 2020 से पूर्व में एचडीएफसी एरगो हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एचडीएफसी एरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय हो गया था।

***रिलायंस जनरल इश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण

नोट

1. बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्गठन/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

2. वर्ष के दौरान निवेश में शेयरों को रद्द करना, घटना और नए सिरे से जारी करना शामिल है

'साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात (भारत के अंदर)

(प्रतिशत में)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता												
2	एको जनरल इश्योरेंस लिमिटेड.	95.92	97.16	-	-	82.35	86.87	84.64	103.75	62.01	83.21	81.83	97.83
3	बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	54.46	57.04	65.86	63.89	68.06	68.53	77.31	90.64	56.59	56.03	68.45	72.96
4	भारती अक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	87.35	-	83.11	-	64.27	-	65.37	-	40.85	-	63.23	-
5	चौलमडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	33.82	33.48	73.52	61.87	74.30	65.05	77.35	117.08	29.89	28.59	72.44	70.29
6	एडेलवेइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	135.23	77.82	1933.33	170.92	93.38	84.61	111.57	112.32	134.89	134.37	102.01	96.71
7	फ्यूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	59.62	65.76	85.17	61.87	66.13	62.43	90.04	88.44	44.37	71.73	66.39	68.62
8	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लि.	58.25	51.61	130.68	31.56	74.91	79.54	63.80	48.94	75.96	58.48	74.03	74.02
9	एचडीएफसी एरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	74.78	62.60	90.11	94.05	70.02	74.66	79.30	97.47	79.04	69.44	75.75	84.04
10	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	63.74	53.05	83.34	77.60	65.77	70.88	78.00	91.67	53.77	63.38	68.61	75.06
11	इफ़को टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	62.37	63.61	68.12	104.62	84.04	84.12	99.49	130.65	59.80	60.35	85.10	94.10
12	कोटक महिन्द्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	54.84	29.96	-466.67	300.00	74.64	82.67	55.17	72.11	31.12	36.23	66.99	77.01
13	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.	66.64	8.63	67.18	105.89	59.91	62.84	76.98	89.30	57.50	28.39	63.47	66.74
14	मैगमा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	91.55	34.97	479.27	11.24	78.91	69.37	62.70	66.42	272.33	186.05	79.64	68.65
15	नवी जनरल इश्योरेंस लि.	15.59	-8.32	-	-	82.91	117.97	26.78	28.56	165.42	102.51	63.71	66.29
16	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	31.80	92.82	23.81	-245.96	100.51	92.55	97.22	109.54	50.85	31.24	86.98	81.21
17	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	55.94	38.19	133.36	93.31	76.89	75.57	93.96	98.76	80.17	78.40	79.58	77.53
18	रायल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	60.47	30.49	47.71	80.97	87.89	85.76	67.88	90.22	3.93	19.88	80.40	84.21
19	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	53.42	53.91	133.49	133.63	86.10	93.58	60.72	81.92	106.32	99.83	74.11	86.31
20	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	46.86	39.20	-27.78	24.00	79.43	72.97	4.84	37.07	42.29	72.10	78.54	72.35
21	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	39.40	56.39	78.31	91.50	75.41	74.51	67.27	86.53	-52.43	10.05	68.67	75.01
22	यूनिवर्सल सोल्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	57.41	17.62	105.36	80.61	87.96	91.32	111.23	113.39	79.06	11.43	90.44	77.77
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	57.60	51.27	80.32	85.78	73.59	74.53	78.44	94.66	63.60	64.96	73.39	77.95

'साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात (भारत के अंदर)

(प्रतिशत में)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
22	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.	71.31	87.54	74.25	93.05	78.55	90.68	101.09	125.53	76.26	68.21	86.23	104.05
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	74.07	62.27	73.53	80.41	78.20	91.00	92.79	124.54	85.92	68.78	84.19	101.23
24	दी ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लि.	53.64	61.73	77.00	91.50	81.83	97.95	112.51	139.86	97.96	58.21	95.33	112.27
25	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	58.40	58.47	49.94	88.50	77.17	98.90	106.04	120.21	88.68	14.48	88.45	98.57
	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	68.33	66.96	69.49	86.02	78.60	94.03	101.02	126.80	86.58	58.54	87.48	103.17
26	विशेषीकृत बीमाकर्ता एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	92.38	96.41	92.38	96.41
27	ईसीजीसी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	106.92	61.92	106.92	61.92
	विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	93.95	92.47	93.95	92.47
28	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	49.99	69.56	लागू नहीं	लागू नहीं	49.99	69.56
29	केयर हेल्थ इश्योरेंस लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	55.15	65.07	लागू नहीं	लागू नहीं	55.15	65.07
30	एचडीएफसी एग्री हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	61.13	76.17	लागू नहीं	लागू नहीं	61.13	76.17
32	निवा ब्रूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	56.09	62.12	लागू नहीं	लागू नहीं	56.09	62.12
33	रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	45.68	196.55	लागू नहीं	लागू नहीं	45.68	196.55
34	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	94.44	87.06	लागू नहीं	लागू नहीं	94.44	87.06
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	75.43	79.06	लागू नहीं	लागू नहीं	75.43	79.06
	कुल योग	65.07	60.33	75.11	85.88	75.61	81.30	89.51	105.68	83.47	72.72	81.06	89.08

*01अप्रैल 2021 से पूर्ववर्ती भारतीय एक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया।

**01मार्च 2020 से पूर्व में एचडीएफसी एग्री हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एचडीएफसी एग्री जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय हो गया था।

***रिलायंस जनरल इश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण

टिप्पणी:

- लागू नहीं इंगित करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष खंड में परिचालन में नहीं था।
- बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के अंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के दावों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	दावों की संख्या						भुगतान किए गए दावों की संख्या का आयु विश्लेषण (%)					
		अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे	अवधि के दौरान सूचित / दर्ज किए गए दावे	अवधि के दौरान भुगतान किए गए दावे	अवधि के दौरान निराकृत दावे	अवधि के दौरान बंद किए गए दावे	अवधि के अंत में लंबित दावे	<3 साल	3 महीने से 6 महीने	6 महीने से <1 साल	1 साल से <3 साल*	3 साल से <5 साल**	> 5 साल
1	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	5,246	326,199	242,457	7,440	72,718	8,830	97.20	1.67	0.80	0.33	-	-
2	एको जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	330,141	4,562,051	4,251,001	83,762	173,169	384,260	96.59	2.62	0.25	0.39	0.07	0.09
3	बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	67,885	478,908	419,419	39,574	10,943	76,857	93.23	4.06	1.39	0.92	0.27	0.13
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1,833	58,503	53,325	2,133	2,133	2,745	97.26	2.07	0.62	0.06	-	-
5	एडेलवेइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	27,759	473,084	380,919	19,106	67,636	33,182	96.01	2.05	0.89	0.59	0.22	0.24
6	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लि.	10,872	315,795	267,422	14,280	23,695	21,270	96.09	2.62	0.87	0.41	0.02	-
7	एचडीएफसी एरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	123,729	3,891,395	3,697,791	10,776	157,939	148,618	98.49	1.03	0.22	0.20	0.04	0.02
8	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	236,410	2,326,531	2,061,255	145,199	136,623	219,864	97.07	1.69	0.59	0.37	0.12	0.17
9	इप्रको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	68,560	1,147,104	1,074,068	21,527	35,480	84,589	89.38	6.43	2.26	1.17	0.42	0.34
10	कोटक महिन्द्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	4,038	89,094	76,103	3,691	7,892	5,446	96.90	2.24	0.57	0.27	0.03	-
11	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.	13,877	219,658	198,798	10,700	9,515	14,522	97.30	1.27	0.61	0.65	0.14	0.03
12	मैगमा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	11,876	139,739	113,273	4,617	15,844	17,881	92.34	5.09	1.54	0.74	0.20	0.10
13	नवी जनरल इश्योरेंस लि.	923	11,954	9,708	910	1,146	1,113	99.99	0.01	-	-	-	-
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	3,234	49,950	47,855	806	1,879	2,644	93.30	4.88	1.37	0.40	0.05	0.00
15	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	283,693	2,457,570	2,344,489	41,649	57,292	297,833	98.65	0.65	0.23	0.26	0.11	0.12
16	रायल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	37,421	394,812	366,183	9,005	18,807	38,238	95.95	1.26	0.80	1.59	0.22	0.18
17	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	46,867	1,124,712	995,174	15,281	113,230	47,894	95.04	2.55	1.67	0.67	0.04	0.03
18	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	53,733	136,704	117,749	7,966	13,958	50,764	85.23	2.81	2.63	4.85	1.80	2.67
19	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	60,885	1,483,598	1,284,562	27,123	158,972	73,826	93.55	3.97	1.90	0.45	0.07	0.06
20	यूनियर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	24,474	319,705	280,967	13,015	15,611	34,586	95.77	2.78	0.97	0.38	0.08	0.02
	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता												
22	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.	583,360	2,885,869	2,738,562	250,857	43	479,767	86.28	8.76	2.46	1.52	0.56	0.41
23	टी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	373,594	7,426,386	7,257,355	18,015	5	524,605	92.93	4.30	1.56	0.75	0.21	0.25
24	टी ओरिएन्टल इश्योरेंस कंपनी लि.	357,646	1,908,418	1,717,440	3,230	203,725	341,669	90.18	5.68	2.17	1.44	0.29	0.24
25	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	656,818	9,149,482	8,652,285	191,056	6,353	956,606	97.25	2.01	0.51	0.17	0.03	0.02
	विशेषीकृत बीमाकर्ता												
26	एग्नीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	3,490,149	18,115,224	17,303,277	162	6,640	4,295,294	66.71	6.66	15.58	8.78	-	2.27
27	ईसीजीसी लि.	691	1,051	681	669	2	390	55.51	21.59	11.75	10.13	1.03	-
	गैर जीवन बीमाकर्ता कुल	6,875,714	59,493,496	55,952,118	942,549	1,311,250	8,163,293	86.20	4.27	5.52	3.11	0.11	0.80

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के दावों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	दावों की संख्या						भुगतान किए गए दावों की संख्या का आयु विश्लेषण (%)					
		अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे	अवधि के दौरान सूचित / दर्ज किए गए दावे	अवधि के दौरान भुगतान किए गए दावे	अवधि के दौरान निराकृत दावे	अवधि के दौरान बंद किए गए दावे	अवधि के अंत में लंबित दावे	<3 साल	3 महीने से 6 महीने	6 महीने से <1 साल	1 साल से <3 साल*	3 साल से <5 साल**	> 5 साल
28	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	6,661	413,167	387,276	25,970		6,582	99.41	0.26	0.05	0.28	-	-
29	आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	101,901	591,736	515,853	76,903		100,881	100.00	0.00	0.00	-	-	-
30	केयर हेल्थ इश्योरेंस लि.	4,598	345,804	310,743	35,045		4,614	99.90	0.06	0.02	0.02	-	-
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	3,571	299,990	270,378	27,196		5,987	99.99	0.01	0.00	-	-	-
32	निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	38	68	55	22		29	76.36	7.27	7.27	5.45	3.64	-
33	रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस लि.	92,562	1,799,454	1,470,416	311,951		109,649	99.06	0.70	0.20	0.05	0.01	-
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	209,331	3,450,219	2,954,721	477,087		227,742	99.44	0.39	0.11	0.06	0.00	-

* स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के मामले में, आयु 1 वर्ष से <2 वर्ष तक है

** स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के मामले में, आयु 2 वर्ष से अधिक है

विवरण 15

जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन क्षमता अनुपात (वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	जून 2021	सितंबर 2021	दिसंबर 2021	मार्च 2022
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता				
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.82	1.89	1.94	1.88
2	एइगान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.74	2.93	2.89	3.33
3	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.08	3.03	3.14	3.12
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.22	2.23	2.32	1.82
5	बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6.48	6.26	6.04	5.81
6	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.73	1.88	1.67	1.62
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.88	2.72	2.74	2.82
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.84	2.06	1.90	2.11
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.19	2.07	2.02	2.17
10	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.84	1.53	1.50	1.83
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.03	1.90	1.90	1.76
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.94	2.00	2.02	2.04
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.76	1.60	1.61	1.65
14	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.57	2.61	2.66	2.73
15	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.97	2.11	2.07	2.01
16	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.80	1.80	1.80	2.09
17	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4.17	3.90	3.86	4.04
18	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.35	2.34	2.30	2.35
19	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9.58	9.53	9.23	6.75
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.15	2.12	2.09	2.05
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.38	2.11	2.06	2.05
22	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.06	1.82	1.86	2.00
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.95	1.86	1.79	1.96
	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता				
24	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	1.73	1.83	1.77	1.85

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधन क्षमता अनुपात (वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	जून 2021	सितंबर 2021	दिसंबर 2021	मार्च 2022
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता				
1	एको जनरल इश्योरेंस लि.	2.31	1.61	1.77	1.68
2	बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	3.40	3.50	3.33	3.44
3	भारती अक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2.00	1.77	1.86	1.95
5	एडेलवेइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1.83	1.79	1.77	1.67
6	फ्यूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	1.56	1.58	1.64	1.66
7	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लि.	1.81	1.64	1.64	2.01
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1.69	1.71	1.70	1.64
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2.76	2.51	2.45	2.46
10	इफ्रको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1.63	1.51	1.74	1.68
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1.75	2.66	2.35	1.79
12	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.	2.81	2.85	2.87	2.87
13	मैगमा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1.82	1.82	1.61	1.76
14	नवी जनरल इश्योरेंस लि.	2.28	1.67	2.15	1.91
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2.59	2.76	2.19	2.22
16	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1.65	1.69	1.69	1.66
17	रायल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1.97	2.07	2.14	2.10
18	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2.10	2.04	1.93	1.85
19	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	3.63	4.05	4.70	4.62
20	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2.32	2.17	2.11	1.97
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2.07	2.06	2.09	1.92
	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता				
22	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.#	0.05	0.01	0.09	0.63
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2.00	1.90	1.83	1.66
24	दी ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लि.#	0.50	0.12	0.15	0.15
25	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.#	0.83	0.74	0.72	0.51
	विशेषीकृत बीमाकर्ता				
26	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	1.88	1.88	2.40	2.45
27	ईसीजीसी लिमिटेड	21.66	20.79	23.92	30.05
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता				
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	1.61	1.73	1.84	1.77
29	केयर हेल्थ इश्योरेंस लि.	1.81	1.90	1.68	1.85
30	एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	1.65	1.77	1.59	1.68
32	निवा ब्रूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	1.65	1.66	1.78	1.72
33	रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस लि.***	-	-	-	-
34	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कंपनी लि.	1.65	1.71	1.80	1.67
	पुनर्बीमाकर्ता				
35	भारतीय साधारण बीमा निगम	1.74	1.88	1.80	1.96

*01 अप्रैल 2021 में पूर्ववर्ती भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया। **01 मार्च 2020 से पूर्व में एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय हो गया था।

***रिलायंस जनरल इश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए सॉल्वेंसी फोरबियरेंस के साथ है#

नोट:

पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमाकरण/पुनः समूहीकरण, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

विवरण 17

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं का शोधनक्षमता अनुपात

क्रम सं.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएं	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को
1	अलायंज़ ग्लोबल	2.60	2.43
2	हैनोवर आरई	1.88	2.15
3	लायड्स आफ़ इंडिया	2.07	2.13
4	म्यूनिख आरई	1.55	1.74
5	आरजीए	2.18	2.34
6	स्कोर एसई	3.24	3.25
7	स्विस आरई	2.01	2.90
8	एक्सएल एसई	1.83	2.15
9	अक्सा फ़्रांस वी	2.42	2.69
10	जन आरई	2.37	2.05
11	फैक्टरी म्युचुअल	लागू नहीं	2.20

एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम

(रु करोड़)

क्रम सं.	पुनर्बीमाकर्ता	भारतीय व्यापार		विदेशी व्यापार		कुल	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	जीआईसी आरई एफआरबी	30,009.93	28,018.80	17,004.46	15,189.70	47,014.38	43,208.50
2	अलायंज़ ग्लोबल	135.06	159.88	35.64	42.12	170.70	202.00
3	अक्सा फ्रॉंस वी	570.52	1,005.87	-	-	570.52	1,005.87
4	जन आरई	415.72	521.10	-	-	415.72	521.10
5	हैनोवर आरई	1,291.98	1,420.81	0.00	17.42	1,291.98	1,438.23
6	म्यूनिख आरई	4,791.43	7,581.73	81.59	104.12	4,873.02	7,685.85
7	आरजीए लाइफ	430.37	439.03	3.49	1.15	433.85	440.18
8	स्कोर एसई	1,805.49	1,997.41	-	-	1,805.49	1,997.41
9	स्विस आरई	4,447.77	4,324.01	8.69	-1.95	4,456.46	4,322.05
10	एक्सएल एसई	399.71	446.83	4.12	3.00	403.84	449.83
11	मार्केल (लॉयड्स)	35.26	65.44	0.05	0.60	35.31	66.04
	एफआरबी कुल	14,323.30	17,962.11	133.58	166.46	14,456.88	18,128.56
	कुल योग	44,333.23	45,980.89	17,138.04	15,356.12	61,471.27	61,337.01

विवरण 19

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की समनुदेशित पूँजी

(रू करोड़)

क्रम सं.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं	31 मार्च 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2022 को
1	अलायंज़ ग्लोबल	200.24	0.00	200.24
2	हैनोवर आरई	568.78	0.00	568.78
3	लायड्स आफ़ इंडिया	110.00	-5.00	105.00
4	म्यूनिख आरई	2,269.60	1,720.30	3,989.90
5	आरजीए	2,332.84	1,057.25	3,390.09
6	स्कोर एसई	975.17	-0.01	975.16
7	स्विस आरई	2,221.67	905.20	3,126.87
8	एक्सएल एसई	233.35	0.00	233.35
9	अक्सा फ़्रांस वी	909.47	-0.01	909.46
10	जन आरई	556.56	304.88	861.44
11	फैक्टरी म्युचुअल	0.00	117.00	117.00
	कुल	10,377.66	4,099.63	14,477.29

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ) (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(रु. करोड़ में)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	जीवन निधि											
		केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास और बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (जीवन निधि)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ	8,320.62	11,568.18	1,120.04	1,236.88	5,361.46	6,009.00	3,028.21	3,754.38	404.34	348.09	18,234.67	22,916.53
2	एइगन लाइफ	925.93	1,190.08	219.96	384.54	587.93	626.50	345.24	412.60	-	10.62	2,079.06	2,624.34
3	एजियस फेडरल लाइफ	2,163.04	2,926.96	2,333.15	2,585.94	1,664.03	1,682.60	1,388.42	1,404.48	41.96	82.71	7,590.60	8,682.69
4	अवीवा लाइफ	4,258.49	4,829.87	1,244.65	1,345.61	1,138.19	1,184.50	228.72	170.56	20.31	19.20	6,890.36	7,549.74
5	बजाज अलायंज लाइफ	16,841.33	20,243.05	2,053.96	1,954.17	5,094.57	6,042.20	8,786.20	8,272.84	605.82	639.90	33,381.88	37,152.16
6	भारती अक्सा लाइफ	2,920.12	4,076.31	944.43	1,271.08	1,314.55	1,490.20	1,915.95	1,679.91	324.90	283.94	7,419.95	8,801.44
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ	2,497.05	3,552.08	1,245.85	2,121.35	2,042.20	1,915.10	1,261.85	1,468.89	103.47	101.82	7,150.42	9,159.24
8	एड्लेवैस टोकियो लाइफ	1,536.76	2,004.59	45.95	7.30	421.38	597.40	482.17	580.77	100.43	226.94	2,586.69	3,417.00
9	एक्साइड लाइफ	8,505.92	9,574.01	904.93	1,100.04	2,434.37	2,534.50	1,862.92	2,493.75	83.24	69.18	13,791.38	15,771.48
10	प्यूर जनरली लाइफ	2,508.36	2,978.61	198.56	197.60	587.30	688.70	302.66	426.13	21.03	7.24	3,617.91	4,298.28
11	एचडीएफसी लाइफ	23,796.33	32,977.28	10,074.63	10,076.62	10,650.30	11,557.20	12,008.52	21,110.35	1,976.52	1,785.82	58,506.30	77,507.27
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	36,107.87	41,158.05	3,069.99	4,560.30	9,837.89	11,594.50	10,848.28	12,658.01	1,865.35	2,490.60	61,729.38	72,461.46
13	इंडिया फर्स्ट लाइफ	1,190.79	1,713.08	1,305.82	1,814.32	659.62	899.00	739.38	888.82	38.71	52.23	3,994.32	5,367.45
14	कोटक महिन्दा लाइफ	17,784.22	21,569.43	2,79.07	435.40	3,885.83	4,926.10	2,548.81	2,880.79	494.82	654.87	24,992.75	30,466.59
15	मैक्स लाइफ	32,338.40	37,431.93	6,247.24	7,012.29	9,981.01	11,411.40	8,614.44	12,002.58	2,011.55	2,501.65	59,192.64	70,359.85
16	पीएनबी मेट लाइफ	8,570.10	10,608.38	2,059.56	3,511.39	5,302.21	5,863.60	3,792.49	4,278.54	166.45	211.96	19,890.81	24,473.87
17	प्रामेरिका लाइफ	2,220.83	2,595.64	148.68	244.07	1,061.11	1,056.90	543.08	691.12	54.65	47.93	4,028.35	4,635.66
18	रिलायंस निप्योन लाइफ	9,364.06	11,219.37	3,374.13	3,453.67	3,514.71	3,436.00	1,414.97	1,816.78	255.72	232.46	17,923.59	20,158.28
19	सहारा इंडिया लाइफ	485.98	558.82	257.53	252.21	507.01	465.80	104.78	117.69	21.05	21.13	1,376.35	1,415.65
20	एसबीआई लाइफ	27,774.37	35,028.78	5,248.22	5,280.54	10,093.38	12,657.90	15,162.28	17,231.85	1,959.64	1,886.71	60,237.89	72,085.78
21	श्रीराम लाइफ	1,736.80	2,354.02	849.43	1,758.74	1,762.39	1,450.80	695.49	848.54	103.34	96.17	5,147.45	6,508.27
22	स्टार यूनिफाइड आई-ईवी लाइफ	3,215.34	4,843.04	1,097.42	1,244.33	1,895.78	1,429.50	603.81	793.47	4.79	76.50	6,817.14	8,386.84
23	टाटा एआईए लाइफ	17,691.38	24,270.36	112.92	97.91	4,665.99	5,578.80	4,205.02	4,370.94	261.27	515.09	26,936.58	34,833.10
24	एलआईसी	232,754.09	289,271.92	44,436.12	51,946.30	84,463.21	95,098.20	80,883.69	100,353.79	10,919.36	12,362.72	453,456.47	549,032.93
	कुल योग	1,046,698.84	1,144,537.17	584,210.93	586,336.47	213,575.32	214,463.16	492,342.96	557,603.24	123,999.17	142,978.50	2,460,827.22	2,645,918.54
	कुल योग	1,279,452.93	1,433,809.09	628,647.05	638,282.77	298,038.53	309,561.36	573,226.65	657,957.03	134,918.53	155,341.22	2,914,283.69	3,194,951.47

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ) (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	बीमाकर्ता	पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि									
		केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		अनुमोदित निवेश		कुल (पेंशन और सामान्य वार्षिकी और सामूहिक निधि)			
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ	2,151.85	2,811.32	646.42	678.37	3,381.06	3,990.22	6,179.33	7,479.91		
2	एडगान लाइफ	6.66	6.62	-	-	0.68	0.74	7.34	7.36		
3	एजियस फेडरल लाइफ	154.89	245.71	164.19	169.10	291.79	273.37	610.87	688.18		
4	अबीवा लाइफ	204.58	214.63	20.84	19.56	45.05	44.92	270.47	279.11		
5	बजाज अलायज़ लाइफ	5,511.63	6,984.96	1,823.56	2,335.51	2,474.31	3,747.03	9,809.50	13,067.50		
6	भारती अक्सा लाइफ	132.75	166.35	85.10	79.14	302.77	270.00	520.62	515.49		
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ	761.88	1,315.24	639.71	959.59	1,607.05	1,835.81	3,008.64	4,110.64		
8	एडलवेइस टोकियो लाइफ	171.84	200.84	7.90	7.26	81.84	85.91	261.58	294.01		
9	एक्साइड लाइफ	1,392.23	1,460.74	209.60	210.81	541.93	447.45	2,143.76	2,119.00		
10	फ्यूचर जनराली लाइफ	193.34	221.26	214.05	271.72	480.12	485.11	887.51	978.09		
11	एचडीएफसी लाइफ	14,072.61	18,070.49	7,359.32	10,838.83	17,116.97	15,013.85	38,548.90	43,923.17		
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	5,633.09	8,565.29	222.52	731.26	3,033.83	3,317.34	8,889.44	12,613.89		
13	इंडिया फर्स्ट लाइफ	1,934.71	1,587.56	2,384.80	2,285.68	2,770.44	2,339.88	7,089.95	6,213.12		
14	कोटक महिन्द्रा लाइफ	1,358.36	1,430.93	0.64	13.33	641.22	701.55	2,000.22	2,145.81		
15	मैक्स लाइफ	731.06	1,075.90	559.39	656.56	670.98	1,255.84	1,961.43	2,988.30		
16	पीएनबी मेट लाइफ	783.84	1,015.40	149.14	237.82	308.98	296.06	1,241.96	1,549.28		
17	प्रामेरिका लाइफ	548.57	535.26	52.95	52.37	567.47	531.68	1,168.99	1,119.31		
18	रिलायंस निप्पोन लाइफ	133.12	173.72	107.10	105.20	32.56	27.54	272.78	306.46		
19	सहारा इंडिया लाइफ	2.03	3.53	-	-	0.10	-	2.13	3.53		
20	एसबीआई लाइफ	15,255.50	19,611.28	10,926.99	14,340.77	15,198.18	15,386.29	41,380.67	49,338.34		
21	श्रीराम लाइफ	152.63	182.61	112.42	192.91	275.03	266.63	540.08	642.15		
22	स्तर यूनिनन दार्ड-ईची लाइफ	847.25	1,305.01	456.04	935.94	1,029.93	1,187.42	2,333.22	3,428.37		
23	टाटा एआईए लाइफ	1,069.90	1,706.96	62.69	62.51	369.19	348.31	1,501.78	2,117.78		
24	निधी कुल	53,204.32	68,891.61	26,205.37	35,184.24	51,221.48	51,852.95	130,631.17	155,928.80		
	एलआईसी	254,324.13	392,373.58	388,917.96	405,632.92	184,700.38	211,750.09	912,228.88	1,009,756.59		
	कुल योग	307,528.45	461,265.19	415,123.33	440,817.16	235,921.86	263,603.04	1,042,860.05	1,165,685.39		

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तिधाय) (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	बीमाकर्ता	यूनिट सहबद्ध निधि							
		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (यूलिप निधियाँ)		कुल योग (सभी निधियाँ)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ	26,563.91	28,520.33	1,403.42	1,639.86	27,967.33	30,160.19	52,381.33	60,556.63
2	एश्वान लाइफ	931.44	938.53	84.26	108.17	1,015.70	1,046.70	3,102.10	3,678.40
3	एजियस फेडरल लाइफ	3,251.34	3,764.12	270.40	379.59	3,521.74	4,143.71	11,723.21	13,514.58
4	अवीवा लाइफ	3,213.89	3,283.34	399.81	447.58	3,613.70	3,730.92	10,774.53	11,559.77
5	बजाज अलायंज लाइफ	26,796.20	30,409.34	1,764.77	2,813.27	28,560.97	33,222.61	71,752.35	83,442.27
6	भारती अक्सा लाइफ	1,238.17	1,465.90	162.17	245.63	1,400.34	1,711.53	9,340.91	11,028.46
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ	10,591.23	11,375.68	1,118.50	1,622.51	11,709.73	12,998.19	21,868.79	26,268.07
8	एडलवेइस टोकियो लाइफ	1,193.41	1,513.47	155.39	193.08	1,348.80	1,706.55	4,197.07	5,417.56
9	एक्साइड लाइफ	1,949.33	2,096.77	198.47	215.27	2,147.80	2,312.04	18,082.94	20,202.52
10	प्यूर जनरली लाइफ	625.74	655.81	55.21	76.58	680.95	732.39	5,186.37	6,008.76
11	एचडीएफसी लाइफ	68,016.51	71,671.32	6,742.99	8,950.23	74,759.50	80,621.55	171,814.70	202,051.99
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	121,480.78	126,595.44	17,068.37	24,270.86	138,549.15	150,866.30	209,167.97	235,941.65
13	इंडिया फर्स्ट लाइफ	5,250.04	6,150.02	655.66	1,027.66	5,905.70	7,177.68	16,929.97	18,758.25
14	कोटक महिन्द्रा लाइफ	17,234.70	19,695.26	2,014.89	2,857.12	19,249.59	22,552.38	46,242.56	55,164.78
15	मैक्स लाइफ	25,639.59	29,864.10	2,734.03	3,579.08	28,373.62	33,443.18	89,527.69	106,791.33
16	पीएनबी मेट लाइफ	6,137.10	7,056.79	825.37	1,024.31	6,962.47	8,081.10	28,095.24	34,104.25
17	प्रामेरिका लाइफ	372.87	363.68	33.80	47.46	406.67	411.14	5,604.01	6,166.11
18	रिलायंस निप्योन लाइफ	5,712.81	5,984.68	359.58	914.21	6,072.39	6,898.89	24,268.76	27,363.63
19	सहारा इंडिया लाइफ	90.50	63.74	9.67	22.60	100.17	86.34	1,478.65	1,505.52
20	एसबीआई लाइफ	107,484.78	130,725.34	8,730.24	11,899.97	116,215.02	142,625.31	217,833.58	264,049.43
21	श्रीराम लाइफ	470.99	442.76	29.25	26.82	500.24	469.58	6,187.77	7,620.00
22	स्टार यूनिफन वॉई-ईची लाइफ	2,396.15	2,454.83	162.10	244.59	2,558.25	2,699.42	11,708.61	14,514.63
23	टाटा एआईए लाइफ	14,479.17	17,012.13	1,955.21	3,040.65	16,434.38	20,052.78	44,872.74	57,003.66
24	निजी कुल	451,120.65	502,103.38	46,933.56	65,647.10	498,054.21	567,750.48	1,082,141.85	1,272,712.21
	एलआईसी	24,083.17	23,101.28	692.34	698.56	24,775.51	23,799.84	3,397,831.61	3,679,474.96
	कुल योग	475,203.82	525,204.66	47,625.90	66,345.66	522,829.72	591,550.32	4,479,973.46	4,952,187.17

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(रु करोड़ में)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास तथा राज्य सरकार को आवास और अधिमान उपस्कर (एफएफई) के लिए ऋण		दुनियादी सरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	निजी क्षेत्र	22,170	32,620	-	131.20	51.20	108.60	109.80	145.50	63.50	196.30	12.20	-	458.36	907.80
2	एको जनरल	6,774.80	9,041.70	3,718.50	3,264.60	1,637.20	1,747.20	4,516.90	3,193.60	5,319.20	6,126.00	119.30	381.30	22,085.90	23,754.40
3	भारती एक्सा*	1,591.44	-	598.69	-	617.86	-	1,581.48	-	1,046.78	-	120.00	-	5,556.25	-
4	चौलामडलम एमएस	4,154.91	5,165.40	3,507.79	3,124.90	991.91	1,036.28	799.68	1,569.92	1,491.49	1,546.07	87.78	61.65	11,033.56	12,504.22
5	एडलवेइस जनरल	85.60	109.00	48.05	109.54	52.54	40.89	54.83	59.82	106.30	76.39	10.75	47.89	358.07	443.53
6	प्युचर जनरली	1,302.30	1,368.90	1,211.94	1,593.61	707.52	673.31	1,267.68	1,081.18	989.97	986.58	73.03	51.61	5,552.44	5,755.19
7	गो डिजिट	2,707.33	4,613.60	193.10	313.36	657.92	1,089.83	938.31	1,618.87	867.11	1,512.56	13.36	13.86	5,377.13	9,162.08
8	एचडीएफसी एरगो	4,644.62	3,848.80	2,144.21	4,297.70	1,504.64	1,497.82	3,418.64	3,954.21	4,752.81	4,524.82	152.63	208.42	16,617.55	18,331.77
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	8,138.54	11,151.00	3,535.47	5,193.90	2,074.20	2,856.21	4,875.53	6,370.60	9,851.27	10,194.36	1,741.30	2,666.36	30,216.31	38,432.43
10	इक्को टोकियो	2,731.80	3,214.70	2,006.38	2,305.65	1,560.52	1,830.23	3,450.48	3,702.67	2,346.89	2,389.82	2.34	3.17	12,098.41	13,446.24
11	कोटक महिन्द्रा	597.30	796.80	25.97	136.60	86.56	116.74	103.83	92.14	116.69	60.49	1.54	26.71	931.89	1,229.48
12	लिबर्टी	732.93	765.00	540.70	674.71	321.45	436.32	676.80	644.68	856.34	805.87	-	-	3,128.22	3,326.58
13	मेगमा एचडीआई	1,098.74	1,648.90	294.23	545.79	241.22	294.64	491.83	448.65	736.45	816.45	131.19	89.95	2,993.66	3,844.38
14	नवी जनरल	106.11	174.60	143.46	67.82	25.04	34.84	95.03	89.78	219.27	138.99	10.02	47.63	598.93	553.66
15	रहेजा व्यूबीई	300.56	294.00	-	-	96.82	110.63	124.03	217.74	173.30	192.17	20.00	10.00	714.71	824.54
16	रिलायंस	3,195.00	3,975.90	2,765.83	2,670.14	1,160.63	1,355.50	908.71	1,233.95	4,632.95	4,895.93	431.09	345.59	13,094.21	14,477.01
17	रायल सुंदरम	2,325.72	1,666.10	431.45	1,081.06	832.84	764.87	1,306.55	1,635.19	1,286.39	1,566.27	265.94	272.16	6,448.89	6,985.65
18	एचबीआई जनरल	2,613.60	2,550.00	1,122.85	1,233.75	1,216.43	1,331.78	1,908.42	2,310.92	2,425.79	2,919.10	211.50	480.62	9,498.59	10,826.17
19	श्रीराम जनरल	3,602.25	3,630.90	19.22	5.26	2,243.16	2,331.49	3,753.28	3,790.76	942.34	1,089.71	8.49	13.14	10,568.74	10,861.26
20	टाटा एआईजी	3,658.93	4,513.70	2,264.57	3,411.71	981.63	980.52	2,304.18	2,660.95	5,795.21	5,970.05	680.21	1,297.71	15,684.73	18,834.64
21	यूनिवर्सल सोप्यो निजी क्षेत्र कुल	916.46	1,188.10	507.05	476.77	408.97	504.35	832.72	723.84	878.50	833.70	16.27	21.94	3,559.97	3,748.70
	सार्वजनिक क्षेत्र	51,500.64	60,043.30	25,079.46	30,638.07	17,470.26	19,142.05	33,518.71	35,544.97	44,898.55	46,841.63	4,108.94	6,039.71	176,576.52	198,249.73
22	नेशनल	5,928.26	6,493.52	4,880.47	6,195.82	1,904.86	1,928.82	3,567.79	2,908.65	10,166.25	12,307.50	1,066.51	885.06	27,514.14	30,719.37
23	न्यू इंडिया	12,432.11	12,945.82	15,665.91	18,995.10	2,676.94	2,494.31	6,497.83	6,342.21	10,878.94	9,710.20	1,769.05	2,402.22	49,920.78	52,889.86
24	ओरियंटल	4,364.75	4,609.49	7,206.27	8,272.58	914.67	1,187.28	2,439.03	2,360.89	3,861.40	5,143.90	968.17	1,116.07	19,754.29	22,690.21
25	यूनाइटेड इंडिया	7,531.73	8,099.20	8,196.39	8,938.01	2,402.45	2,320.63	3,182.69	3,271.40	11,289.56	9,862.00	1,886.22	2,253.94	34,489.04	34,745.18
	सार्वजनिक क्षेत्र कुल विशेषीकृत बीमाकर्ता	30,256.85	32,148.03	35,949.04	42,401.51	7,898.92	7,931.04	15,687.34	14,883.15	36,196.15	37,023.60	5,689.95	6,657.29	131,678.25	141,044.62
26	एआईसी	2,851.70	2,789.73	4,790.66	4,508.87	1,030.04	1,724.27	1,073.28	877.00	3,942.89	2,190.52	4.24	53.08	13,692.81	12,143.47
27	इंसीपीसी	2,882.83	3,188.19	1,981.95	3,080.85	1,023.95	831.00	3,401.92	3,293.00	3,944.75	4,248.39	96.63	163.16	13,332.03	14,804.59
	विशेषीकृत कुल	5,734.53	5,977.92	6,772.61	7,589.72	2,053.99	2,555.27	4,475.20	4,170.00	7,887.64	6,438.91	100.87	216.24	27,024.84	26,948.06

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास तथा राज्य सरकार की आवास और अधिभूमि उपस्कर (एफएफई) के लिए ऋण		बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
28	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	490.60	570.80	408.20	571.30	75.60	65.00	81.30	93.90	190.60	224.50	-	-	1,246.20	1,525.50
29	आदित्य बिड़ला स्वास्थ्य	726.10	1,002.00	122.60	122.20	194.20	203.90	910.10	1,191.90	678.60	1,032.20	14.30	-	2,636.70	3,566.50
30	केयर हेल्थ	188.00	233.10	145.20	220.10	61.80	102.40	226.30	226.30	226.50	222.30	1.60	1.30	849.40	1,005.50
31	मणिपाल सिग्ना	347.80	503.30	167.70	276.60	171.30	279.60	451.80	588.40	492.80	744.90	10.00	10.50	1,641.40	2,403.30
32	निवा बूपा	1,844.00	2,651.10	939.80	1,671.70	478.40	843.00	2,220.90	1,703.20	1,526.70	4,096.50	106.70	497.60	7,116.60	11,463.10
	स्वर हेल्थ	3,596.50	4,960.30	1,783.50	2,861.90	981.30	1,493.90	3,890.40	3,803.70	3,115.20	6,320.40	123.50	523.70	13,490.20	19,963.90
33	एसएच आई पुनर्बीमाकर्ता	17,466.07	20,066.61	18,298.90	21,031.22	5,095.13	5,854.94	6,297.55	7,076.84	17,536.20	19,390.92	4,104.67	3,928.24	68,798.52	77,348.77
	जीआईसी पुनर्बीमाकर्ता कुल विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएं	17,466.07	20,066.61	18,298.90	21,031.22	5,095.13	5,854.94	6,297.55	7,076.84	17,536.20	19,390.92	4,104.67	3,928.24	68,798.52	77,348.77
34	अलायंज़ ग्लोबल	119.89	136.00	35.38	59.56	30.32	44.95	48.38	60.90	25.13	35.14	-	-	259.10	336.55
35	अक्सा फ्रांस वी	945.30	935.70	52.91	42.24	122.64	141.61	120.41	94.49	95.76	118.11	-	-	1,337.02	1,332.15
36	जनरल रीइश्योरेंस एजी	650.34	865.43	-	-	-	-	143.33	167.27	-	-	-	-	793.67	1,032.70
37	हेनोवर आरई	820.67	1,137.29	5.10	21.10	229.75	218.09	280.76	283.69	311.17	318.16	-	-	1,647.45	1,978.33
38	म्यूनिख आरई	3,075.72	4,971.54	-	-	266.46	396.75	307.31	658.09	-	-	-	-	3,649.49	6,026.38
39	आरजीए लाइफ	2,068.18	2,291.73	-	-	-	-	429.21	467.02	-	225.75	-	-	2,497.39	2,984.50
40	स्कोर एसई	1,346.91	1,737.82	-	-	151.72	155.96	226.75	221.18	-	-	-	-	1,725.38	2,114.96
41	स्विस आरई	2,675.76	3,507.52	-	-	351.37	478.88	398.26	678.08	-	-	-	-	3,425.39	4,664.48
42	एक्सएल इश्योरेंस कंपनी	275.94	387.28	-	-	15.12	56.08	107.08	71.72	-	-	-	-	398.14	515.08
	एफआरबी कुल	11,978.71	15,970.31	93.39	122.90	1,167.38	1,492.32	2,061.49	2,702.44	432.06	697.16	-	-	15,733.03	20,985.13
	कुल योग	120,533.34	150,533.34	87,976.91	122.90	34,666.96	1,492.32	65,930.57	110,065.76	110,065.76	14,127.82	14,127.82	14,127.82	433,301.36	484,540.21

*01 अप्रैल 2021 से पूर्ववर्ती भारतीय एक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया।

अनुबंध

भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियां

जीवन बीमाकर्ता	साधारण बीमाकर्ता
<p>सार्वजनिक क्षेत्र</p> <p>1. भारतीय जीवन बीमा निगम</p> <p>निजी क्षेत्र</p> <p>1. आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2. एइगान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 3. एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 4. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 5. बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 6. भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.* 7. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 8. एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 9. एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 10. फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 11. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 12. आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 13. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 14. कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 15. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 16. पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. 17. प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 18. रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 19. सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 20. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 21. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 22. स्टार यूनिनयन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 23. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.</p>	<p>सार्वजनिक क्षेत्र</p> <p>1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. 2. दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. 3. दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. 4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.</p> <p>निजी क्षेत्र</p> <p>1. एको जनरल इंश्योरेंस लि. 2. बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 3. चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 4. एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 5. फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. 6. गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि. 7. एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 8. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. # 9. इफ्रको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 10. कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 11. लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि. 12. मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 13. नवी जनरल इंश्योरेंस लि. 14. रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 15. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 16. रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 17. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 18. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 19. टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 20. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.</p> <p>विशेषीकृत बीमाकर्ता (सार्वजनिक क्षेत्र)</p> <p>1. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. 2. ईसीजीसी लि.</p> <p>स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (निजी क्षेत्र)</p> <p>1. आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2. केअर हेल्थ इंश्योरेंस लि. 3. मणिपाल सिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. 4. निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. 5. रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि. \$ 6. स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.</p>

* केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ बीमा कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है।

दिनांक 03 सितंबर, 2021 से भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ विलय कर दिया गया है।

\$ प्राधिकरण आदेश सं. आईआरडीए/एफएंडए/ओआरडी/एसओएलपी/200/11/2019 दिनांक 06 नवंबर, 2019 के द्वारा रिलायंस स्वास्थ्य को नई पॉलिसियों की बिक्री बंद करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

नोट: 31 मार्च, 2022 तक की सूची

भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियां

पुनर्बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
<p>1 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई)</p>	<p>विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अलायंज़ ग्लोबल कारपोरेट एण्ड स्पेशिएलिटी एसई, भारत शाखा 2. अक्सा फ्रांस वी -- भारत पुनर्बीमा शाखा 3. जनरल री इंश्योरेंस एजी - भारत शाखा 4. हैनोवर रुक एसई - भारत शाखा 5. म्युन्शेनेर रुकवेरसिशेरंग्स - गेसेलशाफ़्ट आक्टिएनगेसेलशाफ़्ट - भारत शाखा 6. आरजीए लाइफ री इंश्योरेंस कंपनी आफ़ कनाडा, भारत शाखा 7. स्कोर एसई - भारत शाखा 8. स्विस री इंश्योरेंस कंपनी लि., भारत शाखा 9. एक्स एल इंश्योरेंस कंपनी एसई, भारत पुनर्बीमा शाखा 10. फैक्टरी म्युचुअल इनश्योरेंस कंपनी, भारतीय शाखा # <p>लॉयड्स</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. लायड्स इंडिया पुनर्बीमा शाखा <ol style="list-style-type: none"> i. मार्केल सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सीओआर 28 अप्रैल, 2021 को प्रदान किया गया

नोट: 31 मार्च, 2022 तक की सूची

भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह में सदस्यों का अंश
(वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्र.सं.	सदस्य कंपनी	प्रति जोखिम क्षमता (रु करोड़ में)	अंश (%)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	333.69	16.68
2	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	333.69	16.68
3	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	250.05	12.50
4	दी ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लि.	238.31	11.92
5	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	180.84	9.04
6	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.	167.62	8.38
7	बजाज अलायंज़ जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	106.28	5.31
8	इप्रको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	78.64	3.93
9	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	39.72	1.99
10	चोलमंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	39.06	1.95
11	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	31.46	1.57
12	फ्यूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	28.16	1.41
13	रायल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	27.72	1.39
14	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.	20.81	1.04
15	सरकारी बीमा निधि, गुजरात	20.00	1.00
16	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	20.00	1.00
17	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	15.62	0.78
18	एचडीएफसी एरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	15.00	0.75
19	मैगमा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	10.32	0.52
20	कोटक महिन्द्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	10.00	0.50
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	10.00	0.50
22	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लि.	10.00	0.50
23	एडेलवेइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	10.00	0.50
24	नवी जनरल इश्योरेंस लि.	2.00	0.10
25	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1.00	0.05
	कुल	2000.00	100.00

अनुबंध 2(ii)

भारतीय नाभिकीय बीमा समूह में सदस्यों का अंश (वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्र.सं.	सदस्य कंपनी	प्रति जोखिम क्षमता (रु करोड़ में)	अंश(%)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	600	40.00
2	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	300	20.00
3	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	200	13.33
4	दी ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लि.	100	6.67
5	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.	100	6.67
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि	100	6.67
7	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	20	1.33
8	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	20	1.33
9	इप्रको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	20	1.33
10	चोलमंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	15	1.00
11	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	15	1.00
12	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	10	0.67
	कुल	1500	100

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर टीपी दायित्वों का परिकलन करने के लिए डेटा

(₹ करोड़)

क्रम. सं.	बीमाकर्ता	वित्तीय वर्ष 2021-22			
		मोटर ओडी जीडीपी	मोटर तृतीय पक्ष जीडीपी	कुल मोटर जीडीपी	कुल जीडीपी
1	एको जनरल इंश्योरेंस लि.	146.94	363.80	510.74	988.21
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,018.79	2,825.72	4,844.51	13,688.59
3	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,231.31	2,195.81	3,427.12	4,824.12
4	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	113.27	84.21	197.48	348.83
5	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	705.45	911.56	1,617.01	4,137.98
6	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	806.55	2,202.21	3,008.76	4,673.94
7	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,537.09	2,011.90	3,548.99	13,497.55
8	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4,068.16	4,211.92	8,280.08	17,976.86
9	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,649.92	2,052.72	3,702.64	8,452.91
10	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	235.21	152.81	388.02	742.46
11	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	513.90	481.07	994.97	1,506.45
12	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	431.60	884.41	1,316.01	1,757.16
13	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,447.73	3,198.21	4,645.94	13,025.73
14	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	8.81	34.19	43.00	106.57
15	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2,610.95	5,629.57	8,240.52	32,572.90
16	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	875.04	2,530.69	3,405.73	13,710.97
17	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	193.60	83.75	277.35	375.82
18	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,625.52	2,218.99	3,844.51	9,408.96
19	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	992.58	1,033.38	2,025.96	2,866.59
20	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,173.39	1,343.68	2,517.07	9,166.22
21	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	349.79	1,279.59	1,629.38	1,752.95
22	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,318.22	2,813.40	5,131.62	10,024.97
23	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,412.65	4,064.10	5,476.75	15,722.24
24	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	706.23	651.23	1,357.46	3,456.12
	कुल योग	27,172.70	43,258.92	70,431.62	184,785.10

अनुबंध 4

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम. सं.	संदर्भ संख्या	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
1	आईआरडीए/एस यू आर/जीडीएल/एमआईएससी/068/03/2021	4/1/2021	सर्वेक्षक	परिपत्र	सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांकनकर्ताओं के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश
2	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एमआईएससी/069/04/2021	4/1/2021	बीमांकिक	परिपत्र	मानक तकनीकी नोट (टेम्पलेट)-स्वास्थ्य बीमा
3	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एमआईएससी/070/04/2021	4/1/2021	बीमांकिक	परिपत्र	मानक तकनीकी नोट (टेम्पलेट)-मोटर बीमा
4	आईआरडीएआई/एफएंडआई/सीआईआर/आईएनवी/074/04/2021	4/8/2021	निवेश	परिपत्र	वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफएस) में निवेश
5	आईआरडीएआई/एफएंडआई/सीआईआर/आईएनवी/098/04/2021	4/22/2021	निवेश	परिपत्र	आईएनवीआईटीएस औरआईआई टीएस की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश
6	आईआरडीएआई/एचएलटी/एमआईएससी/सीआईआर/99/04/2021	4/22/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस सेवाओं के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा सुविधा
7	आईआरडीएआई/एचएलटी/एमआईएससी/सीआईआर/102/04/2021	4/23/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान पर संचार
8	आईआरडीएआई/एचएलटी/एमआईएससी/सीआईआर/113/04/2021	4/29/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान पर मानदंड
9	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/एमआईएससी/116/04/2021	4/30/2021	मध्यस्थ	परिपत्र	31 मार्च, 2021 को देय सभी रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति
10	आईआरडीएआई/एचएलटी/आईजी/सीआईआर/119/05/2021	5/5/2021	स्वास्थ्य	दिशा-निर्देश	मानक घरेलू यात्रा बीमा उत्पाद पर दिशानिर्देश
11	आईआरडीए/एफएंडआई/सीआईआर/एमआईएससी/126/05/2021	5/6/2021	वित्त और लेखा	परिपत्र	प्राधिकरण को रिटर्न दाखिल करने और सार्वजनिक प्रकटीकरण को बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए समय सीमा का विस्तार
12	आईआरडीए/एफएंडआई/एमआईएससी/सीआईआर/134/05/2021	5/11/2021	निवेश	परिपत्र	कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) का प्रयोग - बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4) (बी) के प्रावधान की प्रयोज्यता
13	आईआरडीए/एस यो आर /एमआईएससी/ओआरडी/145/05/2021	5/25/2021	सर्वेक्षक	आदेश	भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान(आईआईआईएसएलए) की 13वीं परिषद के चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम. सं.	संदर्भ संख्या	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
14	आईआरडीए/लाइफ/जीडीएल/ एमआईएससी/151/05/2021	5/28/2021	जीवन	परिपत्र	चक्रवात के पीड़ितों को जीवन बीमा दावों के निपटान पर दिशानिर्देश
15	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमआईएससी/153/05/2021	5/29/2021	गैर-जीवन	परिपत्र	चक्रवात तौकते और चक्रवात यासी के पीड़ितों के बीमा दावों पर दिशानिर्देश
16	आईआरडीएआई/आईएनटी/ जीडीएल/146/05/2021	6/11/2021	मध्यस्थ	दिशा-निर्देश	बीमा दलालों के लिए मानक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति नीति पर दिशानिर्देश
17	आईआरडीएआई/एचआर/ओआरडी/ एमआईएससी/195/07/2021	7/20/2021	मानव संसाधन	आदेश	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नामित अपीलीय प्राधिकारी
18	आईआरडीएआई/एचआर/ओआरडी/ पी इ आर /196/07/2021	7/20/2021	मानव संसाधन	आदेश	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को नामित करना
19	आईआरडीएआई/ एच एल टी/आर इ जी/ एमआईएससी/199/07/2021	7/23/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	प्रदाता नेटवर्क में अस्पतालों के लिए मानक और बेंचमार्क
20	आईआरडीएआई/एफएंडए/सीआईआर/ एमआईएससी/211/07/2021	7/30/2021	वित्त और लेखा	परिपत्र	भारतीय स्वामित्व और नियंत्रित पर दिशानिर्देशों को वापस लेना
21	आईआरडीएआई/एफएंडए/सीआईआर/ एमआईएससी/211/7/2021	7/19/2021	वित्त और लेखा	परिपत्र	"भारतीय स्वामित्व और नियंत्रित" पर दिशानिर्देशों को वापस लेना
22	आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/ एसएलएम/217/8/2021	8/3/2021	बीमांकिक	परिपत्र	फसल बीमा व्यवसाय के लिए शोधन क्षमता मार्जिन
23	आईआरडीएआई/लाइफ/जीडीएल/ एमआईएससी/222/8/2021	8/5/2021	जीवन	दिशा-निर्देश	महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए जीवन बीमा दावों के निपटान पर दिशानिर्देश
24	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमआईएससी/226/8/2021	8/6/2021	गैर-जीवन	परिपत्र	महाराष्ट्र के आपदा प्रभावित जिलों में बाढ़ पीड़ितों के बीमा दावों पर दिशानिर्देश (जुलाई 2021)
25	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमआईएससी/242/9/2021	9/8/2021	गैर-जीवन	परिपत्र	साइबर बीमा के लिए उत्पाद संरचना
26	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमआईएससी/243/9/2021	9/8/2021	गैर-जीवन	परिपत्र	शीर्षक बीमा उत्पाद
27	आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/ एमआईएससी/244/9/2021	9/8/2021	गैर-जीवन	दिशा-निर्देश	व्यापार ऋण बीमा दिशानिर्देश 2021
28	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमआईएससी/247/9/2021	9/13/2021	गैर-जीवन	परिपत्र	(अ) इलेक्ट्रॉनिक नीतियां जारी करना और (ब) प्रस्ताव प्रपत्र पर भौतिक दस्तावेजों और गीले हस्ताक्षर के साथ वितरण

जारी... अनुबंध 4

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम. सं.	संदर्भ संख्या	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
29	आईआरडीएआई/ लाइफ /सीआईआर/ एमआईएससी/253/9/2021	9/17/2021	जीवन	परिपत्र	(अ) इलेक्ट्रॉनिक नीतियां जारी करने और (ब) प्रस्ताव प्रपत्रों पर भौतिक हस्ताक्षर के साथ समय सीमा का विस्तार
30	आईआरडीएआई/एफएंडआई/सीआईआर/ आई एन वी/255/9/2021	9/27/2021	निवेश	परिपत्र	"अनुमोदित निवेश" के तहत इक्विटी निवेश के लिए लाभांश मानदंड
31	आईआरडीएआई/एफएंडआई/सीआईआर/ एमआईएससी/256/9/2021	9/30/2021	वित्त और लेखा	परिपत्र	बीमाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण
32	आईआरडीएआई/एसीटीएल/ओआरडी/ एमआईएससी/258/10/2021	10/1/2021	बीमांकिक	आदेश	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 की समीक्षा के लिए समिति
33	आईआरडीएआई/एफएंडआई/सीआईआर/ एमआईएससी/262/10/2021	10/5/2021	वित्त और लेखा	परिपत्र	बीमाकर्ताओं द्वारा कई बैंकों में चालू खातों का रखरखाव
34	आईआरडीएआई/एडीजेडी/ एमआईएससी/263/10/2021	10/8/2021	न्यायिक निर्णय	विविध	न्यायनिर्णयन अधिकारी को मामलों को संदर्भित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
35	आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/ एमआईएससी/265/10/2021	10/20/2021	मध्यस्थ	आदेश	आईआरडीएआई (विनियमन सैंडबॉक्स) के तहत आवेदनों के मूल्यांकन के लिए समिति का गठन
36	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/ एमआईएससी/318/12/2021	12/28/2021	मध्यस्थ	परिपत्र	बीमा मध्यस्थों द्वारा उनके द्वारा प्रायोजित संस्थाओं सहित कई बैंकों में चालू खातों का रखरखाव
37	आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/ एसआईसी/1/1/2022	1/3/2022	गैर-जीवन	दिशा-निर्देश	आईआरडीएआई (ज़मानत बीमा अनुबंध) दिशानिर्देश, 2022
38	आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/ एमआईएससी/5/1/2022	1/6/2022	गैर-जीवन	आदेश	साधारण बीमा उद्योग में हानि निवारण और हानि न्यूनीकरण पर सलाहकार समिति का गठन
39	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/ एमआईएससी/8/1/2022	1/10/2022	मध्यस्थ	परिपत्र	मानक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति नीति के लिए दिशानिर्देशों पर स्पष्टीकरण
40	आईआरडीएआई/एस यू आर /ओआरडी/ एमआईएससी/25/2/2022	2/14/2022	सर्वेक्षक	आदेश	आईआईआईएसएलए एसोसिएशन के लेखों की समीक्षा

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम. सं.	संदर्भ संख्या	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
41	आईआरडीएआई/एफएंडए/सीआईआर/एमआईएससी/26/2/2022	2/16/2022	वित्त और लेखा	परिपत्र	एक समूह में पंजीकरण का एक से अधिक प्रमाण पत्र धारण करना आईआरडीएआई - (लॉयड्स के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और संचालन) विनियम, 2015
42	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमआईएससी/46/3/2022	3/7/2022	गैर-जीवन	परिपत्र	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के हामीदारी दर्शन का प्रकटीकरण
43	आईआरडीएआई/एफएंडआई/सीआईआर/आईएनवी/51/3/2022	3/24/2022	निवेश	परिपत्र	अनुमोदित निवेश के तहत इक्विटी निवेश के लिए लाभांश मानदंड
44	आईआरडीएआई/ लाइफ /सीआईआर/एमआईएससी/59/3/2022	3/31/2022	जीवन	परिपत्र	प्रस्ताव प्रपत्र पर भौतिक हस्ताक्षर के साथ वितरण की सुविधा का विस्तार
45	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमआईएससी/60/3/2022	3/31/2022	गैर-जीवन	परिपत्र	(अ) इलेक्ट्रॉनिक नीतियां जारी करना और (ब) प्रस्ताव प्रपत्र पर भौतिक दस्तावेजों और गीले हस्ताक्षर के साथ वितरण

अनुबंध 5

31 मार्च, 2022 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम. सं.	विनियम का नाम
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) विनियम, 2000
2	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000
3	आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000
4	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2000
5	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
6	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
7	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000
8	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000
9	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2000
10	आईआरडीए (बैठकें) विनियम, 2000
11	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000
12	आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000
13	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2000
14	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) विनियम, 2000
15	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
16	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2001
17	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2001
18	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001
19	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2002
20	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002
21	आईआरडीए (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002
22	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002
23	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002
24	आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002
25	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2002
26	आईआरडीए (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) (संशोधन) विनियम, 2002
27	आईआरडीए (प्रीमियम की प्राप्ति की विधि) विनियम, 2020
28	आईआरडीए (अधिशेष के वितरण) विनियम, 2002
29	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003
30	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004
31	आईआरडीए (अर्हता बीमांकक) विनियम, 2004
32	आईआरडीए (ग्रामीण/ सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2004
33	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005
34	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2005
35	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2005
36	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
37	आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
38	आईआरडीए (बीमा दलाल) (संशोधन) विनियम, 2007
39	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008
40	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
41	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008
42	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2008

31 मार्च, 2022 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम. सं.	विनियम का नाम
43	आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
44	आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010
45	आईआरडीए (समाप्त संबद्ध बीमा पालिसियों का उपचार) विनियम, 2010
46	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
47	आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
48	आईआरडीए (साधारण बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011
49	आईआरडीए (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2011
50	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012
51	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012
52	आईआरडीए (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2012
53	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013
54	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
55	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
56	आईआरडीए (बीमा दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
57	आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2013
58	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
59	आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) विनियम, 2013
60	आईआरडीए (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2013
61	आईआरडीए (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2013
62	आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
63	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013
64	आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
65	आईआरडीए (निवेश) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
66	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
67	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013
68	आईआरडीए (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013
69	आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013
70	आईआरडीए (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
71	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति-आईएसी) (बैठकें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
72	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013
73	आईआरडीए (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
74	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
75	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2013
76	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
77	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014
78	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (छठवाँ संशोधन) विनियम, 2014
79	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) (पहला संशोधन) विनियम, 2014
80	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015
81	आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015
82	आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015

31 मार्च, 2022 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम. सं.	विनियम का नाम
83	आईआरडीएआई (नामांकन के पंजीकरण, निरसन अथवा परिवर्तन के लिए शुल्क) विनियम, 2015
84	आईआरडीएआई (समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना प्राप्त होने की लिखित प्राप्ति-सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
85	आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015
86	आईआरडीएआई (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2015
87	आईआरडीएआई (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015
88	आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
89	आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015
90	आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015
91	आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015
92	आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015
93	आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015
94	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015
95	आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015
96	आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015
97	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य प्रकार का व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015
98	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015
99	आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
100	आईआरडीएआई (विवरणियों के निरीक्षण और प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015
101	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016
102	आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016
103	आईआरडीएआई (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016
104	आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
105	आईआरडीएआई (बीमाकर्ता की अर्हता) (निरसन) विनियम, 2016
106	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
107	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016
108	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016
109	आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016
110	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016
111	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016
112	आईआरडीएआई (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2016
113	आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016
114	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016
115	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2016
116	आईआरडीएआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016
117	आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016
118	आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
119	आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2016

31 मार्च, 2022 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम. सं.	विनियम का नाम
120	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016
121	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
122	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
123	आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017
124	आईआरडीएआई (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017
125	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017
126	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
127	आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017
128	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017
129	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018
130	आईआरडीएआई (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) (निरसन) विनियम, 2018
131	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018
132	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2018
133	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) (संशोधन) विनियम, 2019
134	आईआरडीएआई (यूनिट सहबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
135	आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
136	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019
137	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019
138	आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2019
139	आईआरडीएआई (सामान्य लोक सेवा केन्द्र) विनियम, 2019
140	आईआरडीएआई (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019
141	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) (संशोधन) विनियम, 2019
142	आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2019
143	आईआरडीएआई (अन्वेषण और निरीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम जानकारी) विनियम, 2020
144	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2020
145	आई आर डी ए आई (नियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021
146	आई आर डी ए आई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021
147	आई आर डी ए आई (समामेलन पर शेयरधारकों या सदस्यों को मुआवजे के आकलन का तरीका) विनियम, 2021
148	आई आर डी ए आई (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (पहला संशोधन) विनियम, 2021
149	आई आर डी ए आई (भारतीय बीमा कंपनियां) (संशोधन) विनियम, 2021

टिप्पणी: भारत के राजपत्र में अधिसूचित।

अनुबंध 6

जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)

क्रम.सं.	बीमाकर्ता	वैयक्तिक श्रेणी	सामूहिक श्रेणी
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	एबीएसएलआई ग्रूप बीमा योजना
2	बजाज अलायंज लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	बजाज आलियांज लाइफ़ ग्रूप संपूर्ण जीवन सुरक्षा बजाज आलियांज लाइफ़ ग्रूप संपूर्ण सुरक्षा कवच
3	भारती अक्सा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारती अक्सा लाइफ़ ग्रामीण जीवन बीमा	भारती अक्सा लाइफ़ ग्रूप टर्म माइक्रो इंश्योरेंस प्लान
4	केनरा एचएसबीसी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लाइफ़ इंश्योरेंस संपूर्ण कवच प्लान
5	एडेलवेइस टोकियो लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एडलवाइस टोकियो लाइफ़ - रक्षा कवच	एडलवाइस टोकियो लाइफ़ - जन सुरक्षा
6	एक्साइड लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	ग्रूप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस
7	एचडीएफसी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	एचडीएफसी लाइफ़ ग्रूप सुरक्षा एचडीएफसी लाइफ़ ग्रूप जीवन सुरक्षा
8	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत	आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा क्रेडिट आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा वन आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा लाइफ़
9	एइगान लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	ग्रूप माइक्रोश्योरेंस इंश्योरेंस प्लान
10	इंडियाफर्स्ट लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	इंडियाफर्स्ट लाइफ़ "इंश्योरेंस खाता" प्लान-एमआई इंडियाफर्स्ट लाइफ़ माइक्रो बचत प्लान	इंडियाफर्स्ट लाइफ़ ग्रूप हास्पिकेयर (एमआई) प्लान इंडियाफर्स्ट लाइफ़ ग्रूप माइक्रो इंश्योरेंस प्लान
11	कोटक महिन्द्रा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	कोटक संपूर्ण बीमा माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान	कोटक रक्षा ग्रूप माइक्रोश्योरेंस इंश्योरेंस प्लान
12	मैक्स लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	मैक्स लाइफ़ ग्रूप सरल सुरक्षा योजना
13	पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	पीएनबी मेट लाइफ़ बीमा योजना
14	प्रामेरिका लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	प्रामेरिका लाइफ़ सर्व सुरक्षा प्रामेरिका लाइफ़ संपूर्ण सुरक्षा
15	एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एसबीआई लाइफ़ - ग्रामीण बीमा	एसबीआई लाइफ़ - ग्रामीण सुपर सुरक्षा
16	श्रीराम लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	श्रीराम ग्रामीण सुरक्षा	श्रीराम जन सहाय श्रीराम लाइफ़ सुजाना
17	टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	टाटा एआईए लाइफ़ साथ साथ एमआई प्रोडक्ट टाटा एआईए लाइफ़ पीओएस साथ साथ एमआई प्रोडक्ट	-
18	भारतीय जीवन बीमा निगम	एलआईसी की भाग्य लक्ष्मी एलआईसी का नया जीवन मंगल लआईसी की माइक्रो बचत	एलआईसी का एक वर्षीय नवीकरणीय ग्रूप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान

2021-22 के दौरान आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित उत्पादों और राईडर्स की संख्या

क्रम. सं.	जीवन बीमाकर्ता	उत्पादों की संख्या	क्रम. सं.	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	उत्पादों की संख्या	
					साधारण बीमा*	स्वास्थ्य बीमा
1	सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय जीवन बीमा निगम	13	1	सार्वजनिक क्षेत्र नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि.	63	2
2	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता आदित्य बिड़ला सन लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	22	2	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	1239	4
3	एडगान लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	3	3	दी ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लि.	32	3
4	एडगास फ़ेडरल लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	3	4	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	35	7
5	अवीवा लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	4		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		
6	बजाज अलायंज़ लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	16	5	एको जनरल इश्योरेंस लि.	23	1
7	भारती अक्सा लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	7	6	बजाज अलायंज़ जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	63	21
8	केनरा एचएसबीसी लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	9	7	भारती अक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	4	1
9	एडेलवेइस टोकियो लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	5	8	चोलमंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	250	9
10	एक्साइड लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	3	9	एडेलवेइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	16	3
11	फ़्यूचर जनराली इंडिया लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	2	10	फ़्यूचर जनराली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	239	13
12	एचडीएफ़सी लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	28	11	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लि.	46	3
13	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	18	12	एचडीएफ़सी एरगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	80	22
14	इंडियाफ़र्स्ट लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	11	13	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	37	31
15	कोटक महिन्द्रा लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	15	14	इप्रको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	58	7
16	मैक्स लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	13	15	कोटक महिन्द्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	67	7
17	पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	10	16	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.	39	5
18	प्रामेरिका लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	2	17	मैगमा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	45	1
19	रिलायंस निप्योन लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	3	18	नवी जनरल इश्योरेंस लि.	23	14
20	सहारा लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	0	19	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	54	1
21	एसबीआई लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	13	20	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	36	2
22	श्रीराम लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	8	21	रायल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	25	4
23	स्टार यूनिनन दार्ड-ईची लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	10	22	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	455	11
24	टाटा एआईए लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लि.	17	23	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	48	1
	कुल	235	24	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	50	6
			25	यूनिवर्सल सोम्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1190	3
				विशेषीकृत बीमाकर्ता		
			26	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लि.	5	-
			27	ईसीजीसी लि.	-	-
				स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
			28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	-	5
			29	मणिपाल सिगना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	-	2
			30	निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि.	-	13
			31	केयर हेल्थ इश्योरेंस लि.	-	6
			32	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इश्योरेंस कंपनी लि.	-	25
				कुल	4222	233

नोट: उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया आईआरडीएआई की वेबसाइट देखें

*वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 'फाइल एंड यूज' के तहत नोट किए गए उत्पाद/एड-ऑन और स्वचालित यूआईएन 'यूज एंड फाइल' के अंतर्गत उत्पन्न किए गए।

बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क-संरचना तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वसूल किया गया शुल्क

क्रम सं.	बीमाकर्ता/ मध्यवर्ती	शुल्क-संरचना				वसूल किया गया कुल शुल्क
		प्रसंस्करण शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क	नवीकरण की आवधिकता	
1	बीमाकर्ता (जीवन/ साधारण/ स्वास्थ्य)	-	500,000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/20वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)	1,859,138,802
2	पुनर्बीमाकर्ता/एफआरबी	-	500,000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (जीआईसी आरई के लिए 31 जनवरी तक) प्रत्येक वर्ष (एफआरबी के लिए 31 दिसंबर तक)	20,550,531
3	लायड्स की सेवा कंपनी	-	50,000	50,000	प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर तक)	-
4	साधारण/ जीवन बीमा व्यवसाय का सामामेलन और अंतरण	न्यूनतम ₹50 लाख और अधिकतम ₹5 करोड़ के अधीन प्राधिकरण के पास आवेदन दाखिल करने के वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन करनेवाली संस्थाओं द्वारा भारत में जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/10वाँ भाग	-	-	-	50,000,000
5	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)	100,000	200,000	150,000	3 years	477,100
6	दलाल-प्रत्यक्ष दलाल-पुनर्बीमा दलाल-सम्मिश्र	25,000 50,000 75,000	50,000* 1,50,000* 2,50,000*	100,000 300,000 500,000	3 years 3 years 3 years	29,633,515
7	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (वैयक्तिक और कारपोरेट)	-	वैयक्तिक: ₹1000, कारपोरेट: ₹5000	i. नवीकरण शुल्क यदि आवेदन समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दाखिल किया गया हो: वैयक्तिक - ₹1000 कारपोरेट - ₹5000 ii. नवीकरण शुल्क यदि नवीकरण आवेदन समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दाखिल नहीं किया गया हो: वैयक्तिक - ₹1100 कारपोरेट - ₹5100 iii. नवीकरण शुल्क यदि नवीकरण आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद परंतु लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से छह महीने के अंदर दाखिल किया गया हो: वैयक्तिक - ₹1750 कारपोरेट - ₹5750	3 years	4,114,780
8	कारपोरेट एजेंट	10,000#	i. संस्था के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र: ₹25000 ii. पीओ/एसपी/एवी को प्रमाणपत्र: ₹500	पंजीकरण प्रमाणपत्र नवीकरण: ₹25000 पीओ/एसपी/एवी को प्रमाणपत्र का नवीकरण: ₹500	3 Years	96,656,418
9	वेब संग्राहक	10,000	25,000	25,000	3 Years	410,800
10	सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सीपीएससी)	-	10,000	2,000	3 Years	-
11	रिफ़रल	-	10,000	10,000	3 Years	143,000
12	बीमा विपणन फर्म	-	5,000	2,000	3 Years	776,224
13	बीमा भंडार (रिपोज़िटरी)	10,000	100,000	50,000	3 Years	209,000
14	आईएसएनपी (बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म)	-	10,000	-	-	800,000
	कुल					2,062,910,169

* सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करने के बाद # वापस न करने योग्य शुल्क
सीओआर - पंजीकरण प्रमाणपत्र
पीओ- प्रधान अधिकारी, एसपी- विनिर्दिष्ट व्यक्ति और एवी- प्राधिकृत सत्यापक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अर्थदंड

क्रम सं.	संस्था का नाम	अर्थदंड की राशि (₹)	अर्थदंड आदेश के निर्गम की तारीख	किए गए उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
1	मुथूट रिस्क इंस्पेक्शन एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	10,000,000	7 अप्रैल, 2021	ब्रोकर ने बीमा व्यवसाय को समझाने के लिए बिना लाइसेंस वाली विद्यमान संस्थाओं को लगाया, जिससे आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के नियम 28 और अनुसूची 1 के खंड 33 (बी) के तहत अनुसूची वीआईए (आचार संहिता) के पैरा 3 (बी) का उल्लंघन हुआ - फॉर्म एच (आचरण संहिता) आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम 2018 के विनियम 30 और 8 (2) के तहत आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम 2018 के विनियम 2 (1) (डी) के साथ पढ़ा जाएगा।
2	फ्यूचर जनराली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि.	1,700,000	9 अप्रैल, 2021	बीमाकर्ता ने प्राधिकरण के साथ दाखिल करने से पहले 'एड ऑन कवर' की पेशकश की और प्राधिकरण के संबंधित अनुमोदन से ₹1 लाख का जुर्माना लगाया और बीमाकर्ता ने पॉलिसीधारक की सहमति के बिना पॉलिसीधारक को 'एड ऑन कवर' की पेशकश की, जिससे आर इ जी का उल्लंघन करने पर ₹16 लाख का जुर्माना लगाया गया। आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 के आर इ जी 3 (2)।
3	रायल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	300,000	9 अप्रैल, 2021	एमआई एसपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
4	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2,500,000	9 अप्रैल, 2021	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मोटर टीपी दायित्व का उल्लंघन
5	बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	1,000,000	15 अप्रैल, 2021	एमआई एसपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
6	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.	1,300,000	15 अप्रैल, 2021	एमआई एसपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
7	इफ्रको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	500,000	22 अप्रैल, 2021	एमआई एसपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
8	मैक्स लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि.	300,000	28 अप्रैल, 2021	आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का उल्लंघन
9	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	600,000	4 मई 2021	बीमाकर्ता ने न तो अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित हामीदारी दिशानिर्देशों का पालन किया और न ही समूह नीतियों के लिए उत्पाद फाइलिंग में अनुमत दरों का पालन किया, जिससे रेफरी वाले कॉर्पोरेट दिशानिर्देशों के पैरा 3ए.1 का उल्लंघन हुआ। प्राधिकरण द्वारा जारी सं.आईआरडीएआई/एफएंडए/जीडीएल/सीजी/100/05/2016 दिनांक 18 मई 2016
10	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	3,000,000	6 मई, 2021	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मोटर टीपी दायित्व का उल्लंघन
11	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	2,500,000	6 मई, 2021	वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मोटर टीपी दायित्व का उल्लंघन
12	पॉलिसी बाजार इश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स (पी) लिमिटेड.	2,400,000	18 मई 2021	आई आर डी ए (विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 9 का अनुपालन न करना
13	विस्टा इश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	100,000	28 मई, 2021	ब्रोकर ने प्राधिकरण को नया कार्यालय खोलने के बारे में सूचित नहीं किया जिससे आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 38 (4) (i) का उल्लंघन हुआ।
14	इंटरओसियन इश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड।	800,000	9 जून, 2021	बीमा सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ताओं ने उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्यों को स्वीकार किया और निष्पादित किया जिनके लिए उनके पास लाइसेंस नहीं था, जिससे आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 के विनियमन 16 (5) का उल्लंघन हुआ।
15	सालासर सर्विसेज इश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लिमिटेड	800,000	16 जून, 2021	इकाई ने भ्रामक विज्ञापन जारी करने के संबंध में आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की आचार संहिता के तहत कुछ धाराओं का उल्लंघन किया है।
16	डी टु सी इश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	10,000,000	29 जून, 2021	ब्रोकर ने एजेंटों और प्रचारकों को प्रोमोटर कंपनी के साथ मिलीभगत से बीमा कारोबार में लाने के लिए आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 28 के तहत अनुसूची वीआईए ए के पैरा 3 (बी) का उल्लंघन किया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अर्थदंड

क्रम सं.	संस्था का नाम	अर्थदंड की राशि (₹)	अर्थदंड आदेश के निर्गम की तारीख	किए गए उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
17	कॉर्पोरेशन बैंक - कॉर्पोरेट एजेंट (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय)	4,600,000	अगस्त 6, 2021	कॉर्पोरेट एजेंट ने विशिष्ट व्यक्तियों को वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले ही बीमा व्यवसाय की याचना करने की अनुमति दी, जिससे आईआरडीएआई के नियम 27 और विनियम 7 (3) (सी) की अनुसूची III के खंड 3 (ii) (ए) और 3 (2) (एम) का उल्लंघन हुआ। (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
18	सेफरिस्क इश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	300,000	31 अगस्त 2021	दलालों ने ब्रोकर योग्य व्यक्तियों के अलावा अन्य द्वारा बीमा व्यवसाय की मांग की और खरीद की जिससे आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 (12 जनवरी, 2018 से पहले की अवधि के लिए) के विनियम 28 के तहत अनुसूची वीआईए के खंड 3 (बी) और 12 (ए और बी) और आरडीएआई बीमा (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के नियम 8 (2) और 30 के तहत अनुसूची फॉर्म एच के खंड 3 (बी) और 12 (ए और बी) (12 जनवरी, 2018 के बाद की अवधि के लिए) का उल्लंघन किया।
19	टीम इश्योरेंस सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ता एलएलपी	200,000	9 सितंबर, 2021	बीमा सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ता (आईएसएलए) अपने संसाधनों और उनके द्वारा नियोजित व्यक्तिगत सर्वेक्षक और हानि निर्धारक की संख्या के अनुरूप सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं। एसएलए ने आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 के विनियम 4 (15) (4) का उल्लंघन किया है।
20	एलेक्स स्टीवर्ट इश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड।	100,000	14 सितंबर, 2021	बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों ने उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्यों को स्वीकार किया और निष्पादित किया जिनके लिए उनके पास लाइसेंस नहीं था, जिससे आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कर्ता) विनियम, 2015 के विनियमन 16 (5) का उल्लंघन हुआ।
21	जेबी बोडा इश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स प्रा. लिमिटेड	400,000	14 सितंबर, 2021	(बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कर्ता) ने उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्यों को स्वीकार किया और निष्पादित किया जिनके लिए उनके पास लाइसेंस नहीं था, जिससे विनियमन 16 (5) आचार संहिता, आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कर्ता) विनियम, 2015 के अध्याय वी आई का उल्लंघन हुआ।
22	मैक इश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	1,300,000	15 सितंबर, 2021	बीमा सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ताओं (एसएलए) ने अपने संसाधनों के अनुरूप सर्वेक्षण नहीं किया है, जो आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 के विनियम 4 (15) (4) और विनियम 12 (1) का उल्लंघन है।
23	केडी कोहली इश्योरेंस सर्वेयर और हानि आकलनकर्ता प्रा. लिमिटेड	1,100,000	16 सितंबर, 2021	बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता बिना लाइसेंस वाले सर्वेक्षक या सर्वेक्षकों को नियुक्त करते हैं, जिनके पास संबंधित क्षेत्रों में लाइसेंस नहीं है, जो कि आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 के विनियम 12 (1) और विनियम 16 (5) का उल्लंघन है।
24	एम / एस सेफवे इश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	1,100,000	4 अक्टूबर 2021	1. ब्रोकर, बीमा व्यवसाय की याचना के लिए नियुक्ता की सेवाओं का उपयोग करके, जिन्होंने अपना नवीनीकरण प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, विनियमन के तहत अनुसूची II के प्रावधान के साथ पढ़े गए विनियम 8 के खंड 2 (iii) और 2 (xiv) का उल्लंघन है। आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के 8, जिससे ₹ 2 लाख का जुर्माना लगाया गया था। 2. चूंकि ब्रोकर ने व्यवसाय में लाने के लिए सेवा प्रदाताओं (एजेंट और कैनवसर्स) की सेवाओं का उपयोग किया, ब्रोकर ने आईआरडीए (बीमा ब्रोकर्स) विनियम, 2018 की अनुसूची बीआईए विनियम 28 के खंड 3 (बी) का उल्लंघन किया, जिससे ₹ 9 लाख का जुर्माना लगाया गया।।"
25	एनोवेटिव इश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स प्रा. लिमिटेड	200,000	8 नवंबर, 2021	बीमा सर्वेयर और लॉस असेसर्स ने विभाग में ऐसे सर्वेक्षकों को सर्वेक्षण कार्य सौंपा, जिसके लिए वे अधिकृत नहीं थे, जिससे विनियम 12 (1) और खंड 15 (1), 15 (3) और 15 (4) विनियम 4 और खंड 5 और 7- आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 के विनियम 16 का उल्लंघन हुआ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अर्थदंड

क्रम सं.	संस्था का नाम	अर्थदंड की राशि (₹)	अर्थदंड आदेश के निर्गम की तारीख	किए गए उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
26	एपेक्स इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स प्रा. लिमिटेड	200,000	8 नवंबर, 2021	बीमा सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ताओं ने सर्वेक्षण के लिए बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिससे आईआरडीए (बीमा सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 के विनियम 4 (15) (3) का उल्लंघन हुआ।
27	पॉलिसीएक्स.कॉम इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स प्रा. लिमिटेड	1,400,000	6 दिसंबर, 2021	बीमा वेब एग्रीगेटर ने अधिकृत सत्यापनकर्ताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा टेलीमार्केटिंग और दूरस्थ विपणन के माध्यम से बीमा की मांग की, जिससे आईआरडीएआई (बीमा वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2017 के विनियमन 29 के तहत अनुसूची बीआई के खंड 4 (ए) और 4 (सी) फॉर्म टी का उल्लंघन हुआ।
28	एम /एस एंजेल फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट एजेंट)	2,700,000	दिसंबर 20, 2021	कॉर्पोरेट एजेंट ने अपनी समूह कंपनी यानी मैसर्स एंजेल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया, जिसे बीमा कारोबार के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया था, जिससे आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) के विनियम 26 के तहत आचार संहिता के पैरा 3 (ii) (ए) का उल्लंघन हुआ।, विनियम, 2015.

अनुबंध 10(i)

भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (आईएएलएम) - 2012-14 मानक दरें - पुरुष बीमाकृत जीवन जो प्रारंभ में स्वास्थ्य की दृष्टि से जोखिम-अंकित हैं

आयु	q_x (क्रमशः परिवर्तित)	आयु	q_x (क्रमशः परिवर्तित)	आयु	q_x (क्रमशः परिवर्तित)
2	0.000915	40	0.00168	78	0.051024
3	0.00047	41	0.001815	79	0.056231
4	0.000271	42	0.001969	80	0.061985
5	0.000185	43	0.002144	81	0.068338
6	0.000152	44	0.002345	82	0.07535
7	0.000149	45	0.002579	83	0.083082
8	0.000167	46	0.002851	84	0.091601
9	0.000206	47	0.003168	85	0.100979
10	0.000265	48	0.003536	86	0.111291
11	0.000341	49	0.003958	87	0.122616
12	0.000429	50	0.004436	88	0.135037
13	0.000522	51	0.004969	89	0.148639
14	0.000614	52	0.00555	90	0.163507
15	0.000698	53	0.006174	91	0.179726
16	0.00077	54	0.006831	92	0.19738
17	0.000829	55	0.007513	93	0.216547
18	0.000874	56	0.008212	94	0.237302
19	0.000905	57	0.008925	95	0.259706
20	0.000924	58	0.009651	96	0.283813
21	0.000934	59	0.010393	97	0.309659
22	0.000937	60	0.011162	98	0.337265
23	0.000936	61	0.011969	99	0.36663
24	0.000933	62	0.012831	100	0.397733
25	0.000931	63	0.013765	101	0.430529
26	0.000931	64	0.014792	102	0.46495
27	0.000934	65	0.015932	103	0.500904
28	0.000942	66	0.017206	104	0.538278
29	0.000956	67	0.018635	105	0.576942
30	0.000977	68	0.02024	106	0.616752
31	0.001005	69	0.02204	107	0.657553
32	0.001042	70	0.024058	108	0.699191
33	0.001086	71	0.026314	109	0.741515
34	0.00114	72	0.028832	110	0.784383
35	0.001202	73	0.031638	111	0.827673
36	0.001275	74	0.034757	112	0.871285
37	0.001358	75	0.038221	113	0.915145
38	0.001453	76	0.042061	114	0.959214
39	0.00156	77	0.046316	115	1

टिप्पणी:

1. आयु पिछले जन्मदिन को यथाविद्यमान
2. q_x (क्रमशः परिवर्तित) दरें क्रमशः परिवर्तित मृत्यु-दरें हैं

भारतीय वैयक्तिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु-दर सारणी (2012-15)
समग्र / संयुक्त मृत्यु-दरें

[आईआरडीआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधनक्षमता मार्जिन)
विनियम, 2016 के विनियम 4 के आशय के अंतर्गत]

आयु	क्रमशः परिवर्तित मृत्यु-दरें	आयु	क्रमशः परिवर्तित मृत्यु-दरें
20	0.000284	68	0.013447
21	0.000305	69	0.01484
22	0.000328	70	0.016393
23	0.000353	71	0.018128
24	0.000379	72	0.020067
25	0.000407	73	0.022236
26	0.000438	74	0.024662
27	0.000471	75	0.027379
28	0.000507	76	0.030422
29	0.000545	77	0.03383
30	0.000586	78	0.037651
31	0.000631	79	0.041932
32	0.000679	80	0.04673
33	0.000731	81	0.052106
34	0.000787	82	0.058127
35	0.000847	83	0.064868
36	0.000913	84	0.07241
37	0.000984	85	0.08084
38	0.001061	86	0.090252
39	0.001144	87	0.100746
40	0.001234	88	0.112428
41	0.001332	89	0.125408
42	0.001438	90	0.139798
43	0.001553	91	0.155712
44	0.001679	92	0.17326
45	0.001815	93	0.192548
46	0.001964	94	0.213673
47	0.002125	95	0.236719
48	0.002302	96	0.261749
49	0.002495	97	0.288807
50	0.002705	98	0.317906
51	0.002936	99	0.349031
52	0.003188	100	0.382129
53	0.003464	101	0.417111
54	0.003768	102	0.453851
55	0.004101	103	0.49219
56	0.004468	104	0.531933
57	0.004871	105	0.572866
58	0.005316	106	0.614755
59	0.005807	107	0.657357
60	0.006349	108	0.700435
61	0.006948	109	0.743762
62	0.007612	110	0.787136
63	0.008347	111	0.830382
64	0.009163	112	0.873364
65	0.01007	113	0.915987
66	0.011077	114	0.958198
67	0.012198	115	0.99999



Annual Report 2021-22



INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Head Office

Survey No. 115/1, Financial District
Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032, India
Phone: +91-40-20204000



This Report is in conformity with the format as per the Insurance Regulatory and Development Authority (Annual Report-Furnishing of Return, Statements and Other Particulars) Rules, 2000.

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/10/ आर&डी/एसडीडी/एआर 2021-22/01/ नवंबर-22

25 नवम्बर, 2022

सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये, बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टियों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं।

भवदीय,

देबाशीष पण्डा
अध्यक्ष

LETTER OF TRANSMITTAL

Ref. No. 101/10/R&D/SDD/AR 2021-22/01/Nov-22

25th November, 2022

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith the Annual Report of the Authority for the financial year ended March 31, 2022 in the Form as prescribed in the Appendix of IRDA (Annual Report – Furnishing of return, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,


Debasish Panda
Chairman

CONTENTS

Mission Statement	xi
Members of the Authority	xiii
Senior Officials of IRDAI	xv

PART – I

POLICIES AND PROGRAMMES

1

I.1	Review of General Economic Environment	3
I.2	Appraisal of Insurance Market	5
I.3	Number and Details of Authorised Insurers/Reinsurers	23
I.4	Policies and Measures to Develop Insurance Market	25
I.5	Research and Development Activities Undertaken by the Insurers	26
I.6	Review	28
I.6.1	Protection of Interests of Policyholders	28
I.6.2	Maintenance of Solvency Margins of Insurers	30
I.6.3	Monitoring of Reinsurance	30
I.6.4	Monitoring Investments of the Insurers	33
I.6.5	Health Insurance	36
I.6.6	Specified Percentage of Business to be done in Rural and Social Sector	42
I.6.7	Accounts and Actuarial Standards	43
I.6.8	Directions, Orders and Regulations Given by the Authority	43
I.6.9	Powers and Functions Delegated by the Authority	43
I.6.10	Other Policies and Programmes having Bearing on the Working of the Insurance Market	43

PART – II

REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

49

II.1	Regulation of Insurance and Reinsurance Companies	51
II.2	Insurance Agents and Intermediaries Associated with Insurance Business	52
II.3	Professional Institutes connected with Insurance Education	62
II.4	Litigations, Appeals and Court Pronouncements	64
II.5	International Cooperation in Insurance	64
II.6	Public Complaints	67
II.7	Functioning of the Advisory Committee	69
II.8	Functioning of Ombudsman	70
II.9	Insurance Associations and Insurance Councils	70
II.10	Other Activities having a Bearing on the Insurance Market	72



PART – III**STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY****73**

III.1	Issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration	75
III.2	Protection of the interests of policyholders in matters concerning assigning of policy, nomination by policyholders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance	75
III.3	Specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediaries or Insurance Intermediaries and agents	78
III.4	Specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors	78
III.5	Promoting efficiency in the conduct of insurance business	78
III.6	Promoting and regulating professional organisations connected with the insurance and reinsurance business	80
III.7	Levying fees and other charges for carrying out the purposes of the Act	83
III.8	Calling information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organisations connected with the insurance business	83
III.9	Control and Regulation of rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business not so controlled and regulated by the Tariff Advisory Committee under section 64U of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)	85
III.10	Specifying the form and manner in which books of accounts shall be maintained and statements of accounts shall be rendered by Insurers and other insurance intermediaries	85
III.11	Regulating investment of funds by insurance companies	86
III.12	Regulating maintenance of margin of solvency	86
III.13	Adjudication of disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries	87
III.14	Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the Insurers in the rural and social sector	87

PART – IV**ORGANISATIONAL MATTERS****89**

IV.1	Organisation	91
IV.2	Human Resources	92
IV.3	Promotion of Official Language	95
IV.4	Information Technology	97
IV.5	Accounts	98
IV.6	Acknowledgments	98



BOX ITEMS

I.1	Participation of Women in Life Insurance	15
I.2	Cyber Liability Insurance	24
I.3	Bird's Eye View of Insurance Sector	48

TABLES

I.1	National Income Estimates of India	3
I.2	Estimates of Gross Value Added (GVA) by Economic Activity	3
I.3	Savings of the Household Sector	5
I.4	Growth in Real Premium by Region in the World in 2021	5
I.5	Premium Volume by Region in the World in 2021	7
I.6	Insurance Penetration and Density by Region in the World in 2021	7
I.7	Insurance Penetration and Density in India	8
I.8	Premium Underwritten by Life Insurers	10
I.9	Segment-wise Premium Underwritten by Life Insurers	11
I.10	New Individual Policies issued by Life Insurers	12
I.11	Paid up Capital of Life Insurers	12
I.12	Commission Expenses (and Rewards) of Life Insurers	13
I.13	Operating Expenses of Life Insurers	13
I.14	Benefits Paid By Life Insurers	13
I.15	Actual Death Claims of Life Insurers	14
I.16	Dividend Paid by Life Insurers	16
I.17	Offices of Life Insurers	16
I.18	Gross Direct Premium of General and Health Insurers	17
I.19	Premium Underwritten Outside India by General Insurers	18
I.20	Segment-wise Premium (Within India) Underwritten by General and Health Insurers	18
I.21	New Policies Issued by General and Health Insurers	19
I.22	Paid-up Capital of General and Health Insurers	19
I.23	Commission Expenses of General and Health Insurers	20
I.24	Incurred Claim Ratio of General and Health Insurers	21
I.25	Underwriting Experience of General and Health Insurers	21
I.26	Investment Income of General and Health Insurers	21
I.27	Profit After Tax of General and Health Insurers	22
I.28	Dividend Paid by General and Health Insurers	22
I.29	Offices of General and Health Insurers	23
I.30	Registered Insurers and Reinsurers	23
I.31	Complaints on Unfair Business Practices Registered against Life Insurers	28
I.32	Reinsurance Placements by General Insurers	32
I.33	Net Retention of General Insurers	33
I.34	Total Investments of the Insurance Sector	34
I.35	Investments of Life Insurers	34
I.36	Investments of General, Health and Reinsurance Companies	35
I.37	Health Insurance Premium Underwritten by General and Health Insurers	36



I.38	Policies, Lives Covered, and Premium under Health Insurance Business of General and Health Insurers	36
I.39	Incurred Claims Ratio under Health Insurance Business of General and Health Insurers	37
I.40	Claims Paid under Health Insurance Business of General and Health Insurers	38
I.41	Status of Claims under Health Insurance Business of General and Health Insurers	39
I.42	Policies, Lives Covered, and Premium under Health Insurance Business of Life Insurers	40
I.43	Status of Claims under Health Insurance Business of Life Insurers	40
I.44	Business under Personal Accident Insurance	41
I.45	Coverage under Government Sponsored Personal Accident Schemes	41
I.46	Business under Overseas Travel Insurance	41
I.47	Business under Domestic Travel Insurance	41
I.48	Health, PA, and Travel Insurance Business Underwritten Outside India	42
II.1	Insurance Agents Associated with Life Insurers	52
II.2	Gender-wise Distribution of Agents Associated with Life Insurers	53
II.3	Insurance Agents Associated with General and Health Insurers	53
II.4	Gender-wise Distribution of Agents Associated with General and Health Insurers	53
II.5	Corporate Agents Associated with Insurance Business	54
II.6	Performance of Micro Insurance Business in Life Insurance Sector	54
II.7	Micro Insurance Agents of Life Insurers	55
II.8	Licenses Issued to Surveyors and Loss Assessors	58
II.9	New Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Life Insurance	60
II.10	Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries Associated with General Insurers	61
II.11	Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Health Insurance	62
II.12	Details of Legal Cases Filed during 2021-22	64
II.13	Details of Legal Cases Disposed/Dismissed during 2021-22	64
II.14	Status of Grievances as per IGMS	68
II.15	Grievances Registered in DARPG Portal and Referred to IRDAI	69
III.1	Death Claims due to COVID-19 Pandemic	77
III.2	Health Insurance Claims due to COVID-19 Pandemic	77
IV.1	Composition of the Authority as on March 31, 2022	91
IV.2	Details of Meetings of the Authority held during 2021-22	92
IV.3	Sanctioned and Actual Staff Strength in IRDAI	92
IV.4	Category-wise Staff Strength in IRDAI	92
IV.5	Age-wise Distribution of Staff in IRDAI	93
IV.6	Region-wise Staff Strength in IRDAI	93
IV.7	Grade-wise Staff Strength in IRDAI	93



CHARTS

I.1	Share of Sectors in GVA at Current Prices in 2021-22	4
I.2	Domestic Savings in the Indian Economy	4
I.3	Insurance Penetration in India	8
I.4	Insurance Density in India	9
I.5	Insurance Penetration in Select Countries in 2021	9
I.6	Insurance Density in Select Countries in 2021	9
I.7	New Business Premium of Life Insurers	10
I.8	Total Premium of Life Insurers	10
I.9	Linked and Non-linked Premium of Life Insurers	11
I.10	Segment-wise Share in Life Insurance Premium	11
I.11	Benefits Paid by Life Insurers	14
I.12	Investment Income of Life Insurers	14
I.13	Profit After Tax of Life Insurers	16
I.14	Tier-wise Distribution of Offices of Life Insurers	17
I.15	Premium (within India) Underwritten by General and Health Insurers	17
I.16	Segment-wise Share in Premium of General and Health Insurance	18
I.17	Sector-wise Share in Premium of General and Health Insurance	18
I.18	Operating Expenses of General and Health Insurers	20
I.19	Net Incurred Claims of General and Health Insurers	20
I.20	Tier-wise Distribution of Offices of General and Health Insurers	23
I.21	Incidence of Mis-selling Complaints	29
I.22	Disposal of Mis-selling Complaints	29
I.23	Gross Reinsurance Premium of Indian Reinsurer and FRBs	32
I.24	Investments of Life Insurers: Fund-wise	35
I.25	Sector-wise Share in Premium of Health Insurance	36
I.26	Trend in Health Insurance Premium	36
I.27	Lives Covered and Premium under Health Insurance	37
I.28	Share of States in Health Insurance Premium	37
I.29	Net Incurred Claims under Health Insurance	37
I.30	Trend in Incurred Claim Ratio under Health Insurance: Sector-wise	38
I.31	Trend in Incurred Claim Ratio under Health Insurance: Segment-wise	38
I.32	Health Insurance Premium of Life Insurers	39
II.1	Channel-wise Individual New Business Performance in Life Insurance Business	60
II.2	Channel-wise Group New Business Performance in Life Insurance Business	60
II.3	Channel-wise Business Performance of General Insurers	61
II.4	Channel-wise Performance of Health Insurance Business	62
II.5	Classification of Life Insurance Complaints	68
II.6	Classification of General Insurance Complaints	69
IV.1	Grade-wise Distribution of Staff in IRDAI	93



STATEMENTS**99**

1	International Comparison of Insurance Penetration	101
2	International Comparison of Insurance Density	102
3	Premium Underwritten by Life Insurers	103
4	Linked and Non-Linked Premium of Life Insurers	104
5	Segment-wise Total Premium of Life Insurers	105
6	Equity Share Capital of Life Insurers	106
7	Status of Individual Death Claims of Life Insurers	107
8	Status of Group Death Claims of Life Insurers	109
9	State/ UT wise Distribution of Offices of Insurers	111
10	Gross Direct Premium of General and Health Insurers (Within and Outside India)	112
11	Segment-wise Gross Direct Premium of General and Health Insurers (Within India)	113
12	Equity Share Capital of General, Health and Reinsurance Companies	115
13	Incurred Claims Ratio of General and Health Insurers (Within India)	116
14	Status of Claims of General and Health Insurers	118
15	Solvency Ratio of Life Insurers	120
16	Solvency Ratio of General, Health and Reinsurance Companies	121
17	Solvency Ratio of Branches of Foreign Reinsurers	122
18	Assigned Capital of Branches of Foreign Reinsurers	123
19	Gross Reinsurance Premium of Reinsurers including FRBs	124
20	Investments (Assets Under Management) of Life Insurers	125
21	Investments (Assets Under Management) of General, Health and Reinsurance Companies	128

ANNEXURES**131**

1	List of Registered Insurers/Reinsurers Operating in India	133
2	(i) Share of Members in Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool	135
	(ii) Share of Members in Indian Nuclear Insurance Pool	136
3	Data for calculation of Motor TP Obligation for FY 2022-23	137
4	Circulars/Orders/Guidelines/Instructions issued from April 01, 2021 to March 31, 2022	138
5	Regulations framed under the IRDA Act, 1999 up to March 31, 2022	142
6	List of Micro Insurance Products of Life Insurers	146
7	Number of Products and Riders Approved by IRDAI in 2021-22	147
8	Fee Structure for Insurers and Various Intermediaries and Fee Collected in FY 2021-22	148
9	Penalties Levied by the Authority during 2021-22	149
10	(i) Indian Assured Lives Mortality (IALM) - 2012-14	152
	(ii) Indian Individual Annuitant's Mortality Table (2012-15)	153



ABBREVIATIONS

AFIR	:	Asian Forum of Insurance Regulators
AGM	:	Assistant General Manager
AIF	:	Alternative Investment Fund
AM	:	Assistant Manager
AML	:	Anti Money Laundering
ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
ASHA	:	Accredited Social Health Activist
ASST	:	Assistant
BAP	:	Business Analytics Project
BCs	:	Business Correspondents
BLA	:	Baseline Assessment
CAD	:	Consumer Affairs Department
CAG	:	Comptroller and Auditor General of India
CBR	:	Cross Border Reinsurer
CFT	:	Countering the Financing of Terrorism
CGM	:	Chief General Manager
CII	:	Critical Information Infrastructure
CKYCR	:	Central KYC Records Registry
CoR	:	Certificate of Registration
CPIO	:	Central Public Information Officer
CPSC	:	Common Public Service Center
CPPP	:	Central Public Procurement Portal
CSC	:	Common Service Centre
CWG	:	Core Working Group
DARPG	:	Department of Administrative Reforms and Public Grievances
DCF	:	District Consumer Forum
DFS	:	Department of Financial Services
DGM	:	Deputy General Manager
DPG	:	Directorate of Public Grievances
eIAs	:	electronic Insurance Accounts
ED	:	Executive Director
EMEA	:	Europe, Middle East, Africa
ESOPs	:	Employee Stock Options
EOI	:	Expression of Interest
FAA	:	First Appellate Authority
FATF	:	Financial Action Task Force
FDI	:	Foreign Direct Investment
FFE	:	Fire Fighting Equipment
FIO	:	Federal Insurance Office
FIU-IND	:	Financial Intelligence Unit- India
FRB	:	Foreign Reinsurance Branch
FRN	:	Filing Reference Number
FSA	:	Financial Sector Assessment
FSAP	:	Financial Sector Assessment Program
FSB	:	Financial Stability Board





FSSA	:	Financial System Stability Assessment
FoF	:	Fund of Funds
GDP	:	Gross Domestic Product
GM	:	General Manager
GNDI	:	Gross National Disposable Income
GoI	:	Government of India
GRC	:	Grievance Redressal Committee
GVA	:	Gross Value Added
HOD	:	Head of Department
iTrex	:	Insurance Transactions Exchange
IAC	:	Insurance Advisory Committee
IAI	:	Institute of Actuaries of India
IAIS	:	International Association of Insurance Supervisors
IALM	:	Indian Assured Lives Mortality
IBAI	:	Insurance Brokers Association of India
ICP	:	Insurance Core Principles
ICR	:	Incurred Claims Ratio
IFRS	:	International Financial Reporting Standard
IGCC	:	IRDAI Grievance Call Centre
IGMS	:	Integrated Grievance Management System
IGC	:	Internal Grievance Redressal Committee
IIB	:	Insurance Information Bureau of India
III	:	Insurance Institute of India
IIISLA	:	Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors
IIRM	:	Institute of Insurance and Risk Management
IMCC	:	Inter-Ministerial Co-ordination Committee
IMF	:	International Monetary Fund
IMFs	:	Insurance Marketing Firms
INFE	:	International Network on Financial Education
INIP	:	Indian Nuclear Insurance Pool
IPPB	:	India Post Payment Bank
IRCTC	:	Indian Railway Catering and Tourism Corporation
IRDAI	:	Insurance Regulatory and Development Authority of India
ISNP	:	Insurance Self-Network Platform
ISP	:	Insurance Sales Persons
IWD	:	International Women's Day
IFSCA	:	International Financial Services Centres Authority
InvITs	:	Infrastructure Investment Trusts
JWG	:	Joint Working Group
KMP	:	Key Managerial Personnel
KYC	:	Know Your Customer
LPA	:	Letter Patent Appeal
MACT	:	Motor Accident Claims Tribunal
MFI	:	Micro Finance Institution
MGNREGA	:	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MGR	:	Manager
MI	:	Micro Insurance

MISP	:	Motor Insurance Service Provider
MMIC	:	Mortality & Morbidity Investigation Center
MMOU	:	Multilateral Memorandum of Understanding
MoF	:	Ministry of Finance
MRO	:	Mumbai Regional Office
MoRTH	:	Ministry of Road Transport & Highways
NAIC	:	National Association of Insurance Commissioners
NBFC	:	Non-Banking Financial Company
NCDRC	:	National Consumer Disputes Redressal Commission
NCFE	:	National Centre for Financial Education
NDRO	:	New Delhi Regional Office
NGOs	:	Non-Government Organizations
NIA	:	National Insurance Academy
NOC	:	No Objection Certificate
NRA	:	National Risk Assessment
NSFE	:	National Strategy for Financial Education
NSO	:	National Statistical Office
NLP	:	natural language processing
NCRB	:	National Crime Records Bureau
NHSRC	:	National Health Systems Resource Centre
NHA	:	National Health Authority
NCIIPC	:	National Critical Information Infrastructure Protection Centre
NCSC	:	National Commission for Schedule Caste
OECD	:	Organization for Economic Co-operation and Development
OLI	:	Official Language Implementation
OMOP	:	One More Option Plan
PA	:	Personal Accident
PACS	:	Primary Agricultural Cooperative Societies
PAT	:	Profit After Tax
PFCE	:	Private Final Consumption Expenditure
PM-JAY	:	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
PMFBY	:	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMJDY	:	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
PMJJBY	:	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
PML	:	Prevention of Money Laundering
PMLA	:	Prevention of Money Laundering Act
PMO	:	Prime Minister's Office
PMSBY	:	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PMVVY	:	Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
PO	:	Principal Officer
POS	:	Point of Sales
POSP	:	Point of Sales Person
PRISM	:	Predictive Life Risk Scoring Model
PSU	:	Public Sector Undertaking
PRP	:	Peer Review Process





PRAN	:	Property Risk Analyser
RAC	:	Re-Insurance Advisory Committee
RAP	:	Rural Authorised Person
RBI	:	Reserve Bank of India
RBSF	:	Risk Based Supervisory Framework
RBC	:	Risk Based Capital
REITs	:	Real Estate Investment Trusts
RSM	:	Required Solvency Margin
RTI	:	Right To Information
RWBCIS	:	Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme
RFP	:	Request for Proposal
SA	:	Senior Assistant
SAHI	:	Stand-alone Health Insurer
SAT	:	Securities Appellate Tribunal
SCDRC	:	State Consumer Disputes Redressal Commission
SEBI	:	Securities and Exchange Board of India
SHGs	:	Self Help Groups
SLA	:	Surveyors and Loss Assessors
SPV	:	Special Purpose Vehicle
TAT	:	Turn Around Time
TOLIC	:	Town Official Language Implementation Committee
TPA	:	Third Party Administrator
UAE	:	United Arab Emirates
UFBP	:	Unfair Business Practices
UIDAI	:	Unique Identification Authority of India
ULIP	:	Unit-Linked Product
USD	:	United States Dollar
UT	:	Union Territory
VCHVS	:	Vehicle Claims History Verification Service
VLE	:	Village Level Entrepreneur
VAPT	:	Vulnerability Assessment and Penetration Testing
WB	:	World Bank



- ✓ To protect the interest of and secure fair treatment to policyholders;
- ✓ To bring about speedy and orderly growth of the insurance industry (including annuity and superannuation payments), for the benefit of the common man and to provide long term funds for accelerating growth of the economy;
- ✓ To set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates;
- ✓ To ensure speedy settlement of genuine claims, to prevent insurance frauds and other malpractices and put in place effective grievance redressal machinery;
- ✓ To promote fairness, transparency and orderly conduct in financial markets dealing with insurance and build a reliable management information system to enforce high standards of financial soundness amongst market players;
- ✓ To take action where such standards are inadequate or ineffectively enforced;
- ✓ To bring about optimum amount of self-regulation in day-to-day working of the industry consistent with the requirements of prudential regulation.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

MEMBERS OF THE AUTHORITY

CHAIRMAN

Dr. Subhash Chandra Khuntia
(Upto 06.05.2021)

Shri Debasish Panda
(From 14.03.2022)

WHOLE-TIME MEMBERS

Ms. T L Alamelu
(Upto 06.05.2022)

Shri K Ganesh
(Upto 30.07.2022)

Shri Parmod Kumar Arora
(From 04.01.2021)

Ms. S N Rajeswari
(From 04.03.2021)

Shri Rakesh Joshi
(From 22.03.2022)

Shri Thomas Devasia
(From 19.09.2022)

PART-TIME MEMBERS

Ms. Sushama Nath
(Upto 23.08.2021)

Shri Nihar N Jambusaria
(Upto 11.02.2022)

Shri Amit Agrawal
(Upto 03.07.2022)

CA (Dr.) Debashis Mitra
(From 12.02.2022)

Shri Suchindra Misra
(From 04.07.2022)

SENIOR OFFICIALS OF IRDAI

(As on March 31, 2022)

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Suresh Mathur

On deputation at IIRM, Hyderabad

CHIEF GENERAL MANAGERS

Shri Randip Singh Jagpal

Consumer Affairs

Shri A R Nithyanantham

Intermediaries

Dr. Mamta Suri

Finance & Accounts, and Internal Audit

Smt. J Meena Kumari

Supervision, HR, Administration,
Internal Accounts, Corporate Services,
Estates and Designated Officer

Smt. Yegna Priya Bharath

Non-Life

Shri V Jayanth Kumar

Life

GENERAL MANAGERS

Shri S N Jayasimhan

Information Technology

Shri Ramana Rao Addanki

Finance & Accounts (Non-Life)

Shri Sanjeev Kumar Jain

Supervision

Shri T S Naik

Communications,
Administration and Estates

Shri S P Chakraborty

Actuarial and OLI

Shri A Venkateswara Rao

Enforcement

Shri P K Maiti

Sectoral Development and
Chief Vigilance Officer

Shri Raj Kumar Sharma

On deputation at SILIC, Lucknow

Smt. J Anita

Non-Life

Smt. K G P L Rama Devi

Intermediaries

Shri D V S Ramesh

Legal and Health

Shri Sudipta Bhattacharya

Finance & Accounts (Life)

Shri G R Surya Kumar

Actuarial

Shri P S Jagannatham

Life

Shri M S Jayakumar

Investment

Shri K Mahipal Reddy

Non-Life

Shri T Venkateswara Rao

Life

Shri N M Behera

On deputation at Insurance
Ombudsman, Bhubaneswar

Shri Pankaj Kumar Tewari

Surveyor

ANNUAL REPORT TEAM

Mr. G. R. Surya Kumar

Chief General Manager

Mr. M S Jayakumar

General Manager

Mr. M.N. Munshi

Deputy General Manager

Dr. H.Jeyanthi

OSD

Mr. Anurag Bajpai

Manager

Ms. Arundhati Chakraborty

Assistant Manager

Mr. Pranav V

Assistant Manager

Mr. Ravi Ranjan

Assistant Manager

I

POLICIES AND PROGRAMMES

PART I : POLICIES AND PROGRAMMES

I.1 REVIEW OF GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT

I.1.1 As per provisional estimates of National Income released by National Statistical Office (NSO), India's Gross Domestic Product (GDP) at current prices in the year 2021-22 is estimated at ₹236.65 lakh crore, as against ₹198.01 lakh crore in 2020-21, showing a growth rate of 19.5 per cent. The Gross National Disposable Income (GNDI) at current prices is estimated at ₹238.78 lakh crore during 2021-22, as compared to ₹200.86 lakh crore during 2020-21, showing a rise of 18.9 per cent.

The per capita GDP at current prices is ₹1,72,913 during 2021-22 as compared to ₹1,46,087 in 2020-

21 showing a growth of 18.4 per cent. Per Capita Private Final Consumption Expenditure increased to ₹1,02,992 in 2021-22 from ₹88,775 in 2020-21 registering a 16.0 per cent increase.

I.1.2 Aggregate supply, measured by Gross Value Added (GVA) at basic prices, expanded by 18.2 per cent in 2021-22 after registering a contraction of 1.6 per cent in 2020-21. The acceleration in GVA growth was facilitated by a sustained recovery in the industrial and the services sectors, albeit on a favourable base. The agricultural sector provided a cushion to the economy, staying resilient continuously over the three years.

Table I.1: National Income Estimates of India

(at current prices)

Item	2020-21*	2021-22#	Growth (%)	
			2020-21	2021-22
Gross Value Added (GVA) at basic prices (₹lakh crore)	180.58	213.49	-1.6	18.2
Gross Domestic Product (GDP) (₹lakh crore)	198.01	236.65	-1.4	19.5
Gross National Disposable Income (GNDI) (₹lakh crore)	200.86	238.78	-1.6	18.9
Per Capita GDP (₹)	1,46,087	1,72,913	-2.4	18.4
Per Capita GNDI (₹)	1,48,194	1,74,473	-2.7	17.7
Per Capita Private Final Consumption Expenditure (PFCE) (₹)	88,775	1,02,992	-2.7	16.0

*First Revised Estimates; #Provisional Estimates
Source: NSO, Press Note dated May 31, 2022.


Table I.2: Estimates of Gross Value Added (GVA) by Economic Activity

(At current prices) (₹lakh crore)

Industry	2020-21*	2021-22#	Growth (%)	
			2020-21	2021-22
I. Agriculture, Forestry and Fishing	36.09	39.80	7.5	10.3
II. Industry				
Mining & Quarrying	3.25	5.13	-9.4	57.9
Manufacturing	27.09	33.07	0.2	22.1
Electricity, Gas, Water Supply & Other Utility Services	5.07	5.87	1.1	15.6
III. Services				
Construction	13.16	17.19	-4.2	30.7
Trade, Hotels, Transport, Communication & Services related to Broadcasting	28.66	35.29	-17.6	23.1
Financial, Real Estate & Professional Services	40.46	45.43	4.3	12.3
Public Administration, Defence & Other Services	26.79	31.71	-0.8	18.4
GVA at Basic Prices	180.58	213.49	-1.6	18.2

*First Revised Estimates; #Provisional Estimates
Source: NSO, Press Note dated May 31, 2022.

Chart I.1: Share of Sectors in GVA at Current Prices in 2021-22




I.1.3 The rate of gross domestic saving had dropped to 27.8 per cent of gross national disposable income (GNDI) in 2020-21 from 29.4 per cent a year ago due to dissaving of the general government sector and a fall in savings of the non-financial corporations.

The net financial savings of the household sector – the most important source of funds – surged by 3.6 per cent to 11.5 per cent of GNDI in 2020-21, the highest in over two decades led by deposits and insurance funds instruments. Insurance funds have seen 0.8 per cent upturn from 1.8 per cent of GNDI in 2019-20 to 2.6 per cent of GNDI in 2020-21 due to COVID led increased awareness about health insurance.

Chart I.2: Domestic Savings in the Indian Economy

(Per cent of Gross National Disposable Income)



Source: RBI Annual Report 2021-22

Table I.3: Savings of the Household Sector

(Per cent of Gross National Disposable Income)

Item	2019-20	2020-21
Household sector savings	19.2	21.9
i. Net financial savings (A-B)	7.9	11.5
ii. Savings in physical assets	11.1	10.2
iii. Savings in the form of valuables	0.2	0.2
A. Gross Financial Savings	11.7	15.5
of which:		
1. Currency	1.4	1.9
2. Deposits	4.2	6.3
3. Shares and Debentures	0.4	0.5
4. Claims on Government	1.3	1.6
5. Insurance Funds	1.8	2.6
6. Provident and Pension Funds	2.2	2.5
B. Financial Liabilities	3.9	4.0

Source: RBI Annual Report 2021-22.

1.2 APPRAISAL OF INSURANCE MARKET

1.2.1 APPRAISAL OF GLOBAL INSURANCE MARKET

1.2.1.1 The global economy is slowing and the risk of inflationary recession in a number of economies has increased. As per the Swiss Re Sigma research (publication no.4/2022), this economic slowdown and the high-inflation environment will weigh on insurance markets. Slowing growth typically leads to lower demand for insurance. The major impact of inflation will show in rising claims costs in non-life. Property and motor insurance are expected to be most impacted in the near term.

1.2.1.2 In 2021, total global insurance premiums grew by 3.4 per cent in real terms. The non-life sector posted 2.6 per cent growth, driven by rate hardening in commercial lines in advanced markets. However, in China, the largest emerging market, non-life premium volumes contracted by 0.7 per cent as the de-tariffication of motor insurance sparked fierce competition and rate

reductions. This was partly offset by a 10.6 per cent increase in medical insurance premiums in China. The aggregate for emerging markets excluding China was stronger, with premiums up 4.1 per cent.

1.2.1.3 In life, global premium growth bounced back strongly by 4.5 per cent in both the advanced and emerging markets excluding China. Life premiums in China contracted by 2.6 per cent due to weakness in life savings business caused by a further decline in critical illness business. Strong life premium growth in advanced markets was supported by a surge in asset values and labour market recovery that lifted demand for savings-linked business. Regulatory developments and a tax law change boosted the sale of annuity products in the US. France reported the strongest premium growth of 27.3 per cent, mainly driven by growth in unit-linked business. In advanced Asia-Pacific, market shifts towards protection products under regulatory encouragement supported market growth.

Table I.4: Growth in Real Premium by Region in the World in 2021

Regions	(In per cent)		
	Life	Non-Life	Total
Advanced markets	5.4	2.9	3.9
Emerging markets	1.5	1.5	1.5
Asia-Pacific	0.6	0.8	0.7
India	8.5	5.8	7.8
World	4.5	2.6	3.4

Source: Swiss Re, Sigma 4/2022

1.2.1.4 The US remains the largest insurance market in the world followed by China and Japan. The three together accounted for almost 56 per cent of the global premiums in 2021, slightly less than that in 2020 (57 per cent). The market share of the top 20 countries remained 90 per cent in 2021 and six Asian markets in the top 20 rankings of Swiss Re (China, Japan, South Korea, India, Taiwan and Hong Kong) contributed to 23 per cent market

share. With the conflict in Ukraine weighing on economic growth in Europe in particular, insurance industry growth in emerging markets is expected to outpace that in the advanced markets this year, with emerging Asia in the lead. As per Swiss Re, India is expected to be one of the fastest growing markets in the world over the coming decade.

I

I.2.1.5 Swiss Re estimates show that global premium volumes to surpass USD 7 trillion in 2022 with a strong 6.1 per cent growth, reflecting the resilience of insurance markets over the course of the COVID pandemic. This is based on the expectation of more rate hardening in non-life to counter high inflation and strong premium growth in emerging markets. It is estimated to be 0.8 per cent growth in global non-life premiums in 2022 in real terms. Non-life premium growth in emerging markets will likely outstrip that in advanced economies in next two years, mainly driven by the strong demand for short-term health insurance. Growth in commercial lines will be stronger than in personal lines of business.

I.2.1.6 Global life premium is expected to contract in real terms in 2022 but in nominal terms, it is expected to grow at 4.8 per cent to USD 3.1 trillion in 2022. Inflationary pressures, economic uncertainty and financial markets condition are the primary drivers of subdued premium growth in 2022. Saving premiums, which represent more than three quarters of the life sector, will likely suffer from volatile financial market conditions and falling disposable incomes. Heightened risk awareness post pandemic is driving demand for protection-type products, and insurers are changing their business models to be digital-ready. Further, higher interest rates will support demand for guaranteed savings products. In 2023, it is expected that global life premium growth will recover to 1.9 per cent in real terms as inflation pressures ease and economic conditions improve.

Indian Insurance in the Global Scenario

I.2.1.7 As per Swiss Re data, India ranks tenth (eleventh in 2020) in global insurance business with a market share of 1.85 per cent in 2021 (1.78 per cent in 2020). Total insurance premium in India increased by 13.46 per cent (7.8 per cent inflation adjusted real growth) in 2021 whereas global total insurance premium increased by 9.04 per cent (3.4 per cent inflation adjusted real growth) during the year.

I.2.1.8 In life insurance business, India is ranked ninth (tenth in 2020) in the world in 2021. India's share in global life insurance market was 3.23 per cent (3.11 per cent in 2020) during 2021. Life insurance premium in India increased by 14.16 per cent (8.5 per cent inflation adjusted real growth) in 2021 whereas global life insurance premium increased by 9.91 per cent (4.5 per cent inflation adjusted real growth).

I.2.1.9 In non-life insurance business, India is ranked fourteenth in the world same as last year. India's share in global non-life insurance market was 0.78 per cent (0.76 per cent in 2020) during 2021. The Indian non-life insurance sector recorded 11.30 per cent (5.8 per cent inflation adjusted real growth) growth during 2021 whereas the global non-life insurance premium had only 8.37 per cent growth (2.6 per cent inflation adjusted real growth).

I.2.1.10 Globally, the share of life insurance business in total premium was 43.69 per cent and the share of non-life insurance premium was 56.31 per cent during 2021. However, the share of life insurance business for India was high at 76.14 per cent while the share of non-life insurance business was at 23.86 per cent.

Table I.5: Premium Volume by Region in the World in 2021

(USD Billions)

Region	Life	Non-Life	Total
Advanced markets	2,323.20 (41.75)	3,241.12 (58.25)	5,564.32 (100.00)
Emerging markets	674.37 (52.02)	621.90 (47.98)	1,296.28 (100.00)
Asia-Pacific	1,129.25 (61.47)	707.75 (38.53)	1,837.00 (100.00)
India	96.68 (76.14)	30.30 (23.86)	126.97 (100.00)
World	2,997.57 (43.69)	3,863.03 (56.31)	6,860.60 (100.00)

Note: Figures in bracket indicate share of the segment to total in per cent.

Source: Swiss Re, Sigma 4/2022

Insurance Penetration and Density

I.2.1.11 Insurance penetration and density are two metrics, among others, often used to assess the level of development of the insurance sector in a country. While insurance penetration is measured as the percentage of insurance premium to GDP, insurance density is calculated as the ratio of premium to population (per capita premium).

I.2.1.12 Insurance penetration in India during 2021-22 was 4.2 per cent remained same as in 2020-21. During the first decade of insurance sector liberalization, the sector has reported

increase in insurance penetration from 2.71 per cent in 2001-02 to 5.2 per cent in 2009-10. Since then the level of insurance penetration declined till 2014-15 due to decline in life insurance penetration. However, the insurance penetration started again increasing from 2015-16 and reached 4.20 per cent in 2021-22. While the penetration of life insurance sector has gone up from 2.15 per cent in 2001-02 to 3.2 per cent in 2021-22, non-life insurance penetration has gone up from 0.56 per cent to 1.0 per cent during the same period.

I.2.1.13 Insurance density in India increased from USD 78 in 2020-21 to USD 91 in 2021-22. The level of insurance density has reported consistent increase from USD 11.5 in 2001-02 to USD 64.4 in the year 2010-11. After some ups and downs, insurance density recorded steady increase from the year 2016-17. While life insurance density has gone up from USD 9.1 in 2001-02 to USD 69 in 2021-22, non-life insurance density has gone up from USD 2.4 to USD 22 during the same period.

I.2.1.14 As per Swiss Re Sigma report, globally insurance penetration and density were 3.0 per cent and USD 382 respectively for the life segment and 3.9 per cent and USD 492 respectively for the non-life segment in 2021. Overall insurance penetration and density were 7.0 per cent and USD 874 respectively in 2021.

Table I.6: Insurance Penetration and Density by Region in the World in 2021

Region	Penetration (%)			Density (USD)		
	Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total
USA and Canada	2.7	8.7	11.4	1823	5960	7782
Advanced EMEA	4.8	3.2	8.0	2226	1468	3694
Emerging EMEA	0.6	1.0	1.6	35	58	92
Advanced Asia Pacific	6.0	3.0	9.0	2325	1187	3512
Emerging Asia Pacific	2.1	1.6	3.7	132	100	232
India	3.2	1.0	4.2	69	22	91
World	3.0	3.9	7.0	382	492	874

EMEA- Europe, Middle East and Africa

Source: Swiss Re, Sigma 4/2022

I.2.1.15 Estimates of insurance penetration and density in India by Swiss Re collated from its yearly reports are presented below.

Insurance penetration and density in select countries are reproduced from Swiss Re Institute report in Statement 1 and Statement 2 respectively.


Table I.7: Insurance Penetration and Density in India

Year	Penetration (%)			Density (USD)		
	Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total
2001-02	2.15	0.56	2.71	9.1	2.4	11.5
2002-03	2.59	0.67	3.26	11.7	3.0	14.7
2003-04	2.26	0.62	2.88	12.9	3.5	16.4
2004-05	2.53	0.64	3.17	15.7	4.0	19.7
2005-06	2.53	0.61	3.14	18.3	4.4	22.7
2006-07	4.10	0.60	4.80	33.2	5.2	38.4
2007-08	4.00	0.60	4.70	40.4	6.2	46.6
2008-09	4.00	0.60	4.60	41.2	6.2	47.4
2009-10	4.60	0.60	5.20	47.7	6.7	54.3
2010-11	4.40	0.71	5.10	55.7	8.7	64.4
2011-12	3.40	0.70	4.10	49.0	10.0	59.0
2012-13	3.17	0.78	3.96	42.7	10.5	53.2
2013-14	3.10	0.80	3.90	41.0	11.0	52.0
2014-15	2.60	0.70	3.30	44.0	11.0	55.0
2015-16	2.72	0.72	3.44	43.2	11.5	54.7
2016-17	2.72	0.77	3.49	46.5	13.2	59.7
2017-18	2.76	0.93	3.69	55	18	73
2018-19	2.74	0.97	3.70	54	19	74
2019-20	2.82	0.94	3.76	58	19	78
2020-21	3.2	1.0	4.2	59	19	78
2021-22	3.2	1.0	4.2	69	22	91

Note:


1. Insurance penetration is measured as ratio of premium to GDP.
2. Insurance density is measured as ratio of premium to total population.
3. Figures may not add up to the total due to rounding off.

Source: Swiss Re, Sigma, Various Issues.




Source: Swiss Re, Sigma, Various issues

Chart I.4: Insurance Density in India




Source: Swiss Re, Sigma, Various issues

Chart I.5: Insurance Penetration in Select Countries in 2021



Data relates to financial year
 Note: Insurance Penetration is measured as percentage of insurance premium to GDP
 Source: Swiss Re, Sigma No. 4/2022

Chart I.6: Insurance Density in Select Countries in 2021



Data relates to financial year
 Note: Insurance Density is measured as ratio of insurance premium to population.
 Source: Swiss Re, Sigma No. 4/2022

I.2.2 APPRAISAL OF INDIAN INSURANCE MARKET

Appraisal of Life Insurance Market Life Insurance Premium

I.2.2.1 Life insurance industry recorded a premium income of ₹6.93 lakh crore during 2021-22 as against ₹6.29 lakh crore in the previous financial year, registering growth of 10.16 per cent. While private sector insurers posted 17.36 per cent growth in premium, LIC recorded 6.13 per cent growth. The market share of LIC decreased by 2.34 per cent to 61.80 per cent in 2021-22 while market share of private insurers has increased to 38.20 per cent.

I.2.2.2 In 2021-22, new business and renewal premium accounted for 45.46 per cent and 54.54 per cent of the total premium received by life insurers respectively. New business premium recorded 12.98 per cent growth while renewal business had a growth of 7.92 per cent. Single premium products continue to play a major role for LIC as they contributed 37.91 per cent of total premium while it was 15.87 per cent for private life insurers. LIC continued to have a higher market share at 63.18 per cent in new business and 60.65 per cent in renewal business premium.



Insurance company-wise life insurance premium is provided in Statement 3.

Table I.8: Premium Underwritten by Life Insurers

(₹crore)

Premium	LIC		Private Sector		Total	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
First Year (FY)	33,930.86 (-41.46)	36,649.35 (8.01)	46,869.16 (5.74)	73,943.39 (57.77)	80,800.02 (-21.01)	1,10,592.74 (36.87)
Single	1,50,498.69 (25.08)	1,62,282.83 (7.83)	47,401.21 (29.30)	41,992.25 (-11.41)	1,97,899.90 (26.07)	2,04,275.08 (3.22)
New Business (FY+ Single)	1,84,429.55 (3.45)	1,98,932.18 (7.86)	94,270.37 (16.40)	1,15,935.64 (22.98)	2,78,699.92 (7.50)	3,14,867.82 (12.98)
Renewal	2,18,857.00 (8.82)	2,29,092.80 (4.68)	1,31,174.11 (16.56)	1,48,653.53 (13.33)	3,50,031.11 (11.60)	3,77,746.32 (7.92)
Total (New + Renewal)	4,03,286.55 (6.30)	4,28,024.97 (6.13)	2,25,444.48 (16.50)	2,64,589.17 (17.36)	6,28,731.04 (9.74)	6,92,614.14 (10.16)

Note: Figures in bracket indicates growth (in per cent) over previous year.



I.2.2.3 LIC of India is the only Indian insurer underwriting life insurance business outside India. The total premium underwritten outside the country by LIC stood at ₹419.70 crore in 2021-22 as against ₹400.34 crore in 2020-21 registering a growth of 4.83 per cent against growth of 5.84 per cent in 2020-21.

Segment-wise Life Insurance Premium

I.2.2.4 The traditional products registered a growth of 10.15 per cent in 2021-22, with premium of ₹5.92 lakh crore as against ₹5.38 lakh crore in previous year. On the other hand, Unit-linked products (ULIPs) registered a growth of 10.24 per cent with increase in premium from ₹0.91 lakh

crore in 2020-21 to ₹1.00 lakh crore in 2021-22. The share of unit-linked products in total premium was 14.48 per cent.

I.2.2.5 Life insurance segment constitutes 77 per cent of total life insurance premium followed by pension and annuity segments together about 22 per cent in 2021-22. Life, pension and variable segment recorded growth of 10.70 per cent, 13.38 per cent and 34.66 per cent respectively while annuity and health segment witnessed decline of 11.83 per cent and 2.68 per cent respectively during 2021-22.

Segment-wise life insurance premium details are provided in Statement 4 and Statement 5.

Table I.9: Segment-wise Premium Underwritten by Life Insurers

(₹crore)

Segment	Linked Premium		Non-Linked Premium		Total Premium	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Annuity	-	-	31,594.43	27,855.71	31,594.43	27,855.71
Health	185.22	163.64	634.43	634.04	819.65	797.68
Life	82,150.38	88,625.45	4,00,526.24	4,45,678.26	4,82,676.61	5,34,303.71
Pension	8,671.04	11,537.61	1,01,158.54	1,12,987.92	1,09,829.58	1,24,525.52
Variable	-	-	3,810.77	5,131.51	3,810.77	5,131.51
Total	91,006.64	1,00,326.69	5,37,724.41	5,92,287.45	6,28,731.04	6,92,614.14

Chart I.9: Linked and Non-linked Premium of Life Insurers (2021-22)

(₹crore)





Chart I.10: Segment-wise Share in Life Insurance Premium (2021-22)



Policies Issued by Life Insurers

I.2.2.6 During 2021-22, the life insurance industry registered a growth of 3.51 per cent in the number of new policies issued against the previous year. LIC

registered a growth of 3.54 per cent and contributed 74.60 per cent of the policies issued. The private sector registered a growth of 3.38 per cent and contributed 25.40 per cent of the policies issued.

Table I.10: New Individual Policies issued by Life Insurers

(in lakh)

Insurer	2020-21	2021-22
LIC	209.75 (-4.21)	217.19 (3.54)
Private Sector	71.52 (2.89)	73.94 (3.38)
Total	281.27 (-2.49)	291.13 (3.51)

Note : Figures in bracket indicates the growth (in per cent) over the previous year.

Paid-up capital of Life Insurers

1.2.2.7 Total capital of the life insurers increased by 25.40 per cent to ₹35,547 crore as on March 31, 2022. During 2021-22, an additional capital of ₹7200 crore was brought in the life insurance industry and about 86 per cent of this was by LIC.

Insurance company wise details of equity share capital are provided in Statement 6.

Table I.11: Paid up Capital of Life Insurers

(₹crore)

Insurer	As at March 31, 2021	Additions during 2021-22	As at March 31, 2022
LIC	100.00	6,225.00	6,325.00
Private Sector	28,246.37	975.38	29,221.75
Total	28,346.37	7,200.38	35,546.75

Note: Paid up Capital excludes Share premium and Share application money

Other Forms of Capital of Life Insurers

1.2.2.8 Under the provisions of IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2016, six private life insurers have raised Other Forms of Capital amounting to ₹1,984 crore during 2021-22 i.e. ₹350 crore by Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd., ₹125 crore by IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., ₹496 crore by Max Life Insurance Co. Ltd., ₹400 crore by PNB MetLife India Insurance Co. Ltd., ₹125 crore by Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd., and ₹488 crore by Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.

Total Other Forms of Capital of life insurers as on March 31, 2022 was ₹4,194 crore (₹2,210 crore as on March 31, 2021).

Expenses of Life Insurers

1.2.2.9 IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business) Regulations, 2016 prescribe the allowable limits of expenses of management taking into account, inter alia the type and nature of product, premium paying term and duration of insurance business. During the year 2021-22, out of 24 life insurers, 16 were compliant with the above regulations. Eight life insurers had exceeded the limits of expenses on an overall basis or segmental basis and the same are under examination and consideration for grant of forbearance.

The life insurance industry reported gross expenses of management of ₹1.07 lakh crore during 2021-22 which was 15.50 per cent of total gross premium.

1.2.2.10 The commission expenses ratio (commission expenses as a percentage of premium) decreased marginally to 5.18 per cent in 2021-22 from 5.25 per cent in 2020-21. However, total commission increased by 8.77 per cent (total premium growth 10.16 per cent) during 2021-22.

Table I.12: Commission Expenses (and Rewards) of Life Insurers

(₹crore)

S. No.	Segment	LIC		Private Sector		Total	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	First Year Commission	8,969.83 (26.44)	9,730.97 (26.55)	6,845.72 (14.60)	8,088.84 (10.94)	15,815.56 (19.57)	17,819.80 (16.11)
2	Commission on Single Premium	564.67 (0.37)	490.27 (0.30)	580.22 (1.22)	829.73 (1.98)	1,144.89 (0.58)	1,320.01 (0.65)
3	Rewards on New Business Commission	1,201.39 (0.65)	1,099.57 (0.55)	378.06 (0.40)	441.61 (0.38)	1,579.45 (0.57)	1,541.18 (0.49)
4	New Business Commission (1+2+3)	10,735.90 (5.82)	11,320.81 (5.69)	7,804.00 (8.28)	9,360.18 (8.07)	18,539.89 (6.65)	20,680.99 (6.57)
5	Renewal Commission	11,434.74 (5.23)	11,850.65 (5.17)	3,019.45 (2.30)	3,355.68 (2.26)	14,454.19 (4.13)	15,206.33 (4.03)
6	Total Commission (4+5)	22,170.64 (5.50)	23,171.46 (5.41)	10,823.44 (4.80)	12,715.86 (4.81)	32,994.08 (5.25)	35,887.31 (5.18)

Note: Figures in bracket are Commission Expense Ratio in per cent.

1.2.2.11 The operating expenses of the life insurers increased by 17.93 per cent to ₹71,435 crore in 2021-22 and operating expenses ratio (operating expenses as a per cent of gross premium underwritten) increased from 9.77 per cent in 2020-21 to 10.31 per cent in 2021-22.

Table I.13: Operating Expenses of Life Insurers

(₹crore)

Insurer	2020-21	2021-22
LIC	34,989.52 (8.68)	38,890.68 (9.09)
Private Sector	26,432.76 (11.72)	32,544.34 (14.44)
Total	61,422.29 (9.77)	71,435.02 (10.31)

Note: Figures in bracket are Operating Expense Ratio in per cent.

Benefits Paid by Life Insurers

1.2.2.12 The life insurance industry paid benefits of ₹5.02 lakh crore in 2021-22 which constitutes 73.10 per cent of the net premium. LIC accounted for 70.39 per cent of total benefits paid and remaining 29.61 per cent by private insurers. The benefits paid on account of surrenders / withdrawals increased to ₹1.58 lakh crore in 2021-22 of which LIC accounted for 60.09 per cent and the remaining by private insurers. In the current year, out of the total surrender benefits, ULIP policies accounted for 1.96 per cent for LIC and 78.29 per cent for private insurers.

Table I.14: Benefits Paid by Life Insurers

(₹crore)


Benefit	LIC		Private Sector		Total	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Death Claim	23,878.62	35,720.29	18,079.81	25,101.57	41,958.43	60,821.86
Maturity	1,65,659.20	2,05,526.54	25,845.12	34,129.53	1,91,504.32	2,39,656.07
Surrender/ Withdrawal	80,101.00	95,118.04	49,315.89	63,166.90	1,29,416.88	1,58,284.94
Annuities/ Pensions	14,571.36	16,257.21	1,406.32	1,990.77	15,977.68	18,247.97
Others	911.63	815.51	19,003.52	24,270.57	19,915.15	25,086.08
Total	2,85,121.81	3,53,437.58	1,13,650.66	1,48,659.34	3,98,772.47	5,02,096.92

Note: 1. Claims include terminal bonus as a part of benefits paid.

2. Death claim is net of reinsurance

Chart I.11: Benefits Paid by Life Insurers (2021-22)

(₹crore)



Death Claims

I.2.2.13 In case of individual life insurance business, the life industry's death claim settlement ratio increased to 98.64 per cent in 2021-22 from 98.39 per cent in the previous year and the repudiation/rejection ratio decreased to 1.02 per cent from 1.14 per cent.

I.2.2.14 In case of group life insurance business, life insurance companies settled 98.77 per cent claims during 2021-22 against 98.62 per cent in the previous year.

Insurer-wise claim details of individual and group life insurance business are provided in Statement 7 and Statement 8 respectively.

Table I.15: Actual Death Claims of Life Insurers

(Amount in ₹crore)

Total Claims		Claims paid		Claims Repudiated		Claims rejected		Claims Unclaimed		Claims pending at end of the period	
NOP	Amount	NOP	Amount	NOP	Amount	NOP	Amount	NOP	Amount	NOP	Amount
Individual Life Insurance Business											
16,08,924	48,080.54	15,87,110	45,817.57	12,609	1,099.12	3,900	192.45	2,727	482.36	2,578	489.03
(100.00)	(100.00)	(98.64)	(95.29)	(0.78)	(2.29)	(0.24)	(0.40)	(0.17)	(1.00)	(0.16)	(1.02)
Group Life Insurance Business											
14,36,081	26,923.79	14,18,442	26,043.24	9,087	549.27	2,062	51.61	134	2.10	6,356	277.57
(100.00)	(100.00)	(98.77)	(96.73)	(0.63)	(2.04)	(0.14)	(0.19)	(0.01)	(0.01)	(0.44)	(1.03)

NOP – No. of Policies

Note:


1. Figures in brackets are percentage to total.

2. For Individual life insurance business, the count is in terms of NOP and in case of group life insurance business, the count is terms of number of lives.

Investment Income of Life Insurers

I.2.2.15 Investment income (Policyholder's and Shareholder's) including capital gains and other income of life insurance industry declined by 10.58 per cent to ₹4.17 lakh crore in 2021-22. While LIC recorded 5.19 per cent growth, private insurers experienced 34.19 per cent decline in investment income in the year 2021-22.

Chart I.12: Investment Income of Life Insurers (₹crore)




PARTICIPATION OF WOMEN IN LIFE INSURANCE

Women comprise roughly 49 per cent of the total population in India. Their contribution to the economic activity of the country is significant and is increasing every year. Under the circumstances, there is a need for life insurers to recognize the growing significance of women population in the economy, identify their special needs or requirements, if any, and develop suitable product solutions to provide adequate life insurance coverage.

In this context, a brief study is made on the share of female lives covered in life insurance business. Only individual new business data – number of policies and first year premium for the year 2021-22 has been considered for the purpose.

- The number of policies issued to women in the year 2021-22 is around 1.01 crore which is 34.7 per cent of 2.91 crore total policies as against a share of 33 per cent in 2020-21.
- The proportion of policies on women amongst private Life Insurers and LIC



- In 16 States/UTs, the share in number of policies bought by women to the total policies sold is higher than the all-India average of 34.7 per cent.

Top 5 States/UT		Bottom 5 States/UT	
State	Share to total policies (%)	State	Share to total policies (%)
Karnataka	45	Jammu & Kashmir	26
Kerala	44	Ladhak	26
Sikkim	42	Haryana	27
Goa	42	Rajasthan	30
Arunachal Pradesh	41	Uttar Pradesh	30

Life insurance is available to women on the same terms as that of men, subject to however their income earning capacity. In fact, there is a positive practice of according preferential treatment to the female lives by most of the life insurers while charging the premium as their life expectancy is higher. Insurance of women segment also depends on literacy levels, financial independence and financial decision making, possible moral hazard.

Participation of women in Life Insurance Marketing


- 6,99,429 women are working as agents in the life insurance industry, making it 29 per cent of the total individual agency force as at March 31, 2022. Out of the total number of women agents, the share of private life insurers is 52 per cent and LIC is 48 per cent.
- Among the private life insurers, Max Life Insurance Co. Ltd. has the highest percentage of women agents at 42.5 per cent followed by Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. at 42.4 per cent and SUD Life Insurance Co. Ltd. at 41.7 per cent.

Life Reinsurance

I.2.2.16 During 2021-22, ₹605.76 crore was ceded as reinsurance premium by LIC (₹442.21 crore in 2020-21). The private insurers together ceded ₹5,190.21 crore (₹3908.92 crore in 2020-21) as premium towards reinsurance. Retention ratio of Life insurers was 99.16 per cent for 2021-22 as against 99.31 per cent for 2020-21.

Profits of Life Insurers

I.2.2.17 Profits of life insurance industry declined by 10.50 per cent in 2021-22 with profit after tax (PAT) of ₹7,751 crore as against ₹8,661 crore in 2020-21. Out of the 24 life insurers in operation during 2021-22, 15 companies reported profits. LIC reported increase in profits by 39.39 per cent while private insurers together reported a loss of 35.62 per cent in 2021-22.



Returns to Shareholders of Life Insurers

I.2.2.18 Three private life insurers viz. Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., SBI Life Insurance Co. Ltd. and Shriram Life Insurance Co. Ltd. paid interim dividend of ₹137.15 crore, ₹200.07 crore and ₹44.31 crore respectively for the FY 2021-22. LIC has not proposed to pay dividend to shareholder i.e. Government of India for the year 2021-22.

Table I.16: Dividend paid by Life Insurers (₹crore)

Insurer	2020-21	2021-22
LIC	0.00	0.00
Private Sector	615.35	381.53
Total	615.35	381.53

Note: Excludes dividend distribution tax

Offices of Life Insurers

I.2.2.19 The number of life insurance offices stood at 11,060 as on March 31, 2022 same as previous year. Around 60 per cent of life insurance offices are located in Tier I centers where the population is one lakh and above. About 0.75 per cent of life insurance offices are in Tier VI centers with a population of less than 5,000.

State/UT-wise distribution of life insurance offices are provided in Statement 9.

I.2.2.20 As at March 31, 2022, LIC of India has offices in 688 districts out of 750 districts in the country, covering 92 per cent of all districts in the country, whereas the private sector insurers have offices in 596 districts covering 79 per cent of all districts in the country. LIC and private insurers together have covered 92 per cent of all districts in the country. All the districts were covered through life insurance offices in 24 out of 36 states/UTs of the country.

The number of districts without a life insurance office stood at 59 in the country, out of which 48 districts belong to the north eastern states.


Table I.17: Offices of Life Insurers

(Number of Offices)

Location	As on March 31, 2021			As on March 31, 2022		
	LIC	Private sector	Total	LIC	Private sector	Total
Tier I	1,844	4,717	6,561	1,848	4,746	6,594
Tier II	559	735	1,294	561	706	1,267
Tier III	1,353	476	1,829	1,357	458	1,815
Tier IV	1,037	107	1,144	1,042	106	1,148
Tier V	123	29	152	123	30	153
Tier VI	54	26	80	54	29	83
Total	4,970	6,090	11,060	4,985	6,075	11,060

Note: Tier I - Population 1,00,000 & Above
 Tier II - Population of 50,000 to 99,999
 Tier III - Population of 20,000 to 49,999
 Tier IV - Population of 10,000 to 19,999
 Tier V - Population of 5,000 to 9,999
 Tier VI - Population less than 5,000

Chart I.14: Tier-wise Distribution of Offices of Life Insurers
(As on March 31,2022)



Appraisal of General and Health Insurance Market

General and Health Insurance Premium

I.2.2.21 The general insurance industry underwrote total direct premium of ₹2.21 lakh

Table I.18: Gross Direct Premium of General and Health Insurers

(₹crore)


Insurer	Within India		Within and Outside India	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Public Sector Insurers	71,843.72 (-1.94)	75,032.84 (4.44)	75,211.29 (-1.73)	78,335.45 (4.15)
Private Sector Insurers	98,000.96 (8.00)	1,09,753.37 (11.99)	98,000.96 (8.00)	1,09,753.37 (11.99)
Stand-alone Health Insurers	15,755.19 (8.86)	20,867.18 (32.45)	15,755.19 (8.86)	20,867.18 (32.45)
Specialized Insurers	13,114.85 (25.66)	15,046.83 (14.73)	13,114.85 (25.66)	15,046.83 (14.73)
Total	1,98,714.72 (5.19)	2,20,700.21 (11.06)	2,02,082.30 (5.15)	2,24,002.82 (10.85)

Note:

- Figure in brackets indicate growth in per cent over previous year.
- Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Chart I.15: Premium (within India) Underwritten by General and Health Insurers

(₹crore)



crore in India in the year 2021-22 registering a growth of 11.06 per cent from previous year. Out of 25 private insurers (including standalone health insurers) operating in the year 2021-22, 24 insurers reported an increase in premium underwritten as compared to the previous year. In case of public sector general insurers, market share of all the public sector insurers except New India has decreased from previous year.

Insurance company wise premium underwritten within India is given in Statement 10.

I.2.2.22 Three public sector insurers except United India are underwriting general insurance business outside India. Premium underwritten outside the country declined by 1.93 per cent in 2021-22. The overseas premium constitutes 8.28 per cent of the total premium underwritten by the insurers in 2021-22.

Table I.19: Premium Underwritten Outside India by General Insurers

(₹crore)

Insurer	2020-21	2021-22
National	44.92 (-11.34)	51.10 (13.76)
New India	3,024.94 (4.24)	2,942.05 (-2.74)
Oriental	297.71 (-7.93)	309.46 (3.95)
Total	3,367.57 (2.80)	3,302.61 (-1.93)

Note:

1. Figures in bracket indicate growth (in percent) over previous year.
2. Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Segment-wise General and Health Insurance Premium

I.2.2.23 The health business reported a growth of 26.27 per cent in 2021-22 making it the largest general insurance segment in India with a market share of about 36 per cent. The market share of motor segment decreased to about 32 per cent but reported a positive growth of 3.90 per cent compared to negative growth reported in the previous year. After COVID led interruptions in 2020-21, marine segment reported a growth of 19.48 per cent in 2021-22. Fire and other segments also recorded positive growth of 7.15 per cent and 1.10 per cent respectively in 2021-22.

Insurance company wise segment-wise premium underwritten is provided in Statement 11.

Table I.20: Segment-Wise Premium (Within India) Underwritten by General and Health Insurers

(₹crore)

Segment	Public Sector Insurers		Private Sector Insurers		Stand-alone Health Insurers		Specialised Insurers		Total	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Fire	8,375.40	8,514.95	11,737.49	13,036.08	NA	NA	NA	NA	20,112.89	21,551.03
Marine	1,724.82	1,834.43	1,763.27	2,333.18	NA	NA	NA	NA	3,488.09	4,167.61
Motor	23,218.11	21,768.98	44,574.07	48,664.50	NA	NA	NA	NA	67,792.19	70,433.48
Health	28,902.71	35,374.27	19,095.07	24,260.83	15,755.19	20,867.18	NA	NA	63,752.97	80,502.27
Others	9,622.68	7,540.22	20,831.06	21,458.78	NA	NA	13,114.85	15,046.83	43,568.58	44,045.82
Total	71,843.72	75,032.84	98,000.96	1,09,753.37	15,755.19	20,867.18	13,114.85	15,046.83	1,98,714.72	2,20,700.21

Chart I.16: Segment wise Share in Premium of General and Health Insurance (2021-22)





Chart I.17: Sector wise Share in Premium of General and Health Insurance (2021-22)



Policies issued by General and Health Insurers

I.2.2.24 The general and health insurers have issued 26.57 crore policies in the year 2021-22 reporting an increase of 7.68 per cent.

Table I.21: New Policies Issued by General and Health Insurers

(in lakhs)		
Insurer	2020-21	2021-22
Public Sector Insurers	684.27 (-6.71)	631.93 (-7.65)
Private Sector Insurers	1,259.72 (-0.33)	1,423.53 (13.00)
Stand-alone Health Insurers	105.41 (14.34)	125.94 (19.47)
Specialized Insurers	417.93 (28.40)	475.30 (13.73)
Total	2467.33 (2.16)	2,656.70 (7.68)

Note: Figures in brackets indicate growth in per cent over previous year.

Paid-up Capital of General and Health Insurers

I.2.2.25 Total paid up capital of all general and health insurers as on March 31, 2022 was ₹37,855 crore. During 2021-22, the general and health insurers added ₹5,013 crore to their equity capital base. During the year, ₹5,000 crore were infused in three PSU general insurers by Government of India. Private sector general insurers effectively took out capital to the extent of ₹1,151 crore because of the demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.

Insurance company wise paid up capital is provided in Statement 12.

Table I.22: Paid-up Capital of General and Health Insurers

(₹crore)			
Insurer	As at March 31, 2021	Additions during 2021-22	As at March 31, 2022
Public Sector Insurers	13,724.00	5,000.00	18,724.00
Private Sector Insurers	11,493.19	-1,151.43	10,341.76
Stand-alone Health Insurers	4,235.06	404.27	4,639.33
Specialized Insurers	3,390.00	760.00	4,150.00
Total	32,842.24	5,012.84	37,855.09

Note: Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Other Forms of Capital of General and Health Insurers

I.2.2.26 Under the provisions of IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2016, General insurers have effectively raised Other Forms of Capital amounting to ₹276 crore during 2021-22. Total other forms of capital as on March 31, 2022 was ₹5,151 crore.

Expenses of General and Health Insurers

I.2.2.27 Commission expenses and operating expenses constitute a major part of the total expenses. The gross commission expenses of general insurance industry was ₹16,931 crore for the year 2021-22 increased by 9.87 per cent from previous year. The operating expenses of general insurers stood at ₹41,455 crore in 2021-22, showing overall increase of 8.29 per cent.

I.2.2.28 During the year 2021-22, five private insurers were under exemption period as the insurers are yet to complete first five years of operations. Out of remaining insurers, 18 insurers were compliant, nine insurers were non-compliant and eight general insurers were granted forbearance in accordance with the IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2016, subject to the condition that excess of expenses of management shall be charged to shareholders' fund. In case of Reliance Health Insurance Ltd., its business portfolio has been transferred to Reliance General Insurance Co. Ltd.


Table I.23: Commission Expenses of General and Health Insurers

(₹crore)

Segment	Public Sector Insurers		Private Sector Insurers		Stand-alone Health Insurers		Specialised Insurers		Total	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Fire	985.14	990.04	1,065.28	1,171.05	NA	NA	NA	NA	2,050.42	2,161.09
Marine	148.17	179.27	184.74	256.61	NA	NA	NA	NA	332.91	435.88
Motor	2,106.58	1,940.11	3,436.85	4,053.25	NA	NA	NA	NA	5,543.43	5,993.36
Health	1,872.36	1,890.39	1,764.31	2,117.16	2,134.87	2,758.69	NA	NA	5,771.54	6,766.24
Others	703.98	746.02	935.79	776.53	NA	NA	71.43	51.98	1,711.20	1,574.53
Total	5,816.23	5,745.83	7,386.97	8,374.60	2,134.87	2,758.69	71.43	51.98	15,409.50	16,931.10

Chart I.18: Operating Expenses of General and Health Insurers

(₹crore)



Claims of General and Health Insurers

1.2.2.29 The net incurred claims of the general insurers stood at ₹1.41 lakh crore in 2021-22 as against ₹1.12 lakh crore in 2020-21 reported an increase of about 26 per cent during 2021-22. The incurred claims ratio (net incurred claims to net earned premium) of the general insurance industry was 89.08 per cent during 2021-22 against 81.06 per cent of previous year. Public sector general

insurers experienced highest claims ratio of 103.17 per cent whereas private sector general insurers had lowest claims ratio of 77.95 per cent during the year 2021-22. Among the various segments, health segment had the highest claims ratio at 105.68 per cent against a claim ratio of 89.51 per cent during previous year.

Insurance company wise claim ratio and status of claims are provided in Statement 13 and Statement 14 respectively.

Chart I.19: Net Incurred Claims of General and Health Insurers

(₹crore)




Table I.24: Incurred Claim Ratio of General and Health Insurers

(in per cent)

Segment	Public Sector Insurers		Private Sector Insurers		Standalone Health Insurers		Specialised Insurers		Total	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Fire	68.33	66.96	57.60	51.27	NA	NA	NA	NA	65.07	60.33
Marine	69.49	86.02	80.32	85.78	NA	NA	NA	NA	75.11	85.88
Motor	78.60	94.03	73.59	74.53	NA	NA	NA	NA	75.61	81.30
Health	101.02	126.80	78.44	94.66	75.43	79.06	NA	NA	89.51	105.68
Others	86.58	58.54	63.60	64.96	NA	NA	93.95	92.47	83.47	72.72
Total	87.48	103.17	73.39	77.95	75.43	79.06	93.95	92.47	81.06	89.08

NA - Not Applicable

Note: Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Underwriting Experience of General and Health Insurers

I.2.2.30 The underwriting losses of the general and health insurers was ₹31,810 crore in 2021-22 reporting an increase of 58.74 per cent. The ratio of underwriting loss to net earned premium for general insurance industry in 2021-22 was 20.13 per cent as compared to 14.56 per cent in the year 2020-21.

Table I.25: Underwriting Experience of General and Health Insurers

(₹crore)

Insurer	2020-21	2021-22
Public Sector Insurers	-13,497.75 (-21.62)	-20,443.55 (-30.71)
Private Sector Insurers	-4,052.83 (-6.92)	-8,158.25 (-12.06)
Standalone Health Insurers	-2,373.65 (-26.41)	-3,263.34 (-20.29)
Specialized Insurers	-114.59 (-1.50)	55.56 (0.72)
Total	-20,038.83 (-14.56)	-31,809.59 (-20.13)

Note:

- Figures in bracket indicate ratio (in per cent) of underwriting profit/loss to net earned premium.
- Regrouping/Reclassification, if any, in previous years figures by the insurer has not been considered.
- Underwriting Profit/Loss = Premium Earned (Net) - Claim Incurred (Net) - Net Commission - Operating Expenses related to Insurance Business - Premium Deficiency Reserve

Investment Income of General and Health Insurers

I.2.2.31 The investment income of all general and health insurers during 2021-22 was ₹32,546 crore registering a growth of 9.42 per cent.

Table I.26: Investment Income of General and Health Insurers

(₹crore)

Insurer	2020-21	2021-22
Public Sector Insurers	14,529.48 (-5.04)	14,609.74 (0.55)
Private Sector Insurers	12,745.46 (13.99)	14,654.42 (14.98)
Standalone Health Insurers	805.40 (8.73)	1,277.19 (58.58)
Specialized Insurers	1,663.21 (20.27)	2,005.15 (20.56)
Total	29,743.55 (3.98)	32,546.49 (9.42)

Note:

- Figures in bracket indicate growth (in per cent) over the previous year.
- Regrouping/Reclassification, if any, in previous years figures by the insurer has not been considered.

Profits After Tax (PAT) of General and Health Insurers

I.2.2.32 During the year 2021-22, the net loss of general and health insurance industry was ₹2,857 crore as against the net profit of ₹3,853 crore in 2020-21.

Out of the four public sector insurers, one has reported PAT and three have reported loss after tax

during the year 2021-22. New India reported a PAT of ₹164 crore during the year 2021-22 against a PAT of ₹1,605 crore in 2020-21. National, Oriental and United reported loss of ₹1,675 crore, ₹3,115 crore and ₹2,136 crore respectively.

I

Among the 20 private general insurers, while 13 companies reported PAT, the remaining seven companies incurred losses during the year 2021-22. Out of the five stand-alone health insurers, only one has reported PAT and the remaining four companies have incurred losses during the year 2021-22. Both the specialized insurers viz., Agriculture Insurance Company of India Ltd. and ECGC Limited have reported PAT of ₹738 crore and ₹875 crore respectively during the year 2021-22 as compared at ₹490 crore and ₹460 crore respectively during the year 2020-21.

Table I.27: Profit After Tax of General and Health Insurers

(₹crore)

Insurer	2020-21	2021-22
Public Sector Insurers	-1,467.29	-6,761.16
Private Sector Insurers	5,729.06	4,098.77
Standalone Health Insurers	-1,359.73	-1,808.01
Specialised Insurers	950.50	1,613.46
Total	3,852.53	-2,856.93

Note: Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Returns to Shareholders of General and Health Insurers

1.2.2.33 Private sector general insurers alone paid dividend during the year 2021-22 (₹123.45 crore by Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd., ₹231.65 crore by HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd., ₹378.08 crore by ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., ₹458.72 crore by Shriram General Insurance Co. Ltd., ₹4.79 crore by Universal Sampo General Insurance Co. Ltd. and ₹1.01 crore by Reliance General Insurance Co. Ltd.).

Table I.28: Dividend Paid by General and Health Insurers

(₹crore)

Insurer	2020-21	2021-22
Public Sector Insurers	-	-
Private Sector Insurers	1,001.06	1,197.70
Stand-alone Health Insurers	-	-
Specialised Insurers	-	-
Total	1001.06	1,197.70

Note:

1. Above figures include final dividend and interim dividend also.
2. Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Offices of General and Health Insurers

1.2.2.34 As on March 31, 2022, the general and health insurers were operating from 10,775 offices as against 11,248 offices as on March 31, 2021, all over the country. Compared to the previous year, there is a decrease of 473 offices. As per tier-wise classification of offices, it is observed that 70 per cent of offices of general and health insurers are located in Tier I cities. About one per cent of general insurance offices alone are in Tier VI locations with a population of less than 5,000.

1.2.2.35 District-level analysis reveals that general insurers have offices in 77 per cent of total districts in the country (575 districts) and SAHI is having offices in 52 per cent of total districts in the country (387 districts). There are 11 states/UTs which have the presence of general insurance office in all their districts and 16 States/UTs are having SAHI offices in more than 50 per cent of their districts.

State/UT wise distribution of general and health insurance offices with district wise coverage are provided in Statement 9.


Table I.29: Offices of General and Health Insurers

Location	As on March 31, 2021					As on March 31, 2022				
	Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized	Total	Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized	Total
Tier I	4,175	2,527	930	86	7,718	3,995	2,363	1,085	73	7,516
Tier II	843	138	125	-	1,106	779	144	156	-	1,079
Tier III	1,194	37	81	-	1,312	1,040	39	104	-	1,183
Tier IV	722	9	14	-	745	632	14	19	-	665
Tier V	241	11	-	-	252	216	11	-	-	227
Tier VI	106	9	-	-	115	98	6	1	-	105
Total	7,281	2,731	1,150	86	11,248	6,760	2,577	1,365	73	10,775

Note:

Tier I - Population 1,00,000 & Above
 Tier III - Population of 20,000 to 49,999
 Tier V - Population of 5,000 to 9,999

Tier II - Population of 50,000 to 99,999
 Tier IV - Population of 10,000 to 19,999
 Tier VI - Population less than 5,000



1.3 NUMBER AND DETAILS OF AUTHORIZED INSURERS/ RE-INSURERS

1.3.1 At the end of March 2022, there are 67 insurers operating in India of which 24 are life insurers, 26 are general insurers, five are stand-alone health insurers and 12 are re-insurers including foreign reinsurers' branches and Lloyd's India.

1.3.2 Of the 67 insurers presently in operation, eight are in the public sector and the remaining 59 are in the private sector. Two specialized insurers, namely ECGC and AIC, one life insurer namely LIC of India (LIC), four in general insurance and one in reinsurance namely GIC Re are in public sector. In private sector, there are 23 life insurers, 20 general insurers, five stand-alone health insurers and 11 re-insurers including foreign reinsurers' branches and Lloyd's India.

1.3.3 Out of 23 private life insurers, 12 insurers have completed more than 20 years of their operations in life insurance market in India. Out of 20 private

general insurers, six private insurers have completed more than 20 years of their operations in general insurance market in India.

1.3.4 In exercise of the powers under provision of sub-section 2(A) of Sec. 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to transact re-insurance business in India, Factory Mutual Insurance Company has been given certificate of registration as Foreign Reinsurance Branch (FRB) on April 28, 2021 and its Registration No. is FRB/011.

1.3.5 The Authority vide Order Ref. No. 514/F&A(NL)/Demerger/Bharati-ICICI/147 dated September 03, 2021 has given approval for demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. by way of scheme of arrangements, subject to conditions stipulated therein.

Table I.30: Registered Insurers and Reinsurers

Type of Insurer	Public Sector	Private Sector	Total
Life	1	23	24
General	6	20	26
Stand-alone Health	-	5	5
Re-insurers	1	11	12
Total	8	59	67

Note: List of registered insurers/reinsurers is given in Annexure 1.

CYBER LIABILITY INSURANCE

There are rising incidences of cyber-attacks along with a growing number of high profile data breaches. The online exposures for individuals, business organizations, offices and other establishments continue to increase more so in the current pandemic situation. The Authority had, therefore, constituted a working group with a focus to examine the possibility of bringing standardization of Cyber Liability Insurance policy wording.

The Working Group, after conducting wide consultations with various stakeholders, and after internal deliberations concluded that standardization of policy wording is not desirable at this juncture keeping in view of the evolving nature of legislative frameworks in dealing with cyber risk, fast growing digital ecosystem, increasing interconnectedness globally and complexity of IT systems and emergence of new risks. The Authority issued a Guidance document on Product Structure for Cyber Insurance vide circular No. IRDAI/NL/CIR/MISC/242/09/2021 dated September 08, 2021

The main objectives of the guidance document on product structure for Cyber Insurance are:

- a) to enable insurers to evaluate new technologies posing heightened cyber risk, identify protection gaps in the existing products and address the changing needs of market.
- b) to facilitate insurers in developing stand-alone cyber insurance products, specifically designed to address the evolving cyber risks.
- c) to provide a set of recommendations on maximum possible coverages that could be included in the cyber insurance products.
- d) to encourage insurers to adopt best practices and provide additional covers in response to customer needs.
- e) to improve the development of the cyber insurance market with new products and enhance benefits for policyholders.

General insurers who have already developed some cyber insurance products with exclusive coverage for individuals to protect against cyber perils and currently offering the products that mainly focused on commercial business, may review the product structure based on the coverages advocated in the document. Considering the demand for new cyber insurance products due to the dynamic nature of cyber-attacks and novel challenges, the general insurers shall continuously endeavor to design a tailor-made products referring to model policy wordings and guidance provided in the document. The above objectives should be implemented by insurers in a manner that is fair and useful to policyholders.

It may be noted that the model product structure and suggested insurance coverages brought out in the guidance documents are indicative and not intended to be an exhaustive list of requirements.

I.4 POLICIES AND MEASURES TO DEVELOP INSURANCE MARKET

I.4.1 Surety Insurance

The Authority has issued IRDAI (Surety Insurance Contracts) Guidelines, 2022 dated January 03, 2022 to regulate and develop surety insurance business given its unique risk features. The guidelines have come into force with effect from April 01, 2022.

Surety Insurance is a proven risk management mechanism that is useful especially for construction projects. Surety Insurance help provide owners of construction projects with guarantees of success and enhanced reputations. Surety Insurance offers an alternative to Bank Guarantees.

In the backdrop of the on-going growth in new infrastructure projects in India and difficulties faced by the project contractors in availing bank guarantees, IRDAI (Surety Insurance Contracts) Guidelines, 2022 not only seek to aid contractors but also enable the insurers to tap the huge potential of the surety market through prudent underwriting.

I.4.2 Trade Credit Insurance

Considering the evolving credit insurance risk of various sectors and as a response to changing market conditions, the Authority has revised the Trade Credit guidelines, vide IRDAI (Trade Credit Insurance) Guidelines, 2021 dated September 08, 2021. The guidelines have come into force from November 01, 2021.

Trade credit insurance protects businesses against the risk of non-payment for goods and services by buyers. It usually covers a portfolio of buyers and indemnifies an agreed percentage of an invoice or invoices that remain unpaid as a result of protracted

default, insolvency / bankruptcy. It contributes to the economic growth of a country by facilitating trade and helps in improving economic stability by addressing the trade losses due to payment risks.

Considering the risk exposure of various stake holders in a trade credit transaction and keeping in view the practical underwriting approach and changing trade practices, IRDAI has issued revised Trade Credit Insurance Guidelines, 2021. The revised guidelines enhance the scope of cover and provide support to the credit insurance industry by way of relaxing norms with regard to coverage, buyer underwriting and reinsurance.

The revised guidelines facilitate the insurers:

- a) To offer trade credit insurance covers to suppliers as well as licensed banks, financial institutions and factoring companies, against non-payment of the buyer for the bills discounted/purchased.
- b) To offer trade credit insurance with customized covers to improve businesses for the SMEs and MSMEs, considering the evolving insurance risk needs of these sectors.
- c) To cover the transactions in online trade platforms such as TReDS.
- d) To increase the trade credit insurance coverage net to various buyers including domestic and overseas due to relaxed norms in underwriting and with reinsurance support.

I.4.3 Title Insurance

Title insurance is a form of indemnity insurance that protects a potential owner of a property against financial loss from defects in title to real property.

I

In order to meet the objective of offering basic title insurance covers by the general insurers for legal liabilities of promoters/developers towards defective title of the property, protection for individual buyers for the purchased units in the projects and to facilitate easy marketability of these products, the Authority issued circular dated September 08, 2021 to permit additional product construct and specimen policy wording for the following two new products in addition to the existing products:

(a) Promoter Legal Expenses (Defence Cost) Policy:

This cover will indemnify the insured against legal defence costs only against suits challenging the Title of the project.

(b) Allottee/Individual Buyer Retail Policy:

This cover is designed to indemnify the insured against loss from a defect on title of property. The policy may be opted by the individual buyer and financiers of the property at the time of the possession of the property for protection against any legal suits in future.

The main objectives of new title insurance products are to provide cover to:

- a) promoters/developers preferring to opt for a minimum legal defence cost;
- b) end users i.e. allottees /individual buyers/ financiers at the time of possession/ handing over of the property unit for protection against any legal suits in future.

These two new products will be complementary to existing products and provide options to customers that may improve marketability of title insurance.

Apart from above insurers are also encouraged to design and file similar products, keeping in view the minimum coverage as specified in the given policy wordings.

I.4.4 New Initiatives

From March 2022, various new steps were initiated with a view to achieve insurance for all by 2047. Working groups were formed to suggest any Act/Regulation amendments for promoting orderly growth of the insurance industry and facilitate ease of doing business. Stakeholder engagements through monthly open house, meetings with CEOs of insurers etc. are also being carried out.

I.5 RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES UNDERTAKEN BY THE INSURERS

Notable Research and Development activities carried out by various insurers which are reported to IRDAI are provided below:

I.5.1 Life Insurers

- Digital access of policy transactions and customer service interactions through self-service or digital modes and video guides for products.
- Customer interface design focusing on ease of access, maximise options for assistance, omni-channel and mobile first approach. Smooth onboarding with least documentation by enabling customer to submit income documents by uploading bank statements or by logging in through their internet banking account.
- Mobile apps having calculators with rich User Interface/User Experience accessible without internet.

- Plug and Play platform for partner integrations: Video verification and customer service for partner's customers.
- Simplification of processes by digitalization like pre-filling insurance application with OCR of KYC.
- Chatbot / WhatsApp to assist policyholder in any claim related query and the digital claim registration process and Voice bot on IVR .
- Focused group discussions to understand consumer usage and attitude towards life insurance.
- Surveys amongst digitally savvy young individuals in the age group of 20-25 years to understand their savings habit and investment choice.
- Evaluation of customer loyalty and experience by monitoring through scores.
- Research across customers and dental service providers to understand dental insurance product requirements.
- Study to understand the Mental Health space.
- Integration of products with science-based behavioral change programme on an insurance platform that encourages healthy activity among customers and rewards them for it.

1.5.2 General Insurers

- Mobile App to keep track of vitals such as blood pressure, SpO2(oxygen saturation), heart rate, respiration rate, heart rate variability, and stress level basis a 2-minute face scan using the mobile camera; Mobile app to help customers to understand their calorie intake based on photographs of the food that they are planning to consume.
- Launch of Voice BOT: A Voice BOT solution which uses advanced speech recognition technology to understand long narratives and provide a contextual response for specific use cases such as claims intimation and claims status.
- Chatbot on instant messaging platforms like WhatsApp, Telegram etc. which runs on natural language processing (NLP) based technology that helps provide great conversational experiences to policyholders.
- Text analytics to simplify claims processing which automatically classifies, extracts and enriches data from the documents in the desired format. The policyholder simply needs to scan and upload their documents and extraction of data would happen automatically.
- Mobile application which enables risk engineering team to conduct risk inspections remotely and digitally.
- Remote Sensing Technology and Geographical Information System extensively used for monitoring of crop condition, assessment of yield loss and acreage.



I.6 REVIEW

I.6.1 PROTECTION OF INTERESTS OF POLICYHOLDERS

I.6.1.1 The basic framework for protection of policyholder's interests is contained in the IRDAI (Protection of Policyholder's Interests) Regulations 2017. IRDAI facilitates resolution of policyholder grievances by monitoring the insurers' policy of Grievance Redressal and takes several initiatives towards protecting the interests of the insurance consumers.

In order to provide alternative channels to receive complaints against insurers, IRDAI has set up IRDAI Grievance Call Centre (IGCC). IRDAI has also put in

place the Integrated Grievance Management System (IGMS) as an online system for grievance management that is not only a gateway for registering and tracking grievances online but also act as an industry-wide grievance repository for IRDAI to monitor disposal of grievances by insurance companies.

Complaints on Unfair Business Practices

I.6.1.2 Due to effective supervision and efforts of IRDAI, complaints are under control. The number of Unfair Business Practices (UFBP) complaints registered against private sector life insurers have reduced by about 17 per cent in 2021-22 from previous year and the ratio of UFBP complaints to new policies sold remained at 0.30 per cent in 2021-22.

Table I.31: Complaints on Unfair Business Practices Registered against Life Insurers

Complaints	2020-21			2021-22		
	LIC	Private	Total	LIC	Private	Total
Total No. of complaints on Life Insurers	1,09,631	41,415	1,51,046	1,14,202	40,624	1,54,826
No. of UFBP complaints	3,928	26,746	30,674	3,509	22,207	25,716
Share of UFBP complaints to total complaints (%)	3.58	64.58	20.31	3.07	54.66	16.61
Share of UFBP to new policies sold (%)	0.02	0.37	0.11	0.02	0.30	0.09

UFBP- Unfair Business Practices

Complaints on Spurious calls and Mis-selling

I.6.1.3 Spurious calls in the name of officials of IRDAI/IGMS, various government agencies and other financial institutions is a matter of concern for the insurance industry. IRDAI has issued several public notices, press releases, advertisements in leading TV Channels, newspapers, and directions to insurance companies to caution public against spurious calls etc. at various touch points and in media as well. In order to ensure that all the complaints under mis-selling and spurious calls are

handled as per the laid down policy of the insurance company in all cases, all the life insurers were advised to draw out a company specific policy on handling mis-selling complaints and also a company specific policy on handling spurious calls complaints. All the life insurers have drawn above policies. IRDAI has cautioned the public not to transact with spurious callers in any manner.

I.6.1.4 The analysis of mis-selling complaints data of private life insurers shows that

- Number of mis-selling complaints have reduced from 25,482 in 2020-21 to 23,110 in 2021-22. Incidence of mis-selling complaints per 10,000 policies sold has also reduced over the years.
- The complaints being disposed in favour of complainant has increase from 24 per cent in 2020-21 to 27 per cent over in 2021-22.

Chart I.21: Incidence of Mis-selling Complaints





Chart I.22: Disposal of Mis-selling Complaints



I.6.1.5 On the advice of IRDAI, insurers have also been taking the issue of mis-selling seriously by doing a root cause analysis to identify the major causes and have taken suitable steps to prevent or reduce mis-selling. Some of them are: ascertain suitability of product, place controls on the various channels tuning it based on the vulnerability of the channel and have a strategy on dealing with complaints of mis-selling.

I.6.1.6 The definitive way of reducing mis-selling is to make the members of public aware of the concept of insurance, kinds of insurance policies, risks covered, benefits offered, exclusions, and conditions etc. This is sought to be achieved through various efforts of financial education to improve financial literacy.

Some of the important insurance literacy initiatives taken by IRDAI are:

- **Awareness Campaigns**
IRDAI has been continuously engaged in various insurance awareness campaigns with the aim of equipping the existing and the prospective policyholders with reasonable understanding of their risk coverage needs and for choosing insurance products suitable to meet those needs. This is done through a multi-pronged approach using electronic, print, digital and social media platforms.
- **Implementation of National Strategy for Financial Education**
IRDAI continues to play an active role as a Member of the Core Committee of the National Centre for Financial Education (NCFE), an institution comprising representatives of all the financial sector regulators in India with an aim to implement the National Strategy for Financial Education (NSFE) 2019-2024.
- **Adoption of Districts**
To further the cause of financial inclusion through insurance, IRDAI has advised

I insurance companies to adopt districts for spreading insurance literacy and for coverage of families based on their insurance needs. The aspirational districts identified by the NITI Aayog are indicated as the target areas for the campaigns. There has been a slowdown in the initiative due to the pandemic but the industry is now gearing up to take it forward in the right earnest. Based on the outcome of the campaigns, the feasibility of rolling out the campaigns in other districts of the country, would be examined.

I.6.2 MAINTENANCE OF SOLVENCY MARGINS OF INSURERS

I.6.2.1 Every insurer is required to maintain a Required Solvency Margin as per Section 64VA of the Insurance Act, 1938. Every insurer shall maintain an excess of the value of assets over the amount of liabilities of not less than amount prescribed by the IRDAI, which is referred to as a Required Solvency Margin. The IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016 and the IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 describe in detail the method of computation of the Required Solvency Margin.

Solvency Ratio of Life Insurers

I.6.2.2 At the end of March 2022, all 24 life insurers complied with the stipulated solvency ratio of 1.5. Insurance company wise solvency ratio for life insurers is provided in Statement 15.

Solvency Ratio of General and Health Insurers

I.6.2.3 As at March 31, 2022, 25 out of 26 private sector general insurers including the standalone health insurers have complied with the stipulated Solvency Ratio of 1.50. The business portfolio of Reliance Health Insurance Ltd. was transferred to

Reliance General Insurance Co. Ltd vide IRDAI Order IRDA/F&A/ORD/SOLP/200/11/2019 dated November 06, 2019.

For computation of solvency ratio as on March 31, 2022, three public sector general insurance companies viz. National, Oriental and United have been granted forbearance of 75 per cent of Fair Value Change Account as on March 31, 2022. Further, all the four public sector general insurance companies have been allowed to amortise their pension liability towards OMOP over a period not exceeding five years from financial year 2019-20.

Solvency Ratio of Reinsurers

I.6.2.4 General Insurance Corporation of India reported a solvency ratio of 1.96 as on March 31, 2022. All foreign reinsurance branches have reported solvency margin above 1.50 as on March 31, 2022.

Insurance company wise solvency ratio for general, health and reinsurance companies is provided in Statement 16 and solvency ratio of branches of foreign reinsurers is provided in Statement 17.

I.6.3 MONITORING OF REINSURANCE

Indian Reinsurers

I.6.3.1 As at March 31, 2022, there is only one Indian Reinsurer registered with the Authority, namely General Insurance Corporation of India (GIC Re). GIC Re has been providing re-insurance support to direct insurers in India and foreign insurers/re-insurers. The Corporation's reinsurance program has been designed to meet the objectives of optimizing retention within the country, ensuring adequate coverage for cedants' exposure at reasonable cost and developing technical expertise and adequate financial capacities within the domestic market.

GIC Re is also managing the Nuclear Pool and Terrorism Pool. It receives obligatory cessions on

each and every policy issued by domestic general insurers subject to certain limits and leads most of the treaty programs and facultative programs of these insurers. This obligatory cession for 2021-22 is five per cent.

Foreign Reinsurance Branches

1.6.3.2 With the view to make India a Reinsurance hub, the Insurance Law (Amendment) Act, 2015 has allowed Foreign Reinsurers and the Society of Lloyd's to open their Branches in India to transact reinsurance business in India. As on March 31, 2022, there are 11 Foreign Reinsurance Branches (FRBs) including Lloyd's operating in India. Lloyd's India is operating through one Service Company. These FRBs are branches of prominent reinsurers across the world with rich experience and expertise.

Assigned capital of FRBs is provided in Statement 18.

The details of reinsurance business booked by these FRBs are as under:

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Gross RI Premium Income- Indian Business (₹crore)	5,996.40	9,444.61	12,585.59	14,323.30	17,962.11

Thus, these FRBs are helping to retain the premium within India and develop reinsurance capacity in India. The FRBs have to adhere to IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of foreign reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 and Lloyd's and its service companies have to adhere with IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016 and any other circulars/guidelines issued from time to time by the Authority in this regard.

Cross Border Reinsurers

1.6.3.3 "Cross Border Reinsurers" (CBR) are the reinsurers, who do not have any physical presence in India but carry on reinsurance business with Indian insurers. The Authority, under provisions of Insurance Act, 1938 has issued guidelines on "Cross Border Reinsurer". These guidelines are effective

from January 22, 2021. The Authority regulates the re-insurance business placement by Indian insurers/re-insurers with Cross Border Reinsurers (CBRs) as per IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018.

The CBRs are provided with a Filing Reference Number (FRN) by the Authority, which is valid for one financial year, enabling the CBR to transact reinsurance business with Indian insurers/reinsurers. In the year 2021-22, 290 CBRs participated in Indian reinsurance business as against 332 CBRs in the year 2020-21.

Appraisal of Reinsurance Business

1.6.3.4 Reinsurance is being done by Indian reinsurer, FRBs and CBRs. Out of the gross reinsurance premium of ₹61,337 crore in the year 2021-22 by Indian reinsurer and FRBs, Indian business accounted for about 75 per cent and foreign business accounted for the remaining. Out of the total Indian business of ₹45,981 crore in the year 2021-22, GIC Re accounted for about 61 per cent and remaining by FRBs.

Gross Reinsurance Premium of Reinsurers including FRBs is provided in Statement 19.

Retention and Reinsurance Placement

1.6.3.5 In 2021-22, reinsurance premium placed by general insurers within and outside India remained 20.16 per cent and 7.99 per cent of gross premium respectively. Net retention of general insurers increased from 70.82 per cent in 2020-21 to 71.85 per cent in 2021-22.

Chart I.23: Gross Reinsurance Premium of Indian Reinsurer and FRBs




Table I.32: Reinsurance Placement by General and Health Insurers

(₹crore)

Segment	Reinsurance premium placed within India		Reinsurance premium placed outside India	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Fire	9,734.68	10,797.82	4,662.69	5,268.62
	45.28	46.11	21.69	22.50
Marine Cargo	493.37	604.87	333.02	467.70
	19.57	18.47	13.21	14.28
Marine Hull	403.36	410.26	454.54	371.70
	37.28	38.42	42.01	34.81
Motor	8,125.10	8,050.45	252.49	566.62
	12.46	11.33	0.39	0.80
Aviation	431.83	449.17	303.44	365.02
	51.77	45.20	36.38	36.73
Engineering	1,255.56	1,521.33	631.53	808.08
	39.78	40.76	20.01	21.65
Other Misc.	24,483.92	23,533.36	7,350.57	10,144.01
	22.75	19.37	6.83	8.35
Total	44,927.82	45,367.26	13,988.26	17,991.75
	22.25	20.16	6.93	7.99

Note: First row across each segment shows the absolute figures whereas second row shows percentage of gross premium

Table I.33: Net Retention of General and Health Insurers

(As a Per cent of Gross Premium)

Segment	Public Sector		Private Sector		Total	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Fire	46.68	43.68	23.73	23.57	33.03	31.39
Marine Cargo	72.54	72.40	64.52	64.98	67.22	67.26
Marine Hull	24.06	31.50	3.00	2.33	20.71	26.77
Motor	94.52	94.64	83.07	84.88	87.15	87.87
Engineering	54.72	51.86	23.47	22.53	40.22	37.59
Aviation	10.82	18.67	15.69	15.79	11.85	18.07
Other Misc.	80.60	80.15	61.69	65.55	70.42	72.29
Total	79.20	78.29	64.64	67.43	70.82	71.85

Insurance Pools

Terrorism Pool

1.6.3.6 The Indian market terrorism risk insurance pool was formed with the initiative of all non-life insurers in India in April 2002, after terrorism cover was withdrawn by international reinsurers post 9/11 incident and is administered by GIC Re. The Pool is applicable to insurance of terrorism risk covered under property insurance policies, including cover to dwellings and fixed assets in multiple locations. The Pool's premium income for 2021-22 was ₹1,226.80 crore as against ₹516.60 crore in 2020-21. The claims paid by the Pool during 2021-22 were ₹2.4 crore. No major losses were reported to the Pool during 2021-22.

Nuclear Pool

1.6.3.7 The enactment of Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 mandates protection of unknown and potentially catastrophic risk arising out of nuclear event. Generally, nuclear perils are excluded from conventional insurance covers as it requires a large insurance capacity. Therefore, to protect the liability arising out of nuclear perils, Indian Nuclear Insurance Pool (INIP) was formed in 2015 which is also managed by GIC Re. The pool will provide coverage to nuclear operators in the country and also to nuclear suppliers. The Pool's

premium income for 2021-22 has been same as previous year i.e. ₹103.50 crore. No claim has been paid by the pool during the year 2021-22.

Share of members in Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool and Nuclear Insurance Pool in the year 2021-22 is provided in Annexure 2.

1.6.4 MONITORING INVESTMENTS OF THE INSURERS

1.6.4.1 Insurers have been mandated to follow the pattern of investment, as required under IRDAI (Investment) Regulations 2016. Details of investments by Life, General, Health and Reinsurance companies as on March 31, 2022 are as under:

Total Investments of the Insurance Sector

1.6.4.2 As on March 31, 2022, the investments made by the insurance industry stood at ₹54.37 lakh crore as against ₹49.13 lakh crore as on March 31, 2021 registering an increase of 10.65 per cent. The share of life insurers stood at 91.09 per cent, general insurers including specialized insurers and Stand-alone Health Insurers (SAHI) constituted 7.10 per cent and reinsurers including branches of foreign reinsurers constituted 1.81 per cent as on March 31, 2022. The share of PSUs stood at 72.19 per cent and private sector constituted 27.81 per cent in the same period.

Table I.34: Total Investments of the Insurance Sector

(As on March 31)

(₹Crore)

Sector	Life Insurers		General and Health Insurers		Reinsurers		Total	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Public	33,97,832 (10.65)	36,79,475 (8.29)	1,58,703 (16.44)	1,67,993 (5.85)	68,799 (17.09)	77,349 (12.43)	36,25,333 (11.01)	39,24,816 (8.26)
Private	10,82,142 (32.06)	12,72,712 (17.61)	1,90,067 (21.92)	2,18,214 (14.81)	15,733 (34.33)	20,985 (33.38)	12,87,942 (30.49)	15,11,911 (17.39)
Total	44,79,973 (15.16)	49,52,187 (10.54)	3,48,770 (19.37)	3,86,206 (10.73)	84,532 (19.96)	98,334 (16.33)	49,13,275 (15.53)	54,36,727 (10.65)

Note:

1. Figures in brackets represent growth in percentage over the previous year
2. Reinsurers included Branches of Foreign Reinsurers

Investments of Life Insurers

I.6.4.3 The total funds of life insurers as on March 31, 2022 was ₹49.52 lakh crore, of which about 88 per cent was from traditional products and balance from ULIP products. Out of the total investments,

Life fund contributed about 65 per cent and remaining by Pension and General Annuity & Group fund and Unit Linked Fund (ULIP).

Life insurance company-wise investments are provided in Statement 20.

Table I.35: Investments of Life Insurers


(As on March 31)

(₹Crore)

S.No.	Category	2021	2022
A	Traditional Products		
1	Central Government Securities	16,71,268 (42.23)	18,95,074 (43.46)
2	State government and other approved securities	10,43,770 (26.38)	10,79,100 (24.75)
3	Housing and Infrastructure	4,16,718 (10.53)	3,94,524 (9.05)
4	Approved Investments	6,80,935 (17.21)	8,36,597 (19.19)
5	Other Investments	1,44,452 (3.65)	1,55,341 (3.56)
	Total (1+2+3+4+5)	39,57,144 (100.00)	43,60,637 (100.00)
B	ULIP Funds		
6	Approved Investments	4,75,204 (90.89)	5,25,205 (88.78)
7	Other Investments	47,626 (9.11)	66,346 (11.22)
	Total (6+7)	5,22,830 (100.00)	5,91,550 (100.00)
	Grand Total (A+B)	44,79,973	49,52,187

Note: Figures in brackets are percentage to total

Chart I.24: Investment of Life Insurers: Fund wise
(As on March 31, 2022)



Investments of General, Health and Reinsurance Companies

I.6.4.4 Total investments made by the general, health and reinsurance companies was ₹4.85 lakh crore as on March 31, 2022 registering 11.83 per cent growth from previous year. During the period, general, health and reinsurance companies have invested about 50 per cent of their investment majorly in Central, State Government and other approved securities and about 24 per cent in approved investments.

General, Health and Reinsurance company-wise investment details are provided in Statement 21.

Table I.36: Investments of General, Health and Reinsurance Companies

(As on March 31)

(₹crore)

Category	General and Health Insurers		Reinsurers		Total	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Central Government Securities	91,089 (26.12)	1,03,130 (26.70)	29,445 (34.83)	36,037 (36.65)	1,20,533 (27.82)	1,39,166 (28.72)
State government and other approved securities	69,585 (19.95)	83,491 (21.62)	18,392 (21.76)	21,154 (21.51)	87,977 (20.30)	1,04,645 (21.60)
Housing and Loans to State Govt. for Housing & FFE	28,404 (8.14)	31,122 (8.06)	6,263 (7.41)	7,347 (7.47)	34,667 (8.00)	38,470 (7.94)
Infrastructure Investments	57,572 (16.51)	58,402 (15.12)	8,359 (9.89)	9,779 (9.94)	65,931 (15.22)	68,181 (14.07)
Approved Investments	92,098 (26.41)	96,625 (25.02)	17,968 (21.26)	20,088 (20.43)	1,10,066 (25.40)	1,16,713 (24.09)
Other Investments	10,023 (2.87)	13,437 (3.48)	4,105 (4.86)	3,928 (3.99)	14,128 (3.26)	17,365 (3.58)
Total	3,48,770 (100.00)	3,86,206 (100.00)	84,532 (100.00)	98,334 (100.00)	4,33,301 (100.00)	4,84,540 (100.00)

FFE: Fire Fighting Equipment

Note :

1. Figures in brackets are percentage to total

2. Reinsurers included Branches of Foreign Reinsurers

I.6.5 HEALTH INSURANCE

A. Health Insurance Business of General and Health Insurers

Health Insurance Premium

I.6.5.1 During the year 2021-22, General and Health insurance companies collected ₹73,052 crore as health (excluding Personal Accident and Travel) insurance premium registering a growth of about 25 per cent over the previous year.

Table I.37: Health Insurance Premium Underwritten by General and Health Insurers
(₹crore)

Insurer	2020-21	2021-22
Public Sector Insurers	27,228.20 (10.54)	32,942.86 (20.99)
Private Sector Insurers	15,875.09 (28.12)	20,107.23 (26.66)
Stand-alone Health Insurers	15,134.56 (10.18)	20,001.43 (32.16)
Total	58,237.86 (14.74)	73,051.52 (25.44)

Note:

- Figures in bracket indicates growth (in per cent) over previous year.
- The data does not include the detail of health insurance business carried-out in foreign countries.
- Premium is excluding of Personal Accident and Travel Insurance Business
- Data as per the Health returns submitted by Insurers

Chart I.25: Sector-wise Share in Premium of Health Insurance (2021-22)





Table I.38: Policies, Lives Covered and Premium under Health Insurance Business of General and Health Insurers

Class of Business	No. of Policies (lakhs)		No. of Lives Covered (lakhs)		Gross Premium (₹crore)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Government Sponsored Business	0.001 (-53.50)	0.001 (0.00)	3,429.14 (-5.26)	3,065.08 (-10.62)	4,290.00 (-12.82)	6,075.87 (41.63)
Group Business	9.09 (19.49)	7.00 (-36.30)	1,186.95 (26.92)	1,622.88 (36.73)	28,108.09 (8.61)	36,890.58 (31.25)
Individual Business	228.30 (32.95)	219.25 (-3.96)	531.39 (22.94)	516.23 (-2.85)	25,839.77 (29.48)	30,085.07 (16.43)
Total	237.39 (32.38)	226.25 (-5.20)	5,147.47 (3.22)	5,204.19 (1.10)	58,237.86 (14.74)	73,051.52 (25.44)

Note: Figures in bracket indicates growth (in per cent) over previous year.

Chart I.26: Trend in Health Insurance Premium




Policies and Lives Covered under Health Insurance

I.6.5.2 During 2021-22, the General and Health insurance companies have covered 52.04 crore lives under 2.26 crore health insurance policies (excl. policies issued under PA and Travel Insurance).

I.6.5.3 Health insurance business is classified into three classes of business namely Government sponsored, group and individual. In terms of number of lives covered, about 59 per cent of the lives were covered under government sponsored health insurance schemes, about 31 per cent in group business and the remaining about 10 per cent under individual policies issued by general and health insurers. In terms of amount of premium, the share of group business was the highest (50.42 per cent), followed by individual (41.12 per cent) and Government business (8.46 per cent).


Chart I.27: Lives covered and Premium under Health Insurance (2021-22)



State-wise Health Insurance Business

I.6.5.4 While Five States/UT namely Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat and Delhi contributed about 66 per cent of total health insurance premium in 2021-22, the rest of the States/UTs have contributed remaining 34 per cent.

Chart I.28: Share of States in Health Insurance Premium (2021-22)



Claims under Health Insurance

I.6.5.5 The net incurred claims under health insurance business of general and health insurers stood at ₹63,361 crore in 2021-22 reported an increase of about 56 per cent from previous year. There is an increase in Incurred Claims Ratio (ICR) of health business from 94 per cent in 2020-21 to 109 per cent in 2021-22 and increase is witnessed across all classes of health insurance business.

Chart I.29: Net Incurred Claims Under Health Insurance




Table I.39: Incurred Claims Ratio under Health Insurance Business of General and Health Insurers

(in per cent)

Insurer	Govt. Business		Group Business		Individual Business		Total	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Public Sector Insurers	124.67	121.27	104.33	130.33	95.52	117.99	103.61	126.17
Private Sector Insurers	96.53	111.71	89.79	106.19	78.64	102.52	85.78	105.11
Standalone Health Insurers	-1170.91	0.00	79.95	87.73	84.45	79.38	78.09	81.18
Total	120.09	119.82	97.88	118.64	84.69	95.54	93.80	109.12

Note:

1. It is excluding of Personal Accident and Travel Insurance Business
2. Data as per the Health returns submitted by insurers

Chart I.30: Trend in Incurred Claim ratio under Health Insurance: Sector wise





Chart I.31: Trend in Incurred Claim Ratio under Health Insurance: Segment wise



I.6.5.6 During 2021-22, General and Health Insurers have settled 2.19 crore health insurance claims and paid ₹69,498 crore towards settlement of health insurance claims. The average amount paid per claim was ₹31,804. In terms of number of claims settled, 76 per cent of the claims were settled through TPAs and the balance 24 per cent of the

claims were settled through in-house mechanism. In terms of mode of settlement of claims, 59 per cent of total number of claims were settled through cashless mode and another 38 per cent through reimbursement mode. Insurers have settled two per cent of their claims amount through “both cashless and reimbursement mode”.

Table I.40: Claims Paid under Health Insurance Business of General and Health Insurers (2021-22)

Mode of Claim Settlement	TPA		In-House		Total	
	No. (lakhs)	Amount (₹crore)	No. (lakhs)	Amount (₹crore)	No. (lakhs)	Amount (₹crore)
Only Cashless	106.12 (63.69)	24,974.66 (58.25)	23.69 (45.63)	14,554.49 (54.67)	129.81 (59.40)	39,529.15 (56.88)
Only Reimbursement	58.19 (34.93)	17,030.01 (39.72)	25.78 (49.66)	10,703.86 (40.21)	83.97 (38.43)	27,733.88 (39.91)
Both Cashless and Reimbursement	2.05 (1.23)	832.67 (1.94)	0.99 (1.91)	445.35 (1.67)	3.04 (1.39)	1,278.02 (1.84)
Benefit Based	0.24 (0.15)	40.32 (0.09)	1.45 (2.80)	917.11 (3.45)	1.70 (0.78)	957.43 (1.38)
Total	166.61 (100.00)	42,877.67 (100.00)	51.91 (100.00)	26,620.81 (100.00)	218.52 (100.00)	69,498.48 (100.00)

Note: Figures in bracket are per cent to total.

I.6.5.7 During 2021-22, insurers have settled about 86 per cent of total number of claims registered in their books and have repudiated about six per cent

of them and the remaining about eight per cent were pending for settlement as on March 31, 2022.

Table I.41: Status of Claims under Health Insurance Business of General and Health Insurers (2021-22)

(No. in lakhs & Amount in ₹crore)


Claims outstanding at the beginning of the period		New claims registered during the period		Total Claims		Claims paid during the period		Claims disallowed as per terms and conditions of policy contract		Claims repudiated during the period		Claims outstanding at the end of the year	
No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
14.73	5,661.79	240.22	93,840.46	254.95	99,502.24	218.52	69,498.48	-	14,955.09	16.37	9,070.24	20.06	5,978.44
				(100.00)	(100.00)	(85.71)	(69.85)	-	(15.03)	(6.42)	(9.12)	(7.87)	(6.01)

Note: Figures in brackets are percentage to total

B. Health Insurance Business of Life Insurers

Premium, Policies and Lives Covered

I.6.5.8 During the year 2021-22, life insurers collected ₹1,303 crore as health insurance premium as against ₹1,176 crore in 2020-21 registering a growth of 10.85 per cent.



Health Insurance Products Marketed by Life Insurers

I.6.5.9 During 2021-22, life insurers have procured a total premium of ₹777 crore from various health insurance products. While renewal premium contributed about 83 per cent of total premium, New Business contributed the remaining 17 per cent. Life insurers have issued 3.38 lakh new policies covering 4.73 lakh lives, while they renewed 9.50 lakh policies covering 10.02 lakh lives during 2021-22.

Health Insurance Riders attached to Life Insurance Products

I.6.5.10 Riders which are attached to the base products are offered as a value addition to policyholders. Premium of ₹527 crore was procured through health insurance riders attached to life insurance policies during 2021-22. Out of the total premium from these riders, renewals accounted for 56 per cent while the rest 44 per cent was contributed by New Business. During 2021-22, 7.62 lakh health insurance riders were issued along with new life insurance products covering 46.95 lakh lives. During the same period, 24.67 lakh riders attached to life insurance products were renewed which covered 33.79 lakh lives.

Table I.42: Policies, Lives Covered and Premium under Health Insurance Business of Life Insurers

Class of Business	No. of Policies / No. of Riders		No. of Lives Covered ('000)		Gross Premium (₹crore)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Health Insurance Products Marketed by Life Insurers						
New Business						
Group Insurance	92	20	74.79	123.14	15.79	5.56
Individual Business	4,36,811	3,37,806	481.21	349.93	151.16	124.40
Total	4,36,903	3,37,826	556.00	473.08	166.96	129.96
Renewal Business						
Group Insurance	13	5	17.78	7.84	0.99	0.98
Individual Business	9,26,427	9,49,791	1,221.09	994.57	665.56	645.72
Total	9,26,440	9,49,796	1,238.87	1002.41	666.55	646.70
Health Riders Attached to Life Insurance Products						
New Business						
Group Insurance	1,307	159	3,095.23	4,158.39	95.93	143.01
Individual Business	5,91,372	7,61,479	591.23	537.09	58.39	88.62
Total	5,92,679	7,61,638	3,686.46	4,695.48	154.32	231.63
Renewal Business						
Group Insurance	591	1327	820.54	928.87	27.12	53.30
Individual Business	15,63,311	24,66,276	1,544.05	2,450.44	160.88	241.76
Total	15,63,902	24,67,603	2,364.59	3,379.31	188.01	295.06

Claims under Health Insurance Business of Life Insurers

I.6.5.11 During the year 2021-22, life insurers have paid ₹382 crore as claims towards settlement of 41,389 number of claims (81 per cent of total

number of claims registered) with respect of health insurance products. In respect of rider claims, 97 per cent of the claims registered were paid amounting to ₹99 crore by the life insurers towards settlement of 21,282 number of claims.

Table I.43: Status of Claims under Health Insurance Business of Life Insurers (2021-22)

(Amount in ₹crore)

Segment	Claims O/S at the start of year		Claims Reported during the Year		Claims Paid during the Year		Claims Repudiated/ Rejected		Claims O/S at the start of year	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Health Insurance Products	848	30.91	50,383	470.09	41,389	381.83	8,180	69.24	1,662	49.93
Health Insurance Riders	574	8.54	21,218	138.51	21,282	98.84	409	41.35	101	6.86

Personal Accident Insurance

I.6.5.12 During 2021-22, the insurance industry has covered a total of 115.66 crore number of lives under Personal Accident Insurance. It includes 55.95 crore number of lives covered under Government sponsored schemes namely Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and IRCTC travel insurance for e-ticket passengers.

I.6.5.13 During 2021-22, the gross premium income from Personal Accident insurance business was ₹6,914 crore. While private sector general insurers have contributed about 54 per cent of total premium, public sector general insurers and stand-alone health insurers contributed about 35 per cent and 11 per cent of premium respectively. The ICR for this line of business was 60 per cent for the year 2021-22.

Table I.44: Business under Personal Accident Insurance

Insurer	No. of Lives (lakh)		Gross Premium (₹crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Public Sector	5,200.65	5,933.13	1,573.35	2,413.82	116.53	90.29
Private Sector	4,783.92	5,381.25	2,931.79	3,722.47	42.40	44.62
Stand-alone Health	177.24	251.40	594.63	777.91	22.23	24.37
Total	10,161.80	11,565.77	5,099.77	6,914.20	61.66	60.03

Note:

1. The data is inclusive of number of lives covered under IRCTC, PMSBY & PMJDY businesses.
2. The data does not include the details of PA business carried-out in foreign countries.
3. It is to be noted that under IRCTC Scheme, PA cover is offered to railway passengers only for a specified journey undertaken by the passenger and one person may undertake multiple journeys during the reported period. In respect of lives covered in any of PA policy/schemes, one person may have been covered multiple times.

Table I.45: Coverage under Government Sponsored Personal Accident Schemes (2021-22)

Scheme	No. of persons covered (lakh)	Gross Premium (₹crore)
IRCTC	1,694.81	6.56
PMJDY	1,703.19	3.59
PMSBY	2,197.08	262.15
Total	5,595.08	272.30

Travel Insurance

I.6.5.14 During 2021-22, 19.09 lakh lives were covered under 7.75 lakh overseas travel insurance

policies. The gross premium income from overseas travel insurance business for 2021-22 was ₹393 crore. In this line of business, private general insurers are the major players with a market share of about 83 per cent in gross premium. The ICR for this line of business was 66 per cent for the year 2021-22.

I.6.5.15 During 2021-22, the gross premium collected from domestic travel insurance business was ₹137 crore, registering an increase of about 66 per cent over the previous year. The general and health insurers have covered 31.54 crore lives under 0.59 lakh policies.

Table I.46: Business under Overseas Travel Insurance

Insurer	No. of Lives (lakh)		Gross Premium (₹crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Public Sector	0.24	0.20	7.79	11.50	63.95	222.32
Private Sector	7.27	16.85	176.81	325.22	69.36	65.53
Stand-alone Health	0.75	2.04	25.83	56.14	45.96	27.38
Total	8.27	19.09	210.44	392.86	66.35	65.59

Note: The data does not include the details of overseas travel insurance business carried-out in foreign countries.

Table I.47: Business under Domestic Travel Insurance

Insurer	No. of Lives (lakh)		Gross Premium (₹crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Public Sector	0.02	0.00	7.20	0.0007	-	0.00
Private Sector	2,037.66	3,067.10	75.49	105.43	-0.74	18.14
Stand-alone Health	0.05	87.23	0.16	31.70	0.00	105.73
Total	2,037.73	3,154.32	82.85	137.13	-0.74	34.23

Health Insurance Business Underwritten Outside India

I.6.5.16 Public sector general insurers namely New India, National and Oriental Insurance are doing health insurance business in foreign countries.

During the year 2021-22, they procured gross premium of ₹230 crore from health, PA and travel insurance and have covered 8.44 lakh lives. The ICR of for this business carried out outside India is 91 per cent during 2021-22.

Table I.48: Health, PA and Travel Insurance Business Underwritten Outside India

Insurer	No. of lives Covered ('000)		Gross Premium (₹crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
National	40.00	57.80	2.47	2.88	161.62	195.93
New India	1,678.22	764.02	160.62	167.66	70.30	80.32
Oriental	13.31	22.35	3.76	59.77	97.93	117.85
Total	1,731.53	844.17	166.85	230.31	71.71	90.94

I.6.6. SPECIFIED PERCENTAGE OF BUSINESS TO BE DONE IN RURAL AND SOCIAL SECTORS

The IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 stipulated targets of business from rural and social sectors to be fulfilled by insurers on an annual basis.

Life Insurers

I.6.6.1 During the year 2021-22, all 23 life insurers have fulfilled their rural and social sector obligations. M/s Sahara India Life Insurance Co. Ltd. is not considered for this obligations as it was directed by IRDAI not to underwrite new business as per the IRDAI order dated June 23, 2017.

The life insurers underwrote 64.97 lakh policies in the rural sector (i.e. 22.32 per cent as against the stipulated 20 per cent) out of the total 291.13 lakh policies underwritten by them in 2021-22. LIC underwrote 20.73 per cent of the new policies and private insurers underwrote 26.98 per cent of their new individual policies in the rural sector.

The life insurers have covered 4.03 crore lives under social sector i.e. 19.38 per cent as against the stipulation of five per cent. LIC achieved 11.51 per cent and the private sector achieved 22.05 per cent.

General and Health Insurers

I.6.6.2 During 2021-22, all 29 general and health insurers have fulfilled their rural and social sector obligations as stipulated under the Regulations.

The general insurers underwrote a premium of ₹28,282 crore in the rural sector in 2021-22. Public sector and private sector insurers underwrote 26.56 per cent and 73.44 per cent respectively of total gross premium procured in the rural sector.

The five SAHI insurers procured ₹3,258 crore premium in rural sector constituting 15.61 per cent of gross premium procured by them in the year 2021-22 and have covered 89.09 lakh lives under social sector i.e., 15.54 per cent of total lives covered in the previous year.

Motor Third Party Insurance Business Obligations

I.6.6.3 IRDAI (Obligations of Insurers in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015 stipulated minimum obligation of insurers with respect to Motor Third Party Insurance Business on an annual basis.

In the year 2021-22, out of the 24 general insurers, two insurers did not comply with the minimum

obligation with respect to Motor Third Party insurance business. The matter is under examination from the regulatory perspective.

The data for calculating Motor Third Party obligation is published by IRDAI and the same for the year 2022-23 is provided in Annexure 3.

I.6.7 ACCOUNTS AND ACTUARIAL STANDARDS

Accounts

I.6.7.1 The financial statements of insurers are prepared in the form and manner prescribed under the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, amended from time to time and also by various circulars and guidelines issued from time to time. Books of accounts are maintained in order to present various line items as required under these Regulations.

Appointed Actuary System

I.6.7.2 To regulate the Appointed Actuary system, the Authority issued IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000 which were superseded by the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017 amended from time to time.

I.6.7.3 The Appointed Actuary is responsible for rendering actuarial advice to the management of the insurer, in particular in the areas of product design and pricing, calculation of technical provisions, insurance contract wording, investments and reinsurance, ensuring solvency of the company and complying with the Authority's directions from time to time.

The Appointed Actuary has access to all the information or documents in possession or under control of the insurer if such access is necessary for the proper and effective performance of the functions and duties of the Appointed Actuary.

I.6.8 DIRECTIONS, ORDERS AND REGULATIONS GIVEN BY THE AUTHORITY

I.6.8.1 The Authority issued a number of directions, orders and circulars during 2021-22, the list of which is placed at Annexure 4. In addition, the list of all regulations notified by the Authority till March 31, 2022 is placed at Annexure 5.

I.6.9 POWERS AND FUNCTIONS DELEGATED BY THE AUTHORITY

I.6.9.1 During the 117th and 118th meeting of the Authority held in the year 2021-22 dated February 09, 2022 and March 28, 2022 respectively, the Authority has delegated some of its powers under the following Regulations, to the Chairman/ Whole Time Members/ other senior officials of the Authority:

- i. IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015
- ii. IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021
- iii. IRDAI (Other forms of capital) Regulations, 2015
- iv. IRDAI (Registration and operations of branch offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015

I.6.10 OTHER POLICIES AND PROGRAMMES HAVING BEARING ON THE WORKING OF THE INSURANCE MARKET

A. Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) Programme

AML/CFT Guidelines

I.6.10.1 Empowered by the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) and the rules framed there under, the AML/CFT guidelines (the guidelines) to the insurance sector were first issued in March 2006. Since then the insurance sector has been working towards an effective AML/CFT regime in

India. The guidelines emphasize the importance of the customer due diligence processes, reporting obligations and record keeping requirements as required under the PMLA.

I Insurers have laid down systems and processes towards implementation of various requirements under the broad oversight of their board through the audit committee. There is a regular review of the effectiveness of the systems through the insurer's internal audit/inspection departments. Compliance with the guidelines is also monitored by IRDAI through both on-site and off-site processes.

I.6.10.2 A consolidated circular on various stipulations/requirements of AML/CFT framework, as applicable to general insurers was issued in February 2013. Through this circular, insurers have been advised to apply the AML/CFT requirements based on their risk assessment of each of the product's profile.

I.6.10.3 Pursuant to amendment of PML (Maintenance of Records) Rules, 2005 in 2013 by Central Government, IRDAI master circular on AML/CFT issued in 2010 for Life Insurers was revised in line with amendments. The revised Master Circular was issued on September 28, 2015.

I.6.10.4 IRDAI is in active coordination with various agencies/departments in ensuring effective implementation of AML/CFT regime in India and is part of the Working Group for National Risk Assessment (NRA) on AML/CFT constituted by the Department of Revenue. IRDAI is also part of the Core Working Group (CWG) constituted by the Department of Economic Affairs (FATF Cell) for implementation of revised recommendations of FATF.

In addition, IRDAI is also actively associated with the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), a FATF style regional body.

Department of Revenue, MoF, GoI formed an Inter-Ministerial Co-ordination Committee (IMCC) and subsequently Joint Working Group (JWG) of which IRDAI is a member. The main aim of aforementioned Committees /group is to co-operate / consult/ develop/ implement matters related to anti-money laundering or countering the financing of terrorism laws, regulations and guidelines among the Government, law enforcement agencies, FIU-IND and the regulators. IRDAI is reporting to the concerned Ministry the preparedness of the insurance sector against the applicable FATF recommendations.

Operationalization of Central KYC Records Registry

I.6.10.5 In order to facilitate Banks/Financial Institutions with KYC related information of customers so as to avoid multiplicity of undertaking KYC by Banks/Financial Institutions each time a customer avails any financial product/service, Hon'ble Finance Minister announced in the Union Budget 2012-13 that a Central Know Your Customer (KYC) depository will be developed to avoid multiplicity of registration of KYC data.

As per the 2015 amendment to PML (Maintenance of Records) Rules, 2005, every reporting entity shall within 10 days of the establishment of client based relationship file the electronic copy of the client's KYC records with the Central KYC Records Registry (CKYCR).

IRDAI vide circular dated July 12, 2016 advised insurers to upload the KYC records of individual policyholders to Central KYC Registry. Thereafter, to comply with the extant PML Rules, IRDAI vide circular dated January 22, 2021 advised insurers to:

- i. Upload the KYC records of Legal Entities (LEs) to CKYCR on or after April 01, 2021.

- ii. Communicate the KYC identifier to the respective policyholder in a confidential manner, once generated/allotted by CKYCR.
- iii. Update the existing KYC records periodically.

Guidelines for e-KYC

I.6.10.6 IRDAI has issued a circular on January 29, 2019 advising insurers not to mandatorily seek Aadhaar and PAN/Form 60 from the proposer/policyholder as part of KYC. However, insurers may accept Aadhaar card as one of the documents for establishing identity and/or address of the proposer/policyholder for KYC purpose subject to certain conditions.

In this connection, Department of Revenue/Ministry of Finance dated February 13, 2019, has notified "Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2019". Thereafter, Ministry of Law and Justice has notified "Aadhaar and the other laws (Amendment) Act, 2019" on July 24, 2019 allowing online authentication of Aadhaar only for Banking companies and Telecom industries and offline verification for Insurers under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financials and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. This act also specified that insurers will be allowed to perform online authentication subject to the notification by Central government, on the recommendation of IRDAI and UIDAI.

Accordingly, 29 insurers were notified on April 23, 2020 and 24 insurers were notified on August 19, 2020 to undertake Aadhaar Authentication service of UIDAI under section 11A of PML Act 2002.

I.6.10.7 In order to simplify the process of KYC by leveraging various electronic platforms, IRDAI issued Circular dated September 18, 2020 on "Video Based Identification Process".

B. Right To Information (RTI) Act, 2005

I.6.10.8 During the year 2021-22, the Authority designated the officers of IRDAI, Hyderabad as the Central Public Information Officers (CPIOs) in terms of Section 5(1) of the RTI Act, 2005 and officers in its Delhi and Mumbai Office as the Central Assistant Public Information Officer in terms of Section 5(2) of the RTI Act, 2005. Further, during the same period, First Appellate Authority (FAA) was also designated in terms of Section 19(1) of the RTI Act, 2005 to discharge the functions assigned in terms of the said Section of the RTI Act, 2005.

I.6.10.9 During the year, two training/interactive sessions were organised for CPIOs and Appellate Authority on the provisions of RTI Act, 2005 for effective discharge of duties and responsibilities in accordance with the provisions of the RTI Act, 2005.

I.6.10.10 Further, pursuant to the Sec.4(2), Chapter II of RTI Act, 2005, a Committee of CPIOs and FAA was constituted to identify and review periodically, the categories of information frequently asked by the RTI Applicants and to disclose such information in the public domain.

C. Government Sponsored Socially Oriented Insurance Schemes

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

I.6.10.11 Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) is a one-year Group Term Life insurance scheme designed by the Government of India. It is available to people in the age group of 18 to 50



years having a bank account who give their consent to join / enable auto-debit. The life cover of ₹2 lakh shall be for the one-year period stretching from 1st June to 31st May and is auto-renewable every year thereafter. The premium was ₹330 per annum for policy year 2021-22. The scheme is being offered by LIC and 13 other life insurers.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

I.6.10.12 The Scheme is available to people in the age group 18 to 70 years with a bank account who give their consent to join / enable auto-debit on or before 31st May for the coverage period 1st June to 31st May on an annual renewal basis. The risk coverage under the scheme is ₹2 lakh for accidental death and full disability and ₹1 lakh for partial disability. The premium was ₹12 per annum for policy year 2021-22. The scheme is offered by general insurance companies who are having tie up with banks for this purpose.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS)

I.6.10.13 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) were launched in the year 2016 with the aim of supporting production in agriculture by providing an affordable crop insurance product to ensure comprehensive risk cover for crops of farmers against all non-preventable natural risks from pre-sowing to post-harvest stage. RWBCIS uses weather parameters as “proxy” for crop yields in compensating the cultivators for deemed crop losses. The schemes are being administered by Ministry of Agriculture.

PMFBY and RWBCIS have been revamped to address the existing challenges in implementation of crop insurance schemes in February 2020. The revamped scheme of PMFBY and RWBCIS is effective from Kharif 2020 season.

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)

I.6.10.14 To protect elderly persons aged 60 years and above against a future fall in their interest income due to the uncertain market conditions, as also to provide social security during old age, Government of India launched a simplified scheme of assured pension called the Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) in 2017. As per the terms and conditions under this plan, guaranteed rates of pension for policies sold during a year will be decided at the beginning of each year by Ministry of Finance, Government of India. The scheme is being implemented through Life Insurance Corporation of India.

The Government of India has introduced PMVVY with modified rate of pension under this plan in May 2020 and extended the period of sale of this plan for a further period of three years from FY 2020-21 till March 31, 2023. For the FY 2021-22, the Scheme provided an assured pension of 7.40 per cent per annum payable monthly, for the policy term of 10 years for the policies purchased till March 31, 2022.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

I.6.10.15 Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana program under the National Mission for Financial Inclusion was launched in the year 2014. It envisages universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension. Later, the Government extended the comprehensive PMJDY program with the modification in the accidental insurance cover wherein accidental insurance cover for new RuPay card holders raised from existing ₹1 lakh to ₹2 lakh to new PMJDY accounts opened after August 28, 2018.

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)

I.6.10.16 Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) is a flagship scheme of Government of India under Ayushman Bharat scheme, was launched on September 23, 2018. The scheme provides a health cover of ₹5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to poor and vulnerable households. The scheme is fully funded by the Government and cost of implementation is shared between the Central and State Governments.

BIRD'S EYE VIEW OF INSURANCE SECTOR

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particular	2019-20			2020-21			2021-22		
		Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total
1	Number of insurance companies	24	33	57	24	32	56	24	31	55
2	Number of offices	11,310	11,394	22,704	11,060	11,248	22,308	11,060	10,775	21,835
3	Insurance penetration (%)	2.82	0.94	3.76	3.2	1.0	4.2	3.2	1.0	4.2
4	Insurance density (\$)	58	19	78	59	19	78	69	22	91
5	Number of new policies issued (lakh)	288.47	2415.09	2,703.56	281.27	2467.33	2,748.60	291.13	2,656.70	2,947.83
6	Total Premium	5,72,910.19	1,92,192.59	7,65,102.78	6,28,731.04	2,02,082.30	8,30,813.34	6,92,614.14	2,24,002.82	9,16,616.96
	i. Within India	5,72,531.93	1,88,916.62	7,61,448.55	6,28,330.70	1,98,714.72	8,27,045.42	6,92,194.44	2,20,700.21	9,12,894.65
	ii. Outside India	378.26	3,275.97	3,654.23	400.34	3,367.58	3,767.92	419.70	3,302.61	3,722.31
7	Growth in Premium (%)	12.75	11.43	12.41	9.74	5.15	8.59	10.16	10.85	10.33
8	Premium of PSUs	3,79,389.60	76539.05	4,55,928.65	4,03,286.55	75,211.29	4,78,497.84	4,28,024.97	78,335.45	5,06,360.42
9	Market share of PSUs (%)	66.22	39.82	59.59	64.14	37.22	57.59	61.80	34.97	55.24
10	Assets Under Management	38,90,274.09	3,62,655.67	42,52,929.76	44,79,973.46	4,33,301.36	49,13,274.82	49,52,187.17	4,84,540.21	54,36,727.39
11	Paid-up Capital	28,087.96	21,360.73	49,448.69	28,346.37	32,842.24	61,188.61	35,546.75	37,855.09	73,401.83
12	Other Forms of Capital	230.00	4,875.00	5,105.00	2,210.00	4,875.00	7,085.00	4,194.00	5,151.00	9,345.00
13	Commission expenses	31,192.52	13,893.13	45,085.65	32,994.08	15,409.50	48,403.58	35,887.31	16,931.10	52,818.41
14	Operating expenses	60,121.00	35,844.93	95,965.93	61,422.29	38,281.44	99,703.73	71,435.02	41,455.29	1,12,890.31
15	Claims	3,51,466.70	1,08,390.26	4,59,856.49	3,98,772.47	1,11,549.83	5,10,322.30	5,02,096.92	1,40,565.96	6,42,662.88
16	Income from investments	2,33,743.74	28,605.52	2,62,349.26	4,66,030.35	29,743.55	4,95,773.90	4,16,711.62	32,546.49	4,49,258.11
17	Profit after tax	7,728.30	-1,494.38	6,233.92	8,660.63	3,852.53	12,513.16	7,751.49	-2,856.93	4,894.56
18	Dividend paid	3,890.03	1,306.21	4,949.04	615.35	1,001.06	1,616.41	381.53	1,010.05	1,391.58

Note:

1. Non-life includes data of General & Stand-alone health insurers.
2. For life insurers claim indicates benefit paid and for non-life insurers, claims indicate net incurred claims.
3. AUM of Non-Life insurers include AUM of reinsurers including FRBs.
4. PSUs indicates LIC and 4 PSGICs.

II

REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

PART II: REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

II.1 REGULATION OF INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES

During the year under review, the Authority has brought out changes in the regulatory stipulations for the purpose of orderly growth of the insurance sector. In the year 2021-22, the following five regulations were framed/amended under the IRDA ACT, 1999. They are

- i. IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021
- ii. IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021
- iii. IRDAI (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021
- iv. IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) (First Amendment) Regulations, 2021
- v. IRDAI (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021

The brief descriptions of the above regulations are:

II.1.1 IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021

With a view to enable the completion of experiment of the existing sandbox proposals and also to allow new sandbox proposals for experiment, validity of the IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019 is extended for a further period of two years by IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide gazette notification dated April 07, 2021.

II.1.2 IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021

The Authority has notified IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021

on April 09, 2021 to ensure that the advertisements of insurance are relevant, fair and in simple language enabling informed decision making by customers. The Regulations also aim at ensuring all insurers, intermediaries or insurance intermediaries adopt fair, honest and transparent practices while issuing advertisements and avoid practices that tend to impair the confidence of the public.

II.1.3 IRDAI (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021

In case of amalgamation of two or more insurers, in order to protect the interest /rights of shareholders of transferor insurer, the Authority has notified this regulations, which stipulate the compensation payable to the shareholders or members of the transferor insurer. It also provides for methodology for assessment of compensation to shareholders or members and computation of assets and liabilities.

II.1.4 IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) (First Amendment) Regulations, 2021

The amended regulations provide for the manner in which the premium and unearned premium reserve should be recognized by insurers carrying on general insurance business. The regulations also provide for the basis and disclosure of premium, premium received in advance and unallocated premium in the financial statements.

The amendments also bring clarity with regard to the basis and disclosure for Unearned Premium Reserve.

The regulations were notified on May 05, 2021 and came into force from April 01, 2022.

II.1.5 IRDAI (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021

The Government of India had increased the limit of Foreign Direct Investment (FDI) in insurance industry from 49 per cent to 74 per cent through Finance Act, 2021. The Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 were also amended in view of the increase in FDI limit in insurance.

In line with the Government decision, the following four regulations were required to be amended:

- i. IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000;
- ii. IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015;
- iii. IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies Transacting Life Insurance Business) Regulations, 2015; and
- iv. IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies Transacting other than Life Insurance Business) Regulations, 2015.

In view of the above, the Authority had notified IRDAI (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021 on July 07, 2021 through which the above four regulations had been amended.

Some additional stipulations have been introduced in the regulations wherein, the requirement of Resident Indian Citizenship for Directors and Key

Management Persons has been introduced. Further, the amended regulations provide that all insurers shall ensure and confirm compliance of the stipulations to the Authority.

II.2 INSURANCE AGENTS AND INTERMEDIARIES ASSOCIATED WITH INSURANCE BUSINESS

II.2.1 Insurance Agents

The Insurance Companies appoint individual agents in accordance with Section 42 of Insurance Act 1938 to solicit or procure insurance business. Insurance Agents also provide services relating to continuance, renewal or revival of policies of insurance. Insurance Agents can provide services for one life insurer, one general insurer, one health insurer and one each of the specialized insurers.

Insurance Agents Associated with Life Insurers

II. 2.1.1 The number of individual agents of life insurers as at March 31, 2022 showed a marginal decline of 0.51 per cent over the previous year. While the private life insurers recorded a growth of 1.35 per cent, LIC recorded a decline of 2.02 per cent.

Out of the total 24.43 lakh individual agents of life insurance industry, 71 per cent are male and 29 per cent are female.

Table II.1: Insurance Agents Associated with Life Insurers

Insurer	As on March 31, 2021	Appointment during 2021-22	Termination during 2021-22	As on March 31, 2022
LIC	13,53,808	3,61,615	3,88,991	13,26,432
Private Sector	11,01,269	3,22,078	3,07,170	11,16,177
Total	24,55,077	6,83,693	6,96,161	24,42,609

Table II.2: Gender-wise Distribution of Agents Associated with Life Insurers (2021-22)

Insurer	Male	Female	Total
LIC	9,90,922 (74.71)	3,35,510 (25.29)	13,26,432 (100.00)
Private Sector	7,52,258 (67.40)	3,63,919 (32.60)	11,16,177 (100.00)
Total	17,43,180 (71.37)	6,99,429 (28.63)	24,42,609 (100.00)

Note: Figures in brackets are percentage to total

Insurance Agents Associated with General and Health Insurers

II.2.1.2 Number of agents associated with general and health insurers recorded a growth of 5.56 per cent and 24.83 per cent respectively over the previous year. There are no agents associated with specialized insurers.

Out of the total 6.88 lakh agents of general insurers, 77 per cent are male and 23 per cent are female. Out of the total 9.64 individual agents of Stand-alone health insurers, 72 per cent are male and 28 per cent are female.

Table II.3: Insurance Agents Associated with General and Health Insurers

Insurer	As on March 31, 2021	Appointment during 2021-22	Termination during 2021-22	As on March 31, 2022
Public Sector General Insurers	2,89,350	14,072	3,536	2,99,886
Private Sector General Insurers	3,62,224*	41,555	15,889	3,87,890
General Insurers Total	6,51,574	55,627	19,425	6,87,776
Stand-alone Health Insurers	7,71,906	2,08,558	16,871	9,63,593

*As per the revised data submitted by the insurers

Table II.4: Gender wise Distribution of Agents Associated with General and Health Insurers (2021-22)

Insurer	Male	Female	Total
Public Sector General Insurers	2,41,427 (80.51)	58,459 (19.49)	2,99,886 (100.00)
Private Sector General Insurers	2,90,213 (74.82)	97,677 (25.18)	3,87,890 (100.00)
General Insurers Total	5,31,640 (77.30)	1,56,136 (22.70)	6,87,776 (100.00)
Stand-alone Health Insurers	6,94,511 (72.08)	2,69,082 (27.92)	9,63,593 (100.00)

Note: Figures in brackets are percentage to total

II.2.2 Corporate Agents

Corporate Agents are entities holding a valid certificate of registration issued by the Authority under IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 for solicitation and servicing of insurance business for any of the specified category of life, general or health. Corporate

Agents can represent three life insurers, three non-life insurers and three stand-alone health insurers.

As on March 31, 2022, there were 602 active Corporate Agents, out of which there are 253 banks, 349 NBFCs/ Cooperative Societies / Limited Liability Partnership Firms and other eligible firms.

Table II.5: Corporate Agents Associated with Insurance Business (As on March 31, 2022)

Category	Banks	NBFCs and Others	Total
Life	15	23	38
General	12	34	46
Health	0	0	0
Composite	226	292	518
Total	253	349	602

II.2.3 Insurance Brokers

II.2.3.1 The number of registered brokers is 708 as on March 31, 2022. Out of this, the valid brokers stood at 562 and remaining 146 are not in force as on March 31, 2022. The 562 valid brokers comprise of 494 direct brokers, 63 composite brokers and five reinsurance brokers.

II.2.3.2 Total 76 new Certificate of Registrations (CoR) were issued during the period from April 01, 2021 to March 31, 2022 out of which 74 were direct insurance brokers, one composite insurance broker and one reinsurance broker. During the period, 166 insurance broker registrations were renewed.

II.2.4 Micro Insurance Agents

II.2.4.1 The Authority reviewed the Micro Insurance Regulations, 2005 and notified IRDAI

(Micro Insurance) Regulations, 2015 permitting several more entities like RBI regulated NBFC-MFIs, District Cooperative Banks, Regional Rural Banks, Urban Co-operative Banks, Business Correspondents (BCs), Primary Agricultural Cooperative Societies (PACs) and other Cooperative Societies to be appointed as Micro Insurance agents facilitating better penetration of Micro Insurance business. The Regulations also included additional policyholder protection measures.

Micro Insurance in Life Insurance Sector

II.2.4.2 Eighteen life insurers are offering micro insurance products in India. There are 38 micro insurance products of which 14 are Individual products and the remaining 24 are Group products (Annexure 6).

Table II.6: Performance of Micro Insurance Business in Life Insurance Sector (2021-22)

Insurer	Individual New Business		Group New Business		
	Policies (Lakh)	Premium (₹Crore)	Schemes	Premium (₹Crore)	Lives covered (Lakh)
LIC	7.32	257.92	1,574	67.36	54.97
Private sector	1.45	39.22	218	5,981.52	1,265.76
Total	8.77	297.14	1,792	6,048.88	1,320.73

Note: New business premium includes first year premium and single premium

II.2.4.3 The number of micro insurance agents as at March 31, 2022 stood at 99,961 of which 80 per cent agents pertained to private sector life insurers. Out of the total Micro Insurance agents, NGOs,

SHGs, MFIs and Business Correspondents constitute six per cent and remaining 94 per cent is other MI Agents majorly consisting of CSCs.

Table II.7: Micro Insurance Agents of Life Insurers

Agents	LIC	Private Sector	Total
NGOs	5,094 (25.75)	82 (0.10)	5,176 (5.18)
SHGs	274 (1.39)	15 (0.02)	289 (0.29)
MFIs	228 (1.15)	38 (0.05)	266 (0.27)
Business Correspondents (BCs)	103 (0.52)	50 (0.06)	153 (0.15)
Other MI Agents	14,081 (71.19)	79,996 (99.77)	94,077 (94.11)
Total	19,780 (100.00)	80,181 (100.00)	99,961(100.00)

Note: Figures in brackets are percentage to total

Micro Insurance in General and Health Insurance Sector

II.2.4.4 General micro insurance products cover health insurance, cover for belongings, such as, hut, livestock or tools or instruments, personal accident either on individual or group basis. The types of Micro Insurance product offered by the general insurance companies are Cattle Micro Insurance Policy, Kisan Agriculture Pumpset Micro Insurance Policy, Janata Personal Accident Sukshma Bima Policy, Silkworm Sukshma Bima Policy, Sheep & Goat Micro Insurance Policy, Sampoorna Griha Suraksha Policy etc. These products are targeted at the low income segment of the population. The Authority has permitted Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) covering non-loanee farmers, to be solicited and marketed by Micro Insurance Agents under IRDAI (Micro Insurance) Regulations, 2015.

Further, general insurance policies issued to Micro, Small and Medium Enterprises as classified in MSMED Act, 2006 under various lines of general insurance business will also qualify as general Micro Insurance business up to ₹10,000 premium per annum per MSM enterprise.

II.2.4.5 Details of general insurance policies issued by Micro Insurance Agents in the year 2021-22 are as follows:

Number of Policies Issued		
Private Sector	Public Sector	Total
1,11,995	28,701	1,40,696

Note: Data does not include Micro Insurance policies issued by Stand-alone Health Insurers

II.2.5 Insurance Marketing Firm

II.2.5.1 Insurance Marketing Firm (IMF) is registered by the Authority under IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015. The registration is district-wise, and the IMFs are allowed to opt for a maximum of three districts within a state. The IMFs are allowed to deal with two insurance companies each in different lines of business, i.e. Life Insurance, General Insurance and Health Insurance in retail space. In addition, the IMFs are also allowed to tie-up with Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) and ECGC Ltd. IMFs are allowed to procure all types of life insurance products, whereas, only retail lines of insurance products are permitted in respect of general insurance.

II.2.5.2 Three interactive sessions were conducted for the IMFs in 2021-22, one each for life, non-life and health insurance. The IMFs were apprised of the various kinds of retail products that can be solicited by them (including standard products), and the sales strategies that can be employed. IMF facilitates a career path to those who pursue. They are permitted to collect premium online. They support inclusive growth.

II.2.5.3 Performance of IMF Channel during the year 2021-22 is as under:

NOCs issued during 2021-22	352
NOCs issued since commencement	2451
Certificate of registrations granted	106
Total registrations as on March 31, 2022	524
Principal Officers (PO) and Insurance Sales Persons (ISP) qualified for soliciting insurance as on March 31, 2022	871 & 1293

Maharashtra, Delhi and Uttar Pradesh States/UTs saw maximum number of IMFs registration during the year.

Policies and premium generated by IMF channel during the year 2021-22:

Insurer	No. of Policies	Premium (₹Crore)
General and Health Insurers (23)	64,592	81.69
Life Insurers (8)	27,767	207.27
Total (31)	92,359	288.96

Note: Figures in brackets are number of insurer placing business with IMFs

II.2.5.4 NITI Aayog launched the 'Transformation of Aspirational Districts' programme in January 2018 with the aim to quickly and effectively transform some of the most underdeveloped districts of the country. Financial inclusion is one of the 49 key performance indicators for measuring the transformation of the districts. In alignment with this vision, the IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) (Amendment) Regulations, 2019 were notified on July 24, 2019. The amendment incentivized prospective applicants to consider aspirational districts as their area of operation by reducing the net worth requirement.

Consequently, a gradual increase is observed in the presence of IMFs in the aspirational districts and 22

IMFs have their presence in aspirational districts as on March 31, 2022.

II.2.6 Common Public Service Centre-SPV

II.2.6.1 The Common Service Centres (CSC) are established under Digital India programme of Government of India and implemented by M/s. CSC e- Governance Services India Limited. The Authority has notified the IRDAI (Insurance Services by Common Service Centers) Regulations, 2015 on October 05, 2015 which is superseded by IRDAI (Insurance Services by Common Public Service Centers) Regulations, 2019 notified on July 30, 2019.

II.2.6.2 Performance of CPSC-SPV channel during the year 2021-22 is as under:

No. of RAP who have undergone training and passed exam and have been issued certificates in 2021-22	10,168
No. of RAP since inception	90,139
No. of VLE-Ins who have undergone training and passed exam and have been issued certificates in 2021-22	1,96,138
Total new business premium procured	₹314 crore
Total renewal premium (Life) collected	₹1460 crore

II.2.7 Web Aggregators

II.2.7.1 IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 was notified on April 13, 2017 with an objective to supervise and monitor the Insurance Web Aggregators. Insurance Web Aggregators are allowed to sell Life, General and Health Insurance products through online and distance marketing modes.

II.2.7.2 Performance of Web Aggregator channel during the year 2021-22 is as under:

Number of certified Insurance Web Aggregator as on March 31, 2022	25
Active insurance Web Aggregators	15
Total number of visitors	5,79,250
Total number of policies issued	83,596
Total premium procured	₹75 crore

II.2.8 Point of Sales Person (POSP)

II.2.8.1 In order to facilitate the growth of insurance business in the country and to enhance insurance penetration and insurance density, the Authority as part of its developmental agenda issued guidelines on “Point of Sales Persons”.

Point of Sales Person or POSP means an individual who possesses the minimum qualifications, has undergone training and passed the examination as specified in POSP guidelines and solicits and markets only such products as specified by the Authority.

The Authority has issued guidelines dated December 04, 2019 on Regulatory Framework for appointment of Postmen and Grameen Dak Sevaks of Dept. of Posts as POSP by India Post Payment Bank (IPPB).

II.2.8.2 The number of POSP as on March 31, 2022 is 14,48,150. The detailed POSP statistics as on March 31, 2022 is as under:

Sponsoring agency	No. of sponsoring agencies	No. of POSP
Insurers	45	5,99,392
Insurance brokers	179	6,59,505
Corporate agents	50	1,89,253
Total	274	14,48,150

II.2.9 Motor Insurance Service Provider (MISP)

II.2.9.1 The Authority had issued Motor Insurance Service Provider (MISP) guidelines ref no. IRDA/INT/ GDL/ MISP/ 202/ 08/ 2017 dated August 31, 2017 after extensive consultations with the industry stakeholders. The objective of these guidelines was to recognize the role of automotive dealer in distributing and servicing motor insurance policies to have regulatory oversight over their activities connected to insurance. These guidelines were to come into force on November 01, 2017. In the meantime, the Authority received requests for clarifications, extension of time, etc. The Authority vide its circular dated November 01, 2017 clarified on various issues raised.

II.2.9.2 The number of MISP registered as on March 31, 2022 is 22,870. The detailed MISP statistics as on March 31, 2022 is as under:

Sponsoring agency	No. of sponsoring agencies	No. of MISP
Insurers	20	8,357
Insurance brokers	22	14,109
Corporate agents	6	404
Total	48	22,870

II.2.10 Insurance Repositories

II.2.10.1 The Insurance Repository System is an initiative of the Authority to de-materialize insurance policies. To achieve this objective, the Authority issued the guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of insurance policies in April, 2011. Subsequently in May, 2015, the Authority has issued the “Revised Guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of Insurance policies”.

At present, there are total 98.14 Lakhs eIA created and a total of 111.66 Lakhs policies converted into electronic mode since April 2011.

98.14 Lakhs eIA

111.66 Lakhs policies in electronic mode

II.2.10.2 There are four Insurance Repositories approved by the Authority as on March 31, 2022. They are:

- NSDL National Insurance Repository
- CDSL Insurance Repository Limited
- CAMS Repository Services Limited
- Karvy Insurance Repository Limited

II.2.11 Insurance Self-Network Platform (ISNP)

II.2.11.1 In endeavor to increase the insurance penetration through the medium of e-commerce, the Authority has issued guidelines on Insurance e-commerce on March 09, 2017. In this regard, a new platform namely Insurance Self-Network Platform (ISNP) is introduced. It is an electronic platform set up by any applicant with the permission of the Authority.

II.2.11.2 The Authority has launched ISNP online portal (isnp.irda.gov.in) on April 11, 2017 for filing online applications. The status of the ISNP application received from insurers and intermediaries as on March 31, 2022 is:

Description	Numbers
Insurers	53
Brokers	189
Web Aggregators	19
Corporate Agents	66
Total	327

II.2.12 Surveyors and Loss Assessors

II.2.12.1 Surveyors and Loss Assessors (SLA) play an important role in the process of evaluation and settlement of claims pertaining to general insurance policies. Section 64UM of the Insurance Act, 1938 provides that no person shall act as a surveyor or loss assessor in respect of general insurance business unless he holds a valid SLA

license issued by IRDAI. No claim in respect of a loss which has occurred in India and requiring to be paid or settled in India equal to or exceeding an amount specified in the regulations by the Authority in value on any policy of insurance, arising or intimated to an insurer shall be admitted for payment or settled by the insurer unless he has obtained a report, on the loss that has occurred, from a person who holds a license to act as a surveyor or loss assessor.

As per Section 64 UM of Insurance Act, 1938 amended vide the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, academic qualification as specified by the Authority and membership of Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) are statutory requirements for a person to act as a surveyor and loss assessor. There is a provision of appeal in IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015, as amended from time to time, in respect of applicants who are not able to get membership from IIISLA.

Table II.8: Licenses Issued to Surveyors and Loss Assessors

Type of SLA	2020-21	2021-22
Fresh Licenses		
Individual	436	514
Corporate	9	13
Total	445	527
Renewals		
Individual	2,563	2,824
Corporate	45	47
Total	2,608	2,871
Trainee Enrolments	1,293	1,384

II.2.13 Third Party Administrators (TPAs)

II.2.13.1 As at March 31, 2022 there were 21 TPAs registered with IRDAI as against 23 TPAs as at March 31, 2021. During the year 2021-22, the Authority didn't receive any new application for grant of Certificate of Registration as TPA.

- i. Certificate of Registration No. 29 of M/s Grand Insurance TPA Private Limited stands revoked vide Order Ref: IRDAI/HLT/MISC/ORD/171/06/2021 dated June 25, 2021.
- ii. Application for renewal of Certificate of Registration No. 21 of M/s Alankit Insurance TPA Limited stands rejected vide Order Ref: IRDAI/HLT/MISC/ORD/175/06/2021 dated July 02, 2021.
- iii. Application for renewal of Certificate of Registration No. 37 of M/s Vision Digital Insurance TPA Private Limited also stands rejected vide Order Ref: IRDAI/HLT/ORD/MISC/259/10/2021 dated October 04, 2021. The order of the Authority dated October 04, 2021 has been stayed by the Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) 10379/2021. The matter is sub-judice.

II.2.13.2 The TPAs expanded the network of the hospitals by adding 26,632 new hospitals to their network in 2021-22. After withdrawal/ removal of 7828 hospitals, the number of hospitals in the network remained 1,83,352 as on March 31, 2022.

II.2.14 Performance of Insurance Agents and Intermediaries Associated with Insurance Business

Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Life Insurance Business

Individual New Business

II.2.14.1 The individual agents continue to be dominant distribution channel in procuring individual new business. The new business premium procured by them is 55.01 per cent for the year 2021-22 compared to 58.14 per cent for the previous year.

The corporate agents continue to lead as the second major distribution channel, and their contribution is steadily growing in procuring individual new business. During the year 2021-22, corporate agents contributed 33.90 per cent of the new business as compared to 30.75 per cent in the previous year. In contrast to the trends observed in the individual agents, corporate agents continue to be dominant channel of distribution in the new business premium procurement by the private life insurers and stands at 58.23 per cent in 2021-22, while their share is 2.72 per cent for LIC.

Micro Insurance (MI) agents, Common Service Centres (CSCs), Web Aggregators, Insurance Marketing Firm (IMF) and Point of Sales (POS) channels together contributed less than one per cent to the individual new business premium in 2021-22.

Group New Business

II.2.14.2 Direct selling continued to be the dominant channel of distribution for procuring group business, with a share of 88.86 per cent of the group new business premium during 2021-22 (90.86 per cent during 2020-21).

Corporate agents, in particular banks, continue to be the second dominant channel to procure group business for the private insurers. During the year 2021-22, this channel contributed to 21.47 per cent of the total group new business premium in case of the private insurers, whereas it was 1.06 per cent for LIC.

Table II.9: New Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Life Insurance (2021-22)

(Figures in percentage of Premium)



S. No.	Type of Intermediary	Individual New Business			Group New Business		
		LIC [#]	Private Sector	Total	LIC [#]	Private Sector	Total
1	Individual Agents	96.26	22.87	55.01	3.00	0.71	2.45
2	Corporate Agents						
	i. Banks	2.63	54.79	31.94	1.06	21.47	5.92
	ii. Others*	0.09	3.44	1.96	0.01	5.94	1.42
3	Brokers	0.05	3.41	1.94	0.16	4.42	1.18
4	Direct sale	0.19	12.59	7.16	95.76	66.76	88.86
5	Online direct sale	0.16	2.29	1.36	-	-	-
6	Micro Insurance Agents	0.47	0.04	0.23	-	0.70	0.17
7	CSCs	-	0.01	0.01	-	-	-
8	Web Aggregators	-	0.33	0.19	-	-	-
9	IMF	0.14	0.18	0.17	-	-	-
10	Point of Sales	0.01	0.05	0.03	-	-	-
	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Referrals	-	0.02	0.01	-	-	-

Does not include its overseas new business premium.

* Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.

Note:

1. New business premium includes first year premium and single premium.
2. The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.



Performance of Insurance Agents and Intermediaries Associated with General Insurers

II.2.14.3 Amongst various channels of distribution of business for general insurers, broker channel contributed to major share in premium with 35.11 per cent followed by direct sale channel and individual agents with 25.42 per cent and 22.01 per cent respectively in the year 2021-22. The

contribution of corporate agents was 8.43 per cent of premium. All other channels together contributed to remaining 9.04 per cent of premium. For public sector general insurers, individual agents (36.76 per cent) followed by brokers (30.77 per cent) and direct sale (30.17 per cent) are the major channel of distribution while for private sector general insurers, brokers (41.26 per cent) and direct sale (25.38 per cent) are the major channel of distribution.


Table II.10: Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries Associated with General Insurers (2021-22)

(Figures in Percentage of Premium)

S.No.	Distribution Channel	Public Sector Insurers	Private Sector Insurers (excluding SAHI)	Specialized Insurers	Total
1	Individual Agents	36.76	14.72	0.00	22.01
2	Corporate Agents	1.57	14.19	0.00	8.43
	i. Banks	1.13	9.12	0.00	5.46
	ii. Others	0.44	5.07	0.00	2.96
3	Brokers	30.77	41.26	10.05	35.11
4	Direct Business	30.17	25.38	0.08	25.42
	i. Online	0.41	1.81	0.07	1.16
	ii. Other than online	29.76	23.57	0.01	24.25
5	Micro Insurance Agents	0.00	0.00	0.14	0.01
6	Others	0.74	4.45	89.72	9.03
	Total	100.00	100.00	100.00	100.00

Chart II.3: Channel-wise Business Performance of General Insurers

Percentage of Premium



Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Health Insurance Business (Excl. PA and Travel Insurance)


II.2.14.4 Amongst various channels for distribution of health insurance policies, individual agents contributed a major share in total health insurance premium at 32 per cent. The share of this channel was high at 73 per cent in individual health insurance premium. Direct sale is the second major channel for distribution of health insurance business. Cent per cent of Government business and about 30 per cent of total health insurance premium is procured by insurers directly. Another major distribution channel is brokers, who contributed 27 per cent of total health insurance premium. Brokers contribution is at 47 per cent in case of group health insurance business.

Table II.11: Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Health Insurance (Excl. PA and Travel Insurance) (2021-22)

(Figures in percentage of Premium)

S.No.	Distribution Channel	Government Business	Group Business	Individual Business	Total
1	Individual Agents	-	4.01	71.14	31.32
2	Corporate Agents				
	i. Banks	-	10.01	6.85	7.88
	ii. Others	-	4.23	0.99	2.55
3	Brokers	-	45.69	6.77	25.86
4	Direct Sale				
	i. Online	-	0.54	4.40	2.09
	ii. Other than Online	100.00	35.23	8.17	29.52
5	Micro Insurance Agents	-	0.14	0.00	0.07
6	Common Service Centers	-	0.00	0.02	0.01
7	Web aggregators	-	0.05	0.90	0.39
8	Insurance Marketing Firms	-	0.01	0.11	0.05
9	Point of Sales	-	0.00	0.66	0.27
	Total	100.00	100.00	100.00	100.00

Chart II.4: Channel-wise Performance of Health Insurance Business (2021-22)



II.3 PROFESSIONAL INSTITUTES CONNECTED WITH INSURANCE EDUCATION

The Indian Insurance sector has seen a rise in demand for insurance education, training and research. As such, the Authority remains in touch with professional institutions connected with Insurance Education in India and abroad.

II.3.1 Institute of Insurance and Risk Management (IIRM)

II.3.1.1 During past one year, institute has experienced a wider industry acceptance of its courses and activities. For the first time the institute

has participated in the ranking conducted by different agencies and has secured the best institution for management education in Hyderabad, 19th rank in the all India ranking along with IIM's in the Government Institutions category. The student's enrolment has increased in the post pandemic totaling to 105 students in the senior section. The institute has achieved 100 per cent placements and has an impressive 50 per cent growth in the average salaries.

II.3.1.2 During the last one year, IIRM has conducted 35 workshops for the working professional covering wide range of topics in insurance, reinsurance and risk management. The program on digitization of insurance process has few UN working professional as participants. The Institute proposes to continue these initiatives for upgrading the skills and knowledge for the working professionals in the insurance sector. A number of certificate programs for the executives working in insurance sector are being conducted where the certification will enhance their career growth prospects.

During the past one year, institute has reached out many alumni and have conducted annual alumni meet to strengthen ties between alumni and the institute. This would also help the IIRM to stay connected with its alumni in furthering the cause of the insurance industry.

II.3.1.3 As a part of outreach activities, IIRM has entered into strategic MOU's with certain specific domain experts. Swiss-re is the first among them in the areas of reinsurance; DMF Sundargarh district, Orissa Government in the area of health and agriculture, Access health International in the area of health insurance and empowerment, GOSURE –a startup in the domain of insurtech. These MOU's would help in strengthening the research, training and incubation and project implementation capabilities at the institute. Many corporates are eager to have tie-ups with the institute and are even willing to extend their CSR activities at the Institute. IIRM aims to grow in a strategic manner, maintaining its focus, sense of community, and commitment to the highest quality standards through the application of knowledge and continuous research.

II.3.2 Insurance Institute of India (III)

II.3.2.1 III's flagship examinations (Licentiate, Associateship and Fellowship) were conducted at 172 centres in the country and at 12 locations abroad. As on March 31, 2022, there were 3,68,180 members including 62,202 associate members and 37,671 fellow members of the Institute.

II.3.2.2 III develops course content and conducts pre-recruitment/ pre-licencing examinations for insurance intermediaries as mandated by the Authority. III is a recognized training centre for training for brokers, Insurance Marketing Firms (IMFs), corporate agents and surveyors. It is authorised to conduct examination for Principal Officers/ Specified Officers of corporate agents. During the year, 10,79,110 candidates took up the agent examination and 1,21,128 candidates took

up other intermediaries' examination. The institute is authorised by Directorate of Postal Life Insurance for conducting examination and training to their sales force.

The Institute has state of the art training facilities in Mumbai and Kolkata. During the year ended March 31, 2022, 3,010 participants from India and 696 from abroad attended the trainings in risk management, insurance and other contemporary topics.

II.3.2.3 Jointly with National Institute of Disaster Management, during the year, five webinars were conducted for enlightening officials from the State Governments on the role of insurance in disaster risk management. Institute continues capacity development initiatives with National Health Authority.

II.3.3 Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA)

II.3.3.1 The Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) is an institute promoted and established by the Authority and incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956 on October 04, 2005.

The institute is established to promote quality in profession of Surveyors and Loss Assessors through education and training, facilitate introduction of best practices amongst its members and to disseminate technical information amongst its members to upgrade their skill and knowledge. Its objective is to promote research and studies in loss control and minimization techniques and measures and share the same with Insurance Industry and general public and to update its members on application of new technologies for improving service to the users and consumers. Further, it is also responsible for bringing out guidance notes, instruction manuals, periodicals for the use and benefit of members and others connected with the profession of surveyors and loss assessors.

II.3.4 Other Professional Institutes

II.3.4.1 The Authority also has statutory representation in the Council of the Institute of Actuaries of India (IAI), a statutory and professional body for regulation of profession of Actuaries in India. Its objective, among other things, includes regulation of the practice by the Members of the profession of Actuary.

Another noteworthy integrated management school in relation to insurance education is the National Insurance Academy (NIA), Pune which

promotes, develops and nurtures research and consultancy activities on institutional and individual basis.

II.4 LITIGATIONS, APPEALS AND COURT PRONOUNCEMENTS

II.4.1 The details of the litigation in terms of cases filed before the Supreme Court, various High Courts, Securities Appellate Tribunal (SAT), Civil Courts, Motor Accident Claims Tribunal (MACT), and Lok Adalat, as also cases disposed/dismissed during 2021-22 are provided in tables below:

Table II.12: Details of Legal Cases Filed during 2021-22

S. No.	Particulars of Cases filed	Life	Non - Life	Health	Inter-mediaries	HR	CAD	Total
1	Supreme Court	1	2	1	-	-	-	4
2	Writ Petitions filed in various High Courts	-	12	18	15	1	46	92
3	Securities Appellate Tribunal	-	-	5	6	-	-	11
4	Writ Appeals, LPAs filed in various High Courts	-	-	-	-	2	1	3
5	Contempt Petitions filed in High Courts	-	-	-	1	1	-	2
6	Consumer Cases (DCF+SCDRC+NCDRC)	-	-	-	-	-	54	54
7	Civil & Lok Adalat cases	1	1	-	2	-	12	16
8	MACT cases	-	-	-	-	-	1	1
9	PILs	-	1	1	-	-	1	3
	Total	2	16	25	24	4	115	186

Table II.13: Details of Legal Cases Disposed/Dismissed during 2021-22

S.No.	Particulars	Life		Non-Life		Health		Brokers		HR		CAD		Total	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	Supreme Court	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
2	Writ Petitions disposed in various High Courts	-	3	1	6	-	4	2	11	2	1	1	14	6	39
3	Securities Appellate Tribunal	-	-	1	-	2	1	4	4	-	-	-	-	7	5
4	Contempt Petitions disposed in High Courts	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
5	Civil & Lok Adalat cases	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	7	1
	Total	-	3	2	9	2	5	6	19	2	1	8	14	20	51

A: Cases disposed with direction to IRDAI; B: Cases disposed without direction to IRDAI

II.5 INTERNATIONAL COOPERATION IN INSURANCE

IRDAI recognizes importance of adopting international best practices while introducing and implementing regulatory measures domestically.

In this context, and in furtherance of its regulatory objectives, IRDAI engages itself with various international organization, forums and foreign regulators. IRDAI continued to actively engage and contribute to ongoing developments in the

international arena in the financial year 2021-22 as well.

II.5.1 Association with International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

II.5.1.1 IRDAI is Member of the IAIS, the global standard-setting body responsible for developing and assisting in the implementation of principles, standards and guidance. The IAIS is a voluntary membership organisation of insurance supervisors and regulators from more than 200 jurisdictions. The policy work of IAIS is conducted through a committee system led by Executive Committee and supported by five policy Committees. IRDAI has representation at committee and working group levels which have mandate in the areas of Financial Inclusion, Corporate Governance, Market Conduct, Macro Prudential Policy and Surveillance and Insurance Capital Standard Development. The deliberations and knowledge sharing translate into the formulation and adoption of global insurance standards.

II.5.1.2 Insurance supervisors use the Insurance Core Principles (ICPs), developed by IAIS, as a benchmark to assess the quality of their regulatory and supervisory frameworks and to help inform future work priorities. The peer review process (PRP) of IAIS help member jurisdictions identify gaps in observance of the ICPs. IRDAI is a participant in the peer review process exercises conducted during the year and the assessment results are encouraging. IRDAI contributed to the IAIS's initiative for information exchange among insurance supervisors by providing details on the policy measures taken in response to COVID-19 pandemic.

II.5.1.3 IRDAI utilizes capacity-building sponsored by IAIS and its partners to address gaps and challenges in the implementation of IAIS standards and adopt good supervisory practices.

II.5.2 Bilateral Engagements

II.5.2.1 Effective May 2013, IRDAI is a signatory to the Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU) of IAIS which provides an international platform for cooperation and sharing of information. Further, the IRDAI (Sharing of Confidential Information Concerning Domestic or Foreign Entity) Regulations, 2012 are in place which provides for the manner in which confidential information can be shared with other regulatory bodies.

II.5.2.2 IRDAI had so far signed two bilateral MoUs. One with Insurance Authority, United Arab Emirates (UAE) and another with Federal Insurance Office (FIO), United States of America (USA). The MoUs provide a framework for cooperation and coordination, including for the exchange of information and training assistance. However, during the last few years, the insurance supervisors and related agencies from the countries of USA, Kazakhstan, Mongolia, Mauritius have also shown their willingness towards bilateral MoU which are under consideration.

II.5.3 Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR)

II.5.3.1 Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR), a forum of insurance supervisors from Asia and Oceania regions, was established based on Beijing Declaration on Regional Insurance Regulation Cooperation in 2005. The mission of the AFIR is to strengthen capacity building, facilitate insurance regulatory capability and promote regulatory cooperation in Asia and Oceania regions. AFIR currently has 21 members including India represented by IRDAI.

AFIR Members have been meeting annually with each participating jurisdiction taking turns to be the host organizer. So far, 16 AFIR meetings have



been held. Due to COVID-19, last two meetings are held in virtual mode. The 16th meeting was held in virtual format on September 02, 2021 and attended by 18 members including India and a wide variety of topics were taken up for discussion that include update on its recent initiatives, role of public private partnerships in reducing the protection gap for catastrophic risks and the Sustainable Development Goals and the role of Insurance. AFIR Members also deliberated on the proposals to improve AFIR governance structure.

II.5.4 Financial Stability Board (FSB)

II.5.4.1 Financial Stability Board (FSB) is an international body established to address financial system vulnerabilities and to drive the development and implementation of strong regulatory, supervisory and other policies in the interest of financial stability. One of the main mandates of FSB is to implement G20 policy announcements on financial regulation. In FSB, India is represented by Ministry of Finance (MoF), Reserve Bank of India (RBI) and Securities Exchange Board of India (SEBI). IRDAI contributes to FSB's work by way of providing its views and comments on insurance sector related issues discussed in the FSB meetings to the Ministry of Finance. IRDAI also provides responses to FSB surveys/ questionnaires/reviews relevant to insurance.

II.5.5 Financial Sector Assessment Programme (FSAP)

II.5.5.1 The Financial Sector Assessment Program (FSAP), a joint programme of the International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB), is a comprehensive and in-depth assessment of a country's financial sector. In developing economies and emerging markets, FSAP assessments are conducted jointly by IMF and World Bank and in advanced economies by IMF alone. The FSAP

includes two major components viz., financial stability assessment (responsibility of the IMF) and financial development assessment (responsibility of the World Bank). FSAPs are mandatory for every five years for the 29 systemically important jurisdictions. India is one of these 29 countries.

II.5.5.2 The first FSAP for India was conducted in 2011-12 and the report published by IMF on August 29, 2013. The second FSAP mission was initiated by the joint IMF-WB team in December 2016 followed by two more mission visits in March and June-July, 2017. Subsequently, IMF and WB have released the Financial System Stability Assessment (FSSA) and Financial Sector Assessment (FSA) reports respectively for India on December 21, 2017. As part of the India 2017 FSAP, the IMF also published a technical note on "Insurance Sector Regulation and Supervision". This technical note provides an assessment of the recent development of regulation and supervision of the Indian insurance sector and made recommendations for Indian Insurance market. The report observes that most of the 2011 FSAP recommendations on insurance regulation have been addressed. The report mentions that the four ICPs rated in 2011 as only Partly Observed (PO), the related recommendations have all been addressed, through the legislative changes, strengthening of non-life reserving requirements and introduction of a set of requirements on insurance fraud.

II.5.6 OECD International Network on Financial Education (INFE)

II.5.6.1 The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) provides a unique policy forum for governments to exchange views and experiences on financial education as an important means to financial inclusion. Having recognized the importance of financial literacy, OECD International Network on Financial Education (INFE) was launched in 2008 by OECD

governments. India participates regularly in the INFE's activities, represented by four of India's financial regulators viz. RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA. IRDAI became a member of OECD INFE in April, 2012. During OECD INFE meetings, the participants share initiatives taken across the globe with regard to financial literacy and financial inclusion.

II.5.7 Other Engagements

II.5.7.1 During 2021-22, IRDAI continued to contribute towards an effective and useful engagement with the Government of India with regard to various international treaties and dialogues in areas related to insurance sector. IRDAI also participates in international conferences, seminars and workshops in order to strengthen the exchanges and cooperation in insurance field.

II.6 PUBLIC COMPLAINTS

Grievance Redressal Policy

II.6.1 IRDAI facilitates resolution of policyholder grievances by monitoring the insurers' policy of grievance redressal and takes several initiatives towards protecting the interests of the insurance consumers. Grievance Redressal procedure is prescribed in protection of policyholders' interests Regulations, 2017 in terms of which IRDAI mandated all insurers to have in place a grievance redressal policy, designate a Grievance Redressal Officer at the Head Office/Corporate Office/Principal Office and also a Grievance Redressal Officer at every other office. The Regulations also prescribe insurers to constitute a policyholder protection committee in accordance with the corporate governance guidelines for receiving and analysing reports relating to grievances and their redressal.

Integrated Grievance Management System

II.6.2 In order to provide alternative channels to receive complaints against insurers, IRDAI has set up IRDAI Grievance Call Centre (IGCC) which receives complaints through a toll free telephone number and by email and registers complaints apart from furnishing the status of the resolution. IRDAI has also put in place the Integrated Grievance Management System (IGMS) as an online system for grievance management that is not only a gateway for registering and tracking grievances online but also act as an industry-wide grievance repository for IRDAI to monitor disposal of grievances by insurance companies. IGCC has an interface with IGMS and through IGMS, IRDAI has an interface with grievance systems of all insurers.

Status of Grievances in IGMS

II.6.3 During the year 2021-22, 2,20,341 grievances were received in IGMS out of which 70 per cent were related to Life Insurance business and 30 per cent were related to General Insurance business. Number of grievances reported in the year 2021-22 increased over the previous year by 2.5 per cent for life insurers and 36 per cent for general insurers.

II.6.4 The resolution rate for the grievances received for industry is 99.18 per cent. Life insurers resolved 99.92 per cent of the grievances handled (99.72 per cent by private sector and almost 100 per cent by LIC) and general insurers resolved 97.44 per cent of the grievances handled (97.78 per cent by Public sector and 97.22 per cent by Private sector companies).

Table II.14. Status of Grievances as per IGMS

(Number of Grievances)

Insurer	2020-21			2021-22		
	Reported during the year	Attended during the year	Pending at the end of the year	Reported during the year	Attended during the year	Pending at the end of the year
Life Insurer						
LIC	1,09,631	1,12,454	29	1,14,202	1,14,226	5
Private	41,415	41,286	153	40,624	40,664	113
Total	1,51,046	1,53,740	182	1,54,826	1,54,890	118
General Insurer						
Public Sector	21,192	21,456	378	23,822	23,663	537
Private Sector	26,825	26,421	433	41,693	40,692	1,164
Total	48,017	47,877	811	65,515	64,625	1,701
Grand Total	1,99,063	2,01,617	993	2,20,341	2,19,515	1,819

II.6.5 Of the total life insurance complaints received in IGMS, more than 65 per cent of the complaints received are related to three type of issues i.e. survival claims, policy servicing and unfair business practices.

Of the general insurance complaints, most complaints received during 2021-22 are related to claims (68 per cent) which witnessed eight per cent increase over the previous year.



Chart II.5: Classification of Life Insurance Complaints

Chart II.6: Classification of General Insurance Complaints



Status of Grievances in DARPG portal

II.6.6 During the year 2021-22, 11,892 grievances have been referred to IRDAI of the grievances registered in Department of Administrative

Reforms and Public Grievances (DARPG) portal. A total of 11,783 grievances have been disposed of during the year. A total of 483 grievances were pending as at March 31, 2022.

Table II.15: Grievances Registered in DARPG Portal and Referred to IRDAI

Grievance Source	Grievances at the start of 2021-22	Received during 2021-22	Total Grievances of during 2021-22	Grievances disposed of during 2021-22	Grievances at the end of 2021-22
DPG	18	228	246	228	18
DARPG	14	192	206	190	16
Local/Internet	203	8,935	9,138	8,802	336
President Secretariat	1	52	53	51	2
Pension	1	11	12	12	0
PMO	137	2,474	2,611	2,500	111
Total	374	11,892	12,266	11,783	483

DPG- Directorate of Public Grievances; DARPG - Department of Administrative Reforms and Public Grievances; PMO- Prime Minister's Office
Source: CPGRAMS portal

The pending status of grievances as at March 31, 2022 is as below:

Pending for	Number of Grievances
< 15 days	312
15 - 30 days	136
31 - 60 days	35
> 60 days	-
Total	483

II.7 FUNCTIONING OF THE ADVISORY COMMITTEE

Insurance Advisory Committee

II.7.1 The Insurance Advisory Committee (IAC) consists of 25 members to represent the interests of commerce, industry, transport, agriculture, consumer fora, surveyors, agents, intermediaries,

organisations engaged in safety and loss prevention, research bodies and employees' association in the insurance sector. The Chairperson and the members of the Authority are the ex officio Chairperson and ex officio members of the Insurance Advisory Committee. The object of the Insurance Advisory Committee is to advise the Authority on matters relating to the making of the regulations. The Insurance Advisory Committee may advise the Authority on such other matters as may be prescribed.

During the year 2021-22, the Insurance Advisory Committee met once on December 10, 2021 for the 44th Meeting of the IAC.

Re-insurance Advisory Committee

II.7.2 Based on the approval dated December 06, 2018 of DFS, GoI under Section 101B (1) of the Insurance Act, 1938, IRDAI vide Order No. IRDAI/REIN/NOT/RIN/101/5/2022 dated May 19, 2022 had re-constituted Re-insurance Advisory Committee (RAC) for the period of three years.

Previous Reinsurance Advisory Committee's tenure expired on December 31, 2021. The RAC in its meeting dated September 30, 2021 had discussed and recommended obligatory cessions for FY 2022-23.

II.8. FUNCTIONING OF OMBUDSMAN

II.8.1 In order to provide an expeditious and inexpensive forum for adjudication of matters relating to claims in respect of personal lines of insurance upto a certain limit, Government introduced a system of Ombudsman in the insurance sector with effect from November 11, 1998. Currently there are 17 insurance ombudsmen in the country who are allotted to different geographical areas as their areas of jurisdiction.

II.8.2 IRDAI in order to monitor the non-compliance of the award of insurance Ombudsman has issued Circulars Ref: CAD/Insu.Omb/10-11 dated November 23, 2010 and Ref: IRDAI/Cir/Misc/194/ 11/2015 dated November 03, 2015. In the circular dated November 03, 2015 issued by IRDAI, insurers have been advised as follows:

- Orders of Judicial/Quasi-Judicial Bodies should be complied with by the insurer within the time frame stipulated in the order or award and in cases where time frame is not specified in the order/award, the order/award should be complied within 60 days of the receipt of the order/award by the insurer and
- In cases where the insurer prefers an appeal against the order of the Judicial/Quasi-Judicial body, such appeal against the order should be preferred within the stipulated time limit as per the rules applicable.
- The complainant should be informed in the matter accordingly.

II.9 INSURANCE ASSOCIATIONS AND INSURANCE COUNCILS

Life Insurance Council

II.9.1 Life Insurance Council (LI Council) is a representative body of insurers who carry on life insurance business in India. Constituted under Sec.64C of Insurance Act 1938, the LI Council functions through several sub-committees and includes all 24 life insurers in India.

II.9.2 Activities of LI Council in the year 2021-22:

LI Council held two General Body (GB) meetings and one Executive Committee (EC) meeting in the year 2021-22.

The following issues were discussed in the meetings and necessary industry wide action plans were started:

- a. IRDAI had sought LI Council to consider adopting Code of Good Insurance Practices for the industry. The council is in the process of finalizing the same for recommendation to IRDAI.
- b. IRDAI had sought recommendations on rationalizing the claim forms across the industry to enable early process of death claims and avoidance of excessive/irrelevant information sought. The matter was deliberated amongst the members and final set of standard templates for death claim, after approval from IRDAI, has been shared with all insurers for adoption during the first week of 2022-23.
- c. It was decided to restart the insurance awareness campaign "SabsePehle Life insurance". The phase two campaign was launched on February 15, 2022. The campaign ran till March 31, 2022 across 360-degree media – TV, Radio, Print, Outdoor, Digital and PR.

General Insurance Council

II.9.3 The General Insurance Council (GI Council) is a representative body of general insurers including Stand-alone Health Insurers, Specialized Insurers, Reinsurers, Foreign Reinsurer Branches (FRBs) and Lloyd's India operating in India. As per Section 64C of the Insurance Act, 1938 (as amended in January 2015) all general insurers, health insurers and reinsurers that are granted certificate of registration by IRDAI to carry out business in India are required to be members of the General Insurance Council. As on March 31, 2022, there are

a total of 42 companies (24 general insurers comprising 4 PSUs and 20 private, 5 standalone health insurers, one PSU reinsurer, 10 FRBs and two specialized insurers) which are members of the GI Council. After the passage of the Insurance Laws (Amendment) Act in April 2015, GI Council is a self-regulatory organization for the non-life insurance industry's market conduct and practices.

II.9.4 GI Council activities in the year 2021-22:

- a. As a representative body of all non-life insurers, SAHI companies, reinsurers and specialized insurers operating in India, the GI Council furnished the views of the industry to IRDAI and / or Government of India in respect of various new regulations framed, amendments carried out to the existing regulations, as a part of the consultative process the Regulator / GoI adopts.
- b. GI Council participated in the discussions and contributed the industry's views, wherever sought, in the development and notification of The Motor Vehicle Act (comprehensively amended in 2019). Council is participating in the discussions aimed at developing the applicable CMV Rules.
- c. The Council interacted in various groups, Committees and Sub-Committees formed by IRDAI, various industry bodies like FICCI, CII, ASSOCHAM, etc. aimed at overall enhancement of policy holders'/ insurance beneficiaries' experience.
- d. It has contributed to the IRDAI's customer centric initiatives of standardization of wordings and exclusions in some of the popular insurance products.

- e. The year 2021-22 continued to be impacted with the COVID-19 pandemic. The general insurers and stand-alone health insurers received a huge number of COVID treatment related claims which the industry handled quite efficiently and settled claims approximating to ₹25,000 crores.

- f. GI Council facilitated in negotiations with various hospitals and tried persuading them to charge reasonable rates to the insured patients. Although no official agreement could be reached on this, several hospitals in smaller centres and average standard hospitals in larger towns and cities were found, by and large, charging near about the Council recommended rates.

II.10. Other Activities having a Bearing on the Insurance Market

II.10.1 The Authority from time to time provides/makes necessary changes in the regulatory framework for introducing any new product in the market for life, general and health insurance segments.

Insurance company wise total number of life, general and health insurance products approved by Authority during 2021-22 is provided in Annexure 7.

III

STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

PART III: STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

Section 14 of the IRDA Act, 1999 (IRDA Act) lays down the duties of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance business and reinsurance business. Sub-section (2) of the said section lays down the powers and functions of the Authority. Part III of the Annual Report covers the activities of the Authority in 2021-22 while carrying out its functions and exercising the powers conferred on it.

III.1 Issue to the Applicant a Certificate of Registration, Renew, Modify, Withdraw, Suspend or Cancel such Registration

III.1.1 During the year 2021-22, no new insurance company has been granted Certificate of Registration (CoR).

III.1.2 In exercise of the powers under provision of sub-section 2(A) of Sec. 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to transact re-insurance business in India, Factory Mutual Insurance Company has been given certificate of registration on April 28, 2021 and its Registration No. is FRB/011.

III.1.3 The Authority vide Order Ref. No. 514/F&A(NL)/Demerger/Bharati-ICICI/147 dated September 03, 2021 has given approval for demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. by way of scheme of arrangements, subject to conditions stipulated therein.

III.2 Protection of the Interests of Policyholders in Matters Concerning Assigning of Policy, Nomination by Policyholders, Insurable Interest, Settlement of Insurance Claim, Surrender Value of Policy and Other Terms and Conditions of Contracts of Insurance.

Grievance Redressal

III.2.1 The Authority notified IRDAI (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017

providing for various do's and don'ts for insurers and intermediaries at the point of sale as well as at the point of claim. The purpose behind is to protect the interest of the policyholder and to ensure policyholder centric governance by insurers which lay more emphasis on redressal of grievance. The Authority directed insurers to have in place a board approved policy for protection of policyholders which shall include various service parameters and Turn Around Time (TAT) for rendering services to policyholders, procedure for expeditious resolution of complaints, steps taken to enhance consumer education and measures to prevent mis-selling. Further, the regulations also mandate that every insurer shall have in place proper procedures and effective mechanism for speedy resolution of complaints/grievances of policyholders.

The Authority vide its Corporate Governance guidelines - 2016 has mandated all the insurers to have in place, a Policyholders' Protection Committee. The Committee should put in place systems to ensure that policyholders have access to grievance redressal mechanisms and shall also ensure handling of policyholder complaints with seriousness, promptness and empathy in order to enhance the trust and confidence in the insurance sector.

Issuance of Electronic Policies

III.2.2 In the wake of COVID-19 pandemic, digital means of doing business is given thrust in the interest of the policyholders. Exemption is granted under Proviso to Regulation 4 (iii) of IRDAI (Issuance of e-Insurance policies) Regulations, 2016, up to March 31, 2022, from the requirement to issue policy document and copy of proposal form in physical form. It was also clarified that this is subject to express consent of the policyholder to receive electronic policy bond and if the policyholder insists, the hard copy has to be issued without any charges. Further, 30 days Free Look

period is allowed for all such cases. Return of e-Policy documents by mail by policyholder with clear intention of cancellation of policy shall be valid for Free Look Cancellation.

III

Dispensing with Physical Signature on Proposal Forms

III.2.3 The COVID-19 outbreak impacted the traditional manner of canvassing life insurance policies. In particular, the filling-in of the physical proposal forms, obtaining wet signatures on them and subsequent movement of such physical papers etc., were severely affected. To overcome this, authenticating the proposal for life insurance through electronic means in place of physical signature, is allowed for business solicitation under all types of products till September 30, 2022. The process flow includes sending the completed proposal form on his/her registered email ID or mobile number by an email or a message with a link. The prospect can consent to the proposal by clicking the confirmation link or validate it through OTP method.

To ensure proper utilization of the facilitation and to safeguard interests of the policyholders, the following conditions are laid down:

- i. The insurer shall not accept payment of moneys towards proposal deposit till the receipt of consent of the proposer.
- ii. In all cases, approved sales materials are to be used.
- iii. Ensure authenticity of email ids/mobile numbers. Carry out pre-issuance verification calls.
- iv. Provide appropriate training to all persons involved in the sales/solicitation process to ensure that the consent of the customer is obtained only after clear information has been provided to the proposer on the product.

Standard Individual Term Life Insurance and Pension Products

III.2.4 In line with the growing demand for term and pension products, life insurers have been introducing innovative protection and pension products with multiple features, options, riders, etc. To make available simple products that broadly meet the needs of an average customer, a standard individual term life insurance product (Saral Jeevan Bima) and a standard individual immediate annuity product (Saral Pension) were designed. All life insurers were mandated to make the products available for sale with the same names. The standard products are simple to understand, meet the key needs of large number of customers and enhance ease of purchase with their uniform terms and conditions across insurers.

Settlement of COVID-19 Related Claims

III.2.5 The COVID-19 pandemic has claimed many lives. The Authority has advised all the insurers to settle the life insurance claims expeditiously. The status of death claims due to COVID-19 pandemic is provided in Table III.1.

Table III.1: Death Claims due to COVID-19 Pandemic

(cumulative up to March 31, 2022)

(Amount in ₹Crore)

Claims Reported		Claims Settled		Claims Repudiated		Claims Outstanding	
Number of claims	Amount of claim	Number of claims	Amount of claim	Number of claims	Amount of claim	Number of claims	Amount of claim
2,26,906	17,757	2,25,219	17,269	1,550	448	137	40

The status of health insurance claims due to COVID-19 pandemic is provided below:

Table III.2: Health Insurance Claims due to COVID-19 Pandemic

(cumulative up to March 31, 2022)

(Amount in ₹Crore)

Total Claims		Claims Settled		Claims Disallowed		Claims Repudiated		Claims Outstanding	
Number of claims	Amount of claim	Number of claims	Amount of claim	Number of claims*	Amount of claim	Number of claims	Amount of claim	Number of claims	Amount of claim
29,96,801	34,598	26,54,001	24,362		7,223	3,11,952	2,782	30,848	230

*Number is included under the head claims settled

Claim Settlement during Floods and Cyclones

III.2.7 The year 2021 has seen the occurrence of natural catastrophic events in various parts of the country. Cyclone Tauktae and Cyclone Yaas in May-June 2021 created havoc in states of Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Odisha and UT of Lakshadweep, Daman and Diu. In August 2021, floods occurred in the state of Maharashtra.

The Authority issues guidance to the industry during catastrophes, keeping the interests of policyholders affected, in view. During the year 2021-22, guidance was issued to insurers with a view to ensure that the claims pertaining to loss of life and property arising out of Cyclone Tauktae, Cyclone Yass and Maharashtra floods were attended to promptly. The insurers were instructed to settle the claims of the victims in the above disasters on priority basis and the same was monitored by the Authority.

The Authority advised the insurers to initiate steps for quick registration and disposal of claims on the

following lines:

- Nomination of a senior officer at the company level to act as a Nodal Officer for the affected States. The Nodal Officer's duty is to coordinate the receipt, processing and settlement of all eligible claims.
- Publishing the details of offices/ special camps set up for the purpose and other relevant details through the insurer's website, media and through State Government channels to enable filing of claims.
- Survey of claims to be carried out immediately and claim payments/on account payments to be disbursed at the earliest.
- Engaging adequate number of surveyors immediately in the affected areas.
- Launching of extensive awareness campaigns by insurers in the affected states duly highlighting the measures taken by them.
- In view of COVID-19 pandemic, the insurers were advised to encourage the policyholders to use electronic communication wherever possible for correspondence while intimating the claim and filing all the relevant documents.

III.3 Specifying Requisite Qualifications, Code of Conduct and Practical Training for Intermediaries or Insurance Intermediaries and Agents.

III.3.1 The licensing and code of conduct for all the intermediaries in the insurance business are specified clearly in the regulations framed under the IRDA Act, 1999 vide Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2015, IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, IRDAI (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016 and IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

III.3.2 A regulatory frame work has been laid down by the Authority to further strengthen the regulatory supervision by issuing circular No. IRDA/INT/CIR/T&E/ 136/07/2016 on harmonization of training and examination requirements for various channels of distribution.

III.4 Specifying the Code of Conduct for Surveyors and Loss Assessors

III.4.1 The duties and responsibilities of a surveyor and loss assessor are specified in Chapter IV of the IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015 as amended in 2020.

III.4.2 The code of conduct regarding the professional and ethical requirements for conduct of surveyor and loss assessors' professional work is specified in Chapter VI of the Regulations and the Regulation 16 elaborates on the code.

III.4.3 Further, in order to protect the interest of policyholders, the Authority has notified the IRDAI (Protection of Policyholders' Interest) Regulations, 2017 which supersedes IRDA (Protection of Policyholders' Interest) Regulations, 2002. Adherence to code of conduct by surveyors and loss assessors has been further emphasized under Regulation 15 of the said Regulation, while dealing

with settlement of claims in respect of general insurance policy.

III.4.4 The Authority receives grievances from surveyors regarding empanelment for survey jobs, non-payment of survey fee by insurance companies, denial of membership by IISLA to in-house surveyors and lapsed license holders, denial of level of membership by IISLA, etc. Such complaints are forwarded to respective insurance companies and IISLA for resolution at their end. Policyholders also complain against surveyors/surveyors firms on non-receipt of copy of survey report, delay in issuance of survey report, misconduct, violation of IRDA Surveyor Regulations etc. Such complaints are taken up with surveyors for speedy disposal of the issues. Apart from above, various RTIs and references are also received by the Authority against surveyors and corporate surveyor firms. During the year 2021-22, the Authority received 90 complaints on CPGRAMS portal, 87 have been addressed and three were outstanding as on March 31, 2022.

III.5 Promoting Efficiency in the Conduct of Insurance Business

III.5.1 Insurance Regulatory Sandbox

To give a fillip to insurance penetration, there is a need to facilitate innovations in the insurance sector, especially those triggered by technology. The extant regulatory framework may pose certain hindrances for regulated entities to try out new ideas or new technology. With a view to facilitating innovations, IRDAI has adopted a Regulatory Sandbox approach.

Further, as per Regulation 13(3) of the IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019, the Authority has issued the guidelines on the operation of the Regulatory Sandbox outlining the procedure to be followed in implementing the "innovation in insurance" programme.

With a view to enable the completion of experiment of the existing sandbox proposals and also to allow new sandbox proposals for experiment, validity of the IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019 is extended for a further period of two years by IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide gazette notification dated April 07, 2021.

III.5.2 Promoting Ease of Doing Business in Fire Line of Business for Dwellings, Micro and Small Businesses

IRDAI had issued guidelines for standard products for fire and allied perils for Dwellings, Micro and Small businesses (Bharat Griha Raksha, Bharat Sookshma Udyam Suraksha and Bharat Laghu Udyam Suraksha) in January 2021.

With increase in demand for new covers in the Fire line of business and to facilitate insurance innovations in this segment, general insurers are now permitted to design and file alternative products covering Fire and allied perils to standard products for Dwellings, Micro and Small businesses.

The circular issued in this regard also specify that such alternative products may be variations of the standard product and may include already approved add-ons as part of the base product or may delete an existing provision. However, the definitions and wordings of terms used in the standard product shall be the reference point for those terms when used in the alternative products as well.

III.5.3 Applicability of Provision of Section 6A (4)(b) of the Insurance Act, 1938 on Exercise of Employee Stock Options (ESOPs)

To ensure compliance of section 6A (4)(b) of the Insurance Act, 1938 read with

- (i) para 7 of IRDAI (Remuneration of Chief Executive Officer / Whole-time Director / Managing Director of Insurers) Guidelines, 2016; and
- (ii) Clause (c) of Regulation 2 of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015, on exercise of ESOPs,

the Authority issued circular vide dated May 21, 2021 specifying the applicability of reporting and approval requirements.

As per the Circular, all ESOPs, at the time of grant shall be reported to the Authority preferably as a part of the application filed with IRDAI (Remuneration of Chief Executive Officer / Whole-time Director / Managing Director of Insurers) Guidelines, 2016.

Further where specific trust has been formed by an insurer for issuance of ESOPs to their employees, the issue of shares to such trust and exercise of option by one or more employees shall also fall within the ambit of the Section 6A of the Insurance Act, 1938.

The circular also provides that where exercise of ESOP by KMPs is beyond the threshold limit specified in Section 6A (4) of the Insurance Act, 1938, the prior approval of the Authority shall be sought before such exercise.

III.5.4 Holding More Than One Certificate of Registration to One Group – IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015.

Clause (d) of sub section (9) of Section 2 of Insurance Act, 1938 provides that a "foreign company" engaged in reinsurance business can transact the business of reinsurance through a branch in India.

Accordingly, it is clarified in the circular vide dated February 16, 2022 that where the 'applicant' as defined under Regulation 2(b) of the IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 falls within a group, no other entity of that group shall be eligible to apply for Certificate of Registration to act as Foreign Reinsurance Branch in India.

III.6 Promoting and Regulating Professional Organizations Connected with the Insurance and Reinsurance Business

The following professional organizations are connected with the insurance and reinsurance business:

III.6.1 Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA)

III.6.1.1 The Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) is an institute promoted and established by the Authority and incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956 on October 04, 2005. The Authority has a mandate to promote and regulate IIISLA under Section 14(2)f of IRDAI Act, 1999 that deals with promoting and regulating professional organizations connected with the insurance and re-insurance business.

III.6.2 Insurance Brokers Association of India (IBAI)

III.6.2.1 Insurance Brokers Association of India (IBAI) was incorporated as a company under Section 25 of the Companies Act, 1956 on July 2001. Brokers registered by the Authority are necessarily required to be the members of the Insurance Brokers Association of India (IBAI).

III.6.3 Insurance Information Bureau of India (IIB)

III.6.3.1 Section 14(2)(f) of the IRDAI Act, 1999 empowers the Authority to promote and regulate professional organizations connected with the insurance and re-insurance business. Accordingly, Authority established the Insurance Information Bureau of India (IIB) to fulfil the need for a sector-level data repository and analytics which would empower stakeholders through provision of accurate, timely, reliable insurance data and analysis.

III.6.3.2 The Bureau maintains industry-level databases for multiple lines of insurance business such as Life, Motor, Health, Fire, Engineering and Marine and generates various reports and other outputs on the same, for the use of the industry. The Bureau further maintains the database of all Licensed Insurance Salespersons in India.

III.6.3.3 Some of the important activities and services of IIB are detailed below:

a. Fraud Mitigation Support to Insurers

The Bureau provides support to insurers in prevention and mitigation of frauds through Search Engines and Risk Scoring Models. The following services support insurers in prevention and mitigation of fraud:

- i **Life Insurance Underwriting & Claims Search Tool (QUEST):** QUEST which is operated using advanced technologies on real-time basis, provides clients' complete insurance history including any adverse decisions or loading in the past to the insurers at the time of underwriting and claim processing, on the strength of its database.

Potential frauds identified during the year 2021-22

No. of Queries	No. of Cases	Sum Assured
1.34 Crore	78,000	₹42,766 crore

- ii **Vehicle Claims History Verification Service (VCHVS):** This service provides a vehicle's claim history for the immediate five-year period to the insurers on real-time basis, helping them avoid no claim bonus on vehicles which had a claim in recent past.

2020-21	2021-22
2.1 crore Hits	3.35 crore Hits

- iii **Long-Term Third-Party Policy Search Service:** A web service has been built which enables insurers to retrieve the policy details of long-term policies based on the Chassis Number. In case of long-term bundled policies, at the time of renewal/rollover of stand-alone Own Damage policy, the insurers can authenticate whether or not the mandatory TP cover is already in place.
- iv. **Motor Fraud Initiatives:** Sharing of stolen and recovered vehicles collated from all the States across the country received from National Crime Records Bureau (NCRB) with the industry on daily basis through APIs. In the Motor line of business, the Bureau has built fraud triggers which alert the insurers on potential claim frauds.
- v. **PRAN (Property Risk Analyser):** This service was launched during the year 2021-22 for the Fire insurance segment by which an insurer can understand the five years' trend of a given risk location/district, in terms of Incurred Claim Ratio.

- vi. **Health Insurance (HI) Portability Portal 2.0:** The Bureau also operates the HI Portability Portal for the benefit of policyholders who wish to migrate from one insurer to another. The portal was revamped during the year under review with additional functionalities. The portal enables the porting-in insurer to check the policy and claims history of the policyholder before taking a decision on the porting request.

b. Repository and Applications

In addition to the services cited above, IIB hosts many other repositories and applications which support the industry in certain key functions as mentioned below:

- i. **Licensed Insurance Salespersons' Repository (ENVOY):** This database consists of data of all insurance salespersons such as individual agents, specified persons of corporate agents, Broker Qualified Persons, Point of Sale Persons (PoSPs) etc. ENVOY helps principals to ensure that the applicants are not already enrolled with another entity in the same line of business, before onboarding. Apart from providing periodical updates/reports to IRDAI, OTP based self-deactivation of Broker Qualified Persons, Authorized Verifiers, MISP designated person/sales person and PoSPs was introduced in the year 2021-22 to ease the process of de-activation of salespersons.
- ii. **Insurance Transactions Exchange (iTrex):** The Bureau operates iTrex which is an exchange hub that supports flow of information between insurers and Insurance Repositories (IRs). iTrex also

acts as a KYC repository for electronic policies and as a database of electronic Insurance Accounts (eIAs) issued by IRs and electronic policies issued by the insurers. The IT infrastructure of iTrex has been revamped during the year to handle enhanced volumes and functions.

c. Benchmark Reports

i. Mortality & Morbidity Investigation Center (MMIC):

The Bureau operates the Center which performs studies on the levels of mortality & morbidity among different categories of assured lives in India. The rates generated by these reports are mandated by the Authority as the benchmark/referral rates for the industry and are key inputs in pricing and valuation. The reports generated by IIB in the year 2021-22 include:

- Indian Assured Lives Mortality (IALM) Report 2015-17
- Group Annuitants Mortality Report 2012-16

The Center has also taken up Morbidity/Critical Illness study for the period 2013-19 which is being attempted first time in the Indian insurance sector.

ii. Motor Third Party (TP) Pricing: IIB provides data inputs to the Authority for fixing the tariffs under motor third party portfolio.

iii. Loss Cost Schedule: The loss costs in the Fire insurance portfolio are published by IIB and are considered by the insurance companies for determining the premium rates.

d. Other Reports/Activities

The Bureau also publishes a large number of

reports which fall in annual, thematic and customized categories on a regular basis. The reports released in the year 2021-22 include:

- Life Insurance Claims Report 2019-20
- Motor Third Party Claim Development Analysis Report
- Motor Annual Report F.Y. 2019-20
- Annual Reports on Fire, Marine and Engineering segments
- Study on Reimbursement Claims (Health)
- Report on Distribution of Diseases.

e. Advanced Analytics

The Bureau has in recent years developed its in-house expertise in statistical modelling and advanced analytics in the field of insurance. It has built the Predictive Life Risk Scoring Model (PRISM) which indicates the risk propensity of a life insurance proposal/policy in its early years. The model was furthered sharpened during the year to augment its precision.

PRISM usage of Life Insurers during the year 2021-22

No. of Queries	Potentially Hazardous cases identified by PRISM
2.42 Crore	3.22 lakh

A Risk Score Model has also been deployed for the benefit of the insurers to estimate the propensity to claim in private cars. While the average claim incidence in the overall private car portfolio was around 20 per cent, the same for vehicles assigned with critical score by the model worked out to 54.

f. Collaborations/Data Sharing Arrangements

IIB provides a credible platform for exchange of key information with/among insurers, IRDAI and many Departments/Ministries in Government and agencies such as National

Crimes Record Bureau (NCRB), Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) and State Transport Authorities for projects of much importance. The Bureau has also been entrusted with public awareness initiatives such as SMS campaign for uninsured vehicles, which it is managing in coordination with the State Transport Authorities.

IIB also provides inputs to National Health Systems Resource Centre (NHSRC) and National Health Authority (NHA) on key trends in health insurance claims.

III.6.4 Institute of Insurance and Risk Management (IIRM)

III.6.4.1 The Institute of Insurance and Risk Management (IIRM) is a professional body jointly set up by IRDAI and erstwhile Government of Andhra Pradesh as an international education and research organization for promotion of insurance education and it is incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956. The overall working of IIRM is overseen by Board of Directors headed by the Chairman of IRDAI.

III.7 Levying Fees and Other Charges for Carrying Out the Purposes of the Act

III.7.1 The Authority levies various regulatory fees and charges for licensing and renewal of license for insurers, reinsurers and intermediaries. Total amount of ₹206.29 crore was collected from insurers and intermediaries in the year 2021-22 as fees and other charges.

III.7.2 During the year 2021-22, there are no changes in the fee structure for insurers and intermediaries. The fee structure for insurers and intermediaries along with the fee collected in FY 2021-22 is provided in Annexure 8.

III.8 Calling Information from, Undertaking Inspection of, Conducting Enquiries and Investigations Including Audit of the Insurers, Intermediaries, Insurance Intermediaries and Other Organizations Connected with the Insurance Business

III.8.1 Section 33 of Insurance Act, 1938 and Sec.14(2)(h) of the IRDAI Act, 1999 lay down the statutory provisions for calling of information from and carrying out on-site inspection, including investigation of insurance companies, intermediaries, insurance intermediaries and other organizations connected with the insurance business. Supervisory oversight, at the minimum involves a two-pronged approach, viz., off-site examination and on-site inspection.

Off-site Examination

III.8.2 The primary objective of off-site surveillance is to monitor the financial health and market conduct of regulated entities, for identifying entities which show financial deterioration and which would be a source for supervisory concerns. This acts as a trigger for timely remedial action. The off-site examination is conducted by analyzing periodic statements, returns, reports, policies and compliance certificates mandated under the directions issued by IRDAI from time to time.

On-site Inspection

III.8.3 The Authority, through the Supervision department, pursues its on-site supervision of the regulated entities with regard to their observance of / compliance to provisions of relevant Acts, Rules, Regulations, Guidelines/ Circulars, Directions, Standards, etc.

General, thematic and focused inspections are undertaken at the site of the regulated entities for assessment of their functioning by examination of

relevant records, books of accounts and business activities on sample basis in order to assess compliance to various regulatory provisions and other applicable laws relating to financial condition, market conduct, corporate governance, risk management, and related matters of the regulated entities.

III.8.4 Owing to COVID-19 pandemic, the Authority has undertaken inspections of regulated entities in remote format (online) for the year 2021-22. A total of 88 remote inspections were undertaken during the year 2021-22, the details of which are given below:

Type of inspection	Number of entities inspected
General inspection	72
Thematic inspection	15
Focused inspection	1
Total	88

a. General Inspections

Type of entity	Number of entities inspected
Life Insurer	5
General Insurer	6
Health Insurer	5
Reinsurer	1
Foreign Reinsurer Branch	3
Insurance Broker	15
Corporate Agent	4
Third Party Administrator	9
Corporate Surveyor	11
Insurance Marketing Firm	13
Total	72

b) Thematic Inspections

Type of entity	Number of entities inspected
Life Insurer	7
General Insurer	8
Total	15

c) Focused inspections

Type of entity	Number of entities inspected
Life Insurer	1
Total	1

III.8.5 As per the set procedure, the final inspection report along with the responses of the inspected entities are analyzed at the Enforcement and Compliance Department considering supporting evidences and courses of action as proposed for each of the inspection observation. Proposed course of actions are submitted to the Head of Department (HOD) of the concerned Nodal department for their comments/inputs within 15 days' time. After taking care of the comments from the HODs and also considering the actions taken offsite/onsite on other similar issues, Enforcement and Compliance Department recommends a course of action, which is submitted to the Competent Authority for approval. Based on the course of action approved by the competent Authority, the inspected entity is either charged or advised and/or observation is closed. The entity which is charged for certain regulatory violation/non-compliance is given an opportunity to present their submission in person through personal hearing and then final actions like penalty, warning, caution, direction, advisory etc. is taken by the Competent Authority.

In addition, in certain cases where the violations are quite serious warranting cancellation of registration/license etc., the Authority cancels the registration/license after following due process.

Apart from the above, the Authority also exercises Adjudication process in case of violation of certain specified Sections of Insurance Act.

All orders passed by the IRDAI are appealable in Securities Appellate Tribunal.

III.8.6 During the year 2021-22, on-site and remote inspection reports concluded by Enforcement and compliance department are 106. The details are as in the following table:

Type of Entity	Inspection Reports Concluded
Life Insurers	2
Non-life Insurers	6
Web Aggregator	4
Brokers	45
Corporate Agents	14
Surveyors	16
Foreign Reinsurance Branch	1
Third Party Administrator (TPA)	8
Insurance Marketing Firm	9
Insurance Repository	1
Total	106

The details of regulatory action taken on the observations of 106 closed reports are as under:

Advisory:	261
Direction:	100
Caution:	139
Warning	6
Penalty:	₹3.68 crore on 18 instances

III.8.7 Regulatory actions are also taken by departments other than Enforcement and Compliance department based on off-site inspection and focused inspections.

The details of monetary penalties levied by the Authority during the year 2021-22 are given in Annexure 9.

III.9 Control and Regulation of Rates, Advantages, Terms and Conditions that may be offered by Insurers in respect of General Insurance Business not so Controlled and Regulated by the Tariff Advisory Committee under Section 64U of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)

III.9.1 All classes of tariffed General insurance business were de-tariffed with effect from January 01, 2008 except Motor Third Party business in so far as pricing is concerned. Since Motor Third Party cover is a statutory insurance under the provisions

of Motor Vehicles Act, 1988, the Motor Third Party premium rates has been earlier notified by IRDAI every year.

Presently under the provisions of Motor Vehicles (Amendments) Act, 2019, the Central Government shall prescribe a Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules under sub-section (1) of section 212 of MV Act 1988 in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority of India.

Therefore, the Ministry of Road Transport and Highways, vide Gazette notification number G.S.R. 394 (E), dated May 25, 2022 has published Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules, 2022 and shall come into force on June 01, 2022.

III.10 Specifying the Form and Manner in which Books of Accounts shall be Maintained and Statements of Accounts shall be Rendered by Insurers and Other Insurance Intermediaries

III.10.1 The financial statements of insurers are prepared in the form and manner prescribed under the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, amended from time to time and also by various circulars and guidelines issued from time to time. Books of accounts are maintained in order to present various line items as required under these Regulations.

III.10.2 In case of intermediaries, books of accounts and financial statements are required to be maintained in the form and manner stipulated under the respective regulations/ circulars/ guidelines.

III.10.3 Wherever the Authority has not stipulated the form/and manner in which books of accounts are to be maintained, provisions of Companies Act/Rules and other applicable Acts/Rules apply.

III.11 Regulating Investment of Funds by Insurance Companies

III.11.1 IRDAI (Investment) Regulations, 2016 read along with Master Circular and guidelines amended from time to time regulate Insurers' Investments.

III.11.2 Investment in Debt Securities of Listed Infrastructure Investment Trusts and Real Estate Investment Trusts by Insurer

Insurers are permitted to invest in Units of listed Infrastructure Investment Trusts (InvITs) and Real Estate Investment Trusts (REITs). Consequent to Finance Act, 2021 permitting Trusts to issue Debt Securities, the following conditions shall apply to insurers investing in "Debt Securities" issued by InvITs/REITs:

- a. Debt instruments of InvIT / REIT shall be rated and not less than "AA" as a part of Approved Investments.
- b. Debt instruments of InvITs / REITs rated and or downgraded below "AA" shall form part of Other Investments.
- c. No insurer shall invest more than 10% of the outstanding debt instruments (including the current issue) in a single InvIT/REITs issue.
- d. The cumulative investments in units and debt instruments of InvITs and REITs shall not exceed 3% of total fund size of the insurer at any point of time.
- e. No investment shall be made in debt instruments of an InvIT/REIT where the sponsor is under the promoter group of the insurer.
- f. Group shall have the meaning as defined under Regulation 2(g) of IRDAI (Investment) Regulations, 2016
- g. Investment in debt instruments of InvIT will form part of "Infrastructure Investments".
- h. Investment in debt instruments of REIT will

form part of industry group "Real Estate Activities" under NIC industry classification.

- i. Investment in debt securities of InvITs/REITs shall be valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by any rating agency registered with SEBI.

III.11.3 Investment in Fund of Funds (FoF) of Alternative Investment Fund (AIF) by Insurers

Insurers are permitted to Invest in Fund of Funds (FoF) of Alternative Investment Fund (AIF) subject to the following conditions:

- a. No investment is permitted into AIFs which undertake leverage or borrowing other than to meet day-to-day operational requirements and as permitted under SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.
- b. Insurer shall invest only into Fund of Funds (FoF) which comply requirement of Section 27E of the Insurance Act, 1938.
- c. Insurer shall ensure compliance with Section 27E by a clause in the fund offer documents executed by FoF to restrain such FoF investing into AIFs which invest in overseas companies/funds.
- d. No insurer shall invest in an AIF, which in turn has exposure to a FoF, in which the insurer has taken an exposure.

III.12 Regulating Maintenance of Margin of Solvency

III.12.1 Every insurer is required to maintain a Required Solvency Margin as per Section 64VA of the Insurance Act, 1938. Every insurer shall maintain an excess of the value of assets over the amount of liabilities of not less than amount prescribed by the IRDA, which is referred to as a Required Solvency Margin. The IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets,

Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016 and the IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 describe in detail the method of computation of the Required Solvency Margin.

III.12.2 In the case of insurers, the minimum Required Solvency Margin is rupees fifty crore (rupees one hundred crore in the case of reinsurer) and arrived at in the manner specified by the Authority. The Insurance Act, 1938 (as amended from time to time) specifies a level of solvency margin known as control level of solvency, on the breach of which, the Authority shall direct the insurer to submit a financial plan indicating a plan of action to correct the deficiency within a specified period not exceeding six months.

III.12.3 In the case of general insurers, Re-insurers and Branches of Foreign Re-insurers, the Required Solvency Margin shall be the maximum of the fifty per cent of minimum capital/Assigned Capital requirement for the insurer or reinsurer or Branches of Foreign Re-insurers; or higher of RSM-1 and RSM-2 computed as under for each Line of Business separately:

- RSM-1 means the Required Solvency Margin based on net premiums, and shall be determined as twenty percent of the amount which is higher of the Gross Premiums multiplied by a Factor A and the Net Premiums. For the purpose of calculation of RSM1, 'Trailing 12 month's premium' will be taken into account.
- RSM-2 means the Required Solvency Margin based on net incurred claims, and shall be determined as thirty percent of the amount which is the higher of the Gross Incurred Claims multiplied by a factor B and the Net Incurred claims. For the purpose of calculation of RSM2, Claims will be taken

into account as maximum of 'Trailing 12 months Claims' and 'Trailing 36 months Claims divided by 3'.

III.13 Adjudication of Disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries

III.13.1 As per Regulation 59(2) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, any disputes arising between an insurance broker and an insurer or any other person either in the course of his engagement as an insurance broker or otherwise may be referred to the Authority by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the Authority may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these regulations.

III.14 Specifying the Percentage of Life Insurance Business and General Insurance Business to be Undertaken by the Insurers in the Rural and Social Sector.

III.14.1 IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 is notified on August 24, 2015 superseding the IRDA (obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2002. The obligations stated in these regulations are applicable since FY 2016-17.

As per the regulatory provisions, the insurers should undertake the rural and social sector obligations as prescribed therein in every financial year.

III.14.2 With effect from financial year 2020-21, Accredited Social Health Activist (ASHA) workers and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) workers are treated as pertaining to Rural and Social Sector category.

IV

ORGANISATIONAL MATTERS

PART IV: ORGANISATIONAL MATTERS

IV.1 ORGANIZATION

IV.1.1 Shri. Debasish Panda IAS (UP:87) (Retd.), former Secretary, Department of Financial Services was appointed as Chairperson of the Authority by the Government of India for a period of three years with effect from March 14, 2022.

Shri Parmod Kumar Arora, Whole-time Member (Actuary) and Smt. S. N. Rajeswari, Whole-time Member (Distribution) continued in the Authority during the period.

Smt. T.L. Alamelu, Whole-time Member (Non-Life) and Shri K. Ganesh, Whole-time Member (Life) continued and held the office upto May 06, 2022 and July 30, 2022 respectively.

Shri Rakesh Joshi, appointed as Whole-time Member (Finance & Investments) with effect from March 22, 2022.

Shri Thomas M. Devasia, appointed as Whole-time Member (Non-Life) with effect from September 19, 2022.

IV.1.2 Shri Debasish Panda, Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance and

Ms. Sushama Nath, former Finance Secretary, continued as Part-time Members of the Authority and held the office upto June 24, 2021 and August 23, 2021 respectively.

Shri Amit Agrawal, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India was appointed as Part-time Member of the Authority with effect from June 25, 2021 and held the office upto July 03, 2022.

Shri Suchindra Misra, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India was appointed as Part-time Member of the Authority with effect from July 04, 2022.

Shri Nihar N Jambusaria, President, the Institute of Chartered Accountants of India, became Part-time Member of the Authority with effect from February 12, 2021 and continued up to February 11, 2022. Thereafter, CA (Dr.) Debashis Mitra, President, the Institute of Chartered Accountants of India, became Part-time Member of the Authority with effect from February 12, 2022.

Table IV.1: Composition of the Authority as on March 31, 2022

Name	Position	Provision
Shri Debasish Panda	Chairperson	Appointed under Section 4(a) of the IRDA Act, 1999
Smt. T L Alamelu	Whole-time Member (Non-Life)	Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999
Shri K Ganesh	Whole-time Member (Life)	Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999
Shri Parmod Kumar Arora	Whole-time Member (Actuary)	Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999
Smt. S. N. Rajeswari	Whole-time Member (Distribution)	Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999
Shri Rakesh Joshi	Whole-time Member (Finance & Investment)	Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999
Shri Amit Agrawal	Part-time Member	Appointed under Section 4(c) of the IRDA Act, 1999
CA(Dr.) Debashis Mitra	Part-time Member	Appointed under Section 4(c) of the IRDA Act, 1999

Meetings of the Authority

IV.1.3 During the year 2021-22, the Authority met on six occasions.

Authority Meeting	Date
113 th Meeting of the Authority	June 28, 2021
114 th Meeting of the Authority	September 02, 2021
115 th Meeting of the Authority	October 01, 2021
116 th Meeting of the Authority	December 22, 2021
117 th Meeting of the Authority	February 09, 2022
118 th Meeting of the Authority	March 28, 2022

The details of the meetings attended by each member are given below:

Table IV.2: Details of Meetings of the Authority held during 2021-22

Name	Number of Meetings Held	Number of Meetings Attended
Shri Debasish Panda	1*	1
Smt. T L Alamelu	6	6
Shri K Ganesh	6	6
Shri Parmod Kumar Arora	6	6
Smt. S. N. Rajeswari	6	6
Shri Rakesh Joshi	1*	1
Smt. Sushama Nath	1**	1
Shri Amit Agrawal	6	6
Shri Nihar N Jambusaria	5**	2
CA(Dr.) Debasish Mitra	1*	1

* Number of meetings held after assuming charge.

** Number of meetings held during the year before demitting the office.

Table IV.4: Category-wise Staff Strength in IRDAI

Category	As on March 31, 2021				As on March 31, 2022			
	SC	ST	Others	Total	SC	ST	Others	Total
I	21 (10.61)	7 (3.54)	170 (85.86)	198 (100.00)	21 (10.88)	7 (3.63)	165 (85.49)	193 (100.00)
II & IV	1 (6.67)	1 (6.67)	13 (86.67)	15 (100.00)	1 (6.67)	1 (6.67)	13 (86.67)	15 (100.00)
Total	22 (10.33)	8 (3.76)	183 (85.92)	213 (100.00)	22 (10.58)	8 (3.85)	178 (85.58)	208 (100.00)

IV.2 HUMAN RESOURCES

IV.2.1 The role of Human Resource Department is to meet the requirement of human resources and plan, develop, process and administer policies and programs designed to create an environment that develops, encourage and sustains the well-being of employees. The main aim is to strengthen the employer-employee relationship through measuring job satisfaction, employee engagement and resolving workplace conflict.

The vision of the department is to develop, implement and support programs and processes that add value to the Authority and its employees, leading to improved employee welfare, empowerment, growth and retention.

Staff Strength

IV.2.2 The staff strength and the need for additional manpower are reviewed from time to time. The position of sanctioned and actual staff strength as on March 31, 2022 is given below:

Table IV.3: Sanctioned and Actual Staff Strength in IRDAI

Class	As on March 31, 2021		As on March 31, 2022	
	Sanctioned	Actual	Sanctioned	Actual
I	258	198	319	193
III & IV	22	15	17	15
Total	280	213	336	208

Category-wise Staff Strength

IV.2.3 The category-wise distribution of the staff members is provided below:

Gender and Age Profile of Employees

IV.2.4 Out of 208 employees, 50 are female constituting 24 per cent. IRDAI is a young and dynamic organization with average age of employees about 42 years. The age-wise distribution of the staff members in 2021-22 is given below:

Table IV.5: Age-wise Distribution of Staff in IRDAI

Age (Years)	Staff Strength	Percentage to Total
≤ 30	38	18.27
31 - 40	54	25.96
41 - 50	85	40.87
51 - 60	31	14.90
Total	208	100.00

Region-wise Staff strength

IV.2.5 The region-wise distribution of the staff members is provided below:

Table IV.6: Region-wise Staff Strength in IRDAI

Region	No. of Officers	Percentage of Total
Head Office	186	89.43
New Delhi Regional Office (NDRO)	16	7.69
Mumbai Regional Office (MRO)	6	2.88
Total	208	100.00


Grade-wise Staff Strength

IV.2.6 The grade-wise distribution of staff members is provided below:

Table IV.7: Grade-wise Staff Strength in IRDAI

Grades	2020-21	2021-22
Executive Director (ED)	1	1
Chief General Manager (CGM)	7	6
General Manager (GM)	19	19
Deputy General Manager (DGM)	24	23
Assistant General Manager (AGM)	47	45
Manager (MGR)	27	27
Assistant Manager (AM)	73	72
Assistant (ASST)	14	14
Senior Assistant (SA)	1	1
Total	213	208

Chart IV.1: Grade-wise Distribution of Staff in IRDAI (2021-22)



Training and Development

IV.2.7 Training and Development is critical for helping employees to develop their personal and professional skills, knowledge, and abilities. In order to enhance and widen the knowledge base, employees have been nominated for various training programs. Several training initiatives were undertaken during the year to enhance the knowledge, skills and efficiencies of staff members.

In-house Training

IV.2.8 To create a talent pool, the Capacity Building Programme was continued in IRDAI that involves imparting training to the staff members weekly on the Core Curriculum modules developed by International Association of Insurance Supervisors (IAIS). The aim of the program was to develop sufficient well-qualified staff, including experienced actuaries, auditors, insurance/re-insurance experts, economists, lawyers, and IT specialists. The staff must have appropriate levels of skills and experience to meet the demands of supervision. In addition, Supervisors must keep up with insurance industry practices and levels of sophistication so as to supervise the regulated entities effectively.

Domestic Training

IV.2.9 Twenty-eight (28) officers dealing with RTI related matters have attended two days webinar on "Transparency Audit with respect of compliance under Section 4 of RTI Act, 2005" between August 26 and 27, 2021. Four officers have attended two days online training on "Advance course on disciplinary proceedings" between July 22 and 23, 2021 conducted by the National Productivity Council, New Delhi.

Foreign Training

IV.2.10 Four officers have attended five days National Association of Insurance Commissioners (NAIC) International Fellows Virtual Programme.

Other Activities

Azadi Ka Amrit Mahotsav

IV.2.11 As per the initiatives of the Government of India, 75th Independence Day was celebrated as "Azadi Ka Amrit Mahotsav". The aim was not only to acknowledge the struggles, which our forefathers had to endure, but also to appreciate the journey so far and celebrate the same. All staff and their family members were encouraged to participate in this Mahotsav in remembering India's achievements in insurance sector since independence and the achievements of IRDAI.

In this regard, a week long activities such as singing of patriotic songs and poem recitation by employees, discussion on history of insurance, Malhotra Committee report and achievements of IRDAI, small plays/self shot films on the themes of 'journey of independence' and 'Story of inclusion in Insurance and/or on different products and services and exhibition showcasing the story of innovation and transformation in the Organization and insurance sector from independence to present day including global outreach and vision up to 2047 were conducted.

Covid-19 Vaccination

IV.2.12 Vaccination drive has been carried out for IRDAI staff members and their families including outsource staff and their family members.

Observance of International Women's Day

IV.2.13 The International Women's Day (IWD) 2022 was celebrated on March 08, 2022 by all the staff with lot of enthusiasm praising women officers for their achievements in professional and other fields.

Constitution Day

IV.2.14 As part of Government's initiative of Azadi ka Amrit Mahotsav, the Constitution Day was organized with "Jan Bhagidari" on a mega scale. When the Hon'ble President of India lead the

celebration of the Constitution Day-live from Central Hall of Parliament on November 26, 2021 IRDAI staff read out the Preamble of the Constitution along-with the Hon'ble President of India.

On the occasion, an "Online Quiz on Constitutional Democracy" was also organized and large number of staff participated enthusiastically.

National Girl Child Day

IV.2.15 IRDAI had celebrated the "National Girl Child Day" on January 24, 2022, as part of the initiatives under 'Azadi Ka Amrit Mahotsav'. Employees took photographs with their daughter/s and recorded short video messages with their own caption and the pictures were displayed on the virtual notice board of IRDAI.

Internal Committee for Women Employees

IV.2.16 In terms of provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaints Committee has been reconstituted vide office order ref: IRDAI/HR/ORD/PER/222/08/2020 dated August 27, 2020 with a view to redressing the complaints in this regard as also to ensure compliance of various provisions laid down in the Act. There are no complaints received in the year 2021-22.

The Authority has conducted a program viz., Behavioral training / Management Development Program, that included a session on 'Prevention of Sexual Harassment of women at work place' for all the staff members.

Grievance Redressal Committee

IV.2.17 The Grievance Redressal Committee (GRC) was constituted in accordance with Regulation 72 of IRDA (Condition of Service of Officers & Other Employees) Regulations, 2000, on February 04, 2011, to look into grievances, if any, of its officers and employees. Regulation 78 of IRDAI Staff (Officers and Other Employees) Regulations, 2016 prescribes the provisions and process for

Grievance redressal and welfare of employees. The Committee was last reconstituted on January 21, 2020. During the year 2021-22, one complaint was received and dealt with.

In pursuance of recommendation of National Commission for Schedule Caste (NCSC), an Internal Grievance Redressal Committee (IGC) for employees belonging to Schedule Castes community has been constituted on November 05, 2021.

IV.3 PROMOTION OF OFFICIAL LANGUAGE

IV.3.1 IRDAI continues to make its concerted efforts to promote the use of Hindi in office work. A separate Official Language Implementation (OLI) department is functioning to ensure effective compliance with various provisions relating to the implementation of official language. During the year, special efforts were made to ensure compliance the Official Language Policy of the Union enshrined in the Constitution of India including the Official Language Act, 1963, the Official Language Rules, 1976, and the annual programme given by the Government of India for the use of Hindi and the orders issued by the Department of Official Language from time to time. The annual programme for use of Hindi for the year 2021-22 was published through an office order for its compliance.

IV.3.2 All the documents to be laid down before the Parliament were prepared in bilingual. The letters/representations/appeals/RTI applications received in Hindi were replied in Hindi ensuring compliance with Rule 5 of the Official Language Rules, 1976. Implementation of Rule 11 of the above Rules was also ensured.

Progress Report

IV.3.3 The data relating to the quarterly progress report was collected from all the departments in the format prescribed by the Department of Official Language, Government of India. The report was submitted to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and

Department of Financial Services, Ministry of Finance within the stipulated time period. Besides the quarterly progress report, half yearly progress report, annual progress report and the evaluation report were also prepared and submitted to the aforesaid departments as well as to the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC).

Achievements and Awards

IV.3.4 IRDAI successfully organized an online Hindi typing competition for Town Official Language Implementation Committee through the online typing application created by IRDAI with the special purpose of promoting Hindi typing. All employees were encouraged to use Hindi in their day-to-day correspondence. Assistance was provided in preparing the agenda and minutes in Hindi for meetings of Authority. Maintaining registers in bilingual form as well as use of Hindi in the official notings and documents was encouraged.

IV.3.5 Hindi correspondence and Hindi noting stood at 73.05 per cent and 86.34 per cent respectively against the target of 55 per cent and 30 per cent for the period ended March 31, 2022. In comparison to the last year, average Hindi correspondence has registered an increase of 0.52 per cent, Hindi noting has registered a growth of 2.59 per cent. The original correspondence was 100 per cent bilingual by the Mumbai Regional Office. In order to increase Hindi correspondence, 24 standard formats were developed in the year 2021-22.

IV.3.6 On September 14, 2021 IRDAI has won second prize in Region 'C' for the year 2020-21 for doing excellent performance in official language for the awarding of Rajbhasha Kirti Puruskar in the category of board / autonomous body / trust/ society. The IRDAI has been awarded the first prize by Town Official Language Implementation Committee (Banks) for implementation of official language. Twenty-six Employees have won the prize under the aegis of TOLIC.

IV.3.7 IRDAI organized two official language technical seminars and a Hindi quiz competition for the member offices of TOLIC. The top level executives of the IRDAI participated in the 72nd and 73rd meetings of Town Official Language Implementation Committee (Banks), Hyderabad. In addition to this, IRDAI actively participated in all the seminars, workshops / competition organized by TOLIC. On October 30, 2021 OLI department of IRDAI delivered a guest lecture at Army Public School, Golkonda, Hyderabad on the subject "Hindi is the language of employment" and on February 17, 2022 at Regional office of New India Assurance Ltd., Hyderabad on the subject "Introduction to Official Language Rules".

IV.3.8 Eight officers of IRDAI participated in the one-day workshop organized by the Department of Financial Services on October 21, 2021 and February 04, 2022. In addition to this, IRDAI participated in the one-day Regional Official Language conference and prize distribution ceremony of the South and South West Region organized by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India on December 04, 2021 at Hyderabad.

Hindi Training

IV.3.9 The roster of employees was updated according to the Hindi language knowledge and training of the employees. This is particularly utilized for nominating employees for the training programmes of Pragma and Parangat conducted by the Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. During 2021-22, 35 employees were given Pragma and Parangat Hindi knowledge training. As per provision for Hindi training in the office, all the officials who have undergone training were given honorarium. Provision has been made to pay honorarium for Parangat training in IRDAI. For the promotion of the use of Hindi, 10 employees have been trained through ongoing desk training.

Hindi Workshops and Meetings

IV.3.10 Official Language Implementation Committee has been constituted under the chairmanship of the Chairman with all the heads of departments as members, and review meetings have been organized every quarter. Official Language Implementation Committees have also been constituted at New Delhi and Mumbai Regional Offices. Hindi workshops were conducted regularly to make the employees familiar with the rules related to Hindi and Hindi typing with the help of Unicode and other easy to use methods in order to make more extensive use of Hindi in their day-to-day work. During 2021-22, 102 employees of Head Office at Hyderabad were trained through these workshops. Hindi workshops were also organized at New Delhi Regional Office and Mumbai Regional Office and training was imparted to 14 and seven employees respectively.

Monitoring of Official Language Implementation

IV.3.11 OLI department at Head Office conducted OLI inspection of all the departments of Head Office including Mumbai and New Delhi Regional Office in February-March 2022.

Hindi Pakhwada

IV.3.12 Hindi Pakhwada was celebrated during September 14 – 29, 2021 in the Head Office and Regional Offices of IRDAI. During this Pakhwada, a total of nine competitions were held and 43 officers were participated. The department, winning the most prizes and the department that participated the most in the Pakhwada were also rewarded. In total, 116 officers and employees and two departments were awarded.

Other Information

IV.3.13 To promote Hindi, 116 Hindi books written by prominent authors were included in the library during the current year and the budget for Hindi

books is being increased every year continuously. The OLI Department interacted regularly with communication department of IRDAI for publishing consumer awareness material in Hindi and other regional languages. More than 50 per cent of the total expenditure for advertisements in IRDAI was incurred on the advertisements in Hindi and the regional languages.

IV.4 INFORMATION TECHNOLOGY

IV.4.1 As a part of constant endeavor to improve the efficiency and effectiveness of IT systems, IRDAI has taken several steps during the current financial year.

Business Analytics Project (BAP)

IV.4.2 Business Analytics Project is the application for offsite regulatory monitoring developed by IRDAI. The new service provider – Wipro Ltd. has been selected through open Expression of Interest (EOI) followed by Limited Tender – Request for Proposal (RFP), published on Central Public Procurement Portal (CPPP) for a total period of seven years for BAP 2.0.

Surveyor module in BAP has undergone major modifications during the year, in order to ensure that the regulatory applications are aligned to the regulatory requirements.

BAP Module	Changes implemented
Surveyor	Implementation of Amendment of Surveyor 2015 regulations in BAP.

Other major activities in BAP are:

- Streamlining of Surveyor refunds post integration of Paygov Multiple payment interface.
- Completion of tendering activities for BAP 2.0.
- Signing of separate agreement with SAP India Pvt. Ltd. for BAP 2.0

Internal Applications

IV.4.3 During the year, the following activities were carried out:

- Development of IRDAI's intranet and revamped website successfully completed. IRDAI's revamped website is live in parallel.
- Maintenance and support for Cross Border Reinsurers, IMF and ISNP applications.
- Migration of internal applications.

Information and Cyber Security for Insurers

IV.4.4 IRDAI has taken up following initiatives / steps for information and cyber security for insurers:

- A committee was constituted to review IRDAI's Information and Security guidelines dated April 07, 2017 and whether to extend the applicability of Guidelines for insurers to other entities, which are regulated by IRDAI, with or without modification.
- Strengthening of IT security of insurers due to close follow-ups with insurers for timely submission of Annual Assurance Audit.
- Advisories issued to insurers from time-to-time to keep up with the evolving challenges and better management of cyber security threats.
- IRDAI in co-ordination with NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre) has identified systems of LIC (Life Insurance Corporation) as Critical Information Infrastructure (CII).

Strengthening of Internal Information and Cyber Security

IV.4.5 VAPT (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) for entire ICT infrastructure of IRDAI for public facing and internal applications was conducted to identify and close gaps for strengthening IRDAI cyber security.

IV.4.6 IRDAI Information Security policies and procedures and Cyber Crisis Management Plan are prepared to strengthen IRDAI IT security and procedures.

IV.5 ACCOUNTS

IV.5.1 The accounts of the Authority for the Financial Year 2021-22 have been submitted to the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for audit and certification.

The audited accounts for the Financial Year 2020-21 were laid before the Lok Sabha on December 20, 2021 and before the Rajya Sabha on December 14, 2021, in terms of Section 17 of The IRDA Act, 1999.

IV.6 ACKNOWLEDGEMENTS

IV.6.1 IRDAI would like to place on record its appreciation and sincere thanks to the Members of the Authority, Members of the Insurance Advisory Committee, the Reinsurance Advisory Committee, Department of Financial Services (Ministry of Finance), Members of the Consultative Committee, all insurers and intermediaries for their invaluable guidance and co-operation in its proper functioning; and to the compact team of officers and employees of IRDAI for efficient discharge of their duties. The Authority also records its special thanks to the members of the public, the press, all the professional bodies and international agencies connected with the insurance profession through their councils including the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) for their valuable contribution from time to time.

The background features a vibrant orange and yellow color palette with fluid, wavy organic shapes. On the left and right sides, there are series of thin, white, curved lines that create a sense of motion and depth. The overall aesthetic is modern and dynamic.

STATEMENTS

INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE PENETRATION

(In per cent)

S.No.	Country*	2020			2021		
		Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total
	America						
1	USA	3.0	9.0	12.0	2.6	9.1	11.7
2	Canada	3.5	5.2	8.7	3.3	4.8	8.1
3	Brazil	2.3	1.8	4.1	2.1	1.7	3.9
4	Mexico	1.2	1.4	2.6	1.2	1.3	2.5
5	Argentina	0.3	1.9	2.2	0.3	1.9	2.2
	Europe-Middle East-Africa						
6	South Africa	11.2	2.5	13.7	10.0	2.2	12.2
7	UK	8.8	2.3	11.1	8.9	2.2	11.1
8	France	5.1	3.5	8.6	6.1	3.4	9.5
9	Italy	6.3	2.3	8.6	6.9	2.2	9.1
10	Netherlands	1.5	8.1	9.6	1.4	7.7	9.1
11	Sweden	5.8	1.8	7.6	5.8	1.9	7.6
12	Switzerland	4.3	4.1	8.4	3.1	4.0	7.1
13	Germany	2.8	4.0	6.8	2.6	3.9	6.5
14	Spain	1.9	3.2	5.2	2.0	3.2	5.1
15	Russia	0.4	1.0	1.4	0.4	0.9	1.3
16	Saudi Arabia	0.0	1.5	1.5	0.1	1.3	1.3
17	Turkey	0.3	1.2	1.5	0.2	1.1	1.3
18	Pakistan	0.5	0.3	0.8	0.5	0.2	0.7
	Asia Pacific						
19	Taiwan	14.0	3.4	17.4	11.6	3.2	14.8
20	South Korea#	6.4	5.2	11.6	5.8	5.2	10.9
21	Singapore	7.6	1.9	9.5	7.5	1.8	9.3
22	Japan#	5.8	2.4	8.1	6.1	2.2	8.4
23	Thailand	3.4	1.9	5.3	3.4	1.9	5.4
24	Malaysia#	4.0	1.5	5.4	3.9	1.4	5.3
25	New Zealand	0.8	4.1	4.9	0.8	4.0	4.8
26	Australia	1.1	3.6	4.7	1.0	3.5	4.4
27	India#	3.2	1.0	4.2	3.2	1.0	4.2
28	China	2.4	2.1	4.5	2.1	1.9	3.9
29	Indonesia	1.4	0.5	1.9	1.1	0.5	1.6
30	Sri Lanka	0.5	0.6	1.2	0.6	0.6	1.3
	World	3.3	4.1	7.4	3.0	3.9	7.0

* Data pertains to the calendar year 2020 & 2021

Data pertains to financial year 2020-21 & 2021-22

Note: Insurance penetration is measured as ratio of premium (in US Dollars) to GDP (in US Dollars)

Source: Swiss Re, Sigma Volumes 3/2021 and 4/2022

STATEMENT 2

INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE DENSITY

(In USD)

S.No.	Country*	2020			2021		
		Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total
	America						
1	USA	1,918	5,754	7,673	1,837	6,356	8,193
2	Canada	1,532	2,243	3,775	1,697	2,520	4,217
3	Brazil	151	120	271	160	130	290
4	Mexico	99	116	214	115	131	247
5	Argentina	24	156	180	31	207	238
	Europe-Middle East-Africa						
6	Switzerland	3,667	3,557	7,224	2,866	3,744	6,610
7	Netherlands	799	4,223	5,022	805	4,497	5,301
8	UK	3,574	949	4,523	4,234	1,039	5,273
9	Sweden	2,993	945	3,938	3,478	1,119	4,597
10	France	1,959	1,359	3,317	2,654	1,486	4,140
11	Germany	1,281	1,827	3,108	1,321	1,992	3,313
12	Italy	1,972	721	2,692	2,467	785	3,253
13	Spain	525	871	1,396	591	960	1,551
14	South Africa	560	124	684	698	154	852
15	Saudi Arabia	8	273	281	13	299	312
16	Russia	41	105	146	49	111	160
17	Turkey	24	104	128	22	102	124
18	Pakistan	6	3	10	7	4	11
	Asia Pacific						
19	Singapore	4,528	1,110	5,638	5,414	1,327	6,742
20	Taiwan	3,861	938	4,800	3,772	1,032	4,804
21	South Korea#	2,050	1,691	3,741	1,971	1,764	3,735
22	Japan#	2,329	951	3,280	2,347	855	3,202
23	Australia	568	1,880	2,448	623	2,195	2,817
24	New Zealand	349	1,678	2,027	403	1,936	2,339
25	Malaysia#	415	153	568	444	157	600
26	China	241	214	455	253	229	482
27	Thailand	244	139	383	246	141	387
28	India#	59	19	78	69	22	91
29	Indonesia	54	21	75	48	22	70
30	Sri Lanka	21	24	45	24	25	49
	World	360	449	809	382	492	874

* Data pertains to the calendar year 2020 & 2021

Data pertains to financial year 2020-21 & 2021-22

Note: Insurance density is measured as ratio of premium (in US Dollar) to total population.

Source: Swiss Re, Sigma Volumes 3/2021 and 4/2022

PREMIUM UNDERWRITTEN BY LIFE INSURERS

(₹crore)

S.No.	Insurer	2020-21	2021-22
	Private Sector Insurers		
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	9,775.22	12,140.23
2	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	526.07	416.46
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	1,958.64	2,207.30
4	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	1,165.25	1,268.15
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	12,024.84	16,127.05
6	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	2,280.82	2,601.56
7	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	5,116.03	5,889.92
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	1,248.24	1,464.20
9	Exide Life Insurance Co. Ltd.	3,324.75	3,767.96
10	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	1,322.19	1,433.54
11	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	38,583.49	45,962.83
12	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	35,732.82	37,457.99
13	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	4,055.50	5,186.56
14	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	11,100.22	13,015.11
15	Max Life Insurance Co. Ltd.	19,017.90	22,414.17
16	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	6,032.82	7,348.26
17	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	993.60	1,098.78
18	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	4,736.45	5,036.57
19	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	73.20	61.44
20	SBI Life Insurance Co. Ltd.	50,254.17	58,759.64
21	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	2,018.53	2,349.60
22	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	2,998.62	4,136.80
23	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	11,105.09	14,445.03
	Private Total	225,444.48	264,589.17
		(16.50)	(17.36)
24	Life Insurance Corporation of India	403,286.55	428,024.97
		(6.30)	(6.13)
	Grand Total	628,731.04	692,614.14
		(9.74)	(10.16)

Note: Figures in the brackets represent the growth (in per cent) over the previous year.

LINKED AND NON-LINKED PREMIUM OF LIFE INSURERS
(2021 - 22)

S. No.	Insurer	Linked Premium				Non-Linked Premium				Total Premium				Total (New Business + Renewal)		
		First Year	Single	New Business (First Year + Single)	Renewal	Total (New Business + Renewal)	First Year	Single	New Business (First Year + Single)	Renewal	Total (New Business + Renewal)	First Year	Single		New Business (First Year + Single)	Renewal
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	762.10	1,310.70	2,072.80	1,787.94	3,860.74	1,630.86	1,961.29	3,592.15	4,687.34	8,279.49	2,392.96	3,271.99	5,664.95	6,475.28	12,140.23
2	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	0.19	0.09	0.28	93.40	93.67	16.07	0.32	16.39	306.40	322.79	16.25	0.42	16.67	399.79	416.46
3	Aegon Federal Life Insurance Co. Ltd.	149.04	239.83	388.86	343.23	732.09	218.44	209.13	427.57	1,047.64	1,475.21	367.47	448.96	816.43	1,390.87	2,207.30
4	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	110.00	2.62	112.61	214.09	326.70	17.10	162.96	180.06	761.38	941.44	127.09	165.58	292.67	975.47	1,268.15
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	1,426.48	464.53	1,891.00	3,195.00	5,086.00	5,016.37	2,229.07	7,245.44	3,795.61	11,041.05	6,442.85	2,693.60	9,136.44	6,990.61	16,127.05
6	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	73.51	55.40	128.91	143.88	272.80	173.01	633.31	806.32	1,522.44	2,328.76	246.52	688.71	935.23	1,666.32	2,601.56
7	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	513.96	56.48	570.44	1,307.53	1,877.98	1,403.13	822.16	2,225.29	1,786.65	4,011.95	1,917.09	878.65	2,795.73	3,094.19	5,889.92
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	689.3	7.33	76.26	259.38	335.64	49.27	354.93	404.19	724.37	1,128.57	118.19	362.26	480.45	983.75	1,464.20
9	Exide Life Insurance Co. Ltd.	87.55	77.72	165.26	128.27	293.53	65.46	771.37	836.83	2,637.61	3,474.43	153.01	849.08	1,002.09	2,765.87	3,767.96
10	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	30.06	2.04	32.10	80.87	112.97	24.99	399.87	424.87	895.70	1,320.57	55.06	401.91	456.97	976.57	1,433.54
11	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	2,098.88	1,378.88	3,477.76	8,550.35	12,028.11	14,721.57	5,955.49	20,677.05	13,257.66	33,934.72	16,820.45	7,334.37	24,154.82	21,808.01	45,962.83
12	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	3,524.53	1,810.13	5,334.66	14,897.15	20,231.81	7,726.61	2,440.98	10,167.59	7,058.60	17,226.18	11,251.14	4,251.11	15,502.24	21,955.75	37,457.99
13	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	376.06	74.74	450.80	900.89	1,351.69	1,355.21	960.20	2,315.41	1,519.46	3,834.87	1,731.27	1,034.94	2,766.21	2,420.35	5,186.56
14	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	1,474.45	930.38	2,404.83	1,359.06	3,763.88	2,023.36	1,714.58	3,737.94	5,513.29	9,251.23	3,497.81	2,644.96	6,142.77	6,872.35	13,015.11
15	Max Life Insurance Co. Ltd.	2,169.09	40.71	2,209.80	4,383.86	6,593.66	2,546.71	3,148.41	5,695.12	10,125.39	15,820.51	4,715.80	3,189.12	7,904.92	14,509.25	22,414.17
16	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	429.73	53.78	483.50	896.87	1,380.38	537.47	1,447.12	1,984.59	3,983.29	5,967.89	967.20	1,500.89	2,468.10	4,880.17	7,348.26
17	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	8.16	6.15	14.31	25.17	39.47	184.21	106.35	290.56	768.74	1,059.30	192.37	112.50	304.87	793.91	1,098.78
18	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	514.68	13.76	528.44	761.63	1,290.07	55.86	698.02	753.88	2,992.62	3,746.50	570.54	711.78	1,282.32	3,754.26	5,036.57
19	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	-	-	-	1.52	1.52	-	0.00	0.00	59.92	59.92	-	0.00	0.00	61.44	61.44
20	SBI Life Insurance Co. Ltd.	9,109.89	2,245.41	11,355.30	22,034.83	33,390.13	10,270.40	3,831.66	14,102.05	11,267.46	25,369.51	19,380.28	6,077.07	25,457.35	33,302.29	58,759.64
21	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	9.48	11.59	21.07	21.58	42.65	336.59	711.94	1,048.52	1,258.43	2,306.95	346.07	723.52	1,069.59	1,280.01	2,349.60
22	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	242.52	49.15	291.67	259.89	551.56	336.01	1,298.63	1,634.64	1,950.60	3,585.25	578.53	1,347.78	1,926.31	2,210.49	4,136.80
23	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	1,386.58	54.18	1,440.76	1,989.42	3,430.18	668.86	3,248.88	3,917.74	7,097.10	11,014.84	2,055.44	3,303.07	5,358.50	9,086.52	14,445.03
	Private Total	24,565.83	8,885.60	33,451.43	63,635.81	97,087.23	49,377.56	33,106.66	82,484.22	85,017.72	167,501.94	73,943.39	41,992.25	115,935.64	148,653.53	264,589.17
24	Life Insurance Corporation of India	305.84	2,174.34	2,480.18	759.28	3,239.46	36,343.51	160,108.49	196,432.00	228,333.51	424,785.51	36,649.35	162,282.83	198,932.18	229,092.80	428,024.97
	Grand Total	24,871.67	11,059.94	35,931.60	64,395.09	100,326.69	85,721.07	193,215.14	278,936.22	313,351.23	592,287.45	110,592.74	204,275.08	314,867.82	377,746.32	692,614.14

(₹ crore)

SEGMENT-WISE TOTAL PREMIUM OF LIFE INSURERS (2021 - 22)

(₹crore)

LINKED (INDIVIDUAL AND GROUP)

Type	Non-Participating				Participating				Both	
	First Year	Renewal	Single	Total	First Year	Renewal	Single	Total	Grand Total	Percentage
Annuity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Health	-0.01	163.65	-	163.64	-	-	-	-	163.64	0.16
Life	20,840.95	57,868.06	9,915.41	88,624.42	-	1.03	-	1.03	88,625.45	88.34
Pension	4,030.73	6,362.30	1,144.52	11,537.55	-	0.06	-	0.06	11,537.61	11.50
Variable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	24,871.67	64,394.00	11,059.94	100,325.61	-	1.09	-	1.09	100,326.69	100.00

NON-LINKED (INDIVIDUAL AND GROUP)

Type	Non-Participating				Participating				Both	
	First Year	Renewal	Single	Total	First Year	Renewal	Single	Total	Grand Total	Percentage
Annuity	573.50	33.60	27,245.71	27,852.81	-	2.91	-	2.91	27,855.71	4.70
Health	120.24	504.07	9.74	634.04	-	-	-	-	634.04	0.11
Life	24,700.31	49,842.53	63,894.61	138,437.45	38,619.80	258,102.19	10,518.83	307,240.81	445,678.26	75.25
Pension	5,018.26	2,558.22	103,595.41	111,171.89	35.81	1,680.16	100.06	1,816.03	112,987.92	19.08
Variable	32.22	91.43	4,112.36	4,236.01	44.64	536.14	314.72	895.50	5,131.51	0.87
Total	30,444.54	53,029.84	198,857.83	282,332.21	38,700.24	260,321.39	10,933.61	309,955.24	592,287.45	100.00

LINKED AND NON-LINKED (INDIVIDUAL AND GROUP)

Type	Non-Participating				Participating				Both	
	First Year	Renewal	Single	Total	First Year	Renewal	Single	Total	Grand Total	Percentage
Annuity	573.50	33.60	27,245.71	27,852.81	-	2.91	-	2.91	27,855.71	4.02
Health	120.23	667.71	9.74	797.68	-	-	-	-	797.68	0.12
Life	45,541.26	107,710.59	73,810.03	227,061.87	38,619.80	258,103.22	10,518.83	307,241.84	534,303.71	77.14
Pension	9,048.99	8,920.52	104,739.93	122,709.44	35.81	1,680.22	100.06	1,816.08	124,525.52	17.98
Variable	32.22	91.43	4,112.36	4,236.01	44.64	536.14	314.72	895.50	5,131.51	0.74
Total	55,316.21	117,423.85	209,917.76	382,657.82	38,700.24	260,322.48	10,933.61	309,956.33	692,614.14	100.00

STATEMENT 6

EQUITY SHARE CAPITAL OF LIFE INSURERS

(₹crore)

S.No.	Insurer	As on March 31, 2021	Infusion during the year	As on March 31, 2022	Indian Promoter	Foreign Investor	Foreign Investment %
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	1,901.21	-	1,901.21	969.62	931.59	49.00
2	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	1,468.25	9.48	1,477.73	753.64	724.09	49.00
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	800.00	-	800.00	408.00	392.00	49.00
4	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	2,004.90	-	2,004.90	1,022.50	982.40	49.00
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	150.71	-	150.71	111.52	39.18	26.00
6	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	3,086.20	340.00	3,426.20	1,747.36	1,678.84	49.00
7	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	950.00	-	950.00	703.00	247.00	26.00
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	312.62	352.93	665.55	437.43	228.12	34.28
9	Exide Life Insurance Co. Ltd.	1,850.00	-	1,850.00	1,850.00	-	-
10	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	1,965.82	180.00	2,145.82	676.04	1,469.78	68.50
11	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	2,020.94	91.68	2,112.62	1,470.37	642.25	30.40
12	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1,435.97	1.33	1,437.31	853.31	583.99	40.63
13	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	663.46	-	663.46	490.96	172.50	26.00
14	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	510.29	-	510.29	510.29	-	-
15	Max Life Insurance Co. Ltd.	1,918.81	-	1,918.81	1,819.68	99.14	5.17
16	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	2,012.88	-	2,012.88	1,028.27	984.61	48.92
17	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	374.06	-	374.06	190.77	183.29	49.00
18	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	1,196.32	-	1,196.32	610.13	586.20	49.00
19	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	232.00	-	232.00	232.00	-	-
20	SBI Life Insurance Co. Ltd.	1,000.04	-	1,000.04	725.66	274.37	27.44
21	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	179.38	-	179.38	103.34	76.04	42.39
22	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	258.96	-	258.96	140.00	118.96	45.94
23	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	1,953.50	-	1,953.50	996.28	957.22	49.00
	Private Total	28,246.33	975.42	29,221.75	17,850.16	11,371.59	38.91
24	Life Insurance Corporation of India	100.00	6,225.00	6,325.00	6,325.00	-	-
	Grand Total	28,346.33	7,200.42	35,546.75	24,175.16	11,371.59	31.99

STATEMENT 7

Status of Individual Death Claims of Life Insurers
(2021-22)

S.No.	Life Insurer	(Benefit Amount in ₹ crore)																			
		Claims pending at start of the period		Claims intimated/ booked		Total Claims		Claims paid		Claims Repudiated		Claims rejected		Claims Unclaimed		Claims pending at end of the period		"Break up of claims pending - duration wise (No. Policies)"			
		No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	< 3 months	3 - < 6 months	6 - < 1 yr	> 1 yr
1	Aditya Birla Sun Life	11	3.64	9997	876.69	10008	880.32	9815	846.43	186	32.98	-	-	-	-	7	0.91	-	-	-	
2	Aegon Life	0	0.00	720	276.48	720	276.48	98.07%	96.15%	6	3.42	-	-	-	1	0.02	100.00%	-	-	-	
3	Ageas Federal	50	6.70	2644	128.03	2694	134.73	2614	98.76%	57	8.67	-	-	-	23	3.43	100.00%	1	-	-	
4	Aviva Life	0	0.00	1672	270.95	1672	270.95	97.03%	91.02%	27	4.25	-	-	-	23	3.43	95.65%	4.35%	-	-	
5	Bajaj Allianz	5	3.70	21045	822.27	21050	825.97	20844	98.39%	195	15.7%	-	-	-	11	9.37	100.00%	11	-	-	
6	Bharti Axa Life	0	0.00	3203	243.59	3203	243.59	99.02%	93.45%	27	2.04	-	-	-	2	6.82	100.00%	1	1	-	
7	Canara HSBC	25	5.87	2788	282.23	2813	288.10	2769	98.44%	41	7.81	-	-	-	3	2.50	50.00%	3	50.00%	-	
8	Edelweiss Tokio	2	3.00	993	156.86	995	159.86	976	96.42%	19	7.80	-	-	-	-	0.87%	100.00%	-	-	-	
9	Exide Life	63	8.78	7216	309.83	7279	318.62	7213	98.44%	7	0.32	-	-	-	59	11.49	91.53%	54	2	3	
10	Future Generali	8	2.71	1656	83.98	1664	86.69	1600	95.12%	64	9.02	-	-	-	-	-	3.39%	5.08%	-	-	
11	HDFC Life	178	167.24	26944	2751.01	27122	2918.24	26758	89.60%	136	107.36	188	171.83	17	5.66	23	25.18	19	4	-	
12	ICI Prudential	16	7.82	22265	3110.22	22281	3118.04	21795	98.66%	398	112.25	-	-	8	0.77	80	27.52	19	22	36	
13	India First	15	3.95	4922	245.58	4937	249.53	4785	97.82%	143	18.18	-	-	-	0.02%	0.36%	0.88%	23.75%	27.50%	45.00%	
						100%	100%	96.92%	91.10%	2.90%	7.29%	-	-	-	0.18%	1.62%	-	33.33%	66.67%	-	

STATEMENT 8

STATUS OF GROUP DEATH CLAIMS OF LIFE INSURERS
(2021-22)

S.No.	Life Insurer	(Benefit Amount in ₹ crore)																					
		Claims pending at start of the period		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims Repudiated		Claims rejected		Claims Unclaimed		Claims pending at end of the period		"Break up of claims pending - duration wise (Policies)"					
		No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	< 3 months	3 - < 6 months	6 - < 1 yr	> 1 yr
1	Aditya Birla Sun Life	7	1.69	13518	675.26	13525	676.95	13470	666.77	52	7.78	-	-	-	-	3	2.39	1	33.33%	-	-	2	-
2	Aegon Life	-	-	361	76.06	361	76.06	361	76.03	-	1.15%	-	-	-	-	0.02%	0.35%	33.33%	66.67%	-	-	-	-
3	Ageas Federal	15	4.81	481	100.83	496	105.63	446	89.03	45	15.18	-	-	-	-	5	1.42	5	100.00%	-	-	-	-
4	Aviva Life	-	-	1347	68.64	1347	68.63	1345	68.48	1	0.15	1	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bajaj Allianz	85	6.87	193169	1578.25	193254	1585.12	192902	1553.47	181	22.86	-	-	-	-	171	8.80	169	98.83%	1.17%	-	-	-
6	Bharti Axa Life	5	1.19	1802	145.06	1807	146.26	1779	143.27	28	2.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Canara HSBC	1	0.02	10551	374.03	10552	374.05	10466	361.18	86	12.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Edelweiss Tokio	-	-	2314	82.88	2314	82.88	2300	81.62	12	1.14	-	-	-	-	2	0.13	-	-	-	-	2	-
9	Exide Life	-	-	14363	324.18	14363	324.18	14363	324.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-
10	Future Generali	3	0.38	1644	226.25	1647	226.63	1575	216.41	69	9.50	1	0.00	-	-	2	0.72	-	-	-	-	-	-
11	HDFC Life	723	69.13	358401	3248.87	359124	3318.00	358116	3165.27	812	144.04	196	8.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ICICI Prudential	3634	120.73	239870	2414.50	243504	2535.23	238008	2297.01	244	51.85	42	4.96	120	0.79	5090	180.62	2942	57.80%	19.43%	829	330	6.48%
13	India First	-	-	27041	909.45	27041	909.45	26818	891.75	216	16.38	-	-	-	-	7	1.32	7	100.00%	-	-	-	-

**STATUS OF GROUP DEATH CLAIMS OF LIFE INSURERS
(2021-22)**

S.No.	Life Insurer	(Benefit Amount in ₹crore)																			
		Claims pending at start of the period		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims Repudiated		Claims rejected		Claims Unclaimed		Claims pending at end of the period		"Break up of claims pending - duration wise (Policies)"			
		No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	< 3 months	3 - < 6 months	6 - < 1 yr	> 1 yr
14	Kotak Life	427	28.18	128673	1723.46	129100	1751.64	128557	1695.32	219	23.67	-	-	-	-	324	32.65	200	67	43	14
		-	-	21110	785.24	100%	100%	99.58%	96.78%	0.17%	1.35%	-	-	-	-	0.25%	1.86%	61.73%	20.68%	13.27%	4.32%
15	Max Life	-	-	21110	785.24	100%	785.24	20985	751.27	121	25.83	-	-	-	-	4	8.15	4	-	-	-
		3	1.23	26811	1118.84	100%	100%	99.41%	95.67%	0.57%	3.29%	-	-	-	-	0.02%	1.04%	100.00%	-	-	-
16	PNB Met Life	3	1.23	26811	1118.84	100%	1120.07	26687	1097.91	124	20.31	-	-	-	-	3	1.85	2	-	1	-
		34	7.99	17870	342.32	100%	100%	99.53%	98.02%	0.46%	1.81%	-	-	-	-	0.01%	0.16%	66.67%	-	33.33%	-
17	Pramerica Life	34	7.99	17870	342.32	100%	350.31	17622	320.01	225	25.38	27	2.14	-	-	30	2.78	30	-	-	-
		2	0.05	589	28.05	100%	100%	98.42%	91.35%	1.26%	7.25%	0.15%	0.61%	-	-	0.17%	0.79%	100.00%	-	-	-
18	Reliance Nippon	2	0.05	589	28.05	100%	28.10	588	28.04	-	-	-	-	-	2	0.05	1	1	-	-	-
		-	-	-	-	100%	100%	99.49%	99.78%	-	-	-	-	-	0.34%	0.18%	100.00%	-	-	-	-
19	Sahara Life	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SBI Life	42	8.76	70438	2931.84	70480	2940.60	68596	2846.64	388	62.27	1483	29.66	-	-	3	2.39	-	1	2	-
		51	0.82	48341	386.23	100%	100%	97.33%	96.80%	0.55%	2.12%	2.10%	1.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.08%	-	33.33%	66.67%	-
21	Shriram Life	51	0.82	48341	386.23	100%	387.05	48180	381.61	202	5.30	10	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	21835	546.16	100%	100%	99.56%	98.59%	0.42%	1.37%	0.02%	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SUD Life	-	-	21835	546.16	100%	546.16	21448	532.25	85	7.90	302	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	1748	268.81	100%	100%	98.23%	97.45%	0.39%	1.45%	1.38%	1.10%	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Tata AIA Life	-	-	1748	268.81	100%	268.81	1738	266.61	10	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5032	251.85	1202277	18355.20	1207309	18607.06	1196350	17854.10	3120	457.61	2062	51.61	134	2.10	5643	241.64	3361	1059	879	344
Total		6200	99.66	222572	8217.07	100%	100%	99.09%	95.95%	0.26%	2.46%	0.17%	0.28%	0.01%	0.01%	0.47%	1.30%	59.56%	18.77%	15.58%	6.10%
24	LIC	6200	99.66	222572	8217.07	228772	8316.73	222092	8189.14	5967	91.67	-	-	-	-	713	35.93	521	192	-	-
		11232	351.51	1424849	26572.28	1436081	26923.79	1418442	26043.24	9087	549.27	2062	51.61	134	2.10	6356	277.57	3882	1251	879	344
Total		100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.77%	96.73%	0.63%	2.04%	0.14%	0.19%	0.01%	0.01%	0.44%	1.03%	61.08%	19.68%	13.83%	5.41%

STATE/ UT WISE DISTRIBUTION OF OFFICES OF INSURERS
(AS ON MARCH 31, 2022)

S.No.	State/UT	Number of Offices			Total Number of Districts	Number of Districts with Offices		
		Life Insurers	General Insurers	Stand-alone Health Insurers		Life Insurers	General Insurers	Stand-alone Health Insurers
1	Andhra Pradesh	516	485	65	13	13	13	13
2	Arunachal Pradesh	15	12	-	25	7	3	0
3	Assam	281	221	20	34	32	27	10
4	Bihar	469	253	20	38	38	31	6
5	Chhattisgarh	198	196	16	33	29	16	6
6	Goa	52	52	6	2	2	2	2
7	Gujarat	614	603	67	33	32	31	18
8	Haryana	324	295	62	22	22	22	20
9	Himachal Pradesh	116	121	6	12	11	11	5
10	Jharkhand	288	166	22	24	24	15	9
11	Karnataka	599	625	101	31	31	29	28
12	Kerala	573	535	76	14	14	14	13
13	Madhya Pradesh	618	370	54	52	54	38	20
14	Maharashtra	1,107	1,156	188	36	36	36	31
15	Manipur	25	12	2	16	6	2	2
16	Meghalaya	23	24	2	12	7	3	1
17	Mizoram	12	10	-	11	6	4	0
18	Nagaland	18	12	-	15	7	3	0
19	Odisha	401	294	40	30	30	26	22
20	Punjab	353	387	59	23	23	22	17
21	Rajasthan	510	483	66	33	33	32	25
22	Sikkim	11	10	1	6	2	2	1
23	Tamil Nadu	919	930	141	38	38	38	35
24	Telangana	365	319	72	33	33	22	21
25	Tripura	37	46	2	8	8	4	1
26	Uttar Pradesh	1,322	721	96	75	75	66	36
27	Uttarakhand	150	128	17	13	13	9	6
28	West Bengal	740	431	96	23	23	23	22
29	Andaman & Nicobar Islands	3	8	1	3	2	0	1
30	Chandigarh	34	57	7	1	1	1	1
31	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	3	8	-	3	2	2	0
32	Delhi	242	300	46	11	11	11	9
33	Jammu & Kashmir	98	103	9	20	20	11	4
34	Ladakh	2	3	-	2	1	2	0
35	Lakshadweep	1	1	-	1	1	1	0
36	Puducherry	21	33	5	4	4	3	2
	Total	11,060	9,410	1,365	750	691	575	387

STATEMENT 10

GROSS DIRECT PREMIUM OF GENERAL AND HEALTH INSURERS (WITHIN AND OUTSIDE INDIA)

(₹crore)

S.No.	Insurer	2020-21	2021-22
	Private Sector Insurers		
1	Acko General Insurance Ltd.	422.39	988.21
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	12,569.53	13,688.59
3	Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.*	3,159.90	NA
4	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	4,388.21	4,824.12
5	Edelweiss General Insurance Co. Ltd.	218.57	348.88
6	Future Generali India Insurance C. Ltd.	3,835.23	4,137.98
7	Go Digit General Insurance Ltd.	2,417.62	4,673.94
8	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	12,295.10	13,497.55
9	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	14,003.09	17,976.87
10	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	8,410.88	8,452.91
11	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	543.99	742.47
12	Liberty General Insurance Ltd.	1,445.71	1,506.46
13	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	1,283.59	1,757.17
14	Navi General Insurance Ltd.	104.40	106.57
15	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	272.22	375.83
16	Reliance General Insurance Co. Ltd.	8,310.28	9,408.96
17	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	2,822.28	2,866.59
18	SBI General Insurance Co. Ltd.	8,264.86	9,166.22
19	Shriram General Insurance Co. Ltd.	2,138.88	1,752.95
20	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	8,042.06	10,024.97
21	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	3,052.16	3,456.12
	Private Sector Insurers Total	98,000.96	109,753.37
		(8.00)	(11.99)
	Public Sector Insurers		
22	National Insurance Co. Ltd.	14,185.75	13,076.83
23	The New India Assurance Co. Ltd.	31,573.42	35,515.93
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.	12,747.42	14,020.43
25	United India Insurance Co. Ltd.	16,704.70	15,722.25
	Public Sector Insurers Total	75,211.29	78,335.45
		(-1.73)	(4.15)
	Specialized Insurers		
26	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	12,052.57	13,940.21
27	ECGC Ltd.	1,062.28	1,106.62
	Specialized Insurers Total	13,114.85	15,046.83
		(25.66)	(14.73)
	Stand-alone Health Insurers		
28	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	1,300.64	1,726.67
29	Care Health Insurance Ltd.	2,559.75	3,880.91
30	HDFC ERGO Health Insurance Co. Ltd.**	NA	NA
31	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	755.49	986.18
32	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	1,750.78	2,809.97
33	Reliance Health Insurance Ltd.***	(0.01)	(0.02)
34	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	9,388.54	11,463.47
	Stand-alone Health Insurers Total	15,755.19	20,867.18
		(8.86)	(32.45)
	Grand Total	202,082.30	224,002.82
		(5.15)	(10.85)

*Demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. w.e.f April 01, 2021.

**Erstwhile HDFC Ergo Health Insurance Co. Ltd. merged with HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd. w.e.f March 01, 2020.

***Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance Co. Ltd.

Note:

1. Figures in bracket indicate growth (in per cent) over previous year.

2. NA indicates that insurer's business was not in operation during the corresponding financial year.

3. Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

SEGMENT-WISE GROSS DIRECT PREMIUM OF GENERAL AND HEALTH INSURERS (WITHIN INDIA)

(₹ crore)

S. No.	Insurer	Fire		Marine		Motor		Health		Others		Total		
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	
		Private Sector Insurers												
1	Acko General Insurance Ltd.	0.01	0.02	-	-	268.10	510.75	122.98	407.12	31.29	70.32	422.39	988.21	
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	1,656.56	1,916.44	166.35	211.75	4,726.33	4,844.52	2,301.74	3,381.26	3,718.55	3,334.62	12,569.53	13,688.59	
3	Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.*	324.22	-	75.12	-	1,368.48	-	456.78	-	935.31	-	3,159.90	-	
4	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	444.71	495.11	78.55	94.52	3,124.88	3,427.13	662.55	691.17	77.52	116.21	4,388.21	4,824.12	
5	Edelweiss General Insurance Co. Ltd.	10.89	17.20	5.63	2.91	111.44	197.48	88.92	126.40	1.69	4.90	218.57	348.88	
6	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	443.96	456.49	63.71	84.44	1,351.38	1,617.00	528.50	669.58	1,447.69	1,310.47	3,835.23	4,137.98	
7	Go Digit General Insurance Ltd.	162.17	260.36	0.98	13.97	1,957.31	3,008.77	214.04	675.94	83.12	714.91	2,417.62	4,673.94	
8	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	1,175.12	1,330.35	148.89	173.44	3,406.46	3,549.00	4,281.60	4,940.65	3,283.03	3,504.10	12,295.10	13,497.55	
9	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	2,157.79	2,749.52	478.73	625.04	7,019.92	8,280.09	3,021.35	4,006.91	1,325.30	2,315.31	14,003.09	17,976.87	
10	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	814.96	924.72	156.01	252.19	3,721.13	3,702.65	1,664.24	1,859.56	2,054.54	1,713.79	8,410.88	8,452.91	
11	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	35.47	50.95	0.09	4.90	286.31	388.03	207.71	275.53	14.41	23.06	543.99	742.47	
12	Liberty General Insurance Ltd.	97.90	92.13	30.24	39.12	952.72	994.97	248.29	274.63	116.57	105.60	1,445.71	1,506.46	
13	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	144.50	229.78	21.43	23.91	968.54	1,316.02	80.62	112.88	68.50	74.57	1,283.59	1,757.17	
14	Navi General Insurance Ltd.	30.68	18.59	-	-	41.82	43.00	25.82	42.46	6.08	2.52	104.40	106.57	
15	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	11.79	15.08	0.25	0.01	173.88	277.36	22.76	5.06	63.54	78.31	272.22	375.83	
16	Reliance General Insurance Co. Ltd.	874.33	938.13	84.60	108.20	3,573.60	3,844.50	955.05	1,120.93	2,822.70	3,397.19	8,310.28	9,408.96	
17	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	272.59	290.46	35.27	45.97	1,978.61	2,025.96	395.53	425.72	140.27	78.48	2,822.28	2,866.59	
18	SBI General Insurance Co. Ltd.	1,411.44	1,350.94	33.59	62.24	2,143.91	2,517.07	2,122.38	2,735.09	2,553.54	2,500.88	8,264.86	9,166.22	
19	Shriram General Insurance Co. Ltd.	39.63	55.55	1.21	1.64	2,049.24	1,631.15	17.26	31.71	31.54	32.90	2,138.88	1,752.95	
20	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	1,433.90	1,633.08	346.30	543.30	4,339.28	5,131.61	1,300.66	1,930.04	621.92	786.94	8,042.06	10,024.97	
21	Universal Sampo General Insurance Co. Ltd.	194.88	211.19	36.32	45.62	1,010.73	1,357.46	376.30	548.15	1,433.94	1,293.70	3,052.16	3,456.12	
	Private Sector Insurers Total	11,737.49	13,036.08	1,763.27	2,333.18	44,574.07	48,664.50	19,095.07	24,260.83	20,831.06	21,458.78	98,000.96	109,753.37	

SEGMENT-WISE GROSS DIRECT PREMIUM OF GENERAL AND HEALTH INSURERS (WITHIN INDIA)

S. No.	Insurer	Fire		Marine		Motor		Health		Others		Total	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
		(₹ crore)											
Public Sector Insurers													
22	National Insurance Co. Ltd.	1,175.29	1,104.10	192.79	224.37	4,865.76	4,645.95	5,769.52	6,075.14	2,137.47	976.18	14,140.83	13,025.74
23	The New India Assurance Co. Ltd.	3,771.31	3,959.27	850.94	848.96	8,801.53	8,240.52	11,404.43	15,830.28	3,720.27	3,694.85	28,548.48	32,573.88
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.	1,650.51	1,608.11	340.39	386.31	3,746.98	3,405.74	4,983.54	6,642.20	1,728.29	1,668.61	12,449.71	13,710.97
25	United India Insurance Co. Ltd.	1,778.29	1,843.48	340.70	374.79	5,803.84	5,476.76	6,745.22	6,826.65	2,036.65	1,200.57	16,704.70	15,722.25
	Public Sector Insurers Total	8,375.40	8,514.95	1,724.82	1,834.43	23,218.11	21,768.98	28,902.71	35,374.27	9,622.68	7,540.22	71,843.72	75,032.84
Specialized Insurers													
26	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12,052.57	13,940.21	12,052.57	13,940.21
27	ECGC Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,062.28	1,106.62	1,062.28	1,106.62
	Specialized Insurers Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13,114.85	15,046.83	13,114.85	15,046.83
Stand-alone Health Insurers													
28	Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,300.64	1,726.67	NA	NA	1,300.64	1,726.67
29	Care Health Insurance Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,559.75	3,880.91	NA	NA	2,559.75	3,880.91
30	HDFC ERGO Health Insurance Co. Ltd.**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	-
31	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	755.49	986.18	NA	NA	755.49	986.18
32	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,750.78	2,809.97	NA	NA	1,750.78	2,809.97
33	Reliance Health Insurance Ltd.***	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-0.01	-0.02	NA	NA	-0.01	-0.02
34	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9,388.54	11,463.47	NA	NA	9,388.54	11,463.47
	Stand-alone Health Insurers Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15,755.19	20,867.18	NA	NA	15,755.19	20,867.18
	Grand Total	20,112.89	21,551.03	3,488.09	4,167.61	67,792.19	70,433.48	63,752.97	80,502.27	43,568.58	44,045.82	198,714.72	220,700.21

*Demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. w.e.f. April 01, 2021.

**Firstwhile HDFC Ergo Health Insurance Co. Ltd. merged with HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd. w.e.f March 01, 2020.

***Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance Co. Ltd.

Note:

1. NA indicates that insurer's business was not in operation during the corresponding financial year or in the corresponding segment.

2. Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

EQUITY SHARE CAPITAL OF GENERAL, HEALTH AND REINSURANCE COMPANIES

(₹crore)

S. No.	Insurers	As on March 31, 2021	Infusion during the year	As on March 31, 2022	Promoter			Non-promoter (including foreign)	FDI (%)#
					Indian	Foreign	Total		
Private Sector Insurers									
1	Acko General Insurance Ltd.	596.00	550.00	1,146.00	1,146.00	-	1,146.00	-	-
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	110.23	-	110.23	81.57	28.66	110.23	-	26.00
3	Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.*	2,055.98	-2,055.98	-	-	-	-	-	-
4	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	298.81	-	298.81	179.28	119.52	298.81	-	40.00
5	Edelweiss General Insurance Co. Ltd.	393.00	120.00	513.00	513.00	-	513.00	-	-
6	Future Generali India Insurance C. Ltd.	904.80	-	904.80	674.02	230.78	904.80	-	25.51
7	Go Digit General Insurance Ltd.	824.69	34.32	859.01	856.48	2.53	859.01	-	0.29
8	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	711.56	1.22	712.78	356.25	349.20	705.46	7.32	48.99
9	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	454.59	36.30	490.89	235.84	-	235.84	255.05	-
10	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	274.22	6.04	280.25	142.93	137.32	280.25	-	49.00
11	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	330.00	125.00	455.00	455.00	-	455.00	-	-
12	Liberty General Insurance Ltd.	1,086.23	-	1,086.23	557.41	528.81	1,086.23	-	48.68
13	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	154.71	-	154.71	103.83	32.00	135.83	18.88	20.68
14	Navi General Insurance Ltd.	495.79	-	495.79	495.79	-	495.79	-	-
15	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	264.73	31.31	296.04	150.98	145.06	296.04	-	49.00
16	Reliance General Insurance Co. Ltd.	251.55	0.26	251.81	251.81	-	251.81	-	-
17	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	449.00	-	449.00	269.40	179.60	449.00	-	40.00
18	SBI General Insurance Co. Ltd.	215.50	0.12	215.62	190.53	25.09	215.62	-	11.64
19	Shriram General Insurance Co. Ltd.	259.16	-	259.16	198.60	59.40	258.00	1.16	22.92
20	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	994.46	-	994.46	735.90	258.56	994.46	-	26.00
21	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	368.18	-	368.18	240.74	127.44	368.18	-	34.61
	Private Sector Total	11,493.19	-1,151.43	10,341.76	7,835.35	2,223.99	10,059.35	282.41	21.50
Public Sector Insurers									
22	National Insurance Co. Ltd.	5,675.00	3,700.00	9,375.00	9,375.00	-	9,375.00	-	-
23	The New India Assurance Co. Ltd.	824.00	-	824.00	584.00	-	584.00	240.00	-
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.	3,420.00	1,200.00	4,620.00	4,620.00	-	4,620.00	-	-
25	United India Insurance Co. Ltd.	3,805.00	100.00	3,905.00	3,905.00	-	3,905.00	-	-
	Public Sector Total	13,724.00	5,000.00	18,724.00	18,484.00	-	18,484.00	240.00	-
	Private and Public Sector Total	25,217.19	3,848.57	29,065.76	26,319.35	2,223.99	28,543.35	522.41	7.65
Specialised Insurers									
26	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	-	-
27	ECGC Ltd.	3,190.00	760.00	3,950.00	3,950.00	-	3,950.00	-	-
	Specialised Insurers Total	3,390.00	760.00	4,150.00	4,150.00	-	4,150.00	-	-
Standalone Health Insurers									
28	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	360.39	74.72	435.12	221.91	213.21	435.12	-	49.00
29	Care Health Insurance Ltd.	841.04	67.53	908.57	795.84	-	795.84	112.73	-
30	HDFC ERGO Health Insurance Co. Ltd.**								
31	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	941.90	175.72	1,117.62	569.99	547.63	1,117.62	-	49.00
32	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	1,349.73	58.87	1,408.60	772.27	629.31	1,401.57	7.03	44.68
33	Reliance Health Insurance Ltd.***	193.90	-	193.90	193.90	-	193.90	-	-
34	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	548.09	27.43	575.52	338.99	-	338.99	236.53	-
	Standalone Health Insurers Total	4,235.06	404.27	4,639.33	2,892.89	1,390.15	4,283.03	356.30	29.96
	General and Health Insurers Total	32,842.24	5,012.84	37,855.09	33,362.24	3,614.14	36,976.38	878.71	9.55
Reinsurer									
35	GIC Re	877.20	-	877.20	877.20	-	877.20	-	-
	Grand Total	33,719.44	5,012.84	38,732.29	34,239.44	3,614.14	37,853.58	878.71	9.33

Indirect FDI is not considered

*Demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. w.e.f. April 01, 2021.

**Erstwhile HDFC Ergo Health Insurance Co. Ltd. merged with HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd. w.e.f. March 01, 2020.

***Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance Co. Ltd.

Note:

1. Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

2. Infusion during the year includes cancellation, reduction and fresh issue of shares

INCURRED CLAIMS RATIO OF GENERAL AND HEALTH INSURERS
(WITHIN INDIA)

S.No.	Insurer	(in per cent)											
		Fire		Marine		Motor		Health		Others		Total	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
	Private Sector Insurers												
1	Acko General Insurance Ltd.	95.92	97.16	-	-	82.35	86.87	84.64	103.75	62.01	83.21	81.83	97.83
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	54.46	57.04	65.86	63.89	68.06	68.53	77.31	90.64	56.59	56.03	68.45	72.96
3	Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.	87.35	-	83.11	-	64.27	-	65.37	-	40.85	-	63.23	-
4	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	33.82	33.48	73.52	61.87	74.30	65.05	77.35	117.08	29.89	28.59	72.44	70.29
5	Edelweiss General Insurance Co. Ltd.	135.23	77.82	1933.33	170.92	93.38	84.61	111.57	112.32	134.89	134.37	102.01	96.71
6	Future Generali India Insurance C. Ltd.	59.62	65.76	85.17	61.87	66.13	62.43	90.04	88.44	44.37	71.73	66.39	68.62
7	Go Digit General Insurance Ltd.	58.25	51.61	130.68	31.56	74.91	79.54	63.80	48.94	75.96	58.48	74.03	74.02
8	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	74.78	62.60	90.11	94.05	70.02	74.66	79.30	97.47	79.04	69.44	75.75	84.04
9	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	63.74	53.05	83.34	77.60	65.77	70.88	78.00	91.67	53.77	63.38	68.61	75.06
10	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	62.37	63.61	68.12	104.62	84.04	84.12	99.49	130.65	59.80	60.35	85.10	94.10
11	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	54.84	29.96	-466.67	300.00	74.64	82.67	55.17	72.11	31.12	36.23	66.99	77.01
12	Liberty General Insurance Ltd.	66.64	8.63	67.18	105.89	59.91	62.84	76.98	89.30	57.50	28.39	63.47	66.74
13	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	91.55	34.97	479.27	11.24	78.91	69.37	62.70	66.42	272.33	186.05	79.64	68.65
14	Navi General Insurance Ltd.	15.59	-8.32	-	-	82.91	117.97	26.78	28.56	165.42	102.51	63.71	66.29
15	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	31.80	92.82	23.81	-245.96	100.51	92.55	97.22	109.54	50.85	31.24	86.98	81.21
16	Reliance General Insurance Co. Ltd.	55.94	38.19	133.36	93.31	76.89	75.57	93.96	98.76	80.17	78.40	79.58	77.53
17	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	60.47	30.49	47.71	80.97	87.89	85.76	67.88	90.22	3.93	19.88	80.40	84.21
18	SBI General Insurance Co. Ltd.	53.42	53.91	133.49	133.63	86.10	93.58	60.72	81.92	106.32	99.83	74.11	86.31
19	Shriram General Insurance Co. Ltd.	46.86	39.20	-27.78	24.00	79.43	72.97	4.84	37.07	42.29	72.10	78.54	72.35
20	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	39.40	56.39	78.31	91.50	75.41	74.51	67.27	86.53	-52.43	10.05	68.67	75.01
21	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	57.41	17.62	105.36	80.61	87.96	91.32	111.23	113.39	79.06	11.43	90.44	77.77
	Private Sector Insurers Total	57.60	51.27	80.32	85.78	73.59	74.53	78.44	94.66	63.60	64.96	73.39	77.95

**INCURRED CLAIMS RATIO OF GENERAL AND HEALTH INSURERS
(WITHIN INDIA)**

S.No.	Insurer	Fire		Marine		Motor		Health		Others		Total	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
		(in per cent)											
	Public Sector Insurers												
22	National Insurance Co. Ltd.	71.31	87.54	74.25	93.05	78.55	90.68	101.09	125.53	76.26	68.21	86.23	104.05
23	The New India Assurance Co. Ltd.	74.07	62.27	73.53	80.41	78.20	91.00	92.79	124.54	85.92	68.78	84.19	101.23
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.	53.64	61.73	77.00	91.50	81.83	97.95	112.51	139.86	97.96	58.21	95.33	112.27
25	United India Insurance Co. Ltd.	58.40	58.47	49.94	88.50	77.17	98.90	106.04	120.21	88.68	14.48	88.45	98.57
	Public Sector Insurers Total	68.33	66.96	69.49	86.02	78.60	94.03	101.02	126.80	86.58	58.54	87.48	103.17
	Specialised Insurers												
26	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	92.38	96.41	92.38	96.41
27	ECGC Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	106.92	61.92	106.92	61.92
	Specialized Insurers Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	93.95	92.47	93.95	92.47
	Stand-alone Health Insurers												
28	Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	49.99	69.56	NA	NA	49.99	69.56
29	Care Health Insurance Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	55.15	65.07	NA	NA	55.15	65.07
30	HDFC ERGO Health Insurance Co. Ltd.*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	NA	NA	-	-
31	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	61.13	76.17	NA	NA	61.13	76.17
32	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	56.09	62.12	NA	NA	56.09	62.12
33	Reliance Health Insurance Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45.68	196.55	NA	NA	45.68	196.55
34	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	94.44	87.06	NA	NA	94.44	87.06
	Stand-alone Health Insurers Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	75.43	79.06	NA	NA	75.43	79.06
	Grand Total	65.07	60.33	75.11	85.88	75.61	81.30	89.51	105.68	83.47	72.72	81.06	89.08

*Demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. w.e.f. April 01, 2021.

**Erstwhile HDFC Ergo Health Insurance Co. Ltd. merged with HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd. w.e.f. March 01, 2020.

***Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance Co. Ltd.

Note:

1. NA indicates that insurer's business was not in operation during the corresponding financial year or in the particular segment.

2. Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

STATUS OF CLAIMS OF GENERAL AND HEALTH INSURERS (2021-22)

S. No.	Insurer	Number of Claims						Age Analysis of Number of Claims Paid (%)					
		Claims O/S at start of the period	Claims intimated/booked during the period	Claims paid during the period	Claims repudiated during the period	Claims closed during the period	Claims O/S at the end of period	< 3 months	3 months to 6 months	6 months to <1 year	1 year to <3 years*	3 years to <5 years**	≥ 5 years
Private Sector Insurers													
1	Acko General Insurance Ltd.	5,246	326,199	242,457	7,440	72,718	8,830	97.20	1.67	0.80	0.33	-	-
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	330,141	4,562,051	4,251,001	83,762	173,169	384,260	96.59	2.62	0.25	0.39	0.07	0.09
3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	67,885	478,908	419,419	39,574	10,943	76,857	93.23	4.06	1.39	0.92	0.27	0.13
4	Edelweiss General Insurance Co. Ltd.	1,833	58,503	53,325	2,133	2,133	2,745	97.26	2.07	0.62	0.06	-	-
5	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	27,759	473,084	380,919	19,106	67,636	33,182	96.01	2.05	0.89	0.59	0.22	0.24
6	Go Digit General Insurance Ltd.	10,872	315,795	267,422	14,280	23,695	21,270	96.09	2.62	0.87	0.41	0.02	-
7	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.\$	123,729	3,891,395	3,697,791	10,776	157,939	148,618	98.49	1.03	0.22	0.20	0.04	0.02
8	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	236,410	2,326,531	2,061,255	145,199	136,623	219,864	97.07	1.69	0.59	0.37	0.12	0.17
9	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	68,560	1,147,104	1,074,068	21,527	35,480	84,589	89.38	6.43	2.26	1.17	0.42	0.34
10	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	4,038	89,094	76,103	3,691	7,892	5,446	96.90	2.24	0.57	0.27	0.03	-
11	Liberty General Insurance Ltd.	13,877	219,658	198,798	10,700	9,515	14,522	97.30	1.27	0.61	0.65	0.14	0.03
12	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	11,876	139,739	113,273	4,617	15,844	17,881	92.34	5.09	1.54	0.74	0.20	0.10
13	Navi General Insurance Ltd.	923	11,954	9,708	910	1,146	1,113	99.99	0.01	-	-	-	-
14	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	3,234	49,950	47,855	806	1,879	2,644	93.30	4.88	1.37	0.40	0.05	0.00
15	Reliance General Insurance Co. Ltd.	283,693	2,457,570	2,344,489	41,649	57,292	297,833	98.65	0.65	0.23	0.26	0.11	0.12
16	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	37,421	394,812	366,183	9,005	18,807	38,238	95.95	1.26	0.80	1.59	0.22	0.18
17	SBI General Insurance Co. Ltd.	46,867	1,124,712	995,174	15,281	113,230	47,894	95.04	2.55	1.67	0.67	0.04	0.03
18	Shriram General Insurance Co. Ltd.	53,733	136,704	117,749	7,966	13,958	50,764	85.23	2.81	2.63	4.85	1.80	2.67
19	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	60,885	1,483,598	1,284,562	27,123	158,972	73,826	93.55	3.97	1.90	0.45	0.07	0.06
20	Universal Sampo General Insurance Co. Ltd.	24,474	319,705	280,967	13,015	15,611	34,586	95.77	2.78	0.97	0.38	0.08	0.02
Public Sector Insurers													
22	National Insurance Co. Ltd.	583,360	2,885,869	2,738,562	250,857	43	479,767	86.28	8.76	2.46	1.52	0.56	0.41
23	The New India Assurance Co. Ltd.	373,594	7,426,386	7,257,355	18,015	5	524,605	92.93	4.30	1.56	0.75	0.21	0.25
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.	357,646	1,908,418	1,717,440	3,230	203,725	341,669	90.18	5.68	2.17	1.44	0.29	0.24
25	United India Insurance Co. Ltd.	656,818	9,149,482	8,652,285	191,056	6,353	956,606	97.25	2.01	0.51	0.17	0.03	0.02
Specialized Insurers													
26	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	3,490,149	18,115,224	17,303,277	162	6,640	4,295,294	66.71	6.66	15.58	8.78	-	2.27
27	ECGC Ltd.	691	1,051	681	669	2	390	55.51	21.59	11.75	10.13	1.03	-
General Insurers Total		6,875,714	59,493,496	55,952,118	942,549	1,311,250	8,163,293	86.20	4.27	5.52	3.11	0.11	0.80

STATUS OF CLAIMS OF GENERAL AND HEALTH INSURERS (2021-22)

S. No.	Insurer	Number of Claims						Age Analysis of Number of Claims Paid (%)					
		Claims O/S at start of the period	Claims intimated/booked during the period	Claims paid during the period	Claims repudiated during the period	Claims closed during the period	Claims O/S at the end of period	< 3 months	3 months to 6 months	6 months to <1 year	1 year to <3 years*	3 years to <5 years**	≥ 5 years
	Stand-alone Health Insurers												
28	Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.	6,661	413,167	387,276	25,970	6,582	99.41	0.26	0.05	0.28	-	-	
29	Care Health Insurance Ltd.	101,901	591,736	515,853	76,903	100,881	100.00	0.00	0.00	-	-	-	
30	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	4,598	345,804	310,743	35,045	4,614	99.90	0.06	0.02	0.02	-	-	
31	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	3,571	299,990	270,378	27,196	5,987	99.99	0.01	0.00	-	-	-	
32	Reliance Health Insurance Ltd.	38	68	55	22	29	76.36	7.27	7.27	5.45	3.64	-	
33	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	92,562	1,799,454	1,470,416	311,951	109,649	99.06	0.70	0.20	0.05	0.01	-	
	Stand-alone Health Insurers Total	209,331	3,450,219	2,954,721	477,087	227,742	99.44	0.39	0.11	0.06	0.00	-	

* In case of Stand-alone Health Insurers, age is 1 year to < 2 years

** In case of Stand-alone Health Insurers, age is beyond 2 years

STATEMENT 15
**SOLVENCY RATIO OF LIFE INSURERS
(2021-22)**

S.No.	Insurer	June 2021	September 2021	December 2021	March 2022
	Private Sector Insurers				
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	1.82	1.89	1.94	1.88
2	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	2.74	2.93	2.89	3.33
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	3.08	3.03	3.14	3.12
4	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	2.22	2.23	2.32	1.82
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	6.48	6.26	6.04	5.81
6	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	1.73	1.88	1.67	1.62
7	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	2.88	2.72	2.74	2.82
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co Ltd	1.84	2.06	1.90	2.11
9	Exide Life Insurance Co. Ltd.	2.19	2.07	2.02	2.17
10	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	1.84	1.53	1.50	1.83
11	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	2.03	1.90	1.90	1.76
12	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1.94	2.00	2.02	2.04
13	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	1.76	1.60	1.61	1.65
14	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	2.57	2.61	2.66	2.73
15	Max Life Insurance Co. Ltd.	1.97	2.11	2.07	2.01
16	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	1.80	1.80	1.80	2.09
17	Pramerica Life Insurance Co Ltd	4.17	3.90	3.86	4.04
18	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	2.35	2.34	2.30	2.35
19	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	9.58	9.53	9.23	6.75
20	SBI Life Insurance Co. Ltd.	2.15	2.12	2.09	2.05
21	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	2.38	2.11	2.06	2.05
22	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	2.06	1.82	1.86	2.00
23	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	1.95	1.86	1.79	1.96
	Public Sector Insurer				
24	LIC of India	1.73	1.83	1.77	1.85

SOLVENCY RATIO OF GENERAL, HEALTH AND REINSURANCE COMPANIES (2021-22)

S. No.	Insurers	June 2021	September 2021	December 2021	March 2022
	Private Sector Insurers				
1	Acko General Insurance Ltd.	2.31	1.61	1.77	1.68
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	3.40	3.50	3.33	3.44
3	Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.*	NA	NA	NA	NA
4	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	2.00	1.77	1.86	1.95
5	Edelweiss General Insurance Co. Ltd.	1.83	1.79	1.77	1.67
6	Future Generali India Insurance C. Ltd.	1.56	1.58	1.64	1.66
7	Go Digit General Insurance Ltd.	1.81	1.64	1.64	2.01
8	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	1.69	1.71	1.70	1.64
9	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	2.76	2.51	2.45	2.46
10	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	1.63	1.51	1.74	1.68
11	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	1.75	2.66	2.35	1.79
12	Liberty General Insurance Ltd.	2.81	2.85	2.87	2.87
13	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	1.82	1.82	1.61	1.76
14	Navi General Insurance Ltd.	2.28	1.67	2.15	1.91
15	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	2.59	2.76	2.19	2.22
16	Reliance General Insurance Co. Ltd.	1.65	1.69	1.69	1.66
17	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	1.97	2.07	2.14	2.10
18	SBI General Insurance Co. Ltd.	2.10	2.04	1.93	1.85
19	Shriram General Insurance Co. Ltd.	3.63	4.05	4.70	4.62
20	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	2.32	2.17	2.11	1.97
21	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	2.07	2.06	2.09	1.92
	Public Sector Insurers				
22	National Insurance Co. Ltd.#	0.05	0.01	0.09	1.09
23	The New India Assurance Co. Ltd	2.00	1.90	1.83	1.66
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.#	0.50	0.12	0.15	1.03
25	United India Insurance Co. Ltd.#	0.83	0.74	0.72	1.02
	Specialized Insurers				
26	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	1.88	1.88	2.40	2.45
27	ECGC Ltd.	21.66	20.79	23.92	30.05
	Stand-alone Health Insurers				
28	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	1.61	1.73	1.84	1.77
29	Care Health Insurance Ltd.	1.81	1.90	1.68	1.85
30	HDFC ERGO Health Insurance Co. Ltd.**	NA	NA	NA	NA
31	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	1.65	1.77	1.59	1.68
32	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	1.65	1.66	1.78	1.72
33	Reliance Health Insurance Ltd.***	-	-	-	-
34	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	1.65	1.71	1.80	1.67
	Reinsurer				
35	General Insurance Corporation of India	1.74	1.88	1.80	1.96

#Solvency for the quarter ending on March 31, 2022 is with forbearance.

*Demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. w.e.f. April 01, 2021.

**Erstwhile HDFC Ergo Health Insurance Co. Ltd. merged with HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd. w.e.f. March 01, 2020.

***Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance Co. Ltd.

NA -- Not applicable

Note:

Re-classification/re-grouping by the insurers in the previous year's figures, if any, has not been considered..

STATEMENT 17**SOLVENCY RATIO OF BRANCHES OF FOREIGN RE-INSURERS**

S.No.	Branches of Foreign Re-insurers	As on March 31, 2021	As on March 31, 2022
1	Allianz Global	2.60	2.43
2	Hannover Re	1.88	2.15
3	Lloyd's of India	2.07	2.13
4	Munich Re	1.55	1.74
5	RGA	2.18	2.34
6	SCOR SE	3.24	3.25
7	Swiss Re	2.01	2.90
8	XL SE	1.83	2.15
9	AXA France Vie	2.42	2.69
10	Gen Re	2.37	2.05
11	Factory Mutual	Nil	2.20

STATEMENT 18

ASSIGNED CAPITAL OF BRANCHES OF FOREIGN RE-INSURERS

(₹crore)

S.No.	Branches of Foreign Re-insurers	As on March 31, 2021	Infusion During the Year	As on March 31, 2022
1	Allianz Global	200.24	0.00	200.24
2	Hannover Re	568.78	0.00	568.78
3	Lloyd's of India	110.00	-5.00	105.00
4	Munich Re	2,269.60	1,720.30	3,989.90
5	RGA	2,332.84	1,057.25	3,390.09
6	SCOR SE	975.17	-0.01	975.16
7	Swiss Re	2,221.67	905.20	3,126.87
8	XL SE	233.35	0.00	233.35
9	AXA France Vie	909.47	-0.01	909.46
10	Gen Re	556.56	304.88	861.44
11	Factory Mutual	0.00	117.00	117.00
	TOTAL	10,377.66	4,099.63	14,477.29

STATEMENT 19
GROSS REINSURANCE PREMIUM OF REINSURERS INCLUDING FRBs

(₹crore)

S.No.	Reinsurer	Indian Business		Foreign Business		Total	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	GIC Re FRBs	30,009.93	28,018.80	17,004.46	15,189.70	47,014.38	43,208.50
2	Allianz Global	135.06	159.88	35.64	42.12	170.70	202.00
3	AXA France Vie	570.52	1,005.87	-	-	570.52	1,005.87
4	Gen Re	415.72	521.10	-	-	415.72	521.10
5	Hannover Re	1,291.98	1,420.81	0.00	17.42	1,291.98	1,438.23
6	Munich Re	4,791.43	7,581.73	81.59	104.12	4,873.02	7,685.85
7	RGA Life	430.37	439.03	3.49	1.15	433.85	440.18
8	SCOR SE	1,805.49	1,997.41	-	-	1,805.49	1,997.41
9	Swiss Re	4,447.77	4,324.01	8.69	-1.95	4,456.46	4,322.05
10	XL SE	399.71	446.83	4.12	3.00	403.84	449.83
11	Markel (Lloyd's)	35.26	65.44	0.05	0.60	35.31	66.04
	FRBs Total	14,323.30	17,962.11	133.58	166.46	14,456.88	18,128.56
	Grand Total	44,333.23	45,980.89	17,138.04	15,356.12	61,471.27	61,337.01

**INVESTMENTS (ASSETS UNDER MANAGEMENT) OF LIFE INSURERS
(AS ON MARCH 31)**

S. No.	Insurer	Life Fund												Total (Life Fund)	
		Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Housing & Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		2021	2022		
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	Aditya Birla Sun Life	8,320.62	11,568.18	1,120.04	1,236.88	5,361.46	6,009.00	3,028.21	3,754.38	404.34	348.09	18,234.67	22,916.53		
2	Aegon Life	925.93	1,190.08	219.96	384.54	587.93	626.50	345.24	412.60	-	10.62	2,079.06	2,624.34		
3	Ageas Federal Life	2,163.04	2,926.96	2,333.15	2,585.94	1,664.03	1,682.60	1,388.42	1,404.48	41.96	82.71	7,590.60	8,682.69		
4	Aviva Life	4,258.49	4,829.87	1,244.65	1,345.61	1,138.19	1,184.50	228.72	170.56	20.31	19.20	6,890.36	7,549.74		
5	Bajaj Allianz Life	16,841.33	20,243.05	2,053.96	1,954.17	5,094.57	6,042.20	8,786.20	8,272.84	605.82	639.90	33,381.88	37,152.16		
6	Bharti AXA Life	2,920.12	4,076.31	944.43	1,271.08	1,314.55	1,490.20	1,915.95	1,679.91	324.90	283.94	7,419.95	8,801.44		
7	Canara HSBC Life	2,497.05	3,552.08	1,245.85	2,121.35	2,042.20	1,915.10	1,261.85	1,468.89	103.47	101.82	7,150.42	9,159.24		
8	Edelweiss Tokio Life	1,536.76	2,004.59	45.95	7.30	421.38	597.40	482.17	580.77	100.43	226.94	2,586.69	3,417.00		
9	Exide Life	8,505.92	9,574.01	904.93	1,100.04	2,434.37	2,534.50	1,862.92	2,493.75	83.24	69.18	13,791.38	15,771.48		
10	Future Generali Life	2,508.36	2,978.61	198.56	197.60	587.30	688.70	302.66	426.13	21.03	7.24	3,617.91	4,298.28		
11	HDFC Life	23,796.33	32,977.28	10,074.63	10,076.62	10,650.30	11,557.20	12,008.52	21,110.35	1,976.52	1,785.82	58,506.30	77,507.27		
12	ICICI Prudential Life	36,107.87	41,158.05	3,069.99	4,560.30	9,837.89	11,594.50	10,848.28	12,658.01	1,865.35	2,490.60	61,729.38	72,461.46		
13	IndiaFirst Life	1,190.79	1,713.08	1,305.82	1,814.32	659.62	899.00	739.38	888.82	38.71	52.23	3,934.32	5,367.45		
14	Kotak Mahindra Life	17,784.22	21,569.43	279.07	435.40	3,885.83	4,926.10	2,548.81	2,880.79	494.82	654.87	24,992.75	30,466.59		
15	Max Life	32,338.40	37,431.93	6,247.24	7,012.29	9,981.01	11,411.40	8,614.44	12,002.58	2,011.55	2,501.65	59,192.64	70,359.85		
16	PNB MetLife	8,570.10	10,608.38	2,059.56	3,511.39	5,302.21	5,863.60	3,792.49	4,278.54	166.45	211.96	19,890.81	24,473.87		
17	Pramerica Life	2,220.83	2,595.64	148.68	244.07	1,061.11	1,056.90	543.08	691.12	54.65	47.93	4,028.35	4,635.66		
18	Reliance Nippon Life	9,364.06	11,219.37	3,374.13	3,453.67	3,514.71	3,436.00	1,414.97	1,816.78	255.72	232.46	17,923.59	20,158.28		
19	Sahara India Life	485.98	558.82	257.53	252.21	507.01	465.80	104.78	117.69	21.05	21.13	1,376.35	1,415.65		
20	SBI Life	27,774.37	35,028.78	5,248.22	5,280.54	10,093.38	12,657.90	15,162.28	17,231.85	1,959.64	1,886.71	60,237.89	72,085.78		
21	Shriram Life	1,736.80	2,354.02	849.43	1,758.74	1,762.39	1,450.80	695.49	848.54	103.34	96.17	5,147.45	6,508.27		
22	Star Union Dai-ichi Life	3,215.34	4,843.04	1,097.42	1,244.33	1,895.78	1,429.50	603.81	793.47	4.79	76.50	6,817.14	8,386.84		
23	Tata AIA Life	17,691.38	24,270.36	112.92	97.91	4,665.99	5,578.80	4,205.02	4,370.94	261.27	515.09	26,936.58	34,833.10		
	Private Total	232,754.09	289,271.92	44,436.12	51,946.30	84,463.21	95,098.20	80,883.69	100,353.79	10,919.36	12,362.72	453,456.47	549,032.93		
24	LIC	1,046,698.84	1,144,537.17	584,210.93	586,336.47	213,575.32	214,463.16	492,342.96	557,603.24	123,999.17	142,978.50	2,460,827.22	2,645,918.54		
	Grand Total	1,279,452.93	1,433,809.09	628,647.05	638,282.77	298,038.53	309,561.36	573,226.65	657,957.03	134,918.53	155,341.22	2,914,283.69	3,194,951.47		

(₹crore)

**INVESTMENTS (ASSETS UNDER MANAGEMENT) OF LIFE INSURERS
(AS ON MARCH 31)**

(₹crore)

S. No.	Insurer	'Pension & General Annuity & Group Fund									
		Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Approved Investments		Total (Pension & General Annuity & Group Fund)			
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	Aditya Birla Sun Life	2,151.85	2,811.32	646.42	678.37	3,381.06	3,990.22	6,179.33	7,479.91		
2	Aegon Life	6.66	6.62	-	-	0.68	0.74	7.34	7.36		
3	Ageas Federal Life	154.89	245.71	164.19	169.10	291.79	273.37	610.87	688.18		
4	Aviva Life	204.58	214.63	20.84	19.56	45.05	44.92	270.47	279.11		
5	Bajaj Allianz Life	5,511.63	6,984.96	1,823.56	2,335.51	2,474.31	3,747.03	9,809.50	13,067.50		
6	Bharti AXA Life	132.75	166.35	85.10	79.14	302.77	270.00	520.62	515.49		
7	Canara HSBC Life	761.88	1,315.24	639.71	959.59	1,607.05	1,835.81	3,008.64	4,110.64		
8	Edelweiss Tokio Life	171.84	200.84	7.90	7.26	81.84	85.91	261.58	294.01		
9	Exide Life	1,392.23	1,460.74	209.60	210.81	541.93	447.45	2,143.76	2,119.00		
10	Future Generali Life	193.34	221.26	214.05	271.72	480.12	485.11	887.51	978.09		
11	HDFC Life	14,072.61	18,070.49	7,359.32	10,838.83	17,116.97	15,013.85	38,548.90	43,923.17		
12	ICICI Prudential Life	5,633.09	8,565.29	222.52	731.26	3,033.83	3,317.34	8,889.44	12,613.89		
13	IndiaFirst Life	1,934.71	1,587.56	2,384.80	2,285.68	2,770.44	2,339.88	7,089.95	6,213.12		
14	Kotak Mahindra Life	1,358.36	1,430.93	0.64	13.33	641.22	701.55	2,000.22	2,145.81		
15	Max Life	731.06	1,075.90	559.39	656.56	670.98	1,255.84	1,961.43	2,988.30		
16	PNB MetLife	783.84	1,015.40	149.14	237.82	308.98	296.06	1,241.96	1,549.28		
17	Pramerica Life	548.57	535.26	52.95	52.37	567.47	531.68	1,168.99	1,119.31		
18	Reliance Nippon Life	133.12	173.72	107.10	105.20	32.56	27.54	272.78	306.46		
19	Sahara India Life	2.03	3.53	-	-	0.10	-	2.13	3.53		
20	SBI Life	15,255.50	19,611.28	10,926.99	14,340.77	15,198.18	15,386.29	41,380.67	49,338.34		
21	Shriram Life	152.63	182.61	112.42	192.91	275.03	266.63	540.08	642.15		
22	Star Union Dai-ichi Life	847.25	1,305.01	456.04	935.94	1,029.93	1,187.42	2,333.22	3,428.37		
23	Tata AIA Life	1,069.90	1,706.96	62.69	62.51	369.19	348.31	1,501.78	2,117.78		
	Private Total	53,204.32	68,891.61	26,205.37	35,184.24	51,221.48	51,852.95	130,631.17	155,928.80		
24	LIC	254,324.13	392,373.58	388,917.96	405,632.92	184,700.38	211,750.09	912,228.88	1,009,756.59		
	Grand Total	307,528.45	461,265.19	415,123.33	440,817.16	235,921.86	263,603.04	1,042,860.05	1,165,685.39		

**INVESTMENTS (ASSETS UNDER MANAGEMENT) OF LIFE INSURERS
(AS ON MARCH 31)**

(₹ crore)

S. No.	Insurer	Unit Linked Fund							
		Approved Investments		Other Investments		Total (ULIP Funds)		Grand Total (All Funds)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Aditya Birla Sun Life	26,563.91	28,520.33	1,403.42	1,639.86	27,967.33	30,160.19	52,381.33	60,556.63
2	Aegon Life	931.44	938.53	84.26	108.17	1,015.70	1,046.70	3,102.10	3,678.40
3	Ageas Federal Life	3,251.34	3,764.12	270.40	379.59	3,521.74	4,143.71	11,723.21	13,514.58
4	Aviva Life	3,213.89	3,283.34	399.81	447.58	3,613.70	3,730.92	10,774.53	11,559.77
5	Bajaj Allianz Life	26,796.20	30,409.34	1,764.77	2,813.27	28,560.97	33,222.61	71,752.35	83,442.27
6	Bharti AXA Life	1,238.17	1,465.90	162.17	245.63	1,400.34	1,711.53	9,340.91	11,028.46
7	Canara HSBC Life	10,591.23	11,375.68	1,118.50	1,622.51	11,709.73	12,998.19	21,868.79	26,268.07
8	Edelweiss Tokio Life	1,193.41	1,513.47	155.39	193.08	1,348.80	1,706.55	4,197.07	5,417.56
9	Exide Life	1,949.33	2,096.77	198.47	215.27	2,147.80	2,312.04	18,082.94	20,202.52
10	Future Generali Life	625.74	655.81	55.21	76.58	680.95	732.39	5,186.37	6,008.76
11	HDFC Life	68,016.51	71,671.32	6,742.99	8,950.23	74,759.50	80,621.55	171,814.70	202,051.99
12	ICICI Prudential Life	121,480.78	126,595.44	17,068.37	24,270.86	138,549.15	150,866.30	209,167.97	235,941.65
13	IndiaFirst Life	5,250.04	6,150.02	655.66	1,027.66	5,905.70	7,177.68	16,929.97	18,758.25
14	Kotak Mahindra Life	17,234.70	19,695.26	2,014.89	2,857.12	19,249.59	22,552.38	46,242.56	55,164.78
15	Max Life	25,639.59	29,864.10	2,734.03	3,579.08	28,373.62	33,443.18	89,527.69	106,791.33
16	PNB Metlife	6,137.10	7,056.79	825.37	1,024.31	6,962.47	8,081.10	28,095.24	34,104.25
17	Pramerica Life	372.87	363.68	33.80	47.46	406.67	411.14	5,604.01	6,166.11
18	Reliance Nippon Life	5,712.81	5,984.68	359.58	914.21	6,072.39	6,898.89	24,268.76	27,363.63
19	Sahara India Life	90.50	63.74	9.67	22.60	100.17	86.34	1,478.65	1,505.52
20	SBI Life	107,484.78	130,725.34	8,730.24	11,899.97	116,215.02	142,625.31	217,833.58	264,049.43
21	Shriram Life	470.99	442.76	29.25	26.82	500.24	469.58	6,187.77	7,620.00
22	Star Union Dai-ichi Life	2,396.15	2,454.83	162.10	244.59	2,558.25	2,699.42	11,708.61	14,514.63
23	Tata AIA Life	14,479.17	17,012.13	1,955.21	3,040.65	16,434.38	20,052.78	44,872.74	57,003.66
	Private Total	451,120.65	502,103.38	46,933.56	65,647.10	498,054.21	567,750.48	1,082,141.85	1,272,712.21
24	LIC	24,083.17	23,101.28	692.34	698.56	24,775.51	23,799.84	3,397,831.61	3,679,474.96
	Grand Total	475,203.82	525,204.66	47,625.90	66,345.66	522,829.72	591,550.32	4,479,973.46	4,952,187.17

INVESTMENTS (ASSETS UNDER MANAGEMENT) OF GENERAL, HEALTH AND REINSURANCE COMPANIES (As on March 31)

(₹ crore)

S. No.	Insurer	Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Housing & Loans to State Government for Housing and FFE		Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		Total Investments	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Private Sector														
1	Acko General	221.70	326.20	-	131.20	51.20	108.60	109.80	145.50	63.50	196.30	12.20	-	458.36	907.80
2	Bajaj Allianz	6,774.80	9,041.70	3,718.50	3,264.60	1,637.20	1,747.20	4,516.90	3,193.60	5,319.20	6,126.00	119.30	381.30	22,085.90	23,754.40
3	Bharti AXA*	1,591.44	-	598.69	-	617.86	-	1,581.48	-	1,046.78	-	120.00	-	5,556.25	-
4	Cholamandalam MS	4,154.91	5,165.40	3,507.79	3,124.90	991.91	1,036.28	799.68	1,569.92	1,491.49	1,546.07	87.78	61.65	11,033.56	12,504.22
5	Edelweiss General	85.60	109.00	48.05	109.54	52.54	40.89	54.83	59.82	106.30	76.39	10.75	47.89	358.07	443.53
6	Future Generali	1,302.30	1,368.90	1,211.94	1,593.61	707.52	673.31	1,267.68	1,081.18	989.97	986.58	73.03	51.61	5,552.44	5,755.19
7	Go Digit	2,707.33	4,613.60	193.10	313.36	657.92	1,089.83	938.31	1,618.87	867.11	1,512.56	13.36	13.86	5,377.13	9,162.08
8	HDFC Ergo	4,644.62	3,848.80	2,144.21	4,297.70	1,504.64	1,497.82	3,418.64	3,954.21	4,752.81	4,524.82	152.63	208.42	16,617.55	18,331.77
9	ICICI Lombard	8,138.54	11,151.00	3,535.47	5,193.90	2,074.20	2,856.21	4,875.53	6,370.60	9,851.27	10,194.36	1,741.30	2,666.36	30,216.31	38,432.43
10	IFFCO Tokio	2,731.80	3,214.70	2,006.38	2,305.65	1,560.52	1,830.23	3,450.48	3,702.67	2,346.89	2,389.82	2.34	3.17	12,098.41	13,446.24
11	Kotak Mahindra	597.30	796.80	25.97	136.60	86.56	116.74	103.83	92.14	116.69	60.49	1.54	26.71	931.89	1,229.48
12	Liberty	732.93	765.00	540.70	674.71	321.45	436.32	676.80	644.68	856.34	805.87	-	-	3,128.22	3,326.58
13	Magima HDI	1,098.74	1,648.90	294.23	545.79	241.22	294.64	491.83	448.65	736.45	816.45	131.19	89.95	2,993.66	3,844.38
14	Navi General	106.11	174.60	143.46	67.82	25.04	34.84	95.03	89.78	219.27	138.99	10.02	47.63	598.93	553.66
15	Raheja QBE	300.56	294.00	-	-	96.82	110.63	124.03	217.74	173.30	192.17	20.00	10.00	714.71	824.54
16	Reliance	3,195.00	3,975.90	2,765.83	2,670.14	1,160.63	1,355.50	908.71	1,233.95	4,632.95	4,895.93	431.09	345.59	13,094.21	14,477.01
17	Royal Sundaram	2,325.72	1,666.10	431.45	1,081.06	832.84	764.87	1,306.55	1,635.19	1,286.39	1,566.27	265.94	272.16	6,448.89	6,985.65
18	SBI General	2,613.60	2,550.00	1,122.85	1,233.75	1,216.43	1,331.78	1,908.42	2,310.92	2,425.79	2,919.10	211.50	480.62	9,498.59	10,826.17
19	Shriram General	3,602.25	3,630.90	19.22	5.26	2,243.16	2,331.49	3,753.28	3,790.76	942.34	1,089.71	8.49	13.14	10,568.74	10,861.26
20	Tata AIG	3,658.93	4,513.70	2,264.57	3,411.71	981.63	980.52	2,304.18	2,660.95	5,795.21	5,970.05	680.21	1,297.71	15,684.73	18,834.64
21	Universal Sampo	916.46	1,188.10	507.05	476.77	408.97	504.35	832.72	723.84	878.50	833.70	16.27	21.94	3,559.97	3,748.70
	Private Sector Total	51,500.64	60,043.30	25,079.46	30,638.07	17,470.26	19,142.05	33,518.71	35,544.97	44,898.55	46,841.63	4,108.94	6,039.71	176,576.52	198,249.73
	Public Sector														
22	National	5,928.26	6,493.52	4,880.47	6,195.82	1,904.86	1,928.82	3,567.79	2,908.65	10,166.25	12,307.50	1,066.51	885.06	27,514.14	30,719.37
23	New India	12,432.11	12,945.82	15,665.91	18,995.10	2,676.94	2,494.31	6,497.83	6,342.21	10,878.94	9,710.20	1,769.05	2,402.22	49,920.78	52,889.86
24	Oriental	4,364.75	4,609.49	7,206.27	8,272.58	914.67	1,187.28	2,439.03	2,360.89	3,861.40	5,143.90	968.17	1,116.07	19,754.29	22,690.21
25	United India	7,531.73	8,099.20	8,196.39	8,938.01	2,402.45	2,320.63	3,182.69	3,271.40	11,289.56	9,862.00	1,886.22	2,253.94	34,489.04	34,745.18
	Public Sector Total	30,256.85	32,148.03	35,949.04	42,401.51	7,898.92	7,931.04	15,687.34	14,883.15	36,196.15	37,023.60	5,689.95	6,657.29	131,678.25	141,044.62
	Specialised Insurers														
26	AIC	2,851.70	2,789.73	4,790.66	4,508.87	1,030.04	1,724.27	1,073.28	877.00	3,942.89	2,190.52	4.24	53.08	13,692.81	12,143.47
27	ECGC	2,882.83	3,188.19	1,981.95	3,080.85	1,023.95	831.00	3,401.92	3,293.00	3,944.75	4,248.39	96.63	163.16	13,332.03	14,804.59
	Specialised Total	5,734.53	5,977.92	6,772.61	7,589.72	2,053.99	2,555.27	4,475.20	4,170.00	7,887.64	6,438.91	100.87	216.24	27,024.84	26,948.06

**INVESTMENTS (ASSETS UNDER MANAGEMENT) OF GENERAL, HEALTH AND REINSURANCE COMPANIES
(As on March 31)**

(₹ crore)

S. No.	Insurer	Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Housing & Loans to State Government for Housing and FFE		Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		Total Investments	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Stand-alone Health														
28	Aditya Birla Health	490.60	570.80	408.20	571.30	75.60	65.00	81.30	93.90	190.60	224.50	-	-	1,246.20	1,525.50
29	Care Health	726.10	1,002.00	122.60	122.20	194.20	203.90	910.10	1,191.90	678.60	1,032.20	5.20	14.30	2,636.70	3,566.50
30	Manipal Cigna	188.00	233.10	145.20	220.10	61.80	102.40	226.30	226.30	226.50	222.30	1.60	1.30	849.40	1,005.50
31	Niva Bupa	347.80	503.30	167.70	276.60	171.30	279.60	451.80	588.40	492.80	744.90	10.00	10.50	1,641.40	2,403.30
32	Star Health	1,844.00	2,651.10	939.80	1,671.70	478.40	843.00	2,220.90	1,703.20	1,526.70	4,096.50	106.70	497.60	7,116.60	11,463.10
	SAHI Total	3,596.50	4,960.30	1,783.50	2,861.90	981.30	1,493.90	3,890.40	3,803.70	3,115.20	6,320.40	123.50	523.70	13,490.20	19,963.90
	Reinsurer														
33	GIC	17,466.07	20,066.61	18,298.90	21,031.22	5,095.13	5,854.94	6,297.55	7,076.84	17,536.20	19,390.92	4,104.67	3,928.24	68,798.52	77,348.77
	Reinsurer Total	17,466.07	20,066.61	18,298.90	21,031.22	5,095.13	5,854.94	6,297.55	7,076.84	17,536.20	19,390.92	4,104.67	3,928.24	68,798.52	77,348.77
	Branches of Foreign														
	Reinsurers														
34	Allianz Global	119.89	136.00	35.38	59.56	30.32	44.95	48.38	60.90	25.13	35.14	-	-	259.10	336.55
35	AXA France Vie	945.30	935.70	52.91	42.24	122.64	141.61	120.41	94.49	95.76	118.11	-	-	1,337.02	1,332.15
36	General	650.34	865.43	-	-	-	-	143.33	167.27	-	-	-	-	793.67	1,032.70
37	Hannover Re	820.67	1,137.29	5.10	21.10	229.75	218.09	280.76	283.69	311.17	318.16	-	-	1,647.45	1,978.33
38	Munich Re	3,075.72	4,971.54	-	-	266.46	396.75	307.31	658.09	-	-	-	-	3,649.49	6,026.38
39	RGA Life	2,068.18	2,291.73	-	-	-	-	429.21	467.02	-	225.75	-	-	2,497.39	2,984.50
40	SCOR Se	1,346.91	1,737.82	-	-	151.72	155.96	226.75	221.18	-	-	-	-	1,725.38	2,114.96
41	Swiss Re	2,675.76	3,507.52	-	-	351.37	478.88	398.26	678.08	-	-	-	-	3,425.39	4,664.48
42	XI Insurance Co.SE	275.94	387.28	-	-	15.12	56.08	107.08	71.72	-	-	-	-	398.14	515.08
	FRB Total	11,978.71	15,970.31	93.39	122.90	1,167.38	1,492.32	2,061.49	2,702.44	432.06	697.16	-	-	15,733.03	20,985.13
	Grand Total	120,533.34	150,533.34	87,976.91	122.90	34,666.96	1,492.32	65,930.57	2,702.44	110,065.76	697.16	14,127.82	-	433,301.36	484,540.21

*Demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. w.e.f. April 01, 2021.

The background features a gradient from teal to light green, overlaid with several sets of white, wavy, parallel lines that create a sense of motion and depth. The lines are most prominent on the left and right sides, curving towards the center.

ANNEXURES

LIST OF REGISTERED INSURERS/REINSURERS OPERATING IN INDIA

Life Insurers	General Insurers
<p>Public Sector</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Life Insurance Corporation of India <p>Private Sector</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd. 2. Aegon Life Insurance Co. Ltd. 3. Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. 4. Aviva Life Insurance Co. Ltd. 5. Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. 6. Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd. 7. Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.* 8. Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd. 9. Exide Life Insurance Co. Ltd. 10. Future Generali India Life Insurance Co. Ltd. 11. HDFC Life Insurance Co. Ltd. 12. ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. 13. India First Life Insurance Co. Ltd. 14. Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd. 15. Max Life Insurance Co. Ltd. 16. PNB MetLife India Insurance Co. Ltd. 17. Pramerica Life Insurance Co. Ltd. 18. Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd. 19. Sahara India Life Insurance Co. Ltd. 20. SBI Life Insurance Co. Ltd. 21. Shriram Life Insurance Co. Ltd. 22. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 23. TATA AIA Life Insurance Co. Ltd. 	<p>Public Sector</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. National Insurance Co. Ltd. 2. The New India Assurance Co. Ltd. 3. The Oriental Insurance Co. Ltd. 4. United India Insurance Co. Ltd. <p>Private Sector</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acko General Insurance Ltd. 2. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. 3. Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. 4. Edelweiss General Insurance Co. Ltd. 5. Future Generali India Insurance Co. Ltd. 6. Go Digit General Insurance Ltd. 7. HDFC ERGO General insurance Co. Ltd. 8. ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.# 9. IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd. 10. Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd. 11. Liberty General Insurance Ltd. 12. Magma HDI General Insurance Co. Ltd. 13. NAVI General Insurance Ltd. 14. Raheja QBE General Insurance Co. Ltd. 15. Reliance General Insurance Co. Ltd. 16. Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd. 17. SBI General Insurance Co. Ltd. 18. Shriram General Insurance Co. Ltd. 19. Tata AIG General Insurance Co. Ltd. 20. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. <p>Specialised Insurers (Public Sector)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agriculture Insurance Company of India Ltd. 2. ECGC Ltd. <p>Standalone Health Insurers (Private Sector)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. 2. Care Health Insurance Ltd. 3. ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd. 4. Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. 5. Reliance Health Insurance Ltd.\$ 6. Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.

*Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd. is renamed as Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd

#Demerger of general Insurance business of Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. w.e.f. April 01, 2021.

\$ The Authority vide order ref. No. IRDA/F&A/ORD/SOLP/200/11/2019 dated November 06, 2019 issued directions to the Reliance Health Insurance Ltd. to stop selling new policies.

Note: List as on March 31, 2022

LIST OF REGISTERED INSURERS/REINSURERS OPERATING IN INDIA

Reinsurers

Public Sector	Private Sector
<p>1 General Insurance Corporation of India (GIC Re)</p>	<p>Foreign Reinsurer's Branches</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allianz Global Corporate & Specialty SE, India Branch 2. AXA France Vie - India Reinsurance Branch 3. General Reinsurance AG - India Branch 4. Hannover Ruck SE – India Branch 5. Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - India Branch 6. RGA Life Reinsurance Company of Canada, India Branch 7. SCOR SE - India Branch 8. Swiss Reinsurance Company Ltd, India Branch 9. XL Insurance Company SE, India Reinsurance Branch 10. Factory Mutual Insurance Company, India Branch# <p>Lloyd's</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Lloyd's India Reinsurance Branch <ol style="list-style-type: none"> i. Markel Services India Private Limited

CoR granted on April 28, 2021
 Note: List as on March 31, 2022

**SHARE OF MEMBERS IN INDIAN MARKET TERRORISM RISK INSURANCE POOL
(2021-22)**

S.No.	Member Company	Per risk Capacity (₹crore)	Share
1	General Insurance Corporation of India	333.69	16.68
2	The New India Assurance Co. Ltd.	333.69	16.68
3	United India Insurance Co. Ltd.	250.05	12.50
4	The Oriental Insurance Co. Ltd.	238.31	11.92
5	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	180.84	9.04
6	National Insurance Co. Ltd.	167.62	8.38
7	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	106.28	5.31
8	IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.	78.64	3.93
9	Reliance General Insurance Co. Ltd.	39.72	1.99
10	Cholamandalam General Insurance Co. Ltd.	39.06	1.95
11	Tata-AIG General Insurance Co. Ltd.	31.46	1.57
12	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	28.16	1.41
13	Royal Sundaram Insurance Co. Ltd.	27.72	1.39
14	Liberty General Insurance Co. Ltd.	20.81	1.04
15	Govt. Insurance Fund, Gujarat	20.00	1.00
16	Shriram General Insurance Co. Ltd.	20.00	1.00
17	SBI General Insurance Co. Ltd.	15.62	0.78
18	HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.	15.00	0.75
19	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	10.32	0.52
20	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	10.00	0.50
21	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	10.00	0.50
22	Go Digit General Insurance Co.	10.00	0.50
23	Edelwiess General Insurance Co. Ltd.	10.00	0.50
24	Navi General Insurance Co. Ltd.	2.00	0.10
25	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	1.00	0.05
	Total	2000.00	100.00

ANNEXURE 2(ii)**SHARE OF MEMBERS IN INDIAN NUCLEAR INSURANCE POOL
(2021-22)**

S.No.	Member Company	Per risk Capacity (₹crore)	Share (%)
1	General Insurance Corporation of India	600	40.00
2	The New India Assurance Co. Ltd.	300	20.00
3	United India Insurance Co. Ltd.	200	13.33
4	The Oriental Insurance Co. Ltd.	100	6.67
5	National Insurance Co. Ltd.	100	6.67
6	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	100	6.67
7	Reliance General Insurance Co. Ltd.	20	1.33
8	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	20	1.33
9	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	20	1.33
10	Cholamandalam General Insurance Co. Ltd.	15	1.00
11	SBI General Insurance Co. Ltd.	15	1.00
12	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	10	0.67
	Total	1500	100

DATA FOR CALCULATION OF MOTOR TP OBLIGATION FOR FY 2022-23

(₹crore)

S.No.	Insurer	Financial Year 2021-22			
		Motor OD GDP	Motor Third Party GDP	Total Motor GDP	Total GDP
1	Acko General Insurance Ltd.	146.94	363.80	510.74	988.21
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	2,018.79	2,825.72	4,844.51	13,688.59
3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	1,231.31	2,195.81	3,427.12	4,824.12
4	Edelweiss General Insurance Co. Ltd.	113.27	84.21	197.48	348.83
5	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	705.45	911.56	1,617.01	4,137.98
6	Go Digit General Insurance Ltd.	806.55	2,202.21	3,008.76	4,673.94
7	HDFC ERGO General insurance Co. Ltd.	1,537.09	2,011.90	3,548.99	13,497.55
8	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	4,068.16	4,211.92	8,280.08	17,976.86
9	IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.	1,649.92	2,052.72	3,702.64	8,452.91
10	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	235.21	152.81	388.02	742.46
11	Liberty General Insurance Ltd.	513.90	481.07	994.97	1,506.45
12	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	431.60	884.41	1,316.01	1,757.16
13	National Insurance Co. Ltd.	1,447.73	3,198.21	4,645.94	13,025.73
14	NAVI General Insurance Ltd.	8.81	34.19	43.00	106.57
15	The New India Assurance Co. Ltd.	2,610.95	5,629.57	8,240.52	32,572.90
16	The Oriental Insurance Co. Ltd.	875.04	2,530.69	3,405.73	13,710.97
17	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	193.60	83.75	277.35	375.82
18	Reliance General Insurance Co. Ltd.	1,625.52	2,218.99	3,844.51	9,408.96
19	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	992.58	1,033.38	2,025.96	2,866.59
20	SBI General Insurance Co. Ltd.	1,173.39	1,343.68	2,517.07	9,166.22
21	Shriram General Insurance Co. Ltd.	349.79	1,279.59	1,629.38	1,752.95
22	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	2,318.22	2,813.40	5,131.62	10,024.97
23	United India Insurance Co. Ltd.	1,412.65	4,064.10	5,476.75	15,722.24
24	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	706.23	651.23	1,357.46	3,456.12
	Grand Total	27,172.70	43,258.92	70,431.62	184,785.10

Note : Exempted insurers are not included.

ANNEXURE 4

Circulars/Orders/Guidelines/Instructions issued from April 01, 2021 to March 31, 2022					
S. No.	Reference No.	Date	Department	Notification Type	Subject
1	IRDA/SUR/GDL/MISC/068/03/2021	4/1/2021	Surveyor	Circular	Guidelines for Practical Training for Surveyors and Loss Assessors
2	IRDAI/ACT/CIR/MISC/069/04/2021	4/1/2021	Actuarial	Circular	Standard Technical Note (Template)-Health Insurance
3	IRDAI/ACT/CIR/MISC/070/04/2021	4/1/2021	Actuarial	Circular	Standard Technical Note (Template)-Motor Insurance
4	IRDAI/F&I/CIR/INV/074/04/2021	4/8/2021	Investment	Circular	Investment in Alternative Investment Fund(AIFs)
5	IRDAI/F&I/CIR/INV/098/04/2021	4/22/2021	Investment	Circular	Investments in Debt Securities of InvITs and REITs
6	IRDAI/HLT/MISC/CIR/ 99 /04/2021	4/22/2021	Health	Circular	Facilitation by the Insurers for Cashless services at network hospitals
7	IRDAI/HLT/MISC/CIR/102/04/2021	4/23/2021	Health	Circular	Communication on settlement of Health Insurance Claims
8	IRDAI/HLT/MISC/CIR/113/04/2021	4/29/2021	Health	Circular	Norms on settlement of COVID-19 health insurance claims
9	IRDAI/INT/Cir/Misc/116/04/2021	4/30/2021	Intermediary	Circular	Additional time allowed for filing all returns due on March 31, 2021
10	IRDAI/HLT/REG/CIR/ 119/05/2021	5/5/2021	Health	Guidelines	Guidelines on Standard Domestic Travel Insurance Product
11	IRDA/F&A/CIR/MISC/ 126 /05/2021	5/6/2021	Finance & Accounts	Circular	Extension of time limit for filing of returns to the Authority and uploading the Public Disclosures on websites of insurers
12	IRDA/F&I/MISC/CIR/134/05/2021	5/11/2021	Investment	Circular	Exercise of Employee Stock Options (ESOPs)-Applicability of provision of Section 6A (4) (b) of the Insurance Act, 1938
13	IRDA/SUR/MISC/ORD/145/05/2021	5/25/2021	Surveyor	Order	Appointment of Election Officer to conduct 13th Council Elections of Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA)

Circulars/Orders/Guidelines/Instructions issued from April 01, 2021 to March 31, 2022

S. No.	Reference No.	Date	Department	Notification Type	Subject
14	IRDA/LIFE/GDL/MISC/151/05/2021	5/28/2021	Life	Circular	Guidelines on settlement of Life Insurance Claims to the victims of Cyclone
15	IRDAI/NL/CIR/MISC/153/05/2021	5/29/2021	Non-Life	Circular	Guidelines on Insurance claims of victims of Cyclone Tauktae and Cyclone Yaas
16	IRDAI/ INT/ GDL/ 146/ 05/ 2021	6/11/2021	Intermediary	Guidelines	Guidelines on Standard Professional Indemnity Policy for Insurance Brokers
17	IRDAI/HR/ORD/MISC/195/07/2021	7/20/2021	Human Resources	Order	Designating Appellate Authority under Right to information Act, 2005
18	IRDAI/HR/ORD/PER/196/07/2021	7/20/2021	Human Resources	Order	Designating Central Public Information Officers under the Right to information Act, 2005
19	IRDAI/HLT/REG/MISC/199/07/2021	7/23/2021	Health	Circular	Standards and Benchmarks for the Hospitals in the provider Network
20	IRDAI/F&A/CIR/MISC//211/07/2021	7/30/2021	Finance & Accounts	Circular	Withdrawal of Guidelines on Indian owned and controlled
21	IRDAI/F&A/CIR/MISC/211/7/2021	7/19/2021	Finance & Accounts	Circular	Withdrawal of Guidelines on "Indian Owned and Controlled"
22	IRDAI/ACTL/CIR/SLM/217/8/2021	8/3/2021	Actuarial	Circular	Solvency Margin for Crop Insurance Business
23	IRDAI/LIFE/GDL/MISC/222/8/2021	8/5/2021	Life	Guidelines	Guidelines on settlement of Life Insurance Claims to the victims of Flood in Maharashtra
24	IRDAI/NL/CIR/MISC/226/8/2021	8/6/2021	Non-Life	Circular	Guidelines on Insurance Claims of victims of floods (July 2021) in the calamity affected districts of Maharashtra
25	IRDAI/NL/CIR/MISC/242/9/2021	9/8/2021	Non-Life	Circular	Product Structure for Cyber Insurance
26	IRDAI/NL/CIR/MISC/243/9/2021	9/8/2021	Non-Life	Circular	Title insurance Product
27	IRDAI/NL/GDL/MISC/244/9/2021	9/8/2021	Non-Life	Guidelines	Trade Credit Insurance Guidelines 2021
28	IRDAI/NL/CIR/MISC/247/9/2021	9/13/2021	Non-Life	Circular	(a) Issuance of Electronic Policies and (b) Dispensing with physical documents and wet signature on the proposal form

Contd... ANNEXURE 4

Circulars/Orders/Guidelines/Instructions issued from April 01, 2021 to March 31, 2022					
S. No.	Reference No.	Date	Department	Notification Type	Subject
29	IRDAI/LIFE/CIR/MISC/253/9/2021	9/17/2021	Life	Circular	Extension of timelines for (a) Issuance of Electronic Policies and (b) Dispensing with Physical Signatures on Proposal forms
30	IRDAI/F&I/CIR/INV/255/9/2021	9/27/2021	Investment	Circular	Dividend Criteria for Equity Investment under "Approved Investment"
31	IRDAI/F&A/CIR/MISC/256/9/2021	9/30/2021	Finance & Accounts	Circular	Public Disclosure by Insurers
32	IRDAI/ACTL/ORD/MISC/258/10/2021	10/1/2021	Actuarial	Order	Committee for review of IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017
33	IRDAI/F&A/CIR/MISC/262/10/2021	10/5/2021	Finance & Accounts	Circular	Maintenance of Current Accounts in multiple banks by Insurers
34	IRDAI/ADJD/MISC/263/10/2021	10/8/2021	Adjudication	Miscellaneous	Standard Operating Procedure for Referring Cases to Adjudication Officer
35	IRDAI/INT/ORD/MISC/265/10/2021	10/20/2021	Intermediary	Order	Constitution of Committee to evaluate applications under IRDAI (Regulation Sandbox)
36	IRDAI/INT/CIR/MISC/318/12/2021	12/28/2021	Intermediary	Circular	Maintenance of Current Accounts in multiple banks by Insurance Intermediaries including entities sponsored by them
37	IRDAI/NL/GDL/SIC/1/1/2022	1/3/2022	Non-Life	Guidelines	IRDAI (Surety Insurance Contracts) Guidelines, 2022
38	IRDAI/NL/ORD/MISC/5/1/2022	1/6/2022	Non-Life	Order	Constitution of Advisory Committee on Loss Prevention and Loss minimisation in General Insurance Industry
39	IRDAI/INT/CIR/MISC/8/1/2022	1/10/2022	Intermediary	Circular	Clarification on guidelines for Standard Professional Indemnity Policy
40	IRDAI/SUR/ ORD/ MISC/ 25/2/2022	2/14/2022	Surveyor	Order	Review of articles of Association of IIISLA
41	IRDAI/F&A/CIR/MISC/26/2/2022	2/16/2022	Finance & Accounts	Circular	Holding more than one Certificate of Registration to one group – IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015

Circulars/Orders/Guidelines/Instructions issued from April 01, 2021 to March 31, 2022

S. No.	Reference No.	Date	Department	Notification Type	Subject
42	IRDAI/NL/CIR/MISC/46/3/2022	3/7/2022	Non-Life	Circular	Disclosure of underwriting philosophy of offering health insurance coverage to transgender persons
43	IRDAI/F&I/CIR/INV/51/3/2022	3/24/2022	Investment	Circular	Divident criteria for equity investments under approved investments
44	IRDAI/LIFE/CIR/MISC/59/3/2022	3/31/2022	Life	Circular	Extension of facilitation of dispensing with Physical signature on the proposal form
45	IRDAI/NL/CIR/MISC/60/3/2022	3/31/2022	Non-Life	Circular	(a) Issuance of Electronic Policies and (b) Dispensing with physical documents and wet signature on the proposal form

ANNEXURE 5

Regulations framed under the IRDA Act, 1999 up to March 31, 2022

S.No.	Name of the Regulation
1	IRDA (The Insurance Advisory Committee) (Meeting) Regulations, 2000
2	IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000
3	IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations,2000
4	IRDA (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000
5	IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations,2000
6	IRDA (General Insurance-Reinsurance) Regulations,2000
7	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations,2000
8	IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations,2000
9	IRDA (Obligations of Insurers to Rural Social Sectors) Regulations,2000
10	IRDA (Meetings) Regulations,2000
11	IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2000
12	IRDA (Investment) Regulations,2000
13	IRDA (Conditions of service of Officers and other Employees) Regulations,2000
14	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors-Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations,2000
15	IRDA (Life Insurance - Reinsurance) Regulations,2000
16	IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2001
17	IRDA (Third Party Administrators-Health Services) Regulations, 2001
18	IRDA (Re-Insurance Advisory Committee) Regulations,2001
19	IRDA (Investments) (Amendment) Regulations, 2002
20	IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002
21	IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations,2002
22	IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002
23	IRDA (Obligations of Insurers to Rural Social Sectors) Regulations,2002
24	IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations,2002
25	IRDA (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations,2002
26	IRDA (Protection of Policyholders' Interests) (Amendment) Regulations,2002
27	IRDA (Manner of Receipt of Premium) Regulations,2002
28	IRDA (Distributions of Surplus) Regulations,2002
29	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations,2003
30	IRDA (Investment)(Amendment)Regulations,2004
31	IRDA (Qualification actuary) Regulations,2004
32	IRDA (Obligations of Insurers to Rural / Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2004
33	IRDA (Micro Insurance) Regulations,2005
34	IRDA (Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Regulations,2005
35	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations,2005
36	IRDA (Licensing of Insurance Agents)(Amendment) Regulations, 2007
37	IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2007
38	IRDA (Insurance Brokers) (Amendment) Regulations, 2007
39	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Third Amendment) Regulations,2008
40	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Fourth Amendment) Regulations,2008
41	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Second Amendment) Regulations,2008
42	IRDA (Conditions of service of Officers and other Employees) (Amendments) Regulations,2008
43	IRDA (Investment) (Fourth Amendment) Regulations,2008

Regulations framed under the IRDA Act, 1999 up to March 31, 2022

S.No.	Name of the Regulation
44	IRDA (Sharing of Database for Distribution of Insurance Products) Regulations,2010
45	IRDA (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations,2010
46	IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2010
47	IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2010
48	IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) 2011
49	IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011
50	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Third Amendment) Regulations,2012
51	IRDA (Insurance Advisory Committee (Meetings) (First Amendment) Regulations. 2012
52	IRDA (Sharing of confidential information concerning domestic or foreign entity) Regulations, 2012
53	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Fourth Amendment) Regulations, 2013
54	IRDA (Appointed Actuary) (First Amendment) Regulations, 2013
55	IRDA (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013
56	IRDA (Insurance Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013
57	IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013
58	IRDA (Third Party Administrator-Health Services) (First Amendment) Regulations, 2013
59	IRDA (Standard Proposal Form for Life Insurance) Regulations, 2013
60	IRDA (Places of Business) Regulations, 2013
61	IRDA (Issuance of Capital by General Insurance Companies) Regulations, 2013
62	IRDA (Non-linked Insurance Products) Regulations, 2013
63	IRDA (Health Insurance) Regulations, 2013
64	IRDA (Linked Insurance Products) Regulations, 2013
65	IRDA (Investment) (Fifth Amendment) Regulations, 2013
66	IRDA (Life Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013
67	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors - Licensing, Professional requirements and code of conduct) (Amendment) Regulations,2013
68	IRDA (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013
69	IRDA (Web aggregators) Regulations,2013
70	IRDA (Meetings) (First Amendment) Regulations, 2013
71	IRDA IAC (Meetings) (Second Amendment) Regulations, 2013
72	IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
73	IRDA (TPA-Health Services) (Second Amendment) Regulations, 2013
74	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies)(Fifth Amendment) Regulations, 2013
75	IRDA (Licencing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations 2013
76	IRDA(Insurance Surveyors and Loss Assessors- Licensing, Professional requirements and code of conduct) (Second Amendment) Regulations,2013
77	IRDA (Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Third Amendment) Regulations, 2014
78	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Sixth Amendment) Regulations, 2014
79	IRDA (Health Insurance) (First Amendment) Regulations, 2014
80	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015
81	IRDAI (Micro Insurance) Regulations, 2015
82	IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015
83	IRDAI (Fee for registering, cancellation or change of Nomination) Regulations, 2015
84	IRDAI (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015
85	IRDAI (Obligation of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations,2015
86	IRDAI (Places of Business) Regulations, 2015

Contd... ANNEXURE 5

Regulations framed under the IRDA Act, 1999 up to March 31, 2022

S.No.	Name of the Regulation
87	IRDAI (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015
88	IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015
89	IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social sectors) Regulations, 2015
90	IRDAI (Minimum Limits for Annuities and other Benefits) Regulations, 2015
91	IRDAI (Acquisition of Surrender and Paid up values) Regulations, 2015
92	IRDAI (Insurance Services by Common Service Centres) Regulations, 2015
93	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015.
94	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
95	IRDAI(Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2015
96	IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2015
97	IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance business) Regulations, 2015
98	IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance business) Regulations, 2015
99	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (First Amendment) Regulations, 2016
100	IRDAI (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015
101	IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) (Seventh Amendment) Regulations, 2016
102	IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016
103	IRDAI (TPA- Health Services) Regulations, 2016
104	IRDAI (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016
105	"IRDAI (Qualification of Actuary) (Repeal) Regulations, 2016"
106	IRDAI (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016
107	IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016
108	IRDAI (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016
109	IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2016
110	IRDAI (Loans or Temporary advances to the Full-time Employees of the Insurers) Regulations, 2016
111	IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business) Regulations, 2016
112	IRDAI (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2016
113	IRDAI (Issuance of e-Insurance Policies) Regulations, 2016
114	IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016
115	IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) (Eighth Amendment) Regulations, 2016
116	IRDAI Staff (Officers and Other Employees) Regulations, 2016
117	IRDAI (Investment) Regulations, 2016
118	IRDAI (Issuance of e-insurance policies) (First Amendment) Regulations, 2016
119	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (Second Amendment) Regulations, 2016
120	IRDAI (Payment of Commission or Remuneration or Reward to Insurance Agents and Insurance Intermediaries) Regulations, 2016
121	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) (First Amendment) Regulations, 2016
122	IRDAI (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) (First Amendment) Regulations, 2017
123	IRDAI(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017
124	IRDAI(Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations, 2017

Regulations framed under the IRDA Act, 1999 up to March 31, 2022

S.No.	Name of the Regulation
125	IRDAI(Appointed Actuary) Regulations, 2017
126	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (First Amendment) Regulations, 2017
127	IRDAI(Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017
128	IRDAI (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2017
129	IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018
130	IRDAI(Standard proposal form for Life Insurers) (Repeal) Regulations, 2018
131	IRDAI (Re-Insurance) Regulations, 2018
132	IRDAI (Insurance Brokers) (First Amendment) Regulations, 2018
133	IRDAI (Appointed Actuary) (Amendment) Regulations, 2019
134	IRDAI (Unit Linked Insurance Products) Regulations, 2019
135	IRDAI (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019
136	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) (Amendment) Regulations, 2019
137	IRDAI (Re-insurance Advisory Committee) Regulations, 2019
138	IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019
139	IRDAI (Common Public Services Centers) Regulations, 2019
140	IRDAI (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2019
141	IRDAI (Health Insurance) (Amendment) Regulations, 2019
142	IRDAI (Third Party Administrators - Health Services) (Amendment) Regulations, 2019
143	IRDAI (Minimum Information Required for Investigation and Inspection) Regulations, 2020
144	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (Amendment) Regulations, 2020
145	IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021
146	IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021
147	IRDAI (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021
148	IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) (First Amendment) Regulations, 2021
149	IRDAI (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021

Note: Notified in the Gazette of India

ANNEXURE 6

LIST OF MICRO INSURANCE PRODUCTS OF LIFE INSURERS (AS AT MARCH 31, 2022)

S.No.	Insurer	Individual Category	Group Category
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	-	ABSLI Group Bima Yojana
2	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	-	Bajaj Allianz Life Group Sampoorna Jeevan Suraksha Bajaj Allianz Life Group Sampoorn Suraksha Kavach
3	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	Bharti Axa Life Grameen Jeevan Bima	Bharti AXA Life Group Term Micro Insurance Plan
4	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	-	Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Sampoorna Kavach Plan
5	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	Edelweiss Tokio Life - Raksha Kavach	Edelweiss Tokio Life - Jan Suraksha
6	Exide Life Insurance Co. Ltd.	-	Group Micro Term Insurance
7	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	-	HDFC Life Group Suraksha HDFC Life Group Jeevan Suraksha
8	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	ICICI Pru Sarv Jana Suraksh ICICI Pru Anmol Bachat	ICICI Pru Shubh Raksha Credit ICICI Pru Shubh Raksha One ICICI Pru Shubh Raksha Life
9	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	-	Group Microsurance Insurance Plan
10	India First Life Insurance Co. Ltd.	IndiaFirst Life "Insurance Khata" Plan-MI IndiaFirst Life Micro Bachat Plan	IndiaFirst Life Group HospiCare (MI) Plan IndiaFirst Life Group Micro Insurance Plan
11	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	Kotak Sampoorn Bima Micro-Insurance Plan	Kotak Raksha Group Micro-Insurance Plan
12	Max Life Insurance Co. Ltd.	-	Max Life Group Saral Suraksha Plan
13	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	-	PNB MetLife Bima Yojana
14	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	-	Pramerica Life Sarv Suraksha Pramerica Life Sampoorna Suraksha
15	SBI Life Insurance Co. Ltd.	SBI Life - Grameen Bima	SBI Life- Grameen Super Suraksha
16	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	Shriram Grameena Suraksha	Shriram Jana Sahay Shriram Life Sujana
17	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	Tata AIA Life Saat Saath MI Product Tata AIA Life POS Saat Saath MI Product	-
18	Life Insurance Corporation of India	LIC'S BHAGYA LAKSHMI LIC'S New Jeevan Mangal LIC'S MICRO BACHAT	LIC's One Year Renewable Group Micro Term Assurance Plan

NUMBER OF PRODUCTS AND RIDERS APPROVED BY IRDAI IN 2021-22

S. No	Life Insurers	Number of products and Riders	S. No.	General and Health Insurers	Number of Products and Add-on	
					General Insurance*	Health Insurance
	Public Sector			Public Sector		
1	Life Insurance Corporation of India	13	1	National Insurance Co. Ltd.	63	2
	Private Sector Insurers		2	The New India Assurance Co. Ltd.	1239	4
2	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	22	3	The Oriental Insurance Co. Ltd.	32	3
3	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	3	4	United India Insurance Co. Ltd.	35	7
4	Aegas Federal Life Insurance Co. Ltd.	3		Private Sector		
5	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	4	5	Acko General Insurance Ltd.	23	1
6	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	16	6	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	63	21
7	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	7	7	Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.	4	1
8	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	9	8	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	250	9
9	Edelweiss Tokio Life Insurance Co Ltd	5	9	Edelweiss General Insurance Co. Ltd.	16	3
10	Exide Life Insurance Co. Ltd.	3	10	Future Generali India Insurance C. Ltd.	239	13
11	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	2	11	Go Digit General Insurance Ltd.	46	3
12	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	28	12	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	80	22
13	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	18	13	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	37	31
14	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	11	14	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	58	7
15	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	15	15	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	67	7
16	Max Life Insurance Co. Ltd.	13	16	Liberty General Insurance Ltd.	39	5
17	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	10	17	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	45	1
18	Pramerica Life Insurance Co Ltd	2	18	Navi General Insurance Ltd.	23	14
19	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	3	19	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	54	1
20	Sahara Life Insurance Co. Ltd.	0	20	Reliance General Insurance Co. Ltd.	36	2
21	SBI Life Insurance Co. Ltd.	13	21	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	25	4
22	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	8	22	SBI General Insurance Co. Ltd.	455	11
23	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	10	23	Shriram General Insurance Co. Ltd.	48	1
24	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	17	24	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	50	6
	Total	235	25	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	1190	3
				Specialized Insurers		
			26	Agricultural Insurance Company of India Ltd.	5	-
			27	ECGC Ltd.	-	-
				Standalone Health Insurers		
			28	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	-	5
			29	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	-	2
			30	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	-	13
			31	Care Health Insurance Ltd.	-	6
			32	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	-	25
				Total	4222	233

*Products/add-on noted under 'File & Use' and automatic UINs generated under 'Use & File' during FY 2021-22

Note: For detailed information about the products, please refer to IRDAI website

ANNEXURE 8

FEE STRUCTURE FOR INSURERS AND INTERMEDIARIES AND FEE COLLECTED IN 2021-22

S. No.	Insurer/ Intermediary	Fee structure				Total Fee collected (₹)
		Processing Fee	Registration Fee	Renewal Fee	Periodicity of Renewal	
1	Insurer (Life/General/Health)	-	500,000	1/20th of 1% of Gross Direct Premium written in India subject to a minimum of ₹5,00,000 and maximum of ₹10 crore	Every year (by January 31)	1,859,138,802
2	Reinsurer/FRBs	-	500,000	1/20th of 1% of the total premium in respect of facultative reinsurance accepted in India subject to a minimum of ₹5,00,000 and maximum of ₹10 crore	Every year (by January 31 for GIC Re) Every Year (by December 31 for FRBs)	20,550,531
3	Service Company of Lloyds	-	50,000	50,000	Every Year (by December 31)	-
4	Amalgamation and transfer of General / Life insurance business	1/10th of 1% of Gross Direct Premium written in India by the transacting entities during the financial year preceding the financial year in which the application is filed with the Authority subject to a minimum of ₹50 lakh and maximum of ₹5 crore	-	-	-	50,000,000
5	Third Party Administrator	100,000	200,000	150,000	3 years	477,100
6	Brokers-Direct Brokers-Reinsurance Brokers-Composite	25,000 50,000 75,000	50,000* 1,50,000* 2,50,000*	100,000 300,000 500,000	3 years 3 years 3 years	29,633,515
7	Surveyors and Loss Assessors (Individual and Corporate)	-	Individual: ₹1000, Corporate: ₹5000	i. Renewal Fee if application filed before 30 days from the date of expiry: Individual- ₹1000 Corporate – ₹5000 ii. Renewal fee if renewal application NOT filed 30 days before the date of expiry: Individual – ₹1100 Corporate – ₹5100 iii. Renewal fee if renewal application filed after the date of expiry of license but within six months from the date of expiry of license: Individual - ₹1750 Corporate - ₹5750	3 years	4,114,780
8	Corporate Agents	10,000#	I CoR for the entity: ₹25000 ii. Certificate to the PO/SP/AV : ₹500	CoR Renewal: ₹25000 Renewal of Certificate to PO/SP/AV: ₹500	3 Years	96,656,418
9	Web Aggregators	10,000	25,000	25,000	3 Years	410,800
10	Common Public Service Centre (CPSC)	-	10,000	2,000	3 Years	-
11	Referrals	-	10,000	10,000	3 Years	143,000
12	Insurance Marketing Firm	-	5,000	2,000	3 Years	776,224
13	Insurance Repository	10,000	100,000	50,000	3 Years	209,000
14	ISNP (Insurance Self-Network Platform)	-	10,000	-	-	800,000
	Total					2,062,910,169

* After grant of in-principle approval

Non Refundable Fee

CoR- Certificate of Registration

PO- Principal Officer, SP- Specified Person & AV- Authorised Verifier

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING 2021-22

S.No.	Name of the entity	Amount of Penalty (₹)	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
1	Muthoot Risk Inspection & Broking Pvt Ltd.	10,000,000	April 7, 2021	Broker engaged unlicensed entities to canvass insurance business thereby violating Para 3 (b) of Schedule VIA (Code of Conduct) under Regulation 28 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2013 & Clause 33 (b) of Schedule 1 - Form H (Code of Conduct) under Regulation 30 & 8 (2) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations 2018 to be read with Regulation 2 (1) (d) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations 2018
2	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	1,700,000	April 9, 2021	Insurer offered 'add on cover' before filing it with the Authority and related approval of the Authority thereby penalty of ₹1 lakh and insurer offered 'add on cover' to policyholder without taking consent of policyholder thereby penalty of ₹16 lakh for violating Reg.3 (2) of IRDA (Protection of Policyholders' Interests') Regulations, 2002.
3	Royal Sundaram General Insurance Co Ltd	300,000	April 9, 2021	Violation of MISP Guidelines
4	SBI General Insurance Co Ltd	2,500,000	April 9, 2021	Violation of Motor TP Obligation for FY 2017-18
5	Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd	1,000,000	April 15, 2021	Violation of MISP Guidelines
6	Liberty General Insurance Ltd	1,300,000	April 15, 2021	Violation of MISP Guidelines
7	Iffco Tokio General Insurance Co Ltd	500,000	April 22, 2021	Violation of MISP Guidelines
8	Max Life Insurance Co. Ltd.	300,000	April 28, 2021	Violation of Outsourcing Guidelines
9	Shriram General Insurance Co. Ltd.	600,000	May 4, 2021	Insurer neither followed its Board approved Underwriting Guidelines nor the rates allowed in the Product Filing for Group policies issued thereby violating Para 3A.1 of Corporate Guidelines bearing Ref. No.IRDAI/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated May 18, 2016 issued by the Authority
10	SBI General Insurance Co Ltd	3,000,000	May 6, 2021	Violation of Motor TP Obligation for FY 2018-19
11	Universal Sampo General Insurance Co Ltd	2,500,000	May 6, 2021	Violation of Motor TP Obligation for FY 2018-19 and FY 2019-20
12	Policy bazaar Insurance Web Aggregators (P) Ltd.	2,400,000	May 18, 2021	Non-compliance of the Regulation 9 of the IRDA (Advertisement and Disclosures) Regulations, 2000
13	Visista Insurance Broking Services Pvt. Ltd.	100,000	May 28, 2021	Broker did not intimate the Authority about the opening of new office thereby violating Regulation 38 (4) (i) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
14	Interocean Insurance Surveyors and Loss Assessors Pvt Ltd.	800,000	June 9, 2021	Insurance Surveyors and Loss Assessors accepted and performed survey works in the areas for which they did not hold a license thereby violating Regulation 16 (5) of IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
15	Salasar Services Insurance Brokers Pvt. Ltd	800,000	June 16, 2021	The entity violated certain clauses under Code of Conduct of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 with regard to issuance of misleading advertisement.
16	D2C Insurance Broking Pvt Ltd	10,000,000	June 29, 2021	Broker employed agents and canvassers to bring in insurance business in collusion with the Promotor Company thereby violating Para 3 (b) of Schedule VIA under Regulation 28 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.

Contd... ANNEXURE 9

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING 2021-22

S.No.	Name of the entity	Amount of Penalty (₹)	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
17	Corporation Bank - Corporate Agent (Now merged with Union Bank of India)	4,600,000	August 6, 2021	Corporate Agent permitted Specified Persons to solicit insurance business even before they acquired valid certificate thereby violating Clause 3 (ii) (a) & 3 (2) (m) of Schedule III of Regulation 27 & Regulation 7 (3) (c) of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015
18	Saferisk Insurance Brokers Pvt Ltd.	300,000	August 31, 2021	Brokers solicited and procured insurance business by other than Broker Qualified Persons thereby violating Clause 3 (b) & 12 (a & b) of Schedule VIA under Regulation 28 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 (for the period before January 12, 2018) and Clause 3 (b) & 12 (a & b) of Schedule I Form H under Regulation 8 (2) and 30 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 (for the period after January 12, 2018)
19	Team Insurance Surveyors and Loss Assessors LLP	200,000	September 9, 2021	Insurance Surveyors and Loss Assessors (ISLAs) have not been doing surveys commensurate with their resources and number of individual surveyor and loss assessor they employ. The SLAs violated the Regulation 4 (15) (4) of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
20	Alex Stewart Insurance Surveyors and Loss Assessors Pvt Ltd.	100,000	September 14, 2021	Insurance Surveyors and Loss Assessors accepted and performed survey works in the areas for which they did not hold a license thereby violating Regulation 16 (5) of IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
21	JB Boda Insurance Surveyors and Loss Assessors Pvt. Ltd.	400,000	September 14, 2021	Insurance Surveyors and Loss Assessors accepted and performed survey works in the areas for which they did not hold a license thereby violating Regulation 16 (5) Code of Conduct, Chapter VI of IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
22	Mack Insurance Surveyors and Loss Assessors Pvt Ltd	1,300,000	September 15, 2021	Insurance Surveyors and Loss Assessors (SLAs) have not undertaken surveys in commensure with their resources, which is a violation of Regulation 4 (15) (4) and Regulation 12 (1) of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
23	KD Kohli Insurance Surveyors and Loss Assessors Pvt. Ltd.	1,100,000	September 16, 2021	Insurance surveyors and Loss Assessors engaged unlicensed surveyor or surveyors who are not holding license in the relevant areas, which is a violation of Regulation 12 (1) and Regulation 16 (5) of IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
24	M/s Safeway Insurance Brokers Pvt Ltd	1,100,000	October 4, 2021	"1. The Broker, by utilizing the services of employees for solicitation of insurance business who have not completed their renewal training, is in violation of Clause 2 (iii) & 2 (xiv) of Regulation 8 read with provision of Schedule II under Regulation 8 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 thereby penalty of ₹2 lakhs was imposed.2. Since Broker utilized the services of Service Providers (agent and canvassers) to bring in business, Broker violated the Clause 3 (b) of Schedule VI Regulation 28 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 thereby penalty of ₹9 lakhs was imposed."
25	Innovative Insurance Surveyors and Loss Assessors Pvt. Ltd.	200,000	November 8, 2021	Insurance Surveyors and Loss Assessors assigned the survey job to such surveyors in the department for which they were not authorised thereby violating Regulation 12 (1) and Clause 15 (1), 15 (3) & 15 (4) of Regulation 4 and Clause 5 & 7 of Regulation 16 of IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015.

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING 2021-22

S.No.	Name of the entity	Amount of Penalty (₹)	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
26	Apex Insurance Surveyors and Loss Assessors Pvt. Ltd.	200,000	November 8, 2021	Insurance Surveyors and Loss Assessors engaged unlicensed individuals for survey thereby violating Regulation 4 (15) (3) of IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015.
27	Policyx.com Insurance Web Aggregators Pvt. Ltd.	1,400,000	December 6, 2021	Insurance Web Aggregator solicited insurance through telemarketing and distance marketing by persons other than Authorised Verifiers thereby violating Clause 4 (a) and 4 (c) Form T of Schedule VI under Regulation 29 of IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017.
28	M/s Angel Financial Advisors Pvt. Ltd. (Corporate Agent)	2,700,000	December 20, 2021	Corporate Agent engaged its group company i.e. M/s Angel Broking Pvt Ltd., which were not licensed for solicitation of insurance business thereby violated Para 3 (ii) (a) of Code of Conduct under Regulations 26 of IRDAI (Registration of Corporate Agents), Regulations, 2015.

ANNEXURE 10(i)
**INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (IALM) – 2012-14 STANDARD RATES-
MALE INSURED LIVES THAT ARE MEDICALLY UNDERWRITTEN AT INCEPTION**

Age	q _x (Graduated)	Age	q _x (Graduated)	Age	q _x (Graduated)
2	0.000915	40	0.00168	78	0.051024
3	0.00047	41	0.001815	79	0.056231
4	0.000271	42	0.001969	80	0.061985
5	0.000185	43	0.002144	81	0.068338
6	0.000152	44	0.002345	82	0.07535
7	0.000149	45	0.002579	83	0.083082
8	0.000167	46	0.002851	84	0.091601
9	0.000206	47	0.003168	85	0.100979
10	0.000265	48	0.003536	86	0.111291
11	0.000341	49	0.003958	87	0.122616
12	0.000429	50	0.004436	88	0.135037
13	0.000522	51	0.004969	89	0.148639
14	0.000614	52	0.00555	90	0.163507
15	0.000698	53	0.006174	91	0.179726
16	0.00077	54	0.006831	92	0.19738
17	0.000829	55	0.007513	93	0.216547
18	0.000874	56	0.008212	94	0.237302
19	0.000905	57	0.008925	95	0.259706
20	0.000924	58	0.009651	96	0.283813
21	0.000934	59	0.010393	97	0.309659
22	0.000937	60	0.011162	98	0.337265
23	0.000936	61	0.011969	99	0.36663
24	0.000933	62	0.012831	100	0.397733
25	0.000931	63	0.013765	101	0.430529
26	0.000931	64	0.014792	102	0.46495
27	0.000934	65	0.015932	103	0.500904
28	0.000942	66	0.017206	104	0.538278
29	0.000956	67	0.018635	105	0.576942
30	0.000977	68	0.02024	106	0.616752
31	0.001005	69	0.02204	107	0.657553
32	0.001042	70	0.024058	108	0.699191
33	0.001086	71	0.026314	109	0.741515
34	0.00114	72	0.028832	110	0.784383
35	0.001202	73	0.031638	111	0.827673
36	0.001275	74	0.034757	112	0.871285
37	0.001358	75	0.038221	113	0.915145
38	0.001453	76	0.042061	114	0.959214
39	0.00156	77	0.046316	115	1

Note:

1. Age as on Last Birthday
2. q_x(Graduated) Rates are Graduated Mortality Rates

INDIAN INDIVIDUAL ANNUITANT'S MORTALITY TABLE (2012-15) OVERALL / COMBINED MORTALITY RATES

[Within the meaning of Regulation 4 of IRDAI
(Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016]

Age	Graduated Mortality Rates	Age	Graduated Mortality Rates
20	0.000284	68	0.013447
21	0.000305	69	0.01484
22	0.000328	70	0.016393
23	0.000353	71	0.018128
24	0.000379	72	0.020067
25	0.000407	73	0.022236
26	0.000438	74	0.024662
27	0.000471	75	0.027379
28	0.000507	76	0.030422
29	0.000545	77	0.03383
30	0.000586	78	0.037651
31	0.000631	79	0.041932
32	0.000679	80	0.04673
33	0.000731	81	0.052106
34	0.000787	82	0.058127
35	0.000847	83	0.064868
36	0.000913	84	0.07241
37	0.000984	85	0.08084
38	0.001061	86	0.090252
39	0.001144	87	0.100746
40	0.001234	88	0.112428
41	0.001332	89	0.125408
42	0.001438	90	0.139798
43	0.001553	91	0.155712
44	0.001679	92	0.17326
45	0.001815	93	0.192548
46	0.001964	94	0.213673
47	0.002125	95	0.236719
48	0.002302	96	0.261749
49	0.002495	97	0.288807
50	0.002705	98	0.317906
51	0.002936	99	0.349031
52	0.003188	100	0.382129
53	0.003464	101	0.417111
54	0.003768	102	0.453851
55	0.004101	103	0.49219
56	0.004468	104	0.531933
57	0.004871	105	0.572866
58	0.005316	106	0.614755
59	0.005807	107	0.657357
60	0.006349	108	0.700435
61	0.006948	109	0.743762
62	0.007612	110	0.787136
63	0.008347	111	0.830382
64	0.009163	112	0.873364
65	0.01007	113	0.915987
66	0.011077	114	0.958198
67	0.012198	115	0.99999



प्रधान कार्यालय

सर्वे सं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट
नानकरामगूडा, गच्चीबौली
हैदराबाद – 500 032, भारत
फोन: +91-40-20204000

Head Office

Sy. No. 115/1, Financial District,
Nanakramguda, Gachibowli,
Hyderabad-500032, Telangana (India)
Phone: +91- 40 - 20204000

